राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 22वां दिवस [संख्या 18

मंगलवार,
दिनांक 21 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पीठासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री माणकलाल ।

विभाग के पार्ट टाइम चपरासी

403. **श्री माणकलाल ठाकोर** (नैनवा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शिक्षा विभाग द्वारा पार्ट टाइम समस्त चपरासियों, जो शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, को स्थायी कर दिया गया है, क्या उसका वेतन भी स्थायी कर्मचारी के समान कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि अब भी पार्ट टाइम चपरासी नए नियुक्त किए गए हैं और उनको नाम मात्र का वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो यह शोषण कब समाप्त किया जाएगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी नहीं ।

(2) जी हां । पार्ट टाइम नियुक्त किए गए चपरासियों को फिलहाल 75/- रुपये माहवार ही दिया जा रहा है । उनका वेतन बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है ।

श्री माणकलाल ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस समय पार्ट टाइम कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है और कुल कितने पार्ट टाइम कर्मचारी हैं ?

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि चपरासियों के बारे में मिनिमम वेजेज एक्ट एप्लाई नहीं हुआ है ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या चपरासियों के पद को राज्य सरकार खतम करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? मैं

(श्री नवरंगसिंह)

यह भी जानना चाहूंगा कि जो अंशकालीन कर्मचारी हैं जिनको 75 रुपया मासिक वेतन दिया जाता है, क्या यह वेतन मिनिमम वेजेज से नीचे नहीं है ? क्या राज्य सरकार इस पर विचार कर कोई निर्णय लेगी ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 75 रुपये के जो अंशकालीन चपरासी हैं, जिन्हें भरतपुर में लगाया गया है, उन अंशकालीन चपरासियों के पदों के लिए हरिजनों और आदिवासियों को आज तक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक करके प्रश्न पूछें । श्री भैरवलाल कालाबादल ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं । माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछें और उसका जवाब मन्त्री महोदय दें, उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य प्रश्न करें : सदन में पांच, दस माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न करते हैं, इस कारण मंत्री महोदय का जवाब नहीं आता है । मेरा निवेदन है कि एक प्रश्न का जवाब आने के बाद ही दूसरा प्रश्न करने की आप इजाजत दें तो ठीक व्यवस्था होगी और मंत्री महोदय का जवाब भी सुनने को मिलेगा ।

श्री कौशल किशोर जैन : (भीलवाड़ा) अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में जो 10-15 साल से काम करते हैं, प्रातः 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक जो काम करते हैं, 12 घन्टे की ड्यूटी देते हैं उनको सरकार द्वारा 75/- रुपया ही वेतन दिया जाता है । इस विसंगति को दूर करने के लिए, यह अन्याय खतम करने के लिए, यह कहना कि विचार चल रहा है, इससे काम नहीं चलेगा । इसके बारे में आप निश्चित तिथि बताइये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, उनके बारे में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने सदन को यह बताया था कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर क्या एक्शन लिया गया है सरकार द्वारा ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत 65 चपरासी कार्यरत हैं। उनको 30/- 35/- रुपया ही मिलता है । कृपया यह प्रथा भी बंद करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

मन्त्री महोदय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनके जिम्मे जो काम होता है वह स्कूल की सफाई करना और बच्चों के लिए पानी भरना है । इससे अधिक काम लेने की व्यवस्था उनसे नहीं है. जैसा माननीय सदस्य ने कहा है...

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो अंशकालीन चपरासी होते हैं ये रात दिन काम करते हैं, चाहे आपकी व्यवस्था काम लेने की कुछ भी हो ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, ये अंशकालीन चपरासी हैड मास्टर के घर पर खाना बनाते है, उनकी बीबी के कपड़े धोते हैं । मन्त्री चाहेंगे तो मैं 100 स्कूलों की लिस्ट आपको दे सकता हूं । अंशकालीन चपरासी से ही बेगार ली जाती है । आप मेरे साथ कोई स्पेशल आफिसर अपाइन्ट कर दीजिए, मैं उनको निरीक्षण करा सकता हूं कि ये चपरासी हैड मास्टर के घर पर खाना बना रहे हैं, उनकी बीबी के कपड़े धो रहे हैं । यह बेगार उनसे ली जाती है । कानून के जरिए उनको कतई प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है । 15 सक्यूलर चीफ सैक्रेटरी ने निकाले हैं परन्तु आपके राज्य में कोई सुनवाई नहीं होती है और न कोई कम्पलायेन्स होती हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो शिकायत माननीय सदस्यों ने की है, उसका संबंध अंशकालीन चपरासी से नहीं है । जिनको आप पूरी तनख्वाह देते हैं, पूरे समय काम लेते हैं, वह शिकायत उनकी भी मिल जाएगी इसलिए...

श्री अजीतसिंह (टोंक) अंशकालीन वाले ही डरते हैं और बेगार करते हैं । परमानेन्ट नहीं करते ।...

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए घर पर काम लेते हैं या समय से अधिक काम लेते हैं इसका अंशकालीन वेतन से संबंध नहीं है । जहां तक उनके वेतन का संबंध है, मैंने कल निवेदन किया था कि 900 पद ऐसे थे जो अंशकालीन थे, उनको परमानेन्ट कर दिया गया है और बाकी जो बचे हैं, जिनको हम अभी परमानेन्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह सिफारिश की गई है कि 75 रुपये के स्थान पर उनका वेतन 150 रुपया कर दिया जाए ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बाकी कितने बचे हैं, उनकी संख्या बता दीजिए ?

विधि मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : आप जितने छोड़ गए थे उनमें से एक कम कर दीजिए ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप क्यों इन्स्टीगेट करते हैं ? और भी कई सदस्य हैं । आप तो मन्त्री हैं । कितने बाकी रह गए हैं, इसकी संख्या बता दीजिए ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या आप इनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार तनख्वाह देना चाहते है ? यह बतावें ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का जो उत्तर है, वह पर्याप्त है । सत्यम शिवं सुन्दरम है ।

नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री माणकलाल ठाकौर : एक प्रश्न और केवल एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : No more please श्री शिवनारायण ।

लोसल बांध का ठेका

404. **श्री शिवनारायण** (थानागाजी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या लोसल बांध (रामगढ़ तहसील) का ठेका राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष दिया गया था ? यदि हां तो उस बांध का निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ ?

[redacted]

(५)

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी हां ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण कार्य न हो सका जिसके लिए ठेकेदार की धरोहर राशि प्राप्त कर ली गई है । इस कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य किया जा सकेगा ।

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह ठेका कब, किसको और कितने रुपये में दिया गया था ? इसका कार्य पूरा न होने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह जो कार्य है, यह इर्रिगेशन डिपार्टमेंन्ट का नहीं है । इससे कोई इर्रिगेशन नहीं होता है । केवल मात्र इस छोटे से बांध को बनाने के लिए ठेका दिया गया था ताकि वहां पर जो कुए हैं उनका जल-स्तर ऊपर आ जायें । इस संबंध में आवेदन आए थे । फ्लड कन्ट्रोल फन्ड से राशि लेकर इस काम को करने की कोशिश की गई थी । ठेकेदार ने 5 महीने काम नहीं किया इसलिए उनकी धनराशि जब्त कर ली है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अमाउण्ट कितना था ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 21,000/- रुपया था ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : लासेज कितने हुए ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह मालूम नहीं है ।

लगातार यह मांग आ रही थी । मेरे अधिकार में नहीं था । ठेके का काम पूरा नहीं कर सका तो उसकी धरोहर की राशि जब्त कर ली । आगे जब ऐसा प्रश्न आयेगा तो देखा जाएगा ।

श्री शिवचरणसिंह : फ्लड और फैमिन का रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलता है ।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य देश का प्राण है । ठेकेदार के द्वारा काम पूरा नहीं हो तो क्या सरकार ठेका देने की प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री कौशल किशोर जैन : मन्त्री महोदय ने ठेकेदार की धरोहर की राशि जब्त कर ली । जिन लोगों की रकम बकाया है, क्या सरकार उसका ब्याज नहीं देगी ? सिक्योरिटी जब्त करने का काम तो सरकार का है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि पहले तो उन्होंने उसको बनाना आवश्यक समझा लेकिन बाद में नहीं समझ रहे हैं, ऐसा क्यों ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता का कोई जवाब नहीं आ रहा है । आपकी व्यवस्था हो तो जवाब भी ठीक आ जायेगा। मूल प्रश्नकर्त्ता धरा ही रह जाता है । बीच में दूसरे पूछने लगते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसको जरूरी क्यों नहीं समझा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने कहा है, निश्चित रूप से सरकार इस बारे में विचार कर रही है ताकि वह जो काम है समय पर पूरा हो जाये। मैं चाहूंगा, माननीय विधायक महोदय यह जानकारी दें कि किस ठेकेदार का काम पूरा होने के बाद पेमेन्ट नहीं हुआ है ? अगर ऐसा है तो निश्चित ही ब्याज दिया जायेगा।

जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने प्रश्न किया है, यह पिछली सरकार के समय में काम हुआ है। मैं जानकारी कर रहा हूं कि कैसे करवाया था। यह काम हमारा नहीं है। इससे सिंचाई नहीं होती है। जिन्होंने यह काम करवाया है, उन्होंने गलत तरीके से काम करवा लिया है। जैसा कि मैंने कहा, किस तरीके से इस काम को कराने की आवश्यकता है इस पर मैं आगे विचार करूंगा। आवश्यक हुआ तो पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने जो सवाल पूछा है, वह यह पूछा है, क्या इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से बनाया गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बनाया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कह रहा हूं जिस वक्त, काम कराया, उस वक्त जरूरी था। अब क्यों नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : क्या निश्चित अवधि में हो गया ?

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित अवधि किस प्रकार से मानते हैं ?

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री शिवचरण सिंह : फलड और फैमिन के रुपये का मिस यूज करते हैं। फलड और फैमिन का रुपया गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से आता है। यह आवश्यकता के अनुसार खर्च होना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। क्या भविष्य में डाइवर्ट नहीं करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिल चुका है।

श्री शिवचरण सिंह : गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का रुपया आता है, वह दूसरे कामों में डाइवर्ट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

कपासन तहसील में चलने वाली निगम की बसें

405. **श्रीमती श्यामा कुमारी सैंगर** (कपासन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कपासन तहसील (जिला चित्तौड़ गढ़) में कौन कौन से रूट पर सरकारी बसें चालू हैं ?

(श्रीमती श्यामा कुमारी संगर)

(2) इस साल कौन से रास्तों पर बसें लगाये जाने की संभावना है और क्या उनकी सर्वे की जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि कपासन तहसील के सूरपुर गांव की जनता नये बस परमिटों के लिए ट्रान्सपोर्ट विभाग उदयपुर के अधिकारी के पास गई थी तथा वहां से कई बार आश्वासन मिला कि कपासन, सूरपुर, घोसुण्डा और चित्तौड़गढ़ का परमिट दे दिया जायगा : लेकिन अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार अब भी जनता को राहत दिलाने के लिए प्राइवेट बस की अनुमति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यो ?

यातायात मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) कपासन तहसील में कपासन से भोपालसागर, उदयपुर वाया बोगाना व कपासन से चित्तौड़ वाया केसरी खोरा, निम्बाहेड़ा-सिन्धुपुर, तथा कपासन से राशमी वाया छोकर री बाबरी-भीलोरी मार्गों पर निगम की वाहन सेवाएं संचालित हैं ।

(2) इस वर्ष कपासन तहसील के अन्य किसी मार्ग पर निगम द्वारा वाहन सेवाएं संचालित करने की कोई योजना नहीं है । और, न ही निगम द्वारा किसी मार्ग का इस हेतु सर्वेक्षण करवाया गया है ।

(3) जी हां । 5/6 जनवरी, 78 को बैठक में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष कुछ ग्रामीण उपस्थित हुए थे और उनके अभिवक्ता को सुनने के बाद कांकरोली से चित्तौड़गढ़ वाया कपासन, ब्लाडा, पाडोली रेल्वे स्टेशन, सूरजपुर, मोडाखेड़ा, नेतावल महाराज, घोसुण्डा, हसमोर, दुलांच बड़ी आदि मार्ग खोला गया था । इस पर 7 परमिट व 5 वापसी सेवाओं का स्कोप निर्धारित किया गया । जनता को तुरन्त सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अस्थायी परमिट 4 माह के मंजूर किये गये थे । लेकिन वाहन स्वामियों द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर परमिट न उठाने के कारण स्वीकृति निरस्त हो गई । पुन: दिनांक 7-2-78 को 4 अस्थायी परमिट मंजूर कर दिये हैं । तीन प्रार्थना-पत्र अस्थायी परमिट के लिए और आ गये हैं । उन पर निर्णय लिया जा रहा है । सूरपुर इस मार्ग पर स्थित गांव पाडोली से चार मील की दूरी पर है । इस मार्ग में शामिल करने का निवेदन अनुज्ञा-पत्र के निवेदन कर्त्ताओं ने नहीं किया है ।

श्रीमती श्यामाकुमारी संगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, जिन मार्गों पर सरकारी बसें नहीं हैं, उन मार्गों पर प्राइवेट बसों को परमिट प्रदान कर दें । दूसरा यह है कि एक महीने से जयपुर से वाया कपासन उदयपुर जाने वाली, उदयपुर से वाया कपासन जयपुर जाने वाली बसें बंद हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आपके रोडवेज अधिकारी ने बताया है कि जिलाधीश ने कहा है कि मंगलवाड़ होकर बस जाये । उसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती । मंगलवाड़ होकर चाहे जितनी बस जायं लेकिन वाया कपासन वाली बस बन्द नहीं होनी चाहिये ।

श्री कौशलकिशोर जैन : ये अस्थायी परमिट दिये जाते हैं, यह केवल 4 महीने के लिए दिये जाते हैं । इसलिए कोई बस

(श्री कौशलकिशोर जैन)।
चलाने को तैयार नहीं होता है । क्या इस अवधि में परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चित्तौड़-उदयपुर, कपासन-मावली से गुजरने वाली सड़क पर सरकारी बस क्यों बन्द की गई है । उसे पुन: चालू कर जनता के कष्टों का निवारण कब तक करने का इरादा रखते हैं ?

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : मैं निवेदन करूंगी कि इस प्रकार की कई बातें कह कर जनता राज बदनाम किया जाता है। जन प्रतिनिधि की बात को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, यह शर्म की बात है। जिलाधीश की बात महत्वपूर्ण है या जन प्रतिनिधि की ?

श्री शिवचरण सिंह : यह नमूना है।

श्री केदारनाथ : कपासन की बस चलाने के बारे में सोचेंगे । मैं सोच रहा हूं, अस्थायी परमिटों के बारे में 4 महीने के बजाय 2 साल दिये जायें । ऐसा मैं सोच रहा हूं ।

झाखम बांध की नहरों का कार्य

406. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) [श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) की अनुपस्थिति में] क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झाखम बांध, तहसील धरियाबाद, जिला उदयपुर राज्य सरकार की योजना अनुसार कार्यरत है लेकिन कैनाल का कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू किया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार झाखम बांध के अंतर्गत कैनाल पर दाई व बाई दोनों साइडों में कार्य एक साथ पूर्ण करेगी ? इस कार्य हेतु कुल अनुमानित राशि कितनी है और कितनी व्यय हो चुकी है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) झाखम बांध से निकलने वाली दाई मुख्य नहर व बाई नहर के निर्माण कार्य मुख्य बांध की प्रगति को ध्यान में रखकर प्रस्तावित हैं । नहरों के निर्माण का क्रमबद्ध कार्यक्रम बना लिया गया है । तदनुसार ही कैनाल के कार्य हेतु टेण्डर (दाई मुख्य नहर) मांगे गये हैं । कैनाल की खुदाई का कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अभी भी विभागीय रूप से चल रहा है, जिस पर करीबन 400 से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं ।

(2) जी हां । दाई व बाई दोनों नहरों के निर्माण की अनुमानित लागत 511 लाख रुपये है । अभी तक 28.76 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कैनाल डिविजन को अलग से डिविजन बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक बनेगी, ताकि काम में प्रगति आ सके ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कैनाल डिविजन बनाने का प्रपोजल राज्य सरकार के विचाराधीन है । इस बजट के बाद उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री कौशल किशोर जैन : बांध सिंचाई परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : भाखम बांध की योजना है...

श्री अध्यक्ष : छः सात साल के पहले खतम नहीं होगी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी अनुमति से निवेदन है कि पांच साल में पूरा करने का निश्चय है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री नरेन्द्रपाल सिंह ।

ग्राम ईन्टाली में डिस्पेन्सरी खोलने की योजना

407. **श्री नरेन्द्रपाल सिंह** (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार ग्राम ईंटाली, तहसील मावली में डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचंद जैन) : जी नहीं, अभी नहीं । राज्य सरकार की नवीन नीति के अनुसार अभी खोलना संभव नहीं है ।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : एक ही दवाखाने की मांग की, उसके लिये भी 'नहीं' कह दिया । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके लिये व्यवस्था करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे पता लगा है कि इस साल एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला जायेगा । क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री गुलाबचंद कटारिया : इस प्रश्न में पूछा गया है, "यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?" उसका आपने उत्तर नहीं दिया ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि सरकार की नीति के अनुसार पहले वहां खोला जायेगा जहां पर दो डिस्पेन्सरी नहीं हैं । बजट आपके सामने रखा गया है, उसकी नीति के अनुसार ही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा ।

मनोहरथाना कस्बे में हुई हत्याओं के मामले

408. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहरथाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना कस्बे में गंगाबाई एवं मोत्याबाई नामक दो महिलाओं की निर्मम हत्या एवं चोरी के लिये अब तक किन किन अपराधियों को पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि गत 7 माह में इन हत्याओं का पता लगाने में पुलिस सर्वथा निष्क्रिय रही है ?

(3) क्या विभाग के किसी वरिष्ठ

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
अनुभवी अतिरिक्त अधिकारी को इस जांच के लिये लगाया जाना उचित नही है ?

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस के किसी निर्णय पर न पहुंच सकने के कारण यह मामला सी० आई० डी०, क्राइम को नहीं सौंपा जा सकता है ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) मु० गंगाबाई एवं मोतीबाई की हत्या के प्रकरण में अभी किसी भी मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि इस वारदात के असली मुलजिमान का अभी तक पता नहीं चल पाया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) उप-अधीक्षक, अकलेरा को इस अभियोग में अन्वेषण हेतु लगाया गया है ।

(4) अभी उप-अधीक्षक, अकलेरा स्वयं तफतीश कर रहे हैं अत: सी० आई० डी०, क्राइम विभाग से तफतीश कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि गंगाबाई ने एस० डी० ओ० कोर्ट में 107 का मुकदमा दर्ज कराया था? जिस दिन उसकी हत्या की गई उससे दो रोज पहले ही गंगाबाई ने एस० डी० ओ० कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि त्रिलोकचंद नाम के एक आदमी को अगर पाबंद नहीं किया गया तो वह मेरी हत्या कर देगा?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह सूचना नहीं है कि एस० डी० ओ० कोर्ट के अन्दर उसने कोई सिक्यूरिटी मैजर्स के लिये दरख्वास्त दी थी । जो मुकदमा दर्ज कराया है उससे मालूम पड़ता है, उन्होंने यह कहा है कि मेरी भोजाई गंगाबाई की हत्या कर दी और सामान चुरा ले गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं माननीय महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जिसकी हत्या की गई, उसकी लड़की दो बार राजस्थान के गृह मन्त्री से मिल चुकी है और राजस्थान के इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस से मिल चुकी है, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस से मिल चुकी है और इस बात की सूचना दी है कि त्रिलोकचंद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह मेरी हत्या कर देगा ? आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है । यह शर्म की बात है । आप सोच समझ कर उत्तर दीजिये ।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में अपराध वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । परसों के दिन हत्या हुई, कल फिर 307 का केस हुआ । कोटा जिले में कोई डी० आई० जी० नहीं है, एस० पी० साहब ट्रेनिंग में गये हुए हैं । अगर अपराधों को रोकना है तो तुरन्त कोटा जिले में डी० आई० जी० की व्यवस्था करें । मन्त्री महोदय बतायें कि कब तक उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी ।

श्री नवरंग सिंह : क्या यह सही है कि पुलिस मुलजिमों से मिली हुई है और मिलकर यह सारे षड़यंत्र रचाये जा रहे हैं ? मंत्री महोदय इस मामले की जांच सी० आई० डी० से क्यों नहीं करवा रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उस मूल भावना को मैं भी एप्रिशिएट करता हूं । मैं अवश्य व्यवस्था करूंगा । जहां तक सी० आई० डी० को केस सौंपने का संबंध है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं कभी भी घोषणा कर सकता हूं...

श्री श्यो'त सिंह मकासर : This is no argument.

श्री सम्पतराम : मैं अर्ग्यूमेन्ट नहीं दे रहा हूं, रिप्लाई दे रहा हूं । मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि सी०आई०डी० के पास इतने केसेज़ पड़े हुए हैं कि एक दो साल और देरी हो जायेगी । इसलिये बढ़िया से बढ़िया और ईमानदार से ईमानदार आदमी लगाने की व्यवस्था करूंगा ।

श्री गुलाबचंद कटारिया : जिस आदमी का नाम एस० डी० ओ० कोर्ट में दिया है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया ?

श्री सम्पतराम : अभी तक जो गवाही हुई है उसमें किसी का नाम नहीं है । इस बात पर भी इन्वेस्टीगेशन करने का आदेश दिया जायेगा ।

जहां तक डी० आई० जी० भेजने का प्रश्न है, उसके लिये आदेश हो चुके हैं । दो तीन दिन में डी० आई० जी० वहां पहुंच जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : कौन से एम० एल० ए० की बात रखी गई ? किसके कहने पर डी० आई० जी० का पोस्टिंग किया ?

श्री दाऊदयाल जोशी : दाऊदयाल के कहने पर ।

श्री श्यो'त सिंह मकासर : जिस क्षेत्र में कत्ल जैसे संगीन जुर्म हों, क्या वहां के पुलिस अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? उसको जांच करनी चाहिये । ऐसा न करने पर क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रावधान है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभी जगह वार्निंग दी थी कि मेरा कत्ल होगा, और कत्ल हो गया । फिर तफ्तीश क्या की गई ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उस महिला की बच्ची की इस बात की दरख्वास्त है कि मां को कत्ल कर दिया जायेगा । अगर आपके पास पूरे तथ्य नहीं हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एस० पी० को बुलाइये और मुझे भी बुला लीजिये । सारे गांव में इस घटना के बाद भयंकर वातावरण बना हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, दो हत्यायें हो गयीं पर कोई पता नहीं लगा । उसके बाद में भी चार हत्यायें हो गयीं । राज्य की पुलिस ने किसी भी हत्या का पता नहीं लगाया । चोरियां होती हैं उसका भी पता नहीं लगता है तो फिर इसे क्या समझें ? यह सब आपकी लिनियेन्सी है जिसके कारण इन हत्याओं का पता नहीं लग रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ! माननीय सदस्य, स्थान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान रहें । प्रश्नकर्ता ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हत्यायें हुई हैं उनकी किसी अधिकारी से जांच करायी जाय । जो वहां अभी अधिकारी हैं उसके खिलाफ मे अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, हत्या हुए आठ महीने हो गये हैं लेकिन कोई पता नहीं लग पाया है ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि गृह मंत्री महोदय को इस प्रान्त में क्या क्या मुख्य घटनायें होती हैं उनकी खबर हर आठ घन्टे में मिलती है ? क्या राजस्थान में जो ओफेन्सेज होते हैं उनकी सूचना मन्त्री महोदय को नहीं दी ? अगर उनको सूचना मिली है कि इस प्रकार से हत्यायें हो रही हैं, ओफेन्सेज हो रहे हैं तो इस मामले मे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम मन्त्री महोदय यह तो आश्वासन दें कि जांच करने के लिए दूसरे अधिकारी को भेजेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें । मन्त्री महोदय को जो जवाब देना चाहिये था । वह उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार दे दिया ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, दो दो हत्यायें हो गई । आठ महीने बीत गये हैं पर कोई पता पुलिस नहीं लगा सकी है ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरे किसी अधिकारी से कब तक मन्त्री महोदय जांच करवा देंगे ? यह तो बतावें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । कृपया शांत रहें । जो भी यथा संभव उत्तर मन्त्री महोदय दे सकते थे वह उन्होंने दे दिया । इसके आगे आपको कोई जानकारी चाहिये तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं । वह ज्यादा लाभदायक होगा ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्पष्ट जवाब दें । दूसरा अधिकारी वहां पर भेज कर इस सारे केस की जांच वह कब तक करा देंगे ? इसकी घोषणा कब तक हो जायेगी ? हत्याओं का पता कब तक लग जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार हत्यायें हो रही हैं और उनका कोई पता नहीं लग रहा है । आखिर जो लोग जुर्म का पता नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ में ही क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कन्विन्स तो करें आखिर ।

(व्यवधान)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में कार्यवाही तो करें । यहां घोषणा तो करें, वह तो, अध्यक्ष महोदय, मुस्करा रहे हैं । एक ओर हत्यायें हो रही हैं दूसरी ओर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिये जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि वह कब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस केस की जांच करने के लिये भेज देंगे ?

(व्यवधान)

श्री बालचंद आर्य (डग) : अध्यक्ष महोदय, पहले वहां पर दो हत्यायें हुई उसके बाद में चार हत्यायें और हो गयी हैं । इतना ही नहीं उस थाने के थानेदार ने एक औरत को 11 दिन तक थाने में रख लिया । उसके साथ 15 दिन तक व्यभिचार किया । मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उस थानेदार के खिलाफ में क्या एक्शन लिया ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने ज्वाब दे दिया है और सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन भी दे दिया है कि जल्दी ही किसी उच्च अधिकारी, जो भी ईमानदार व होशियार होगा, को वहां पर भिजवा दिया जायेगा । पहले मैं पूछताछ करना चाहूंगा कि कौन होशियार और ईमानदार आफिसर है । माननीय सदस्य शायद मेरी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं । मैं आखिर किसी भी अधिकारी को भेजूंगा तो उस पर जिम्मेदारी डालूंगा ताकि वह सही जांच करे, और जल्दी से जल्दी जुर्म का पता लगा सकें ।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : उस लोकल अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिसने इतने दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । कृपया शान्त रहें ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उस एस० डी० ओ० के पास वह कागजात पड़ा है जो उसकी बच्ची ने लिख कर दिया । उस पर पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? बाद में उस व्यक्ति की हत्या सवाई माधोपुर में हो गई ।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 15 सैकन्ड ही लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ 15 सैकन्ड ही फर्माइये ।

श्री मन्जूर अली : हां, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 15 सैकन्ड ही लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह जांच जब तक हो तो कहीं ऐसा न हो कि एस०डी०ओ० कोर्ट से वह फाइल ही गायब करा दें । ऐसी हालत में क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री औंकारलाल चौहान (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति की लड़कियों ने लिख कर दे दिया था उनकी जान को खतरा है, उसके ऊपर राज्य सरकार ने क्या किया ? आप उस

(श्री ओंकारलाल चौहान)
लड़कियों को क्या संरक्षण दे रहे हैं । मंत्री महोदय जवाब दें ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार कहा कि मैं इस बार में सचेत हूं और कार्यवाही करूंगा पर माननीय सदस्य मेरी भावना को ही नहीं समझ रहे हैं । वह मुझे पता नहीं क्यों गलत समझ रहे हैं ?कम से कम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मैंने कह दिया कि मैं जल्दी ही एक अच्छे अधिकारी को भेजूंगा । उसके बाद में जो भी कार्यवाही होगी उसकी सदन को जानकारी दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री अचला राम ।

रोस्टर प्रणाली के अनुसार सिंचाई विभाग में पदोन्नति

409. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिंचाई विभाग में रोस्टर प्रणाली की अनुपालना बराबर की जाती है ?

(2) क्या आज दिन तक इस विभाग में इस प्रणाली के अंतर्गत किसी कर्मचारी को पदोन्नति दी गई है ? अगर हां, तो कितने कर्मचारियों को ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैंने स्थगित करने के लिये निवेदन किया था ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया ।

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के बारे में जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाता है ? होता यह है कि रोस्टर प्रणाली ठीक तरह से लागू नहीं की जा रही है । यही कारण है कि दिनांक 3-3-78 को 46 जूनियर इन्जीनियर्स का प्रमोशन कर दिया गया लेकिन जो सिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं उनका नम्बर ही नहीं आया । मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग में तुरन्त रोस्टर प्रणाली बैक डेट से लागू करके अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को नियुक्त किया जावे और जिनको प्रमोशन नहीं मिला उन्हें प्रमोशन दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से बैठकर बातचीत कर सकते हैं । वह ज्यादा लाभदायक होगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृप्या शान्त रहें । कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने व्यवस्था दे दी और प्रश्न को स्थगित कर दिया तो फिर उसके बाद में तो उस विषय पर आगे चर्चा करने की गुन्जाइश ही कहां रहती है ।

नैक्स्ट प्रश्न ।

श्री ताराचन्द (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, जब भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की नियुक्ति के बारे में

(श्री ताराचन्द)
सवाल पूछते हैं तो कभी पूरा जवाब नहीं मिलता है या प्रश्न को स्थगित करा दिया जाता है। अभी भी माननीय सदस्य श्री अचलाराम जी ने जो प्रश्न पूछा तो उसे स्थगित करा दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले नियमों का अध्ययन करने का कष्ट करें।

प्रश्न संख्या 410।

बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग से ग्रसित रोगी

410 **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग से ग्रसित रोगियों की कुल संख्या कितनी है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में उक्त रोगियों के इलाज के लिये राजकीय भवन बना हुआ नहीं है और न उनके इन्डोर पेशेन्ट के तौर पर भर्ती करने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के एक नागरिक ने उक्त भवन निर्माण के लिये 75,000 रुपये की राशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बकाया राशि का विभाग द्वारा प्रावधान करा कर इसी वर्ष वित्त की व्यवस्था करा कर जिले की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) :

(1) बाड़मेर जिले में दिसम्बर, 1977 तक तपेदिक रोग से ग्रसित कुल पंजीकृत 5982 रोगी थे।

(2) तपेदिक रोग से ग्रसित रोगियों की भर्ती करने की व्यवस्था राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में ही है व इसके लिये 10 रोगी शैय्याओं का एक कक्ष अलग से है।

(3) जी हां। भवन अभाव ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित 1 लाख रुपये का दान प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया है। शेष राशि टी. बी. कैम्पेन के कोष से दी जावेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जब किसी दानदाता ने दान दे दिया तो फिर राज्य सरकार को इसी साल इस योजना को चालू कर देने में क्या दिक्कत है ? अब वह कब शुरू किया जायेगा ?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार की यह जानकारी में है कि तपेदिक का रोग शुष्क जलवायु में तेज गति से फैलता है और इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच पड़ताल से पुष्टि की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जहां की जलवायु शुष्क है, वहां तपेदिक रोग के निवारण की कोई विशेष व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जो राशि जमा कराई धर्मार्थ भवन के लिये वह राशि जमा नहीं हुई है। जिलाधीश, बाड़मेर को लिखा गया है। ज्यों ही राशि उपलब्ध हो जायगी काम शुरू करा दिया जायगा।

सूखे जलवायु में इस रोग के फैलने का जैसा कि माननीय सदस्या ने प्रश्न किया, अवश्य ही यह रोग फैलता है। पूर्ण रूप से इसका उपचार होगा, यही आशा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतने प्रश्न हैं कि नम्बर ही नहीं आवेगा उनका।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा अस्पताल में टी. बी. वार्ड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनमें से चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस रोग से ग्रस्त हैं। उनको तुरन्त वहां से हटाया जाय वरना सारे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गारद हो जावेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता।

श्री वृद्धिचन्द जैन : टी.बी. वार्ड के निर्माण में समय लगेगा। दस शैय्याओं के लिये आपने फर्माया कि व्यवस्था है। लेकिन वह अपर्याप्त है। जब तक अलग से मकान का निर्माण न हो तो अलग से किराये का मकान लेकर इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उसी अस्पताल में शैय्याओं की व्यवस्था अलग से है। 1977 का नम्बर इन्डोर पेशेन्ट्स का है, उसके आधार पर यह व्यवस्था ठीक है। ज्यों ही वह राशि उपलब्ध हो जायगी सरकार के द्वारा राशि अलग से रखी जा सकती है। आप यह मदद करिये कि राशि मिल जाय ताकि अलग से रोगी शैय्याओं की व्यवस्था हो जाय। इसमें माननीय सदस्य मदद करें।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर में दोनों एक्स-रे की मशीन खराब पड़ी हैं जिससे टी. बी. रोग की जांच पड़ताल और निदान होना सम्भव नहीं है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जो बात माननीय सदस्या कह रही हैं वह मुझे मालूम नहीं है। मैं मालूम करवा लूंगा। ठीक करवाने की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर जिले का रोगी जोधपुर में जाकर तपेदिक का इलाज करवाता है। जो पंजीकृत संख्या बाड़मेर की थी उसमें बाड़मेर जिले के जोधपुर में पंजीकृत रोगी शामिल नहीं हैं। कोई दान-दाता ने टी.बी अस्पतालबनाया या नहीं ? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में अपने आधार पर तपेदिक का अलग अस्पताल बाड़मेर में खोलना उचित नहीं समझती ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : ऐसा नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह बताना चाहती हूं कि जयपुर के टी. बी. अस्पताल में 20 रुपये में कोई भर्ती होना पसन्द नहीं करता है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : बाड़मेर की बात है। बाड़मेर में होना चाहिये, बीच में जयपुर कहां से आ गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री करतारसिंह।

किशनगढ़–जयपुर सीधी बस सेवा

411. **श्री करतारसिंह (किशनगढ़)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक दृष्टि से अजमेर जिले का किशनगढ़ नगर राज्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जयपुर से किशनगढ़ पृथक से कोई बस सेवा नहीं है ?

(श्री करतारसिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर से जयपुर जाने वाली बसों में किशनगढ़ के यात्रियों को कोई स्थान नहीं मिलता है ? ये बसें आगे से ही भरी हुई आती हैं तथा किशनगढ़ से बैठने वाले यात्रियों को घन्टों इन्तजार करना पड़ता है ?

(4) यदि हां, तो क्या यह उचित नहीं है कि किशनगढ़ से जयपुर के मध्य एक सीधी बस सेवा प्रारम्भ की जावे ? यदि हां, तो यह बस सेवा कब तक सम्भव है ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) :

(1) जी हां।

(2) हां ।

(3) जी नहीं, जयपुर अजमेर के मध्य 80 साधारण एकल सेवायें संचालित की जा रही हैं, तथा ये बसें किशनगढ़ सहित सभी रास्ते के स्टेशनों पर रुकती हैं तथा यात्रियों को लेती व उतारती हैं। इन बसों के संचालन समय में 30 व 45 मिनट से अधिक का अन्तर नहीं है।

(4) जी नहीं ! वर्तमान यात्री भार की दृष्टि से किशनगढ़ से जयपुर के लिये पृथक से वाहन सेवा संचालन करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किशनगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ एक बड़ी मंडी भी है । वहां के यात्रियों की तादाद को देखते हुए बस सेवा अनुपयुक्त है। वहां के यात्रियों को ये बसें उठाती नहीं हैं। अतः क्या यह उचित नहीं होगा कि जो अजमेर से बसें आती हैं जयपुर के लिये उनमें किशनगढ़ के लिये कोटा फिक्स कर दिया जाय ?

श्री केदारनाथ : अजमेर से बसें पैसेन्जर्स को लेती हैं । आपका जो सुझाव है वह काबिले गौर है और उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री हीरालाल आर्य।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता।

412. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता देने का निश्चय किया हुआ है ? यदि हां, तो कितना तथा इस बेरोजगारी भत्ते की क्या शर्तें हैं ?

(2) बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता देते वक्त शर्तें रखने का क्या उद्देश्य है ? क्या राज्य सरकार इन शर्तों को आवश्यक तथा उचित समझती है ? यदि हां, तो कैसे ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां । अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को क्रमशः 150 रुपये तथा 250 रु. प्रति माह वृत्तिका दी जाती है। वृत्तिका के प्राप्त होने की शर्त सम्बन्धित नियमों के नियम 4 में दी हुई है।

(2) बेरोजगार व्यक्तियों को वृत्तिका स्वीकृत करने में शर्त रखने का ध्येय वृत्तिका का उचित उपयोग एवं उद्देश्य की प्राप्ति से है। विभिन्न कार्यों के अनुभव हेतु भेजने

(श्रीमती विद्यापाठक)

का उद्देश्य यह है, कि उसे कार्यानुभव प्राप्त होने के कारण शीघ्र नियुक्ति मिलने के अवसर में वृद्धि हो सके। अतः ये शर्तें आवश्यक व उचित हैं।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह पूछूंगा कि अब तक कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है? जिनको नौकरी करते हुए तीन-तीन, चार-चार साल हो गये क्या उनको स्थायी किया जायेगा?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय विभाग के द्वारा 941 लोगों को इस प्रकार की वृत्तिका दी जा रही है। जहां तक यह प्रश्न है कि उनको स्थायी किया जाय, तो यह तो सम्बन्धित विभागों के नियमानुसार ही हो सकते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : यह कहा गया कि 941 को वृत्तिका दी जा रही है...

श्री हीरालाल आर्य : क्या यह उचित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग इस प्रकार से वृत्तिका लेकर अस्थायी रहें और फिर मारे-मारे फिरे?

श्री रावत राम : माननीय मंत्रीजी ने यह फर्माया कि लड़कों को स्टाइपेन्ड देते हैं। ग्रेजुएट को 150 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट को 250 रुपया पर मन्थ। ग्रेजुएट लड़के को आप 150 रुपया देते हैं तो दूर गांव का रहने वाला बांसवाड़ा में है, वह 150 रुपये में मकान किराये पर लेकर क्या अपना खर्च चला सकता है? इसलिये आप इस व्यवस्था को समाप्त कीजिये और उनको नौकरी दीजिये। आप उनको स्टाइपेन्ड इसलिये देते हैं कि उनको नौकरी नहीं दे सकते। जोधपुर के लड़के को बांसवाड़ा में लगा रखा है बांसवाड़ा वाले को जैसलमेर में लगा रखा है। जिस जगह का वह रहने वाला है वहां ऑफिस में आप पार्ट टाइम ही उसको काम दे सकते हैं तो हम मान सकते हैं वरना हम यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री नवरंग सिंह : उनको 150 रुपये मिलते हैं और सुविधा उनको नहीं दी जाती 3 साल के बाद स्टाइपेण्ड खतम हो जाता है और उनको नौकरी मिलती नहीं तो वे लोग मारे-मारे फिरते हैं। इसलिये भत्ता मिलना शुरू होते ही उनको नौकरी में प्राथमिकता दें।

श्री ताराचन्द : मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको भत्ता देते हैं 150 रुपया। उनका टाइम भी काम करने का कोई बंधा नहीं है। दूसरी बात वे कैसे अपना इसमें गुजर चला सकते हैं। आठ-आठ, दस-दस साल तक लोग पड़े रहते हैं। चपरासी से भी गए बीते रहते हैं। मजबूर होकर उनकी यह स्थिति बनी हुई है। नौकरी में उनको प्रिफरेन्स देते नहीं, वे मारे-मारे फिरते हैं। डाइरेक्ट लोगों की भर्ती कर ली जाती है वे लोग यों ही रह जाते हैं। इसकी इन्क्वॉयरी होनी चाहिये।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में विचारणीय विषय है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से नीति निर्धारण करके इस पर फैसला किया जायेगा। माननीय सदस्यों ने कहा कि एक लड़का एक स्थान का रहने वाला है उसको दूसरे जिले में भेज

(श्री सम्पतराम)

दिया जाता है । इस प्रकार का कोई भी केस सरकार के सामने आयेगा, वैसे तो आयेगा ही नहीं, आयेगा तो सरकार आंच कर लेगी और निश्चित् रूप से यह कदम उठायेगी कि जिन लड़कों को वृत्ति दी जाती है वह अपने स्थान से यथासम्भव नजदीक रहें । उनको जिले से बाहर भेजने का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर सरकार विचार करेगी और शीघ्र निर्णय लेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री नाथूराम ।

कडाना बांध व बजाज सागर बांध के विस्थापितों को मुग्रावजा

413. **श्री नाथू राम** (बागीदोरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कडाना बांध व बजाज सागर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास निमित्त अब तक गुजरात सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ है और कितना धन प्राप्त होना शेष है ?

(2) बजाज सागर बांध पर विगत तीन वर्षों में कितना धन व्यय हुआ और किस-किस मद में ? सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें ।

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने पोंग बांध के विस्थापितों के लिए राजस्थान कैनाल के कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आवंटित की है लेकिन कडाना व बजाज सागर बांध के विस्थापितों के लिये गुजरात में कडाना कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आरक्षित नहीं रखी गई है ? यदि नहीं, तो कितनी भूमि आरक्षित रखी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार बदली हुई परिस्थितियों में गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करने को तैयार है ?

(4) अब तक कितने विस्थापितों को मुआवजा दिया जा चुका है ? कितने को देना बाकी है ? पुनर्वास का कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) कडाना बांध जल स्तर 419 के विस्थापितों के मुआवजा एवं पुनर्वास हेतु 8-10 करोड़ रुपये गुजरात सरकार से प्राप्त हुए हैं । इस कार्य हेतु अब कोई धनराशि प्राप्त होनी शेष नहीं है ।

गलियाकोट कस्बे के विस्थापितों, जो कि कडाना बांध के बैक वाटर से प्रभावित होते हैं, के पुनर्वास एवं सम्पत्ति के मुआ-वजा भुगताने हेतु 2.5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है । इस कार्य हेतु अब कोई धनराशि प्राप्त होनी शेष नहीं है ।

कडाना बांध के बैक वाटर से प्रभावित सम्पत्ति के मुआवजा भुगताने एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु अब तक गुजरात सरकार से 9.500 लाख रुपया प्राप्त हुए हैं । इस सम्बन्ध में राजस्थान एवं गुजरात सरकार के मध्य अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है । अतः शेष राशि का अंकन करना सम्भव नहीं है ।

माही बजाज सागर बांध के जल स्तर 921 से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास एवं मुआवजा भुगताने हेतु माह जनवरी, 1978 तक कुल 2,65,000 राशि का व्यय किया जा चुका है । इस धनराशि का निर्धारित प्रतिशत गुजरात सरकार से प्राप्त हो चुका है । मुआवजा भुगतान एवं विस्था-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पितों के पुनर्वास पर जैसे-जैसे राशि व्यय होती जावेगी उसकी निर्धारित प्रतिशत राशि गुजरात सरकार से प्राप्त कर ली जावेगी ।

(2) पिछले तीन वर्ष में इस परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाइयों पर वर्ष 1974-75 में 552.07 लाख, वर्ष 1975-76 में रु. 730.02 लाख एवं 1976-77 में रु. 1482.90 लाख का व्यय हुआ । इस प्रकार विगत तीन वर्षों में इस परियोजना पर कुल रु. 2,764.99 लाख का व्यय हुआ है, जिसका मदवार विवरण सारिणी "अ" में अंकित है ।

(3) जी हां, पोंग बांध के विस्थापितों के लिए राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आरक्षित की है । किन्तु कडाना व बजाज सागर बांध के विस्थापितों के लिए गुजरात में कडाना के कमाण्ड क्षेत्र में कोई भूमि आरक्षित नहीं रखी गई है क्योंकि 8.10 करोड़ रुपयों का जो समझौता हुआ था, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त राशि सभी प्रकार के मुआवजे एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु है और यह सम्पूर्ण मांग के लिए उपलब्ध की गई है ।

(4) कडाना बांध के अनुसार 429 से प्रभावित कुल 5218 विस्थापितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है । शेष 39 विस्थापितों को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा ।

श्री मूलचन्द डागा: When the answer is so lengthy, why it is not laid on the Table of the House?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्पेसिफिक क्वेश्चन है ।

श्री मूलचन्द डागा: You are reading it like any thing इतना लम्बा जवाब ।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) अध्यक्ष महोदय, डागाजी बीच में यों ही परेशान करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री रतनलाल वर्मा : जब जवाब पूरा आता है सुनते नहीं हैं और कोई त्रुटि रह जाती है तो हल्ला मचाते हैं । यह दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी ?

श्री नाथूराम : संतोषजनक जवाब आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री बजरंग लाल शर्मा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब ही पूरा नहीं हुआ ।

श्री नवनीत पालीवाल: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब कैसा देना चाहिए इसके लिए बीच में माननीय सदस्य को क्या आपत्ति है ?

श्री मूलचन्द डागा : जवाब लम्बा है तो सदन की मेज पर रखा जाये । यह नियमों में लिखा हुआ है । आप नियम पढ़ियें ।

श्री रतन लाल वर्मा : इसमें लोगों के जीवन का प्रश्न है । पिछली गवर्नमेंट ने तीस साल में कुछ नहीं किया उसको जनता सरकार करेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : अगला हरिजनों पर अत्याचार का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है।

(व्यवधान)

चोरी और सीनाजोरी करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब आने दो उसका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। ऐसी आपत्तियां कोई आपत्तियां नहीं है। यह क्या ढर्रा है।

स्थगित प्रश्न

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर प्रश्न उठाना चाहता हूं। पूरा जवाब नहीं दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गलियाकोट कस्बा जो कडाना बांध के बैंक वाटर से प्रभावित होता है, के 926 विस्थापितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। शेष 224 विस्थापितों को मुआवजा भुगतान माह जून, 78 के पूर्व चुका दिये जाने का कार्यक्रम है।

कडाना बांध जलस्तर 419 के बैंक वाटर से प्रभावित कुल 581 विस्थापितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। शेष 1311 विस्थापितों को जून, 78 तक मुआवजा भुगतान कर दिये जाने का कार्यक्रम है।

माही बजाज सागर बांध के जलस्तर 921 की डूब से प्रभावित 3000 विस्थापितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 2940 विस्थापितों को जून, 79 तक मुआवजा भुगतान कर दिया जावेगा।

कडाना जलस्तर 419 के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके अनुसार यह समस्त कार्य माह जून, 78 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

कडाना जलस्तर 419 के बैंक वाटर से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य गुजरात सरकार से सम्पति के मुआवजा भुगतान तथा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कुल धनराशि का समझौता हो जाने पर ही सम्भव होगा।

माही बजाज सागर बांध के जलस्तर 921 से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य वर्ष 1980-81 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न।

श्री नाथूराम: दो ही सप्लीमेन्ट्री करूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न को प्राथमिकता देना मेरा कर्त्तव्य है। ओनली वन सप्लीमेन्ट्री पूछिये।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, आप आधे घंटे की चर्चा के लिए इजाजत फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मेरे कक्ष में मिलने का कष्ट करें, मैं उचित व्यवस्था दे दूंगा।

यह सवाल इतना विशाल है कि आधे घंटे की चर्चा भी पर्याप्त नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सदन के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग न करें।

प्रश्न संख्या 177

स्थगित प्रश्न। श्री बजरंगलाल !

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न लेने से पूर्व आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। मैं नहीं सुनूंगा। आप मेहरबानी करके स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जीथिंग भाई !

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर मुझे मिला है उसमें जो सूची दी है वह निल-बटा-निल है, मैंने पूछा था कि कितने पेड़ लगाये,....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके बहुमूल्य प्रश्न पर सहानुभूति से विचार किया जायगा। आप कृपया मेरे कक्ष में मिल लीजिये।

व्यापार मण्डल की स्थापना

205. **श्री जीथिंग भाई** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जन-जातियों को वन सम्पदा में रियायत देने के सम्बन्ध में वन विभाग ने विज्ञप्ति 4241/एफ. 34 (44) रेवेन्यू। 53 दिनांक 24 नवम्बर, 1955 प्रसारित की है ? यदि हां, तो इस विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) व्यापार मंडल की स्थापना कब की गई ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि व्यापार मंडल की स्थापना के पश्चात् आदिवासियों को विज्ञप्ति दिनांक 24 नवम्बर, 1955 का लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि दिया गया, तो किन-किन जिलों के किन-किन रेन्ज में कितने लोगों को ? सूची जिला रेन्जवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, वन (श्री लालचन्द) :

(1) जी हां, प्रति संलग्न है।

(2) व्यापार मंडल की स्थापना मंत्रिमंडल की आज्ञा 138/68, दिनांक 18.5.68 द्वारा की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों की प्रति संलग्न है।

(3) (अ) यह सही नहीं है।
(ब) उपलब्धता के आधार पर अनुदान दिये गये हैं।
(स) सूची संलग्न है।

(विज्ञप्ति, आदेश-प्रति व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री जीथिंग भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची मुझे प्राप्त हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो सूची मुझे दी गई है, अव्वल तो उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे बिल्कुल झूठे हैं, विभाग ने गलत आंकड़े दिये हैं। दूसरी बात यह है कि 71 से लेकर अब तक आदिवासियों को उस विज्ञप्ति के अनुसार कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, उसका कारण स्पष्ट करें। उस विज्ञप्ति

(श्री जीथिंग भाई)
के विपरीत कोई अमेण्डमेन्ट हुआ हो तो यह भी स्पष्ट बता दिया जाय।

श्री लालचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सूचना गलत दी गई है तो मैं इसकी जांच करूंगा। सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देता हूं।

अब सवाल आया कि जन-जातियों के लोगों को पूरी रियायतें नहीं मिल रही हैं इसके, अध्यक्ष महोदय, कई कारण रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लकड़ी के मामले में आदिवासियों की 58.86.टन लकड़ी की मांग है जबकि अवेलेबल है केवल 53 टन। उस हिसाब से मांग पूरी करने में काफी कमी रही है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि 69-70 से लेकर 78 तक करीब 26138.3 हैक्टेयर जमीन वनों से रिलीज की जा चुकी है। इस स्थिति में वनों के ऊपर दबाव भी काफी पड़ रहा है। इस तरह से वनों की क्षमता और रियायतों के पर्याप्त दबाव में कोई तालमेल न होने की वजह से पूरी रियायतें नहीं दी जा सकी हैं, इसके लिए मैं सदन से माफी चाहता हूं।

श्री नाथूराम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की पहाड़ियां बिल्कुल नंगी हो गई हैं। दूसरी बात जिन आदिवासियों ने काश्त के लिए लकड़ी काटी उन पर जुर्माना किया। उन पर जुर्माना क्यों किया गया?

श्री जीथिंग भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जंगलों में लकड़ी का अभाव होने के कारण और कई परिस्थितियों के कारण आदिवासियों को रियायत नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में बताया। 24 नवम्बर, 1955 की जो विज्ञप्ति थी उससे जो सुविधायें आदिवासियों को मिलती थीं, आज उससे $\frac{1}{4}$ भी नहीं मिल रही हैं। मैं आज आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको मकान बनाने के लिए तो लकड़ी अवेलेबल नहीं हो सकती लेकिन उनको खेती के औजार बनाने के लिए भी नहीं दी जा रही है। अगर वे लकड़ी काटते हैं तो उन पर 10,15,20 गुना जुर्माना किया जाता है। ठीक है मकान के लिए नहीं लेकिन आप कम से कम खेती के लिए तो लकड़ी कीव्यवस्था करें। आपने क्या इस विज्ञप्ति के विपरीत कोई कानून बनाया है? इस प्रकार से आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों को खेती के औजार बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जाय नहीं तो उनके साथ अन्याय होगा। इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। पूरे बांसवाड़ा के लोग जानते हैं कि भूतपूर्व शासन ने वनों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। लकड़ी कहां है? है तो मिल सकती है, नहीं तो कहां से मिलेगी। माननीय मन्त्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप आसन से—

(व्यवधान)

श्री जीथिंग भाई : भूतपूर्व सरकार ने आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया लेकिन जनता पार्टी की सरकार अब क्या करना चाहती है? इस पर...

(श्री जोगिंग भाई)

(व्यवधान)

उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो मैंने स्वयं देखा है। इसकी वास्तविकता पर प्रकाश डालें तो....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : यह तो छोटी-सी बात है।

श्री अध्यक्ष : यह छोटी-सी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है, आदिवासियों की बात है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, उन पर मुकदमा चलाना····

श्री नाथूलाल (घाटोल) : बांसवाड़ा जिले में आदिवासी काश्तकारों को लकड़ी नहीं मिलती। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आदिवासियों को लकड़ी दिलाई जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझसे कल मिल लें। अगर जरूरत हुई तो माननीय वन मंत्रीजी को बुलाकर चर्चा कर लेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : यह जुर्माना करते हैं, यह बात बिल्कुल उचित नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम देवची को जंगलात की भूमि

134. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम देवची, तहसील पिड़ावा में जंगलात की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कितनी अवधि में अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) क्या राज्य सरकार का इन व्यक्तियों को खातेदारी देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

तहसील पिड़ावा के गांवों में पेयजल की समस्या

135. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील पिड़ावा के कितने गांवों में पेयजल की समस्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) राज्य सरकार कब तक उक्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

(1) कुल 25 ग्राम समस्याग्रस्त हैं। सदन की मेज पर रख दी गई है।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(2) नई ग्रामीण योजना जिला ... न समिति में प्राप्त प्रस्तावों पर धन की उपलब्धि, प्राथमिकता एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं।

समस्याग्रस्त ग्रामों में शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जोधपुर विश्वविद्यालय में अल्कोहल का फर्जी इन्द्राज का मामला

136. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग में जो अल्कोहल विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से वितरित हुआ उसके वितरण, अंकेक्षण एवं डिमांड नोट में फर्जी इन्द्राज कर दिया गया और कीमती अल्कोहल इस आधार पर अधिकारीगण हड़प कर गये ?

(2) क्या विश्वविद्यालय की ऑडिट पार्टी एवं आबकारी विभाग द्वारा फर्जी इंद्राज पकड़ कर सम्बन्धित कागजात सील कर दिये गये हैं ?

(3) क्या राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम एवं सामान्य आबकारी कानून के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया ?

(4) क्या ऐसा गम्भीर मामला होते हुए, राज्य सरकार कोई सख्त कदम भविष्य में पुनरावृत्ति न हो एवं अपराधी को दण्ड मिले, लेना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आये हैं। मामले में विभागीय जांच चल रही है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा ही कागजात कब्जे में लिये गये हैं।

(3) जी नहीं। जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही हो सकेगी।

(4) जी हां। लेकिन विभागीय जांच की रिपोर्ट पेश होने के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है।

उदयपुर नगर में कार्यरत कर्मचारी एवं शिक्षक

138. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग, उदयपुर नगर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 10-10 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर सेवारत हैं ?

(2) उदयपुर नगर में सेवारत उन शिक्षकों की, जिनकी आपातकाल के दौरान जबरन नसबन्दी की गई थी, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग, उदयपुर नगर में अनुमानतः 276 ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर सेवारत हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। किसी भी शिक्षक की आपातकाल के दौरान जबरन नसबन्दी नहीं की गई।

केवल श्री भगवती प्रसाद शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, जो वर्तमान में राज. उ. मा. वि., मावली (उदयपुर) में हैं, ने आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण सचिवालय को एक शिकायत प्रस्तुत की है।

राज्य के पब्लिक स्कूल

139. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में कुल कितने पब्लिक स्कूल किस-किस स्तर के हैं? (प्रा., उच्च प्रा., माध्य. और उच्च माध्य.) वे किस किस वर्ष से चलाये जा रहे हैं? सूची निम्नलिखित प्रोफार्मा में सदन की मेज पर प्रस्तुत करें:—

1. स्कूल का नाम एवं स्थान।
2. स्कूल किस वर्ष खोला गया?
3. स्कूल किस स्तर का है?
4. स्कूल क्या रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो किस वर्ष रजिस्ट्रेशन किया गया?
5. किस संस्थान द्वारा चलाया जाता है?

(1) राज्य सरकार द्वारा

(2) व्यक्तिगत अथवा निजी संस्थान द्वारा (नाम सहित)?

6. अगर अनुदान दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पाली में ट्रांसपोर्ट नगर के लिये आवास भूमि

140. **श्री शंकर लाल** (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर में ट्रांसपोर्ट नगर की योजना हेतु विभिन्न काश्तकारों से नगरपालिका द्वारा भूमि की खरीद की गई? यदि हां, तो कौन-कौन से काश्तकारों से कितनी-कितनी भूमि कितने-कितने रुपयों में कब कब खरीद की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन लोगों से जमीन खरीद की गई उनको प्रत्येक को कितनी कितनी धनराशि कब कब किनके मार्फत चुकाई गई और कितनी धनराशि किस किस को चुकाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) शेष धनराशि का चुकारा अभी तक क्यों नहीं किया गया और अब कब तक कर दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि श्री अचलाराम मेघवाल निवासी गुन्दोज की मृत्यु के पश्चात् उसकी बेवा पत्नी श्रीमती अमृति के नाम म्यूटेशन करा कर उसके छोटे बच्चे होते हुये भी जमीन का हस्तान्तरण श्री फतेहराज ओसवाल के मार्फत नगरपालिका, पाली ने कर पेमेंट कर दिया जो पूरी रकम मेघवाल परिवार को नहीं मिली और बिचौलियों ने

(श्री शंकर लाल)
हजारों रुपये गरीब अनुसूचित जाति परिवार के हड़प कर लिये ?

(5) क्या इस प्रकार की शिकायत पहले म्यूटेशन के सिलसिले में होने पर भूतपूर्व जिलाधीश श्री बी. एल. शर्मा ने म्यूटेशन की कार्यवाही रोक दी थी परन्तु बाद में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से व म्यूटेशन और रजिस्ट्री गलत तरीके से होते हुये भी नगरपालिका ने यह जमीन खरीद ली ?

(6) इस जमीन का कितना पेमेंट कर दिया गया है और अब कितना करना शेष है?

(7) क्या राज्य सरकार इसकी पूर्ण जांच करायेगी और तब तक शेष पेमेंट नहीं करने के आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिन लोगों से जमीन खरीद की गई है उनको चुकाई गई धनराशि व शेष चुकाई जाने वाली धनराशि के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शेष धनराशि का चुकारा भूमि विक्रेताओं के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जावेगा ।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं ।

(6) इस भूमि के 1,10,000-00 रु. चुकाए जा चुके हैं तथा 2,62,450.00 रु. चुकाना शेष है ।

(7) जी हां, इस बारे में जांच की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर के कॉलिज

141. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान में कुल कितने स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेज हैं ? वे किस किस स्तर के हैं ? और उनमें किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है ? सूची निम्न प्रोफार्मा में प्रस्तुत करें :-

1	2
कालेज का नाम एवं खोलने का वर्ष	कालेज किस स्तर का है उसमें कौन कौन संकाय हैं
	कला विज्ञान वाणिज्य कृषि मेडिकल

3	4
किस संस्थान द्वारा चलाया जाता है ? राज्य सरकार द्वारा प्राईवेट संस्थान द्वारा	यदि प्राइवेट संस्थान का अनुदानित कॉलेज है तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राज्य के विद्यालयों में अंशकालिक रूप से कार्यरत कर्मचारी

143. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न विद्यालयों में कितने कर्मचारी गत पांच-छः साल से अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे ? इन में से कितनों को पूर्णकालिक बना दिया गया है और शेष को कब तक पूर्णकालिक कर्मचा बना दिया जावेगा ?

उत्तर

राज्य के विभिन्न विद्यालयों में 2,877 कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे । इनमें से 900 को पूर्णकालिक बनाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । शेष के लिए मामला विचाराधीन है ।

पाली में आवासन बोर्ड द्वारा बनाये गये मकान

144. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली में आवासन बोर्ड की ओर से कितने कितने मकान बनाने गये हैं और वे किस आधार पर किन किन के लिये बनाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

पाली शहर में आवासन बोर्ड की ओर से 181 मकान निर्माणाधीन हैं । इनमें से 136 मकान जनता व आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए व 45 अल्प आय वर्ग के लिए बनाए जा रहे हैं । ये मकान पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के आधार पर बनाए जा रहे हैं ।

नगर परिषद, जोधपुर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति

146. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार की जाती है ? अगर कोई प्रणाली हो, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) नगर परिषद, जोधपुर में कितने हरिजन लिपिक हैं ? वर्क चार्ज हरिजन लिपिकों को स्थाई बनाने के लिए नगरपालिका अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जोधपुर में सफाई कर्मचारियों की आम भर्ती करने की प्रणाली सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) नगर परिषद्, जोधपुर में ग्यारह लिपिक हरिजन हैं । वर्कचार्ज पर कोई हरिजन लिपिक कार्य नहीं कर रहा है ।

(प्रणाली की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामद्वारा, जोधपुर की सम्पत्ति

147. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर में नागौरी गेट के बाहर रामद्वारा किसकी सम्पत्ति थी ? इसका "सब डिविजन प्लान" कब स्वीकृत किया गया ?

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(2) विकास-राशि भूमि के मालिक से कितनी वसूल की गई ?

(3) विकास-राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) विकास-राशि अगर बकाया है तो उसके वसूल नहीं करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(5) विकास-राशि वसूल नहीं होने पर क्या मूल भूमि मालिक को छोड़कर भू-खण्डों के खरीददारों से वसूल की जायेगी ? अगर हां, तो क्यों ?

(6) उपरोक्त क्षेत्र का विकास (सड़क, बिजली, गटर लाइन आदि) के लिये नगर सुधार न्यास, जोधपुर आगामी वित्तीय वर्ष में क्या योजना बनायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर में नागौरी गेट के बाहर रामद्वारा सम्पत्ति राजाराम इत्यादि की सम्पत्ति थी। इसका सब-डिविजन प्लान सन् 1973-74 में स्वीकृत किया गया था।

(2) विकास-राशि भूमि के मालिक से न्यास द्वारा वसूल नहीं की गई। बल्कि भूमि के मालिक ने स्वयं ने ही विकास कार्य करवाने की लिखित में सूचना दी थी। जिनमें बिजली एव पानी का कार्य प्रार्थी ने करवाया है।

(3) प्रार्थी ने स्वयं ही विकास कार्य करने की जिम्मेदारी ली है।

(4) कोई राशि बकाया नहीं है।

(5) चूंकि विकास कार्य भू-मालिक द्वारा किया जाना है यदि मालिक पूर्ण विकास कार्य नहीं करता है तो शेष कार्य हेतु प्रति वर्ग गज राशि खरीददारों से वसूल की जाना न्यास द्वारा प्रस्तावित है।

(6) उपरोक्त क्षेत्र के विकास (सड़क, बिजली, गटर) आदि के लिये नगर सुधार न्यास आगामी वित्तीय वर्ष में कोई योजना नहीं बनायेगा, क्योंकि इस क्षेत्र को विकसित करने का कार्य मकान मालिक द्वारा ही किया जाना तय है।

जालम निवास, जोधपुर की भूमि पर भवन बनाने की स्वीकृति

148. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालम निवास, जोधपुर जो वर्तमान में लक्ष्मीनगर के नाम से जाना जाता है उसमें कितने भू-खण्ड पर मालिकों को नगर सुधार न्यास ने भवन निर्माण की स्वीकृति देने से मना कर दिया ?

(2) क्या किसी भू-खण्ड मालिक से भवन निर्माण स्वीकृति के पूर्व विकास राशि की मांग की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लक्ष्मीनगर में बहुत से भू-खण्ड मालिकों के भवन निर्माण के नक्शे, बिना किसी विकास राशि के मांग किये स्वीकृत किये हैं ? अगर हां, तो न्यास की दोहरी नीति क्यों है ?

उत्तर

(1) 25 मालिकों को निर्माण स्वीकृति देने से मना कर दिया गया है।

(2) 25 भू-खण्डों के मालिकों से भवन निर्माण स्वीकृति के पूर्व विकास-राशि की

(नगर आयोजना मन्त्री)

मांग की गई है। चूंकि भू-स्वामी ने विकास कार्य नहीं किया, न ही विकास-राशि जमा करवाई है अतः शेष विकास कार्यों हेतु राशि की मांग की जा रही है।

(3) पूर्व में अधिकतर निर्माण कार्य नगर परिषद् द्वारा बिना विकास-राशि जमा करवाये स्वीकृत किये गये हैं। नगर सुधार न्यास को अप्रेल, 1976 के पश्चात ही नगर की चारदीवारी के बाहर भवन निर्माण की स्वीकृति के अधिकार मिले हैं। तत्पश्चात नीति निश्चित होने तक 7 भवन निर्माण की स्वीकृतियां नगर परिषद् की नीति के अनुसार ही दी गई हैं। शेष निर्माणों में विकास राशि निश्चित नहीं थी। नीति निश्चित होने के पश्चात् 1977 के वर्ष से ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

नोहर तहसील के गांवों में बिजली की व्यवस्था

149. **श्री बहादुर सिंह** (नोहर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नोहर तहसील (जिला श्री गंगानगर) में कुल कितने गांव हैं तथा उनमें से कुल कितने गांवों को बिजली पिछले तीस सालों में दी गई है ?

(2) भविष्य में राज्य सरकार इस क्षेत्र के किन-किन गांवों में कब तक बिजली देने जा रही है ?

(3) कृषि के लिये बिजली की क्या दर है तथा बड़े उद्योगों के लिये बिजली की क्या दर है ? अगर अंतर है, तो क्यों है ?

(4) क्या यह सही है कि एक कस्बे से विद्युत् दूसरे कस्बे को दे दी जाती है मगर रास्ते के गांवों को, जिनमें से होकर विद्युत् लाइन जाती है, बिजली नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है तथा यह भेद कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार नोहर तहसील, जिला श्री गंगानगर में कुल 162 गांव हैं। इनमें से दिसम्बर, 1977 तक 7 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) इस तहसील के 10 और गांवों के विद्युतीकरण की एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना 'मिनि ग्रोथ सेन्टर केटेगरी' की दिसम्बर, 1977 में स्वीकृति हुई है। यह योजना दो वर्ष में पूरी हो जायगी।

(3) कृषि के लिए विद्युत् की दरें 23 पैसे प्रति यूनिट है तथा निर्धारित समय पर पैसा जमा करने पर 2 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाती है। बड़े उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों की सूची संलग्न है। सामान्यतः कृषि की दरों तथा बड़े उद्योगों की दरों में विशेष अन्तर नहीं है तथापि टेरिफ में इन श्रेणियों में जो कुछ अन्तर है उसके मुख्यतय निम्न कारण हैं:—

1. चूंकि कृषि उपभोक्ता एल. टी. पर कनेक्शन लेता है तथा कनेक्शन देते समय विद्युत् मण्डल प्रसारण पर पूंजीगत खर्च करता है। जबकि बड़े उद्योगों को बिजली उच्च सप्लाई वोल्टेज पर दी जाती है तथा विद्युत् मण्डल को आम तौर पर प्रसारण पर पूंजीगत खर्चा कम करना पड़ता है।

2. बड़े उद्योग हाई लोड फैक्टरी पर बिजली की खपत ज्यादा करते हैं जबकि

(विद्युत मन्त्री)
कृषि उपभोक्ता इनके अनुपात में बहुत कम बिजली कम लोड फैक्टर पर (वर्ष में कुछ ही महीनों में) खर्च करते हैं।

(4) जी नहीं। आम तौर पर गांवों की योजना बनाते समय आर्थिक एवं तकनीकी साध्यता ध्यान में रखी जाती है। जो गांव बीच में रह गये हैं उनके विद्युतीकरण के लिये योजना बनाने पर यदि योजना तकनीकी दृष्टि से साध्य पाई जावे तभी विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नोहर फीडर सिंचाई योजना

150. **श्री बहादुर सिंह** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नोहर फीडर सिंचाई योजना का सर्वे कब चालू किया गया था तथा यह कार्य कब समाप्त हुआ तथा कुल कितना खर्चा इस सर्वे पर हुआ है ?

(2) नोहर फीडर के निर्माण कार्य में क्या क्या रुकावटें हैं, तथा राज्य सरकार कब तक इसे चालू करने का इरादा रखती है ?

(3) नोहर फीडर सिंचाई योजना में कौन कौन से गांव नोहर तहसील के कमाण्ड एरिया में आयेंगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नोहर फीडर सिंचाई परियोजना का सर्वे माह दिसम्बर, 1976 में चालू किया गया था। यह सर्वे कार्य, 1977 के आरम्भ में पूरा कर दिया गया। इस पर कुल व्यय रुपये 49,300/- किया गया।

(2) यह परियोजना भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गई है। स्वीकृति आने एवं धनराशि की उपलब्धि पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) नोहर तहसील में इस परियोजना के कमाण्ड में आने वाले गांवों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

मोरांसागर व मोरेलसागर की नहरों की मरम्मत के लिये व्यय की गई राशि

152. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर जिले के मोरांसागर व मोरेलसागर बांधों की नहरों की मरम्मतों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि नियत की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि नियत की गई राशि का अभी तक भी उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इससे संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में

(श्री कुन्जीलाल)

मोरांसागर बांध की नहरों की मरम्मत के लिये 85 हजार रुपये एवं मोरेलसागर बांध की नहरों की मरम्मत के लिये 4 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न मदों से आवंटित की गई है ।

(2) जी हां । उपरोक्त आवंटित राशि में से अब तक मोरांसागर बांध की नहरों की मरम्मत के लिये 37 हज़ार रु. तथा मोरेल सागर की नहरों के लिये 3 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है । शेष कार्य प्रगति पर है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन सम्पूर्ण कार्यों को पूरा कर आवंटित धनराशि का पूरा सदुपयोग किया जा सकेगा । रबी की फसल के लिए अति-आवश्यक कार्य करवा कर नहरें खोल दी गई थीं । नहरें खुलने के कारण कार्य पूर्ण करने को पर्याप्त स्थान नहीं रहा । इन परिस्थितियों के लिए कोई अधिकारी विशेष दोषी नहीं है ।

सथाना कलां एवं सथाना खुर्द में किसानों को कृषि कार्य के लिये दिये गये विद्युत कनेक्शन

153. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के अन्तर्गत गांव सथाना कलां और सथाना खुर्द में किसानों को सिंचाई के कुओं पर विद्युत् कनेक्शन दिये गये हैं ? अगर हां, तो दोनों गांवों के किसानों की सूची, कनेक्शन देने के अलग-अलग दिनांक बताते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जिन्हें कनेक्शन दिया गया है उनके यहां कितने हार्स पावर की मोटर लगी, कितने बिजली के खम्भे लगे, कितनी धनराशि किसान से जमा करायी गई ? पूरी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इन दोनों गांवों को विद्युतीकृत करने की घोषणा किस तारीख और किस आदेश संख्या से राज्य विद्युत् मंडल ने की ?

(4) इन दोनों गांवों के ट्रांसफार्मर्स किस गांव की राजस्व सीमा में लगे हुए हैं, और वे कितने-कितने हार्स पावर के हैं तथा प्रति ट्रांसफार्मर पर कितनी हार्स पावर की मोटरें लगायी गयी हैं ?

(5) इन ट्रांसफार्मर्स पर सर्वाधिक लम्बी लाइन किस काश्तकार के कुए पर लगी है और क्या उस पर एल. टी. पोल लगे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) इन ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के सन्दर्भ में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की स्वीकृति संख्या रा.रा.वि.म./अनुप-4/जी-56/डेगाना/परबतसर/प्रे 01082, दिनांक 9 जून, 1972 के अन्तर्गत दिनांक 20-2-1973 को हुआ है ।

(4) एक 100 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर ग्राम सथाना कलां की राजस्व

(विद्युत मन्त्री)

सीमा में लगा है और उस पर 107.5 हार्स पावर की मोटरों को बिजली दी गई है। सथाना खुर्द का 100 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर ग्राम सारंगावास चक सथाना खुर्द की राजस्व सीमा में लगा है और उस पर 95.0 हार्स पावर की मोटरों को बिजली दी गई है।

(5) सथाना खुर्द वाले ट्रांसफार्मर से श्री नानूराम पुत्र श्री खीमाराम के कुए को सर्वाधिक लम्बी एल. टी. लाइन 22 पोल एवं एक सूखे पेड़ (खेजड़े) पर खींच कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

आपातकाल के दौरान जबरन नसबन्दी के मामले

154. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान की गई जबरन नसबन्दी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उनमें जांच के बाद क्या नतीजे सामने आये ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने आपातकाल में गलत नसबन्दी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये जिलेवार समितियों का गठन किया था ? यदि हां, तो उन समितियों ने कितने कितने व्यक्तियों की जांच की और उनको क्या राहत दी गई ? सूचना जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार की जांच करने व अन्य तरीके से नसबन्दी के कारण हुई मौतों के वारिसों को किन-किन को पांच पांच हजार रुपये कब कब दिये ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि नसबन्दी से पीड़ित व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति व आर्थिक सहायता दी गई ? यदि हां, तो किन किन को कब कब ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या इस प्रकार के मामले अभी भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब-कब से कौन-कौन से ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। आपातकाल में बहुत ही कम दरख्वास्तें आई। वे आपरेशन के काम्प्लीकेशन की थीं। आपातकाल के पश्चात् कुल मिलाकर 765 दरख्वास्तें प्राप्त हुई जिन्होंने ज्यादातर काम्प्लीकेशन हो जाने का ही जोर दिया था। 54 कुंवारों के आपरेशन किये जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई। जांच विभिन्न स्तरों पर की जा रही है।

(2) जी हां। पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए निम्न प्रकार कमेटियों का गठन किया गया और माह अक्टूबर से दिसम्बर तक विशेष अभियान चलता रहा। इस अभियान के दौरान 409 शिविर आयोजित किये गये जिनमें 8367 शिकायतें पंजीकृत की गई, उनमें से 7,662 व्यक्तियों को तुरन्त उपचार दिया गया। 202 व्यक्ति जिला स्तरीय अस्पतालों में रेफर किए गए। 125 व्यक्तियों को पुनः नस जुड़वाने हेतु मेडिकल कालेज अस्पतालों में सलाह दी गई। इस अभियान के दौरान 57 व्यक्तियों

(चिकित्सा मन्त्री) को 8,444.81 रुपये का भुगतान बतौर एक्स ग्रेसिया किया गया। जिलेवार सूची संलग्न है।

राज्य स्तरीय

(1) प्रधानाचार्य, मैडिकल कॉलेज, जयपुर .. अध्यक्ष
(2) अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर . सदस्य
(3) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान .. सदस्य
(4) विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क), राज्य परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर .. सदस्य
(5) राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, राजस्थान, जयपुर .. सदस्य कन्वीनर

जिला स्तरीय

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .. सदस्य कन्वीनर
(2) सर्जन—2 .. सदस्य
(3) गायनोकोलोजिस्ट .. सदस्य
(4) उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) .. सदस्य
(5) विधान सभा सदस्य—3 सदस्य

(3) नसबंदी आपरेशन के पश्चात् हुई 97 मृत्यु के वारिसों को 4,08,500/- रुपये बतौर एक्स ग्रेसिया दिया गया, जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है। 78 को 3,000/- रुपये, 5,000/- रुपये दिये गये जो उपरोक्त सूचना में सम्मिलित हैं।

(4) जी हां। काम्प्लीकेटेड केसेज में 49,242/- रुपये की राशि बतौर एक्स ग्रेसिया विभिन्न जिलों में दी गई है। उन जिलों की सूची संलग्न है।

(5) जी हां। 73 मामले विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जोधपुर आयुर्विज्ञान शिक्षण अस्पताल भवन के निर्माण पर व्यय की गई राशि

155. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर में आयुर्विज्ञान शिक्षण अस्पताल भवन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? उसे कब तक पूर्ण किये जाने की योजना थी ? अब उसके निर्माण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने का अनुमान है ? निर्माण कार्य में देरी का क्या कारण रहा है ?

(2) अब तक इस भवन के निर्माण में कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

उत्तर

(1) जोधपुर में आयुर्विज्ञान शिक्षण अस्पताल भवन का निर्माण कार्य सन् 1971-72 में शुरू हुआ। फर्स्ट फेज में 195 शैय्याओं के भवन के निर्माण का मय ओ. पी. डी. के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण किये जाने की योजना थी। 132 शैयाओं के भवन का निर्माण इस वर्ष के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के अनुसार कार्य हुआ है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) निर्माण कार्य पर रुपये 30,16,045.97 का व्यय हो चुका है ।

शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु नियम

156. श्री **बहादुरसिंह** (नोहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों की भर्ती राज्य सेवाओं में करने के विषय में कोई नियम बना रखे हैं ?

(2) क्या राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक दिनांक 25-9-1976 द्वारा राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन जारी कर शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्तियों के विषय में नियम बनाये हैं ?

(3) उपर्युक्त नोटिफिकेशन दिनांक 25 सितम्बर, 1976 किस तारीख से लागू किया गया है व किस तारीख के राज-पत्र में नोटिफिकेशन लागू होने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि लागू नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है ?

(4) उपर्युक्त नोटिफिकेशन के रूल 4(1) (i) में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष, जनस्वास्थ्य विभाग के निदेशक से सलाह करके यह तय करेंगे कि राजस्थान सरकार की किन-किन श्रेणी की सेवाओं के लिये शारीरिक रूप से अपंग तथा अशक्त व्यक्तियों को भर्ती किया जाय तथा 2% स्थान सुरक्षित रखे जायें । राज्य सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) रूल 4(1) (ii) के अनुसार प्रत्येक सेवा की श्रेणी तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की श्रेणी के अनुसार राज्य सेवाओं में उनकी स्थिति के विषय में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को सूचना देनी थी, क्या ऐसी सूचनायें दी गयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गयी ?

(6) राज्य सरकार द्वारा अपंग व्यक्तियों के विषय में उपर्युक्त नियम बनाने के पश्चात् क्या अपंग व्यक्तियों को इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किया गया या स्थान सुरक्षित रखे गये और किन-किन सेवाओं में ऐसे व्यक्तियों को लिया गया ? यदि ऐसा नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया ?

(7) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) क्या सितम्बर, 1976 के पश्चात् आज तक राज्य सेवाओं, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान तहसीलदार सेवा व राजस्थान न्यायिक सेवा आदि में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे गये ? यदि नहीं रखे गये, तो क्यों नहीं रखे गये ?

(9) रूल नं. 7 (i) में प्रावधान है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को नामजद करके शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की श्रेणियां बनायेंगे

(श्री **बहादुरसिंह**)
जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस श्रेणी के अपंग व्यक्ति किस पद या सेवा के योग्य हैं तथा उन सेवाओं के 2% स्थान सुरक्षित किये जायेंगे, इस विषय में क्या कदम उठाये गये, यदि नहीं, तो क्यों ?

(10) क्या रूल 5 के अनुसार निदेशक, समाज कल्याण विभाग ने शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों का, जो कि नौकरी के इच्छुक हैं, पंजीयन किया है ? यदि किया है, तो कितने व्यक्तियों का ? और यदि पंजीयन नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है ?

(11) क्या रूल 6 के अनुसार शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को, जिनका कि पंजीयन हो चुका है, परिचय-पत्र दिये गये हैं ? यदि दिये गये हैं तो कितने व्यक्तियों को ? और यदि नहीं दिये गये हैं, तो क्यों **नहीं दिये** गये हैं ?

(12) रूल 11 के अनुसार शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को लिखित तथा मौखिक परीक्षा के लिये आने-जाने का यात्रा भत्ता दिये जाने का प्रावधान किया गया है, क्या इस प्रकार का कोई भत्ता दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) यह नियम राजस्थान राज-पत्र (विशेषांक), दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भाग 4(ग) में प्रकाशित हुये थे व प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आये ।

(4) उपर्युक्त नोटिफिकेशन के नियम 4(1) (i) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य. से सलाह करके यह तय करेंगे कि किन-किन श्रेणी की सेवाओं के लिये किस तरह के शारीरिक रूप से अपंग तथा अशक्त व्यक्तियों के लिये 2% स्थान सुरक्षित रखे जायं । इस संबंध में काफी विचार-विमर्श के बाद समस्त विभागाध्यक्षों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 14-2-78 को एक विस्तृत परिपत्र भेजा गया जिसमें यह बताया गया है कि किस-किस प्रकार के अपंग व्यक्ति किन-किन पदों के लिये उपयुक्त समझे जा सकते हैं तथा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर पदों को आरक्षण के लिये ईयरमार्क (earmark) किया जाय ।

(5) वांछित सूचना कार्मिक विभाग को प्राप्त नहीं हो सकी है क्योंकि आरक्षण संबंधी मामले में विभागाध्यक्षों द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है ।

(6) क्योंकि आरक्षण संबंधी मामले में विभागाध्यक्षों द्वारा निर्णय अभी लिया जाना है, अतः इन नियमों के अन्तर्गत अभी तक भर्ती संभव नहीं हो सकी है ।

(7) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं में आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(8) वर्णित सेवाओं में पद सुरक्षित करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है ।

(9) इस संबंध में काफी विचार-विमर्श के बाद समस्त विभागाध्यक्षों को

(मुख्य मंत्री)

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 14-2-78 को एक विस्तृत परिपत्र भेजा गया जिसमें यह बताया गया है कि किस-किस प्रकार के अपंग व्यक्ति किन-किन पदों के लिये उपयुक्त समझे जा सकते हैं तथा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर 2% पदों को आरक्षण के लिये ईयरमार्क (earmark) किया जाय।

(10) रूल 5 के अन्तर्गत शारीरिक अपंग व्यक्तियों का पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। पुनः विचार-विमर्श के द्वारा यह तय किया गया है कि पंजीकरण नियोजन विभाग द्वारा किया जाय जिसके लिये नियमों में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

(11) पंजीकरण इन नियमों के अन्तर्गत अभी शुरू नहीं हुआ है।

(12) नियम 11 के अनुसार जिन अपंग व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिये अथवा किसी परीक्षा में बैठने के लिये बुलाया जायेगा उन्हें रेल का द्वितीय श्रेणी का किराया या बस का किराया देय होगा ?

शास्त्री नगर थाना, जोधपुर में दर्ज मामले

157. श्री **माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शास्त्री नगर थाना, जोधपुर में चोरी के कितने मामले जून, 1977 से फरवरी, 1978 तक दर्ज हुए ?

(2) उपरोक्त कितने मामलों में माल बरामद किया गया और कौन-कौन अपराधी पकड़े गये ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जिला जोधपुर में जून, 1977 से फरवरी, 1978 तक 35 चोरी के एवं 29 नकबजनी के मुकदमे दर्ज हुए।

(2) चोरी के 8 तथा नकबजनी के 8 मामलों में माल बरामद किया गया। जो-जो अपराधी पकड़े गये उनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

केन्द्रीय कारागार, जयपुर के अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

158. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागार, जयपुर के मौजूदा अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा क्या-क्या शिकायतें कब-कब प्राप्त हुईं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(2) इस सम्बन्ध में पहले भी कोई शिकायतें आईं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही कब की गई ?

(3) इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही शेष है, वह कब की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(कारागृह मंत्री)

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के बंदियों के कारागृह अधीक्षक, श्री अंसारी के विरुद्ध दो शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-5-1977 एवं 5-7-1977 को प्राप्त हुए थे।

संदर्भित मामले में उप-महानिरीक्षक कारागार, जयपुर एवं महानिदेशक, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जांच कराई गई थी।

शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार के आदेशों से केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के अधीक्षक, श्री मुश्ताक अहमद अंसारी, कारापाल, श्री प्रभातीलाल एवं चीफ हैडवार्डर, श्री भगवान सिंह को दिनांक 15-7-1977 से केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के परिसर में जाने के लिये प्रतिबन्धित कर उन्हें मुख्यालय (कारागार), जयपुर में पदस्थापित किया गया था।

श्री अंसारी को राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में दिनांक 7-1-78 को पुनः केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया।

(2 व 3) केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के अधीक्षक, श्री अंसारी के विरुद्ध दो शिकायतों के अलावा पूर्व में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं।

डेगाना तहसील की जलप्रदाय योजना

159. श्री **राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या जलप्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिलान्तर्गत डेगाना तहसील में कुल कितनी जलप्रदाय योजनायें चलाई जा रही हैं? योजनावार गांव, जिनको सम्बन्धित योजना से पानी दिया जा रहा है, की सूची स्वीकृत की तारीख आज की स्थिति दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस क्षेत्र में ऐसी कितनी योजनायें हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है? योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन योजनाओं की स्वीकृति में कितना समय लगेगा? ऐसी कितनी योजनायें हैं जिनकी स्वीकृति हो गयी है या स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी हैं और अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है?

(4) ग्रामवार उन योजनाओं, जो सर्वेक्षण हेतु पड़ी हुई हैं और जहां अभी तक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, का सर्वेक्षण कब तक प्रारम्भ करके कब तक समाप्त कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) नागौर जिले की डेगाना तहसील के अन्तर्गत डेगाना तहसील में कुल 7 जलप्रदाय योजनाएं चलाई जा रही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आयोजना समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने एवं भू-जल विभाग से स्रोत की जानकारी प्राप्त होने पर विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है। अभी किसी भी योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है।

(3) आयोजना समिति से [illegible] के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए [illegible] प्रस्ताव प्राप्त होने पर तकनीकी [illegible]

(जलप्रदाय मंत्री)

धन की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के आधार पर ही योजनायें तैयार की जाकर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है ।

(4) आयोजना समिति से अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही इन प्रस्तावों पर स्रोत की जानकारी भू-जल विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् ही सर्वेक्षण कार्य किया जा सकेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

चूरू जिले के गांवों में पानी की व्यवस्था

160. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले के किन-किन गांवों में तल के कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है ? प्रत्येक तहसील की गांववार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) चूरू जिले के किन-किन गांवों में किस-किस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार अब तक पीने का पानी सप्लाई करने में सफल हुई है ? तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) गांवों में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार ने कोई क्राइटेरिया बनाया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जिला चूरू के अन्तर्गत ग्राम दडीबा के स्रोत को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं के कुओं का पानी पीने योग्य है तथा उनके पानी को पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव देखने में नहीं आया है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी हां, प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

प्रशासन सेवाओं के विभागों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

161. **श्री मूल चन्द डागा** (पाली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जब से वर्तमान सरकार राज्य में बनी है तब से प्रशासन सेवाओं में से किन-किन विभागों के कर्मचारियों ने किन-किन कारणों को लेकर कितने समय के लिये किस-किस रूप में हड़ताल की है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसे उपाय सोचे हैं कि इस प्रकार की हड़तालें भविष्य में न हों ?

उत्तर

(1) विस्तृत सूचना संलग्न है ।

(2) इन्हें रोकने के लिये सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है एवं जिन मांगों का तुरन्त ही निवारण हो सकता है उनकी तुरन्त ही कार्यवाही कर ली जाती है । अन्य के बारे में भी जहां तक संभव हो सकता है उनके निपटारे के लिये कार्यवाही की जाती है ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं पर विचार-

(मुख्य मंत्री)
विमर्श करके असंतोष को समाप्त करने हेतु निम्नांकित व्यवस्था कर रखी है:–

1. राज्य-स्तर पर संयुक्त परामर्श व्यवस्था (संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्)।

2. सचिवालय कर्मचारियों के लिये राजस्थान सचिवालय परिषद, एवं

3. 36 विभागों के कर्मचारियों के लिये प्रत्येक विभाग में विभागीय समिति अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण कार्य के लिये विशिष्ट शासन सचिव की नियुक्ति भी की है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जोधपुर जिले में लगाये जाने वाले ट्यूब वैल

163. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्टेट ट्यूब-वैल कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन स्टेट ट्यूब-वैल्स व क्लस्टर ट्यूब-वैल योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कितने नये ट्यूब-वैल राज्य सरकार द्वारा खोदे जा रहे हैं और आगामी वर्ष का राज्य सरकार का क्या लक्ष्य है ?

(3) इन ट्यूब-वैल्स पर सिंचाई की क्या दर है ? क्या इस दर को बढ़ाने या घटाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) जोधपुर जिले में आगामी वर्ष कहां-कहां कितने-कितने ट्यूब-वैल डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत खोदे जायेंगे ? यह ट्यूब-वैल किन शर्तों पर काश्तकारों को दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग के अधीन वर्तमान में 72 राजकीय नलकूप हैं जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 1 पर है।

(2) स्टेट ट्यूब-वैल योजना के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष तथा आगामी वर्ष में कोई भी नया नलकूप बनाने का प्रस्ताव नहीं है। क्लस्टर ट्यूब-वैल योजना वर्तमान में विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है।

(3) राजकीय नलकूपों में सिंचाई की वर्तमान दर रु. 12/- प्रति 3 एकड़ इंच पानी देने की है जो कि रु. 4.00 प्रति एकड़ इंच होती है। इस दर को बढ़ाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। नई दर क्या होगी अभी यह निर्णय नहीं किया गया है।

(4) जोधपुर जिले में आगामी वर्ष 1978–79 में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति बिलाड़ा, भोपालगढ़, शेरगढ़, बालेसर व ओसियां में 100 मध्यम क्षमता के नलकूप खोदे जाने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों को निम्न शर्तों पर बेचा जायेगा:—

(1) वास्तविक लागत पर नलकूपों का बेचान किया जायेगा।

(2) वेधन दर पर स्थापन खर्चा नहीं लगाया जायेगा।

(3) जो नलकूप एयर हैमर रिंग से बनाये जायेंगे उन पर

(भू-जल मंत्री)

डेप्रीसियेशन व व्याज वेधन दर में नहीं लगाया जायेगा।

(4) लघु व सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत व 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जायेगा।

(5) इन नलकूपों की दर पर असफल नलकूपों का कोई खर्चा नहीं लिया जायेगा।

(6) इन नलकूपों के क्रय हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री शंकरलाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कर्मचारियों को निकालने का नोटिस दिया है और वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस विषय पर आज से चार रोज पूर्व मैंने और खेतसिंहजी ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि उन कर्मचारियों को नहीं निकाला जायेगा और जो प्राइवेट ड्रिलिंग मशीनें हैं, उन पर कम खर्च कैसे आता है, इसकी भी जांच करेंगे। इस बात का खेद है कि मुख्य मंत्री के कहने के बाद 400 में से कम से कम 300 को नौकरियों से निकाल दिया है। आज, अध्यक्ष महोदय, वे विधान सभा के बाहर आये हैं। आपकी सेवा में एक डेपुटेशन उनका प्रतिनिधि मंडल आया है। वे कुछ कहना चाहते हैं। मुख्य मंत्री ने वायदा किया है, हाउस के अन्दर, उसके बाद उनको निकाल दिया। 20 तारीख से अनशन के लिये बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी इस प्रकार की बात हो..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था सुन लीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दूं, फिर आप दो मिनट चर्चा कर लें।

श्री शंकरलाल : आज का मेरा स्थगन प्रस्ताव दूसरा है। व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। चार रोज पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। कमिटमेन्ट कर रखा है उसकी अवहेलना हो रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे देने दीजिये।

श्री **मदनसिंह दांता** : माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जायेगा, नौकरी से निकाला गया है। स्थगन प्रस्ताव इसीलिये देते हैं कि उन पर.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 8 मार्च,

(श्री शंकरलाल)

के खिलाफ है। राष्ट्रीयकरण जब तक नहीं होवे और जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो जाय तब तक आप ठेकेदारों को धन्धा न करने दें और यात्रियों को नुकसान हो, यह नहीं होना चाहिये। इसलिये आपकी मार्फत यातायात मंत्रीजी को निवेदन करूंगा, यह मामला आने वाला है इसलिये जो परमिट लेने की मांग कर रखी है उनको वापिस दे देवें और बसेज को चालू रखने दें। जब तक राष्ट्रीयकृत न करें और जब तक दूसरे विकल्प नहीं करें तब तक चलने दिया जाय। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह कुचामन का केस है . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सरकार का ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप एजीटेट करें, अधिकार है लेकिन वन बाई वन एजीटेट करें। सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में कृपया मुझे सहयोग दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य, आपसे यह सूचना चाहता हूं कि मेरी व्यवस्था क्या आपको अस्वीकार है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय राजस्थान मोबाइल सर्जीकल . .

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं मैंने जो मुद्दा उठाया है उससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश की इज्जत गिर रही है। आज आप हंस सकते हैं लेकिन जो फैक्ट्स मैं पेश करना चाहता हूं वह शर्मनाक हैं, दिया तले अन्धेरा है। आमेर के पैलेसेज जयपुर से 6 मील की दूरी पर हैं, हवामहल और आमेर के महल राजस्थान में ऐतिहासिक स्थान रखते हैं। विदेशी पर्यटक इन्हें देखने के लिये जाते हैं। टूरिस्ट विभाग द्वारा हाथियों की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों को आमेर में हाथियों पर नीचे से बैठाकर ऊपर महलों में ले जाते हैं। पर्यटक आकर्षण है, अध्यक्ष महोदय, 9-3-1978 को फ्रांस से पर्यटक टोली जयपुर आई थी जो आमेर गई, जिसका मुखिया फ्रांस नागरिक वृद्ध पादरी था। वहां महावत लोग अपनी रेट से ज्यादा टूरिस्ट से धमकी देकर बख्शीस वसूल करना चाहते हैं और जो बख्शीस नहीं देते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब वे ऊपर से देखकर वापिस आये तो हाथी के महावत ने बख्शीस न देने पर धमकी दी। जहां हाथी खड़ा करने की जगह थी वहां उसने हाथी खड़ा नहीं किया। उसको मूव कर दिया जिससे वह फ्रांसीसी पादरी हाथी से नीचे गिर पड़ा उसकी हड्डियां टूट गईं। हड्डियां टूटने पर वह पादरी दुर्लभजी अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन वहां इलाज नहीं होने के कारण वह चार्टर्ड प्लेन से फ्रांस गया। आमेर में यह खतरनाक स्थिति है। सारे देश की इससे प्रतिष्ठा गिरी है। आज तक कोई भी

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको अस्वीकार किया है। आपके प्रस्ताव को चर्चा का विषय सदन में न बनावें।

श्री शंकरलाल : मेरी कान्स्टीट्यूएंसी का सवाल है। हजारों यात्री सफर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य, इस संबंध में आपको कोई विशेष जानकारी देनी है तो आप मेरे कक्ष में मिल लें। I have an open mind, मैं विचार करूंगा।

श्री शंकरलाल : आज 21 तारीख हो गई है...

श्री अध्यक्ष : खासकर 2 मिनट के लिये चर्चा करने की इजाजत देता हूं।

श्री समरथ लाल : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री शंकरलाल।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ...

श्री अध्यक्ष : चारों तरफ से अगर इस तरह बोलेंगे तो क्या कर सकता हूं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था, जिसको आपने कैंसिल किया है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रस्ताव ?

श्री **रामेश्वरलाल चौधरी** : मेरे क्षेत्र के अन्दर ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार किया है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : यह जनता सरकार आये दिन गरीबों के लिये ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ...

(व्यवधान)

आपको इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलानी हो तो मुझे सहयोग दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप बिराजे तो कुछ कहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है।

(विराम)

कृपया सहयोग दीजिये।

माननीय शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैतारण से मेड़ता रूट पर हजारों यात्री सफर करते हैं। यदि उस रूट को नेशनलाइज कर दिया जाय तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बिना राष्ट्रीयकृत किये हुये 14 प्राइवेट बसें वहां चलती थीं, उनके ड्राइवर और कन्डेक्टरों की सूची मेरे पास है। उनकी बसेज को बन्द कर दें और गवर्नमेंट के पास बसेज नहीं हैं, इसलिये ठेकेदारों को कहें कि बसें देवें तो, अध्यक्ष महोदय, यह उचित कदम नहीं है। यह राष्ट्रीयकरण नीति

Page No 43

(43)

(श्री शंकरलाल)

के खिलाफ है । राष्ट्रीयकरण जब तक नहीं होवे और जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो जाय तब तक आप ठेकेदारों को धन्धा न करने दें और यात्रियों को नुकसान हो, यह नहीं होना चाहिये । इसलिये आपकी मार्फत यातायात मंत्रीजी को निवेदन करूंगा, यह मामला आने वाला है इसलिये जो परमिट लेने की मांग कर रखी है उनको वापस दे देवें और बसेज को चालू रखने दें । जब तक राष्ट्रीयकृत न करें और जब तक दूसरे विकल्प नहीं करें तब तक चलने दिया जाय । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह कुचामन का केस है . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सरकार का ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य आप एजीटेट करें, अधिकार है लेकिन वन बाई वन एजीटेट करें । सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में कृपया मुझे सहयोग दें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य, आपसे यह सूचना चाहता हूं कि मेरी व्यवस्था क्या आपको अस्वीकार है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय राजस्थान मोबाइल सर्जीकल . . .

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैंने जो मुद्दा उठाया है उससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश की इज्जत गिर रही है । आज आप हंस सकते हैं लेकिन जो फैक्ट्स मैं पेश करना चाहता हूं वह शर्मनाक हैं, दिया तले अन्धेरा है । आमेर के पैलेसेज जयपुर से 6 मील की दूरी पर हैं, हवामहल और आमेर के महल राजस्थान में ऐतिहासिक स्थान रखते हैं । विदेशी पर्यटक इन्हें देखने के लिये जाते हैं । टूरिस्ट विभाग द्वारा हाथियों की व्यवस्था की गई है । पर्यटकों को आमेर में हाथियों पर नीचे से बैठाकर ऊपर महलों में ले जाते हैं । पर्यटक आकर्षण है, अध्यक्ष महोदय, 9-3-1978 को फ्रांस से पर्यटक टोली जयपुर आई थी जो आमेर गई, जिसका मुखिया फ्रांस नागरिक वृद्ध पादरी था । वहां महावत लोग अपनी रेट से ज्यादा टूरिस्ट से धमकी देकर बख्शीस वसूल करना चाहते हैं और जो बख्शीस नहीं देते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं । जब वे ऊपर से देखकर वापिस आये तो हाथी के महावत ने बख्शीस न देने पर धमकी दी । जहां हाथी खड़ा करने की जगह थी वहां उसने हाथी खड़ा नहीं किया । उसको मूव कर दिया जिससे वह फ्रांसीसी पादरी हाथी से नीचे गिर पड़ा । उसकी हड्डियां टूट गई । हड्डियां टूटने पर वह पादरी दुर्लभजी अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन वहां इलाज नहीं होने के कारण वह चार्टेड प्लेन से फ्रांस गया । आमेर में यह खतरनाक स्थिति है । सारे देश की इससे प्रतिष्ठा गिरी है । आज तक कोई भी

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको अस्वीकार किया है। आपके प्रस्ताव को चर्चा का विषय सदन में न बनावें।

श्री शंकरलाल : मेरी कान्स्टीट्यूएंसी का सवाल है। हजारों यात्री सफर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य, इस संबंध में आपको कोई विशेष जानकारी देनी है तो आप मेरे कक्ष में मिल लें। I have an open mind. मैं विचार करूंगा।

श्री शंकरलाल : आज 21 तारीख हो गई है...

श्री अध्यक्ष : खासकर 2 मिनट के लिये चर्चा करने की इजाजत देता हूं।

श्री समरथ लाल : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री शंकरलाल।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे ...

श्री अध्यक्ष : चारों तरफ से अगर इस तरह बोलेंगे तो क्या कर सकता हूं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था, जिसको आपने कैंसिल किया है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रस्ताव ?

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मेरे क्षेत्र के अन्दर ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार किया है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : यह जनता सरकार आये दिन गरीबों के लिये ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ...

(व्यवधान)

आपको इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलानी हो तो मुझे सहयोग दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप बिराजे तो कुछ कहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है।

(विराम)

कृपया सहयोग दीजिये।

माननीय शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैतारण से मेड़ता रूट पर हजारों यात्री सफर करते हैं। यदि उस रूट को नेशनलाइज कर दिया जाय तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बिना राष्ट्रीयकृत किये हुये 14 प्राइवेट बसें वहां चलती थीं, उनके ड्राइवर और कन्डेक्टरों की सूची मेरे पास है। उनकी बसेज को बन्द कर दें और गवर्नमेंट के पास बसेज नहीं हैं, इसलिये ठेकेदारों को कहें कि बसें देवें तो. अध्यक्ष महोदय. यह उचित कदम नहीं है। यह राष्ट्रीयकरण नीति

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परसों भीलवाड़ा होकर आया हूं और अस्पताल में मरीजों को देखकर आया हूं। चार महिलाओं को भी देखकर आया हूं। जो दुर्घटना घटी है वह यह है कि 15 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बिजोलिया गये थे सर्जीकल कैम्प के अन्दर। उस सर्जीकल कैम्प में डा. अर्जुनसिंह गहलोत और डा. रजनीराम-पाल ने बिना ए. टी. एस. के इन्जेक्शन लगाये आपरेशन कर डाले, बिना टैट वैक लगाये आपरेशन कर डाले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार महिलाओं के आपरेशन किये गये। एक के पेट का आपरेशन किया गया और तीन की बच्चेदानी का आपरेशन किया गया। मैं, माननीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कजोड़ी बाई बजौलिया के श्री भंवरलाल की पत्नी है। उसने मेरे सामने भीलवाड़ा के अस्पताल में दम तोड़ा। एक 6 साल की बच्ची सोहनी थी जिसका पथरी का आपरेशन किया गया, और तीन महिलाएं, प्यारी बाई पत्नी कालू, श्रीमती घनश्यामी पत्नी श्री दुर्गालाल और श्रीमती कल्याणी, ये तीन महिलाएं भीलवाड़ा के अस्पताल में तड़प रही हैं।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि डॉ. अर्जुनसिंह गहलोत, जो डी. एम. एच. ओ. हैं, और डाक्टर रजनीरामपाल की लापरवाही के कारण यह मृत्यु हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी भीलवाड़ा अस्पताल के अन्दर आपरेशन के अन्दर टिटनेस के कारण दो रोगियों की मृत्यु हुई, लेकिन उस समय के मंत्री महोदय ने कार्यवाही नहीं की और डाक्टर गहलोत वहीं रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डॉ. अर्जुनसिंह को तुरन्त निलम्बित किया जाय और डॉक्टर रजनीरामपाल को तुरन्त निलम्बित किया जाय। जो दो महिलाएं मरी हैं उनके परिवार को कम्पेन्सेशन दिया जाय और तीन जो तड़प रही हैं, उनको सहायता दी जाय। इस सारे मामले की जांच कराई जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। 15 तारीख को माननीय मंत्री महोदय वहां गये। जो मंच लगाया गया वह सर्जीकल कैम्प के बीच में लगाया गया। उस मंच को लगाने के कारण धूल उड़ी। सर्जीकल यूनिट में कोई व्यवस्था नहीं थी कि धूल से उसको बचाया जाय। इसलिये यह हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट से कहा जाय कि इस बात का ध्यान रखें। सर्जीकल यूनिट में धूल आने से इस बात का खतरा रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लापरवाही के लिये जो जिम्मेदार हों उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह बड़ा अहम प्रश्न है। इस प्रकार से सर्जीकल कैम्प पर से विश्वास उठ जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप आवश्यक व्यवस्था करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार टिटनेस फैलने के कारण, लापरवाही के कारण लोगों को मृत्यु का शिकार न होना पड़े।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे क्षेत्र में हुई है, वहां से सम्बन्धित है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र माण्डलगढ़ में और बिजोलिया में

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
कि हाथियों का पेशाब है वह वहां लोगों को पिलाया जाता है। यह शब्द थे।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना था...

श्री मूलचन्द डागा : How he has been allowed to speak on a point of order.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, There is a point o' order. I accept your point of order and I give you pre e-dence आप बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि 15 मार्च के दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी गांव बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा मोबाइल सर्जीकल यूनिट के सर्जीकल कैम्प का उद्घाटन करने गये। वहां दो औरतों की मृत्यु हो गई है डाक्टरों के आपरेशन के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, उनके सतर्कता नहीं बरतने के कारण और गलती के कारण। दो औरतें तो स्वर्गधाम सिधार गई हैं और तीन की हालत चिन्ताजनक है। आपके चेहरे पर जो मुस्कराहट नजर आ रही है वह नहीं आनी चाहिए यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। इस प्रकार से एक यूनिट गई। यूनिट जाने के बाद भीलवाड़ा जिले में यह घटना घटी थी तो क्या उसके कारण डॉक्टरों को सस्पैंड किया, गया, उसकी जांच की गई। इस प्रकार की जो लापरवाही की घटना होती है तो क्या मैडिकल डिपार्टमेंट कम्पेन्सेशन देता है और उनकी गलतियों के लिए क्या सरकार उनको सजा देती है ?

हमारी यूनिट ने जिस प्रकार से राजस्थान में ख्याति प्राप्त की है इस प्रकार की नेग्लीजेन्सी के कारण उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान कम होता है। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें और देखें कि जो तीन और औरतें गम्भीर हालत में हैं उनके बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, मैं पहले बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वृद्धिचन्द जी जैन का नाम पहले है। इनके पश्चात् आपका है। दोनों माननीय सदस्य विपक्ष वालों को बोलने दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोबाइल सर्जीकल यूनिट ने दिनांक 15-3-78 को कार्य शुरू किया और सर्जीकल कैम्प में 150 आपरेशन्स हुए। उन 150 आपरेशन्स में से 5 आपरेशन्स महिलाओं के थे। उनको टिटनेस हो गया। टिटनेस के रोग से दो महिलाओं का स्वर्गवास हो गया और तीन महिलाएं नाजुक स्थिति में हैं। जो सर्जीकल मोबाइल यूनिट राजस्थान की है उसकी ख्याति है और जहां पर भी वह इस प्रकार से घूमी है उसने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बिजौलिया ग्राम में किस चिकित्सक के कारण किसकी लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई, इसकी आपकी तरफ से जांच कराई जानी चाहिए और उसके लिए जो जिम्मेवार हों उनको दोषी घोषित करके उनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। जो तीन औरतों की स्थिति नाजुक है उनका बराबर इलाज कराया जाय। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परसों भीलवाड़ा होकर आया हूं और अस्पताल में मरीजों को देखकर आया हूं। चार महिलाओं को भी देखकर आया हूं। जो दुर्घटना घटी है वह यह है कि 15 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बिजौलिया गये थे सर्जीकल कैम्प के अन्दर। उस सर्जीकल कैम्प में डा. अर्जुनसिंह गहलोत और डा. रजनीरामपाल ने विना ए. टी. एस. के इन्जेक्शन लगाये आॅपरेशन कर डाले, बिना टैट वैक लगाये आपरेशन कर डाले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार महिलाओं के आपरेशन किये गये। एक के पेट का आपरेशन किया गया और तीन की बच्चेदानी का आपरेशन किया गया। मैं, माननीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कजोडी बाई बजौलिया के श्री भंवरलाल की पत्नी है। उसने मेरे सामने भीलवाड़ा के अस्पताल में दम तोड़ा। एक 6 साल की बच्ची सोहनी थी जिसका पथरी का आपरेशन किया गया, और तीन महिलाएं, प्यारी बाई पत्नी कागू, श्रीमती घनश्यामी पत्नी श्री दुर्गालाल और श्रीमती कल्याणी, ये तीन महिलाएं भीलवाड़ा के अस्पताल में तड़प रही हैं।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि डा. अर्जुनसिंह गहलोत, जो डी. एम. एच. ओ. हैं, और डाक्टर रजनीरामपाल की लापरवाही के कारण यह मृत्यु हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी भीलवाड़ा अस्पताल के अन्दर आपरेशन के अन्दर टिटनेस के कारण दो रोगियों की मृत्यु हुई, लेकिन उस समय के मंत्री महोदय ने कार्यवाही नहीं की और डाक्टर गहलोत वहीं रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डॉ. अर्जुनसिंह को तुरन्त निलम्बित किया जाय और डॉक्टर रजनीरामपाल को तुरन्त निलम्बित किया जाय। जो दो महिलाएं मरी हैं उनके परिवार को कम्पेन्सेशन दिया जाय और तीन जो तड़प रही हैं उनको सहायता दी जाय। इस सारे मामले की जांच कराई जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। 15 तारीख को माननीय मंत्री महोदय वहां गये। जो मंच लगाया गय वह सर्जीकल कैम्प के बीच में लगाया गया। उस मंच को लगाने के कारण धूल उड़ी। सर्जीकल यूनिट में कोई व्यवस्था नहीं थी कि धूल से उसको बचाया जाय। इसलिय यह हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट से कहा जाय कि इस बात का ध्यान रखें। सर्जीकल यूनिट में धूल आने से इस बात का खतरा रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लापरवाही के लिये जो जिम्मेदार हों उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह बड़ा अहम प्रश्न है। इस प्रकार से सर्जीकल कैम्प पर से विश्वास उठ जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप आवश्यक व्यवस्था करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार टिटनेस फैलने के कारण, लापरवाही के कारण लोगों को मृत्यु का शिकार न होना पड़े।

श्री मनोहरसिंह मेहता: अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे क्षेत्र में हुई है, वहां से सम्बन्धित है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता: अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र माण्डलगढ़ में और विजौलिया में

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
कि हाथियों का पेशाब है वह वहां लोगों को पिलाया जाता है। यह शब्द थे।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना था. . .

श्री मूलचन्द डागा : How he has been allowed to speak on a point of order.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, There is a point o order. I accept your point of order and I give you prece-dence आप बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि 15 मार्च के दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी गांव बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा मोबाइल सर्जीकल यूनिट के सर्जीकल कैम्प का उद्घाटन करने गये। वहां दो औरतों की मृत्यु हो गई है डाक्टरों के आपरेशन के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, उनके सतर्कता नहीं बरतने के कारण और गलती के कारण। दो औरतें तो स्वर्गधाम सिधार गई हैं और तीन की हालत चिन्ता-जनक है। आपके चेहरे पर जो मुस्कराहट नजर आ रही है वह नहीं आनी चाहिए यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। इस प्रकार से एक यूनिट गई। यूनिट जाने के बाद भीलवाड़ा जिले में यह घटना घटी थी तो क्या उसके कारण डॉक्टरों को सस्पेन्ड किया, गया, उसकी जांच की गई। इस प्रकार की जो लापरवाही की घटना होती है तो क्या मैडिकल डिपार्टमेंट कम्पेन्सेशन देता है और उनकी गलतियों के लिए क्या सरकार उनको सजा देती है ?

हमारी यूनिट ने जिस प्रकार से राज-स्थान में ख्याति प्राप्त की है इस प्रकार की नेग्लीजेन्सी के कारण उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान कम होता है। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें और देखें कि जो तीन और औरतें गम्भीर हालत में हैं उनके बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था. . .

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, मैं पहले बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वृद्धिचन्द जी जैन का नाम पहले है। इनके पश्चात् आपका है। दोनों माननीय सदस्य विपक्ष वालों को बोलने दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोबाइल सर्जीकल यूनिट ने दिनांक 15-3-78 को कार्य शुरू किया और सर्जीकल कैम्प में 150 आपरेशन्स हुए। उन 150 आपरेशन्स में से 5 आपरेशन्स महिलाओं के थे। उनको टिटनेस हो गया। टिटनेस के रोग से दो महिलाओं का स्वर्गवास हो गया और तीन महिलाएं नाजुक स्थिति में हैं। जो सर्जीकल मोबाइल यूनिट राजस्थान की है उसकी ख्याति है और जहां पर भी वह इस प्रकार से घूमी है उसने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बिजौलिया ग्राम में किस चिकित्सक के कारण किसकी लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई, इसकी आपकी तरफ से जांच कराई जानी चाहिए और उसके लिए जो जिम्मेवार हों उनको दोषी घोषित करके उनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। जो तीन औरतों की स्थिति नाजुक है उनका बराबर इलाज कराया जाय। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

(श्री दुलाराम)

वाइफ आफ इमामुद्दीन, जाति मुसलमान, उसकी पत्नी इलाज के लिए जनाना अस्पताल जयपुर में भर्ती की गई थी। परन्तु जनाना अस्पताल में इस औरत का जबरदस्ती आपरेशन कर दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके दो बच्चे हैं। उसको यह पता नहीं चला कि उसका परिवार कल्याण का आपरेशन किया जा रहा है। उसको पता नहीं चलने दिया कि उसका क्या आपरेशन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार, जो परिवार नियोजन के नाम से जीती है, भी लोगों की जबरन नसबन्दी करने पर तुली हुई है। मैं यह निवेदन कर दूं कि उस अस्पताल में 200 औरतों के आपरेशन किए गये, किन्तु उनको यह पता नहीं था कि आपरेशन किस बात का किया गया है। यह लोगों के साथ सरासर अन्याय है। भयंकर अत्याचार है। मानव के साथ अत्याचार है। लोगों को यह नहीं बताया जा रहा है कि आपरेशन क्यो किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी आज घोषणा करें इस सदन में कि जिस डॉक्टर ने यह आपरेशन उस महिला से बिना पूछे किया है उसको फौरन निलम्बित किया जाएगा ...

(व्यवधान)

आप इस प्रकार परिवार कल्याण नहीं कर रहे हैं, परिवारों को बरबाद कर रहे हैं। आप पर इल्जाम लगाया है, आपकी पार्टी के सदस्यों ने। जिस औरत के साथ यह ज्यादती हुई है उसके दो बच्चे हैं। वह परिवार दुःखी है। यह आपरेशन उन लोगों के समाज के सिद्धान्तों के खिलाफ किया गया है। आप यहां पर घोषणा करें कि किसी का जबरदस्ती आपरेशन नहीं किया जाएगा और लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय घोषणा करें ...

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : यह कैसा रंग दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सही रंग दे रहे हैं। सही बात कह रहे हैं। रंग तो आपने दिया चुनावों के समय।

श्री दुलाराम : आप इसकी जांच करें, जयपुर के जनाना अस्पताल में यह जो घटना हुई है ...

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होगी या नहीं होगी ? जो घटना जयपुर की है उसकी जांच होगी कि नहीं ? इसकी जांच करने की मंत्री महोदय घोषणा करें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ...

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, पहिले इसका जवाब हो जाए।

श्री मदनसिंह दांता : एक दो का नहीं सब का एक साथ होगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं इस सम्बन्ध में ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिजौलिया सर्जिकल कैम्प में टिटनेस की शिकायत के बारे में माननीय सदस्यों ने सदन में जो चिन्ता प्रकट की है मैं भी उनके साथ शामिल हूं। बिजौलिया में यह कैम्प 8 मार्च को लग

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

था। मैं 15 मार्च को वहां पर गया था जब कि वह समाप्त हो चुका था। सारे जो आपरेशन होने थे, वे समाप्त हो गये थे तब मैं वहां पर गया था। उस वक्त कैम्प में किसी प्रकार की बीमारी की शिकायत नहीं थी। जो भी वहां पर बीमार थे, जिनके आपरेशन हुए थे, करीब-करीब अधिकांश से मैं मिलकर आया था। उसके बाद यह घटना टिटनेस की वहां पर डवलप हुई। इस कैम्प में 213 आपरेशन किए गए। उनमें से 4 तो बड़े और एक बच्चे को टिटनेस हो गई। जो सूचना राज्य के स्रोत से मेरे पास आई है, उसके आधार पर कह रहा हूं, माननीय सदस्य ने जो सूचना यहां पर दी है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और चार बीमारों की हालत खराब हुई। डॉ. गहलोत, जो भीलवाड़ा में सर्जन हैं, तुरन्त सूचना मिलते ही वहां पर गये। उन चार बीमारों को भीलवाड़ा में दाखिल किया गया। इसके साथ अजमेर में जो डॉक्टर जैन हैं, सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं, उनको बुलाया गया है। चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई लेकिन एक प्रकार का यह टिटनेस डवलप हो गया और एक की मृत्यु हो गई। यह टिटनेस मेरे जाने से पैदा हो गया या व्यवस्था की गलती से, यह दूसरी बात है। वहां पर जो आपरेशन हुए हैं, उसमें काम्पलीकेशन डवलप हुए तो तत्काल वहां पर डॉ. गहलोत गये और बीमारों को लाकर भीलवाड़ा दाखिल कराया गया। अजमेर से प्रोफेसर डॉ. जैन को भी बुलाया गया। इसके बाद भी जिन माननीय सदस्यों ने भावनाएं प्रकट की हैं, मैं उनको यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसकी जांच चल रही है। जांच होने पर जांच रिपोर्ट को सदन के समक्ष रख दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : हमने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है . .

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह जो जयपुर वाली घटना है, उसके सम्बन्ध में भी कृपया मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : जयपुर की घटना सूची पर नहीं है। इसलिये जवाब नहीं आ सकता।

श्री कौशल किशोर जैन : कृपया मंत्री महोदय यह बतायें कि डॉ. गहलोत की रिपोर्ट कब की है? 19 तारीख की रात की या उसके पहले की?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक बात समाप्त हो चुकी है। मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। इसमें जो कुछ भ्रष्टाचार की बात हुई है . .

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : 15 मार्च, 78 को पुलिस द्वारा जो गलत कार्यवाही की गई है, उसके बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है?

कई माननीय सदस्य : इनका है।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : पुलिस को रामलाल बावरिये की तलाश थी। मालूम हुआ वह घर पर है। पुलिस वाले बात करने के लिए वहां पर गये। केसाराम बावरी अपने लड़के की शादी के लिए बात कर रहा था। भंवरलाल बावरी और बन्ना ये तीनों थे। जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा लक्ष्मण-सिंह और रामलाल तो वहां से रवाना हो गये। पुलिस वालों ने पीछा किया। पुलिस के आदमी आये और जितने लोग घर में बैठे थे, उनको पीटा। उन पर 307, 353 व 149 सेक्शन्स लगाकर जैसे डकैतों का

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)
मुकाबला करते हैं, उसी प्रकार से इन्चार्ज डी.एस.पी. ने उलटे सीधे केस बनाकर, बावरियों को फंसा कर उन्हें पुलिस कस्टडी में बन्द कर दिया है। वह पुलिस कस्टडी में बैठे हैं। होली की राम राम को लड़के की शादी करनी है। मेरा निवेदन है, किसी दूसरे निष्पक्ष अधिकारी को इन्क्वायरी दी जाये। किसी बड़े पुलिस अधिकारी से जांच करवायें। लोकल पुलिस की इन्क्वायरी को बन्द किया जाये। थानेदार का वहां से ट्रांसफर किया जाये। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो गलत चार्ज लगाये हैं, गलत आदमी फंसाये गये हैं, उनको सरकार छोड़े।

श्री शिवचरणसिंह : यह तो एक मिसाल है, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान में ..

(व्यवधान)

यह एक प्रक्रिया हो गयी है। कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन गांव का एक आदमी नहीं मिलता है तो सारे घर वालों को घसीट लाते हैं। यह शहर में नहीं होता है। यह पहला मौका है। जिनको संरक्षण की जरूरत है, उनको संरक्षण देने का आपको मौका मिला है। अगर आपके जमाने में भी सुरक्षा नहीं मिली, तो फिर कौन गरीबों को सुरक्षा देगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या हमारे गृह मंत्रीजी गरीब हैं ? अगर गृह मंत्रीजी गरीब हैं ....

श्री शिवचरणसिंह : यह गरीबों के प्रतिनिधि हैं।

मुलजिम कोई है, और पकड़ा कोई जाये, झूठे मुकदमे बनायें। ये झूठे मुकदमे हैं, उनकी जांच की जाये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मसरोडगढ गांव कुचामन से एक किलोमीटर दूर है। पुलिस उन्हें जब चाहे बुला सकती है, पकड़ सकती है। उस गांव में 50% अनुसूचित जाति और और गरीब लोग हैं। पुलिस आतंक मचाये, मर्जी जिसको पकड़ ले जाये, महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें करें, लोगों को पकड़ ले, जो मेहमान आये हैं, जिस घर में शादी-विवाह की बात हो उनको पकड़ ले जाये ऐसी हालत हो गई है, यह बरदाश्त नहीं हो सकती।

श्री सम्पतराम : पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। वह कोई गुण्डे थे क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : उसकी जांच करने का कोई आदेश निकाला है ? यह पुलिस गरीबों पर अभी भी अत्याचार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : परिवारों में मेहमान आते हैं उनको भी पकड़ लिया जाये......

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पहले यह जांच कराई जाये। दूसरे 307 के मुकदमे बनाये हैं और बराबर, अनुसूचित जाति के लोगों को डरा रहे हैं। पुलिस का आतंक तुरन्त बन्द किया जाये। माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में फर्मायें।

श्री मदनसिंह दांता : यह घटना बिल्कुल सही है। उसी थाने के एक गांव में डकैती हुई। गांव वालों ने मुकाबला किया और पकड़ा, डेढ़ लाख का माल कानपुर से डाका डाल कर लाया गया है। इसकी इन्क्वायरी आप करा देते हैं तो आपको धन्यवाद।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह बावरियों के साथ ही घटना घटी है। यह पुलिस चाहे कांग्रेस के टाइम की हो, चाहे जनता सरकार के टाइम की हो, पुलिस का ऐसा ही रवैया रहा है। उनका काम है, बेजा तरीके से फायदा उठाना। पैसा लेना। शादी के मौके पर मेहमान आये, उन पर भी पुलिस टट पड़ी। मैं गृह मंत्री-जी से निवेदन करूंगा, आपके रहते हुए लोगों में भय पैदा हो रहा है। पुलिस को कर्त्तव्य पथ पर लाने के लिए, आपको निवेदन करूंगा, आप प्रयास करें, और जो घटना घटी है, शादी के मौके पर मेहमान और परिवार के लोगों को बेइज्जत किया गया है, उसके लिये थानेदार को अविलम्ब सस्पैण्ड करके जांच करानी चाहिए। सी. आई. डी. से इसकी जांच होनी चाहिए। लोकल स्तर पर इसकी जांच नहीं करायें। आये दिन घटनायें सामने आती हैं। दिन भर बहस चले तो भी घटनाएं पूरी सामने नहीं आ पायेंगी। मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा, पुलिस के रवैये को ठीक करें, और इस घटना की जांच करावें।

श्री समरथलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ तहसील में ओलावृष्टि के कारण . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जलालुद्दीन की पत्नी जन्नत का जबरदस्ती जनाना अस्पताल में आपरेशन कर दिया। बिना बताये उसका आपरेशन कर दिया। उसके कई बच्चियां हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। स्थगन प्रस्ताव में मैंने जो बातें कही हैं, आप उनकी जांच करा लें। क्या वहां की पुलिस उस गांव में किसी को गिरफ्तार करने गई थी? कौन-कौन मुलजिम थे? एक तो इस बात की जांच करायें। अगर मुलजिम वहां से भाग गये थे तो बाकी, जिनका उस चोरी से कोई सम्बन्ध नहीं था, उनको क्यों पकड़ा? यदि यह आपकी पहली तफतीश में मालूमात हो जायें तो उन अधिकारियों को, जो वहां गिरफ्तार करने के लिए गये थे, सस्पैण्ड कर कार्यवाही करें।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी तो तथ्यों के अभाव में मैं निश्चित रूप से कुछ भी कहने में असमर्थ हूं, लेकिन जो भावना माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, पुलिस वहां क्यों गई, पुलिस को किस सज्जन की तलाश थी, यह सब प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। सारे मामले में माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैंने सुना है। मैं किसी सक्षम अधिकारी से, जो वहां से सम्बन्धित नहीं हो, और यकीन का हो, इसकी जांच कराऊंगा। जांच सही होगी, गलत नहीं होगी। दोषी व्यक्तियों पर एक्शन लेने की जो बात है इन्क्वायरी से जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव भोपालसागर शुगर मिल्स में गन्ना उत्पादकों से निर्धारित दर से नीचे की दर से गन्ना खरीदने के सम्बन्ध में दिया है। इस क्षेत्र में भोपालसागर के अलावा मावली, गिरवा और वल्लभनगर से भी गन्ना आता है। पता नहीं इन दिनों में राज्य सरकार ने कोई आदेश निकाल कर इन तहसीलों का जो गन्ना मिल

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को लेना पड़ता था. खण्डसारी को पनपाने के लिए, यह आरक्षण एरिया अब खुला कर रखा है। अब उस मिल ने उनसे गन्ना खरीदना बन्द कर दिया है, इसकी वजह से काश्तकार मारे मारे फिर रहे हैं। गन्ना खेतों के अन्दर खड़ा है। उनकी मजबूरी की हालत में 10 रुपये क्विन्टल भी मिल गन्ना नहीं ले रही है, जब कि राज्य सरकार ने उसका भाव साढ़े बारह रुपये तय कर रखा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने जिस आदेश का हवाला देकर मिल को प्रोटेक्ट किया है, इससे काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। वे तीस साल से बराबर गन्ना मिल को देते रहे हैं, वह सुरक्षित एरिया था, सारे क्षेत्र का गन्ना लेना पड़ता था। अब वह आरक्षण हटा देने से काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए इसके बारे में राज्य सरकार को अविलम्ब कदम उठाना चाहिए। उन्होंने गन्ना खरीदना एकदम बन्द कर दिया है। 10 रुपये क्विन्टल के भाव से भी गन्ना नहीं खरीद रहे हैं जब कि भाव साढ़े बारह रुपये का तय है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाय कि इस बारे में जो आर्डर निकाला है उसको विथड्रा किया जाय और काश्तकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए दुबारा आर्डर निकाला जाय, नहीं तो काश्तकार बरबाद हो जायेंगे। वे गन्ना किस जगह बेचें, यह राज्य सरकार बताये। इसका कुछ न कुछ हल निकाला जाय, वरना काश्तकार आन्दोलन करेंगे। काश्तकारों द्वारा पैदा की हुई चीज को मिल नहीं ले रही है। यह सरकार का काश्तकारों के विरुद्ध कदम है। काश्तकार बरबाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति आ रही है। इसके बारे में राज्य सरकार क्या करेगी ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में यातायात मन्त्री महोदय को. . . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मन्त्री महोदय कुछ न कुछ तो कहें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम नारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था कि इस महीने की 12 तारीख को श्री जयप्रकाश नारायण के 74 वर्ष पूरे किये जाने पर उनका जन्म दिवस बिहार में मनाया गया था और सारे देश की तरफ से उनके जन्म दिवस पर 90 लाख रुपयों की थैली भेंट की गई थी। किस उद्देश्य और मकसद के लिए वह थैली भेंट की गई, किस उद्देश्य और मकसद से इतना रुपया एकत्रित किया गया, यह कहीं पढ़ने को नहीं मिला।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में इस प्रकार से व्यर्थ की चर्चा करना उचित नहीं है। जयप्रकाश नारायण हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुनियां के एक महत्व-पूर्ण और लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं, उनके बारे में इस तरह से चर्चा करना किसी भी तरह से उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बिना इजाजत बोल रहे हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है, राजस्थान विधान सभा के सदन में उस प्रश्न को उठा रहे हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने प्रधान मन्त्रित्व काल में उनके गुर्दे खराब कर दिये । शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(व्यवधान)

उनके गुर्दे खराब कर दिये गये, गलत दवाइयां देकर......

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा मौका है जब इस तरह से कोई सदस्य अपने विचार रख रहा हो और...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जयप्रकाश नारायण के प्रति हमारा सही आदर यही होगा कि इस सदन में विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता को कायम रखें । उनका आन्दोलन विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर हुआ था । विचार व्यक्त करने की छूट नहीं देंगे तो यह उनका अपमान होगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थगन प्रस्ताव में दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए— अविलम्बनीय या लोकमहत्व । मैं समझता हूं ये दोनों ही बातें इसमें नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि सदस्य बोलें...

(व्यवधान)

ये हमको बोलने नहीं दे रहे हैं । यह अन्याय है ।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत विवादास्पद विषय है । इस पर दोनों पक्षों की जो भावनायें हैं उनकी अभिव्यक्ति में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता । कृपया श्री रामनारायण चौधरी की बात सुनें । तत्पश्चात् दूसरे माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति व सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कह रहा हूं । मैंने कोई असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया, असम्मानजनक बात नहीं की । जब मुझे पता लगा तो जो बात अच्छी नहीं लगी, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं । मैंने विधिपूर्वक अध्यक्ष महोदय को सूचना दी है । जो बात उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को अच्छी लगे, क्या वही कही जाए ?

मान्यवर, 75 वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे किए थे, उनके नेतृत्व में हमें स्वाधीनता मिली, उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से भारत को निकाला । उनके 75 वर्ष के जीवन काल में इस देश में कोई चंदा एकत्रित नहीं किया गया था । मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनके अनुयायी, फोलोअर्स, उनकी फिलोसफी में विश्वास रखने वाले, यदि अपना सर्वस्व दे दें, अपना घर भी अर्पित कर दें तो कोई बात नहीं । लेकिन एक बात मैं निवेदन

(श्री रामनारायण चौधरी)
करना चाहता हूं, यह सारा धन श्री जय प्रकाश नारायण को चंदे के रूप में, थैली के रूप में नहीं दिया जा सकता। इस राजस्थान से लाखों रुपये....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : संजय गांधी को रुपया दिया तो क्या अच्छा हुआ ? आप जे. पी. की भी वही बदनामी करना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह भूखा नंगा राजस्थान है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पाइंट आफ आर्डर। मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी है कि अपने सदस्यों को समझायें कि सदन की कार्यवाही चलने दें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर है।

श्री नवनीत पालीवाल : कौनसी जिम्मेदारी है ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं प्रमाण दूंगा, आपको नाम बताऊंगा, रकम बताऊंगा। मान्यवर, राजस्थान खादी बोर्ड के तहत काम करने वाले व्यक्ति हैं। खादी संस्थायें रजिस्टर्ड संस्थायें हैं, सार्वजनिक संस्थायें हैं, कतवारियां हैं जो 20 पैसे रोज पर अपना पेट पालती हैं, उनसे पैसे लिए गए। उन संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं की जानकारी मेरे पास आई है। वहां के कार्यकर्त्ताओं ने, मैनेजमेन्ट ने और छोटे-छोटे वेतन पाने वाले कार्यकर्त्ताओं ने मुझे कहा है। राजस्थान खा ग्रामोद्योग संस्था संघ, टौंक फाटक, जयपु ने 25 हजार रुपये दिए हैं, राजस्थान खादी संघ, चौमू से 15 हजार, खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर से 11 हजार, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर से 7।। हजार, खादी विकास मंडल, गोविंदगढ़ से 5 हजार, खादी मंदिर, बीकानेर से 5 हजार, खादी समिति, बस्सी से 2100), खादी संघ, दौसा से 2500), खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर से 5 हजार, खादी समिति, जैसलमेर से 5 हजार लिए गए हैं। इसके अलावा और भी खादी संस्थायें हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1।। लाख रुपया इस थैली के लिए खादी संस्थाओं से लिया गया है। उनके बाइलाज हैं, कानून के तहत वे रजिस्टर्ड संस्थायें हैं। कहीं भी नियमों में उल्लेख नहीं है कि जे. पी. अथवा किसी व्यक्ति विशेष के जन्म दिन पर दान दे सकते हैं और पर्स के रूप में किसी को दे सकते हैं। अगर गलत है तो खादी मंत्री बैठे हैं वह बता दें, किसी संस्था को किसी का जन्म दिवस मनाने के लिए, गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा चंदे के रूप में देने का अधिकार है ?

हमारी सरकार खादी संस्थाओं को नो प्राफिट नो लोस के आधार पर चलाती है। खादी संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के चपरासियों से भी कम है, वहां के क्लर्क्स व अकाउंटेंट्स को चपरासियों से भी कम मिलता है। कतवारी जो 8 घंटे काम करती हैं उनको रोजाना 30 पैसा मिलता है। उससे लिया हुआ पैसा, किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना ही बड़ा

(श्री रामनारायण चौधरी)
हो, को देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से पैसा उनसे जबरन वसूल करें, धमकी देकर वसूल करें, यह अधिकार आपको नहीं है। उद्योग मंत्री, जिनके पास आज खादी विभाग है, ने मैनेजमेंट पर दबाव डाला है। खादी बोर्ड के अध्यक्ष, गोकुल भाई भट्ट ने स्वयं दबाकर इन संस्थाओं से पैसा लिया। कोई निर्णय नहीं लिया गया, खादी बोर्ड के अध्यक्ष या संचालक मंडल द्वारा।

इसके अलावा जो कम्पनीज राजस्थान में काम कर रही हैं, बड़ी कंपनीज, उनसे पैसा लिया गया है। उन्होंने पूछा, किस उद्देश्य के लिए दें तो उनको बताया, अमृत महोत्सव। उन्होंने कहा आप जे. पी. के जन्म दिवस के नाम पर रुपया ले रहे हैं, कोई ठेका नहीं है कि आप सत्ता में बने रहेंगे। इन लोगों ने जवाब दिया, राज्य हमारा है, राजस्थान में उद्योग चलाने हैं या नहीं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : झूठ है।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान के उद्योगपतियों के गलों के अंदर अंगूठा डालकर ये 7½ लाख रुपये इकट्ठे किए। कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। आप कहते हैं कि व्यक्ति-पूजा नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्ति-पूजा नहीं है तो क्या है? कौनसा नैतिक स्तर है। आज तक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा हुए हैं लेकिन किसी का अमृत महोत्सव, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाने के लिए, अमृत जुबली मनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं किया गया। आप कहते हैं कि हम व्यक्ति-पूजा मिटाना चाहते हैं। यह नए प्रकार की व्यक्ति-पूजा है। आप गलत परम्परा डाल रहे हैं, यह राजस्थान को नष्ट कर देगी। पैसा लेने के लिए उनको दबाया गया . . .

श्री शिवचरण सिंह : नाम बतायें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने बताया है।

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही उन्होंने की, इसमें मंत्रियों, विशेषकर एक मंत्री का हाथ रहा, जो पटना थैली लेकर पहुंचा, पैर छूए और थैली रखी। क्या आपको नैतिक अधिकार था? किस कानून के तहत खादी संस्थाओं से चंदा इकट्ठा किया? मुख्य मंत्री से, अध्यक्ष महोदय, कहिए कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। मैंने नवज्योति में पढ़ा है, वहां राजस्थान ही राजस्थान छाया हुआ है. .

श्री केदार नाथ (यातायात मंत्री): यह स्थगन प्रस्ताव है क्या?

श्री मूलचन्द डागा : हां हां, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इससे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होगा?

श्री मदनसिंह दांता : यह प्रजातंत्र के मूलभूत आधारों का प्रश्न है कि क्या व्यक्ति-पूजा होनी चाहिए?

श्री मूलचन्द डागा : रुपया कहां से लाए?

श्री दाऊदयाल जोशी : व्यक्ति-पूजा नहीं है, श्रद्धा है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी जितनी भावनायें जे. पी. के प्रति हैं, हम उनसे भी ज्यादा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के धन को वहां ले जाने का इनको कोई हक नहीं है. . . .

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, बहुत समय हो गया इस बकवास को, अब समाप्त करावें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । स्थान ग्रहण करें ।

श्री शिव चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी वालों को क्या हक है खादी कमीशन के धन से जयप्रकाश नारायण की थैली भेंट करने का ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये सदन की कमेटी बनायी जाय जिसमें सदन के सभी दलों के सदस्य हों। वह कमेटी बैठ कर जांच करे। आखिर 90 लाख रुपया कहां से आया ? इसमें तो बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी खादी संस्थाओं की शुद्धि करने की बात कही थी....

(व्यवधान)

यहां पर खादी मन्त्रीजी बैठे हैं । उन्हें पता है कि कितना खादी संस्थाओं में घोटाला है । वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है । यह कस्टोडियन हैं हमारे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, नब्बे लाख रुपये कहां से आये ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, यहां पर चेलेन्ज कर रहे हैं कि 90 लाख रुपये कहां से आये और यह कुछ भी बोल नहीं रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, न कोई जबरदस्ती की गयी थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय; जो माननीय सदस्या बोल रही हैं, उन्हें कहने का मौका तो दिया जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई घोटाला नहीं हुआ है । न कोई......

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब कहां से आ रहा है ? यह कौनसी मन्त्री महोदया हैं ? लोगों की मजदूरी का रुपया जबरदस्ती ले लिया, और उन रुपयों से थैली भेंट कर दी । वहां पर वास्तव में घोटाले हैं । इसकी जांच करायी जाय ।

(व्यवधान)

Page No 58

(58)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हो गयी, अब आगे चर्चा नहीं करें। कृपया शान्त रहें। मन्त्रीजी की बात भी सुनें। वह कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी दो मिनट बोल सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सर्वोदयी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि जयप्रकाश नारायण जी की 75वीं सालगिरह पर उनको 75 लाख रुपये की थैली भेंट की जायेगी। हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पास से अपनी श्रद्धानुसार किसी ने 100, किसी ने 50 रुपये और जितना भी जिससे जो बन पड़ा, वह पैसा इकट्ठा किया। इसमें हमने किसी भी दूसरे व्यक्ति से या खादी संस्थाओं से पैसा नहीं लिया। जहां तक सवाल गोकुल भाई भट्ट के टूर करने का है, वह खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वह खादी के काम से कहीं भी जा सकते हैं। यह शंका बिलकुल निर्मूल है कि उन्होंने खादी की संस्थाओं के द्वारा या खादी की संस्थाओं से पैसा उस काम के लिये इकट्ठा किया। जो भी श्रद्धा से सर्वोदयी कार्यकर्ताओं ने पैसा दे दिया वह हमने इकट्ठा किया। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाया है कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है वह बात बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय वहां पर खादी ग्रामोद्योग में काम करने वाली, औरतों को मजदूरी नहीं दी गयी, और उनसे जबरदस्ती पैसा इकट्ठा किया गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कई माननीय सदस्यों ने यहां पर यह प्रश्न उठाया कि जयप्रकाश नारायण जी को थैली क्यों भेंट की गयी? अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने लोकतन्त्र की रक्षा के लिये तानाशाही से लोहा लिया और जिसने भ्रष्ट कांग्रेसियों को सत्ता से निकाल बाहर किया, उसके खिलाफ में इन लोगों को बोलने का क्या हक है?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बेचारे मजदूरों को मिनिमम वेजेज तक नहीं देते हैं। उससे भी बहुत कम देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह शोरगुल में जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वह अनुचित हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, जब यह इन्दिरा जी को भाभी कहते थे तब कोई बात नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। वह आपकी कमाई नहीं है। मजदूरों की कमाई को कैसे ले लिया ?

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको कहने का हक नहीं। खूब खून चूसा है।

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : व्यर्थ की बकवास सुनने नहीं आये हैं।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन कर व्यवस्था का प्रश्न उठावें। काफी इस सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य। मिनिस्टर का उत्तर जरूर सुनें। यह एक ऐसा विषय है जिस सम्बन्ध में चर्चा एक स्तर के नीचे नहीं होनी चाहिये, एक स्टेण्डर्ड होना चाहिये अन्यथा, विपक्ष को विनम्र निवेदन है, आप अनर्गल बात कह कर चर्चा उठायेंगे तो संभवतः शासन पक्ष उस चर्चा को नहीं सुनेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने विरोधी पक्ष का मुंह बन्द कर दिया।

श्री मदनसिंह दांता : आपने सही रूलिंग दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको चर्चा उठानी है तो फिर शासन पक्ष को भी खुली छूट होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरी छूट दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी इस बात को ध्यान में रखें। हमारे देश में अमुक व्यक्ति नान-कन्ट्रोवर्शल होना चाहिये। आपको पूरी छूट है चर्चा करने की लेकिन एक स्तर को मद्देनजर रख कर चर्चा करना विपक्ष का पुनीत कर्त्तव्य है। चर्चा नाम से करना खास कर चर्चा करना....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरी छूट है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप गांधीजी को चर्चा का विषय बना सकते हैं ? क्या आप..

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जे. पी. के लिये कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन

(श्री रामनारायण चौधरी) महात्मा गांधी के बराबर जे. पी. को नहीं मान सकते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो . . .

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : महात्मा गांधी नहीं हैं जे. पी., मान्यवर !

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ नहीं फर्माया । गांधीजी को चर्चा का विषय न बनायें ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चर्चा करना . . . . .

(व्यवधान)

जो सत्ता में होता है उसकी पूजा होती है। जे. पी. सत्ता में नहीं हैं । उनकी पूजा कहना गलत है । गांधी जी ने देश को आजादी दी । दूसरी आजादी जे. पी. ने दी ।

(व्यवधान)

75 लाख की थैली दी गयी वह सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं द्वारा दी गयी, यह खादी संस्थाएं सर्वोदय कार्य के लिये अपने विधान के तहत चन्दा दे सकती हैं। इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के द्वारा नहीं दी गयी । यहां यह कहना इस सदन का व देश का अपमान करना है । यह पूजा नहीं ।

श्री रतनलाल वर्मा : दो मिनट का समय दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में चर्चा समाप्त करता हूं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें बोलने का मौका दीजिये ।

श्री मदनसिंह दांता : आप लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की गलत बात करते हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी, आप . . . .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने खादी संस्थाओं को लूटा । तुम लोग पापी चोर उचक्के गुण्डे हो ।

(व्यवधान)

नहीं सुनेंगे, जे. पी. के खिलाफ नहीं सुनेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : चोर उचक्के कहा है।

श्री अध्यक्ष : यदि व्यवस्था के विपरीत काम करेंगे तो सदन की कार्यवाही विवश होकर स्थगित करनी पड़ेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : ये चोर उचक्के कहा. .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : चोर उचक्के गुण्डों की नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इनको बहिष्कृत किया जाय. . . .

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : जे. पी. के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे । इन्होंने

(श्री निर्मलकुमार सकलेचा)

करोड़ों रुपयों के घोटाले किये हैं। खादी संस्थाओं को लूट कर खा गये। मजदूरों पर डाका डाला। आज खादी की बात करते हैं। जे. पी. के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या भाषा बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जे. पी. के जन्म दिवस पर थैली भेंट करना जुर्म है तो क्या इन्दिरा गांधी को सोने से तौलना जुर्म नहीं था? क्या हम नहीं तोल सकते जे. पी. को? कांग्रेस वाले

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है चोर और उचक्के .....

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : चोर और उचक्के शब्द कहा है इन्होंने।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : 11 लाख रुपये संजय गांधी पर खर्च किये हैं। जनता ने ...

(व्यवधान)

जवाब दो।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह संजय गांधी के जूते उठाने वाले .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : यह देश के हत्यारे हैं। इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि श्री दुलाराम जी बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : उन्हें भी तो चुप करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन अपने पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो.....

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : मुझे दो मिनट की इजाजत दी जाये ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सरकारी पक्ष को जरा सुन लें ।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : मंत्री महोदय, से पहले हम अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री **शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दे दी है । निवेदन यह है कि इस सारे मामले में मुख्य मुद्दा तो यह है कि जो भी पैसा इकट्ठा किया गया वह, जैसा कि चार्ज लगाया गया, जोर जबरदस्ती से किया गया । जिस संस्था द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया उस संस्था के जो नियम हैं उनके अनुसार क्या पैसा इकट्ठा किया जा सकता है या नहीं ? जिस प्रकार की बात कही जा रही है, नियमों में प्रावधान है या नहीं इस प्रकार पैसा इकट्ठा करने का ? यह मेन मुद्दा है । संस्थाओं और व्यक्तियों से जो जबरदस्ती पैसा लिया गया यह भी एक मुद्दा है । जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है व्यक्तित्व वैसे चर्चा का विषय नहीं है· · ·

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के नाम पर इस तरह से नहीं बोल सकते ।

श्री **रघुनन्दन व्यास** : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, भाषण है ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : या तो 15 मिनट के लिए मैं इस सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं अन्यथा आपको सहिष्णुता बरतनी चाहिए। एक दूसरे की बातें सुनें तो 5 मिनट और दे सकता हूं । इस विषय पर अपनी चर्चा समाप्त कीजिए और आसन को सहयोग दीजिए ।

श्री **नवनीत पालीवाल** : अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष को बिलकुल नहीं सुना गया ।

श्री **अध्यक्ष** : शासन पक्ष की बात विपक्ष नहीं सुनना चाहता और विपक्ष की बात शासन पक्ष नहीं सुनना चाहता । ऐसी स्थिति में आसन को क्या करना चाहिए । या तो कार्यवाही स्थगित की जाय अन्यथा इस पर चर्चा समाप्त करके आगे की कार्यवाही की जाये ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने के लिए दिये थे । मैंने उस अपार्चुनिटी को अवेल ही नहीं किया । मुझे बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : क्या आप सरकारी पक्ष को भी सुनना चाहेंगे या नहीं ?

श्री **मूलचन्द डागा** : अगर हमको सुनने को तैयार हैं तो । इन्होंने हमें गालियां दी हैं।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री **अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री **केदारनाथ (श्रम मंत्री)** : मैं निवेदन कर दूं, माननीय अध्यक्षजी......

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.52 बजे पर 15 मिनट के लिये स्थगित की गई।)

विधान सभा की कार्यवाही पुनः म. प. 2.07 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में मंत्रणा चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी दलों के माननीय नेता महोदय विचार कर रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही 2.30 म. प. तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.07 बजे म. प. 2.30 तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा की कार्यवाही पुनः म. प. 2.30 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामनारायण चौधरी के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। मैं आशा करता हूं कि सरकार की तरफ से इस चर्चा का उत्तर आने के बाद इस पर चर्चा समाप्त होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में आसन को सहयोग देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्कुल।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बार आसन ने, आपने मुझे यह अनुमति प्रदान कर दी तो सदन के नियमों के अन्तर्गत बोलने की इजाजत दें। आसन पर बैठकर आपने यह व्यवस्था दी थी कि बजरंगलाल दो मिनट बोलेंगे। आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो इससे आसन का अपमान नहीं होता है। आसन की अनुमति प्राप्त करके भी मैं बोलने से महरूम रहा हूं। इसलिए मुझे बोलने की अनुमति दें। दो मिनट में ही निवेदन कर देता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर में चीफ व्हिप और सभी दलों के प्रतिनिधि थे। उनमें बजरंगलाल शर्मा भी थे। वहां बैठकर सारी चर्चा करने के बाद यह तय किया गया कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमेन्ट होगा। उसके बाद आगे बिजनेस लिया जाएगा। अब यह नहीं मानते हैं। आपके चेम्बर में हुए निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपने जो घोषणा यहां की है, उसके अनुसार मंत्री महोदय का स्टेटमेन्ट करा दिया जाये। फिर आगे की कार्यवाही करें।

श्री शंकरलाल : मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट दे दें। अध्यक्ष का निर्णय शिरोधार्य है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका निर्णय आसन पर छोड़ दें।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, कुछ बात मैं भी कहना चाहता था। मगर आसन की व्यवस्था के बाद सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं बोलूंगा ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। कोई माननीय सदस्य यह चाहें कि उन्हें बोलने दिया जाये और बाकी नहीं बोलें, तो अगर वह बोलते हैं, तो हम भी विचार रखेंगे।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं अकेला ही बोलना चाहता हूं। जो बातें कही गई हैं, मैं उनके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड पर सभी बोलना चाहते हैं। ढाई तीन बज गये हैं। आप चाहते हैं इसी पर 7 बजा दें जब कि सभी बातें तय हो चुकी हैं। चीफ महोदय अपनी पार्टी को कण्ट्रोल करें।

श्री **मदनसिंह दांता** : जनता पार्टी के सिर्फ एक सदस्य कह रहे हैं और किसी ने नहीं कहा है।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : मेरे खिलाफ व्यवस्था हो तो मैं नहीं बोलूंगा। माननीय खेतसिंह व्यवस्था नहीं देने देने के लिए क्यों तैयार हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, श्री बजरंगलाल जी, मेरा नम्र निवेदन है। अपने उत्तरदायित्व का पालन करें तो समझ में आता है, शासन पक्ष के माननीय सदस्य हैं। अनुशासन जनतन्त्र के अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस सम्बन्ध में चेम्बर में चर्चा हुई। चर्चा होने के पश्चात् एक व्यवस्था सर्वमान्य सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार की। इसके अनुसार आसन के आदेश और सदन की गरिमा का आदर करना आवश्यक है। आप अगर अनुशासन के विपरीत आचरण करेंगे तो यह शासन पक्ष के लिये विचार करने का एक विषय हो जाएगा। मैं आपको पुनः पुरजोर शब्दों में विनम्रता-पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो विचार है इस सम्बन्ध में, उसे सदन के समक्ष व्यक्त नहीं करें, और उसे बाद के लिए स्थगित रखें।

माननीय मंत्रीजी महोदय !

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : सदन स्थगित किया है, इसीलिए मुझे इस पर बोलने की आवश्यकता है। It has been adjourned only..

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : We have got sergeant to carry out....

श्री **बजरंगलाल शर्मा**: मुझे यह चुनौती स्वीकार है।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज जो ...

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : उनको बोलने दीजिये।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामनारायण चौधरी ने जो प्रश्न उठाया है, इस देश को जब से आजादी मिली है,तब से उस प्रश्न का राजनीति से गहरा सम्बन्ध है। क्या मर्यादा राजनैतिक दलों की धनसंग्रह के सम्बन्ध में सरकार बनाये ? सरकार का आचरण नेता और

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

राजनैतिक नेता के सम्बन्ध में क्या रहे ? यह ऐसा प्रश्न है जो इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो प्रश्न है, मैं उसके बुनियादी प्रश्नों पर निवेदन नहीं करूंगा। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय पर हर देश में हर काल में ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जिसके प्रति साधारण सम्मान के अलावा एक इस प्रकार की भावना पैदा होती है जनता में जो रोकी नहीं जा सकती है। उसके प्रति अत्यधिक श्रद्धा पैदा हो जाती है ! ऐसे कितने ही सम्मानित व्यक्ति हुए हैं। महात्मा गांधी हुए। आज का जो वर्तमान युग है, विशेषतया जब इमर्जेंसी लागू हुई उस समय जयप्रकाश का व्यक्तित्व हमारे लिए अमृत के समान सिद्ध हुआ है इसके लिए पूरा का पूरा देश उनका अनुग्रहीत है। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति के सम्बन्ध में उत्सव मनाया जाता है तो उसमें जनता की भावनाएं भी होती हैं। जो प्रश्न रामनारायण चौधरी जी ने उठाया मेरा उसका उत्तर 30 वर्ष वाला हो सकता है, पर ऐसा उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं बहैसियत सरकार की तरफ से आपने जो पैसा इकट्ठा करने के बारे बताया है, उसका मैं खण्डन करने या उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। इसके बारे में आपने खादी संस्थाओं के नाम गिनाये हैं। खादी संस्थाओं का सर्वोदय से अटूट सम्बन्ध है। श्री त्रिलोकचन्द्र जैन, जो हमारे साथी मन्त्री हैं, सर्वोदय के कार्यकर्ता रहे हैं। श्री जयप्रकाश नारायण के वह सचिव भी रहे हैं। हमारे गोकुल भाई भट्ट की उनके प्रति श्रद्धा भावना है। जयप्रकाश नारायण के प्रति प्रेम है। उनके अमृत महोत्सव के अवसर पर, जिसका सरकार से सम्बन्ध भी नहीं है, वे पैसा इकट्ठा करके देते हैं तो मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने कोई पाप किया है। जो आपने प्रश्न उठाया है, मुझे पूरे तौर से मालूम है कि जिन जयप्रकाश नारायण को हम जनतन्त्र का प्रतीक मानते हैं उन जयप्रकाश नारायण का सम्मान-खण्डन करते हैं। जो जयप्रकाश नारायण के बारे में भ्रम फैलाना चाहते हैं। खास तौर से इन्दिरा गान्धी वाले लोग उसमें चूकते नहीं हैं। यह एक अवसर माननीय श्री रामनारायणजी ने इस सदन के माध्यम से चाहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं स्वयं व्यक्ति-पूजा के विरोध में हूं लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति अगर इस देश को पुनः आजादी दिलाने के लिए जिम्मेदार है, अगर कोई आदमी देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए जिम्मेदार है, अगर कोई व्यक्ति देश में लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है तो वह है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। यह सारा देश उनको भुला नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार का

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जय प्रकाश नारायण जिन्दाबाद !

जयप्रकाश नारायण—जिन्दाबाद !

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मिनट में।

श्री मदनसिंह दांता : यह कोई जवाब नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : यह प्रतीकों पर चर्चा करके आरोपों पर चर्चा होने लगी ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं केवल राजस्थान सरकार की तरफ से इस सदन को...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी । चर्चा समाप्त हुई ।

नैक्स्ट आइटम । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । माननीय परिवहन मंत्री जी ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

1 सूचना

श्री केदारनाथ शर्मा (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या प. 30 / 7 / गृह-ग्रुप/ 7/ 76, दिनांक 11 जनवरी, 1978 सदन की मेज पर रखता हूं ।

माननीया श्रीमती विद्या पाठक ।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं मांग संख्या 36–सहकारिता की प्रस्तुति

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11 करोड़ 57 लाख 45 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8 करोड़ 19 लाख 68 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 33 व 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय–

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

1. भिक्षावृत्ति रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

2. समाज कल्याण विभाग द्वारा कोटपूतली तहसील में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण हेतु कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

3. समाज कल्याण कार्यों में शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर):

4. अनाथाश्रमों की दयनीय दशा सुधारने में विभाग की लालफीताशाही पर चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

5. अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 का राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन करने में ढिलाई बरतने पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों में तीव्र असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये ।

6. अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के राजकीय छात्रावासों के लिये शहरों और कस्बों में मकान किराये पर उपलब्ध नहीं होते, अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त विषय में यदि आवश्यकता हो तो आवश्यक कानून बनाकर या कानून में तरमीम कर मकान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

7. राजकीय अनुदानित एवं तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रावासों को समाज कल्याण विभाग द्वारा महंगाई को देखते हुए जो अनुदान दिया जाता है वह अपर्याप्त है जिसके कारण छात्रों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिये मकान की अधिकांश स्थानों में ठीक व्यवस्था नहीं है, अतः उन में तीव्र असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये ।

8. हरिजनों के सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को बंद कराने के विषय पर चर्चा के लिये ।

9. बाड़मेर नगर के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति मोहल्लों में पानी एवं बिजली की सुविधा के लिये पर्याप्त प्रावधान न करने के कारण उनमें तीव्र असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये ।

10. राजस्थान प्रान्त में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण देने के उद्देश्य से जो उन्हें कानूनी सहायता राज्य की ओर से दी जाती है वह अपर्याप्त है, अतः असंतोष व्यक्त करने के विषय पर चर्चा के लिये ।

11. जिला बाड़मेर में समाज कल्याण प्रवृत्तियों के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

12. राजस्थान प्रान्त में विश्व-विद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा सन् 1975–76 से अतिरिक्त मेरिट-कम-नीड छात्रवृत्ति के बन्द किये जाने के कारण उनमें व्याप्त तीव्र असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

13. मूक बधिर विद्यालय, जयपुर में सीटें नहीं बढ़ाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

14. समाज कल्याण के महकमे को बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. छोटे-छोटे अनाथ बच्चों को सरकार सुरक्षा देने व उनका उत्थान करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये ।

(श्री मूलचन्द डागा)

16. भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये ।

17. छोटे बच्चों के अपराध की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असमर्थता व अयोग्यता पर चर्चा के लिये ।

18. गरीब लड़कियों के साथ धनवान लोगों के अनैतिक व्यापार को न रोकने के कारणों पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

19. गांवों तथा शहरों में शारीरिक रूप से असक्षम अंधों तथा कमा कर नहीं खा सकने वाले व्यक्तियों को सरकारी सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

20. राजस्थान में बहुत से व्यक्ति अपनी आजीविका अंधे, वृद्ध, बीमारी से असहाय होने के कारण कमाने में असमर्थ हैं, सरकार उनको कोई मदद देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण सांलोदिया (निवाई):

21. समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार व उनकी चरित्रहीनता पर चर्चा के लिये ।

22. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

23. अनुसूचित जाति शास्त्री सदन, सांचौर के भवन की मरम्मत एवं छात्रावास को सरकार के कब्जे में लेने की आवश्यकता तथा छात्रावास में सीटें बढ़ाने की चर्चा के लिये ।

24. जिला जालौर में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

25. समाज कल्याण विभाग में 28 प्रतिशत आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस पर चर्चा के लिये ।

26. राजस्थान के किसी भी विभाग में 28 प्रतिशत आरक्षण का ध्यान नहीं रखे जाने और समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई ध्यान नही दिये जाने पर चर्चा के लिये।

27. अनुसूचित जाति व जन-जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को अनुसूचित जाति व जन-जाति कमीशन को स्थानान्तरित करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम):

28. पिछड़ी जाति के आवास हेतु भूमि दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

29. विभाग द्वारा भीलवाड़ा में निर्धन छात्रों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

30. समाज कल्याण विभाग की अकर्मण्यता एवं शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

31. समाज कल्याण विभाग द्वारा

(श्री गोपाल पचेरवाल)
सामाजिक कल्याण की भावना से कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

32. सामाजिक कल्याण हेतु विभाग द्वारा योजनाबद्ध कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) :

33. विधवा एवं वृद्ध बालकों के उत्थान की विभाग द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

34. किशनगंज क्षेत्र में ग्रामीण जनता को सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेन्शन न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

35. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की मौजूदा नीति में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. पिड़ावा क्षेत्र के दलितों एवं हरिजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

37. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

38. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेन्शन देने की प्रणाली पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

39. जनता सरकार आने के बाद छुआछूत व हरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचार खतम करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ) :

40. ताल छापर में हरिजन छात्रावास खोलने एवं चूरू जिला मुख्यालय पर समाज कल्याण अधिकारी को लगाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

41. राजकीय छात्रावास, सुजानगढ़ में आवास व्यवस्था नहीं है, इसकी शीघ्र व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये।

42. राजकीय छात्रावासों में उपयुक्त व्यवस्था के अभाव की चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) :

43. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर होने वाली ज्यादतियों के निरन्तर बढ़ने को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

44. नारी निकेतन, जयपुर में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

45. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व मान्यता प्राप्त छात्रावासों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

46. कमजोर वर्गों की ग्रामीण बस्तियों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा बिजली पहुंचाने हेतु कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़):

47. कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के कल्याण की ओर विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर):

48. राज्य के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

49. समाज कल्याण छात्रावासों में भोजन, वस्त्र तथा आवास की सुविधा बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

50. अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लिये नौकरियों एवं पदोन्नतियों में सुरक्षित स्थानों की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

51. छुआछूत के कानून का और अधिक कड़ाई से पालन कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

52. अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के छात्रों को स्टेट छात्रवृत्ति दिये जाने तथा छात्रवृत्तियां समय पर नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये ।

53. अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के छात्रों को दिया जाने वाला बेकारी भत्ता बिना शर्त दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा):

54. बांसवाड़ा जिला में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के भवन निर्माण कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

55. बांसवाड़ा जिला में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों के भोजन एवं आवास व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व):

56. अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति पूर्व रूप से दिये जाने व हरिजन उत्थान की ओर कदम उठाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

57. गरीब व्यक्ति को सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अधिक अवसर प्रदान कराने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

58. विभाग की अनियमित कार्यवाहियों एवं अव्यवस्था से आदिवासियों के शोषण को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी):

59. जिला झुंझुनूं में समाज कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा),

श्री रंगजी (सपोटरा):

60. ग्राम गढ़-हिम्मत सिंह में हरिजन बस्ती के लोगों को अग्निकाण्ड में हुई क्षति में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता देने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर):

61. समाज के गरीब तबके के छात्र-छात्राओं को हरएक तहसील हैडक्वार्टर पर छात्रावास सुविधा प्रदान करने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतहपुर),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

62. राजस्थान की समाज कल्याण योजनाओं को सुसंगठित और आत्मनिर्भर बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

63. समाज कल्याण विभाग की समुचित योजना एवं परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

64. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, धांधली व अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री बाल कृष्ण यादवी (फलौदी):

65. फलौदी तहसील के लिये समाज कल्याण कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था न होने की चर्चा के लिये ।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन):

66. गरीब तबके के कल्याण के लिये अधिक साधन प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी):

67. वृद्धों को दी जाने वाली सहायता में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

68. मांडलगढ़ उप-जिले में मांडलगढ़ तथा दीगोद में हरिजन तथा आदिवासी होस्टल खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

69. समाज के कमजोर वर्गों में हीनता की भावना के कारण राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृत लाल परमार (डूंगरपुर):

70. सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

71. अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों के लिये रात्रि शालायें खोलकर उन्हें अक्षरज्ञान के साथ-साथ सामान्य ज्ञान कराना तथा स्वाभिमान जाग्रत करने की चर्चा के लिये ।

श्री तारा चन्द (रूपवास):

72. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

73. जयपुर के महिला सदन की अव्यवस्था के कारण 14 महिलाओं के फरार होने के कारणों पर चर्चा के लिये ।

74. समाज कल्याण विभाग की विभिन्न प्रवृत्तियों के परिणामों से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये ।

(श्री भूलचन्द डागरिया)

75. दौसा में अनुसूचित जाति छात्रावास के विद्यार्थियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये ।

76. दौसा में अनुसूचित जन-जाति छात्रावास के अधीक्षक द्वारा विद्यार्थियों के शोषण व छात्रावास की दुर्दशा एवं अधीक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

77. कुंवारी माताओं को समाज में मिलने वाली असहनीय पीड़ा के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

78. समाज कल्याण में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति हों जो शराब न पीने वाले हों और चरित्रवान हों इस पर चर्चा के लिये।

श्री आर. डी. यादव (चौमू) :

79. जयपुर जिले की समस्त पेयजल योजनाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के मोहल्ले में जल व्यवस्था करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

80. राजस्थान में सामाजिक कल्याण योजना में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री पवन लाल (हिण्डौन):

81. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत कोटा पूरा करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

82. जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय चूरू में स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री नरा (मसूदा) :

83. समाज कल्याण की नीति व आचरण में भारी परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. भिक्षावृत्ति उन्मूलन करने से पूर्व उनके जीवन निर्वाह के संबंध में व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हनवंत सिंह राणावत (बाली):

85. समाज कल्याण छात्रावासों में फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को मिटाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय),

श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),

श्री हरि कृष्ण (नदबई):

86. पिछले 30 वर्षों से समाज के पिछड़े वर्ग की दयनीय दशा को सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा):

87. पीपल्दा क्षेत्र के इन्द्रगढ़ एवं मांगरोल कस्बे में समाज कल्याण छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

88. अपाहिज और वृद्धावस्था

(श्री मेघराज पंवार)
पेंशन की राशि बढ़ाये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर):

89. सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक छात्रावास एवं केन्द्र खोलने तथा अधिक धन का प्रावधान कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय):

90. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत दी जाने वाली वृद्ध अवस्था पेंशन में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतहपुर):

91. लावारिसों और अपाहिजों की पेंशन बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा):

92. इटावा में समाज कल्याण होस्टल के लिए सरकारी भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर):

93. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर):

94. पंचायत समिति, रायपुर, जिला पाली क्षेत्र के समाज कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन हेतु चर्चा के लिये ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

95. डेगाना में अनुसूचित छात्रों हेतु छात्रावास बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर):

96. सायला, जिला जालौर में एक समाज कल्याण छात्रावास खोला जाय, साथ ही जालौर के समाज कल्याण छात्रावास में 50 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु स्थानों की वृद्धि की जाय, इस हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

97. समाज कल्याण योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

98. पाली जिले में समाज कल्याण योजना की क्रियान्विति के अभाव पर चर्चा के लिये ।

99. अनुसूचित जाति और जन-जाति के साथ-साथ पिछड़ी जातियों का भी आरंक्षण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर):

100. जिला समाज कल्याण विभाग, श्री गंगानगर की गतिविधियों पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां):

101. सामाजिक कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

102. भील क्षेत्र में ग्राम जसेलागड़ा में असहाय छात्रालय (अनाथ आश्रम) खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

103. आदिवासी कन्या छात्रावास, गलियाकोट व गडावादर (मेरतिया जसेला) में छात्रालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

104. (1) गड़ा जसेला, (2) ओकरी, (3) गरियाता (नादियां), (4) नितर्गी में आदिवासी छात्रावास खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

105. आम जनता में सामाजिक बुराई जो रूढ़ीवादी प्रथा है जैसे दापा व दहेज प्रथा, उन को बन्द कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

106. राजस्थान प्रान्त में महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को राज्य की ओर से बन्द की हुई अतिरिक्त मेरिट-कम नीड छात्रवृत्ति पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

107. राज्य के विभिन्न जिलों में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आये हुए एवं आगामी वर्षों में लिये जाने वाले परिवारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को प्राप्त होने वाली आरक्षण की सभी सुविधाएं राज्य द्वारा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

108. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्गों के अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आरक्षण की सभी सुविधाएं राज्य द्वारा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री माधव सिंह दीवान (ओसियां) :

109. ओसियां के अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावास में सीटें बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये ।

110. तहसील ओसियां में ग्राम बगड़ी में समाज कल्याण का छात्रावास खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

111. बेसहारा वृद्ध, अपंग व्यक्तियों के लिये ओल्ड एज हाउस बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

112. निर्धन और निराश्रित बालकों के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर उन्हें छोटे-छोटे अपराध करने से बचाने पर चर्चा के लिये ।

113. विकलांग बच्चों के लिये शिक्षा व उनके कल्याण के लिये उपयोगी योजनाओं की कमी पर चर्चा के लिये ।

114. गरीब महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाने के लिये सख्त कानून बनाने हेतु व वर्तमान कानून में संशोधन करने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) :

115. हरिजन बस्तियों में नल व बिजली की सुविधा न होने पर चर्चा के लिये ।

116. स्वयं सेवी और राजकीय छात्रावासों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं):

117. सैनिक कल्याण कार्यक्रमों में बजट प्रावधान कम करने पर चर्चा के लिये ।

Page No 75

(75)

(श्री हरजी राम बुरड़क)

118. अनुसूचित जाति के कल्याण के कार्यों में की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये ।

119. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जन-जाति छात्रावासों में बर्ती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

120. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

121. विकलांग विद्यालय, जयपुर के छात्रावास में सीटें बढ़ाने व विद्यालय का विस्तार करने पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगी लाल (जायल):

122. जायल क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाने वाली अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

123. विकलांगों की शिक्षा व कल्याण हेतु योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

124. महिला कल्याण एवं बाल कल्याण योजना की कमियों पर चर्चा के लिये ।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां):

125. वृद्ध व अपंगों को पेंशन मिलने में होने वाली देर एवं उनके लिये आवास उपलब्ध कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर),

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

1. जयपुर जिले की डेयरी सहकारी समितियों का विकास करने के लिये दिये जाने वाले साहाय्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर),

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

2. औद्योगिक सहकारी समितियों में हुए गबन व घोटालों की जांच में देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :

3. भीलवाड़ा जिले में सहकारी समितियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

4. अपेक्स बैंक की गलत कार्यवाहियों पर विभाग द्वारा नियन्त्रण नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री विजय सिंह नवेरा (बान्दीकुई) :

5. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री विजय सिंह नदेरा)

6. दौसा उप-जिला केन्द्र पर सहकारिता सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राम सिंह विश्नोई (लूनी) :

7. राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

8. सहकारी समितियों के पुनर्गठन से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

9. कृषि सहकारी समिति, हरमोडा के कार्यक्षेत्र एवं मनोनीत बोर्ड के संबंध में चर्चा के लिये ।

10. सहकारी समितियों व बैंकों के चुनाव न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

11. सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र नहीं कराने से ग्रामीण जनता में सरकार के प्रति उत्पन्न अविश्वास पर चर्चा के लिये।

12. सहकारी समितियों व सहकारी बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

13. अधिक सहकारी समितियां खोलने के मोह को छोड़ कर जो हैं उन्हें ही प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री **रामकरण सिंह** (कोटपूतली) :

14. सहकारी समितियों के व्यापक गबन और भ्रष्टाचार को रोकने पर विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

15. सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु उनका पुनर्गठन कर नवीन सहकारी समितियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

16. सहकारिता के आधार पर लगाये गये लघु उद्योगों की असफलता पर चर्चा के लिये ।

17. राजस्थान प्रान्त में सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

18. बाड़मेर जिले में श्रम ठेका सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ पूर्ति का साधन हो रही हैं जिसके कारण सहकारिता आन्दोलन को धक्का पहुंचा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

19. नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री अजीत सिंह (टौंक) :

20. सहकारिता के आधार पर नये उद्योग चालू कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

21. केन्द्रीय सहकारी बैंकों को केडर कमेटी के अधीन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अजीत सिंह)

22. बहुउद्देशीय ग्राम सेवा समितियों में व्यवस्थापक के कार्य निर्धारित करने व तनख्वाह के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) :

23. भ्रष्ट सहकारी समितियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

24. सहकारिता के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति व सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

25. फर्जी सहकारी समितियां बनाकर सरकारी धन का गबन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार को सहयोग देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

26. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

27. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने एवं बकाया रकम की वसूली करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) :

28. जिला बैंकों व सहकारी समितियों के चुनाव न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

29. सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

30. सहकारी संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

31. सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

32. आवास सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई राशि नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये।

33. जालोर एवं सिरोही जिले में भंडागार एवं विपणन सहकारी समितियों में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

34. सहकारी कानून के नियमों और अधिसूचनाओं को एकत्रित कर प्रदेश कार्यालय की दुर्व्यवस्था को सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

35. विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के एक भी आदमी को नहीं लेने पर चर्चा के लिये।

36. विभाग में व सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

37. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

38. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, गबन एवं घोटालों के फलस्वरूप उत्पन्न जन-असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

39. पावरलूम उद्योग को कच्चे सूती धागे की उपलब्धि के लिये किशनगढ़ में सहकारी स्पीनिंग मिल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र न कराये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न जन-असन्तोष के बारे में चर्चा के लिये ।

41. ग्राम सेवा सहाकारी समितियों को सक्षम बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

42. जालोर जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों एवं सेवा सहकारी बैंकों की हालत सुधारने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

43. सहकारी आन्दोलन को जिला जालोर में पुनर्जीवित करने एवं सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) :

44. तहसील राजगढ़, जिला अलवर के ग्राम पाटन, ओड़पुर, गढ़ी सवाईराम, बहड़को, परवेणी, रेणी, कलेश्यान एवं खोहरी की सहकारी समितियों में व्याप्त भयंकर घोटालों पर चर्चा के लिये ।

45. राजगढ़ क्रय-विक्रय संघ में खाद, बीज, चीनी व पिलेज के घोटाले के संबंध में चर्चा के लिये ।

46. तहसील राजगढ़ (अलवर) की सहकारी समितियों में भयंकर घोटाले के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री लालसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

47. भूमि विकास बैंकों की चुनाव पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

48. पंचायत समिति मांडल की सहकारी समितियों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

49. सहकारिता के क्षेत्र में गबन को रोकने, कानून की नरमी तथा ऋण वितरण व्यवस्था में सुधार कर ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

50. सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने, ईमानदार समितियों को प्रोत्साहन देने तथा बूंदी जिले की सहकारी समिति द्वारा जिले के समस्त क्षेत्रों में गन्ना उठाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

51. केशवराय पाटन शुगर मिल बोर्ड

(श्री गोपाल पचेरवाल)
का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति मनोनीत करने व शुगर मिल में हुए गबन पर चर्चा के लिये ।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

52. सहकारिता की तीव्र गति के लिये सहकारी विभाग का पुनर्गठन किये जाने एवं राज्य में दो रजिस्ट्रार (एक जयपुर एवं दूसरा जोधपुर में) नियुक्त कर उनके कार्यक्षेत्र का बंटवारा तदनुसार किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

53. सहकारी संस्थाओं में सुधार करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिंडावां) :

54. सहकारी क्षेत्रों में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।

55. झालावाड़ उपभोक्ता भण्डार को सहकारी विभाग द्वारा निरन्तर बन्द करने के प्रयास पर चर्चा के लिये ।

56. सहकारिता की नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

57. सहकारिता के नाम पर एक ही परिवार के लोगों को ऋण देकर भ्रष्टाचार पनपाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

58. केशवराय पाटन मिल, जो सहकारिता के माध्यम से बनायी गई थी, में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

59. बूंदी में सहकारिता के माध्यम से एक सीमेंट कारखाना खुलाने में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

60. रेगिस्तानी इलाकों की सहकारी संस्थाओं में स्टॉफ तथा साधनों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

61. सहकारी बैंकों में फैली अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

62. गृह निर्माण सहकारी समितियों में हुई अनियमितताओं पर तथा नई गृह निर्माण सहकारी समितियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

63. सहकारी समितियों द्वारा खाद तथा बीज आदि वितरित करने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

64. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।

65. सहकारी समितियों व अन्य सहकारी संस्थाओं के शीघ्र चुनाव करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

66. कच्ची बस्तियों में सहकारिता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
के आधार पर मकान पक्के बनाये जाने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

67. जिला सवाई माधोपुर की सहकारी समितियों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

68. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

69. तलाब, लुहावद, बिनायका, अयानी आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जांच एवं ऑडिट कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

70. सहकारिता विभाग की सोसायटीज में गबन की जांच में सरकार द्वारा अपनाये गये गलत तरीकों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

71. बांसवाड़ा जिले में अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हो जाने से भयंकर भुखमरी है उसके बावजूद सहकारी समितियों का ऋण सख्ती से वसूल किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़):

72. गोवटी सहकारी समिति में 80 हजार रुपये के घोटाले एवं गृह निर्माण सहकारी समिति में फर्जी हस्ताक्षर से लोन उठाने तथा कुली गृह निर्माण सहकारी समिति को लोन देने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

73. सहकारी संस्थाओं के चुनाव न कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

74. सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण वसूली में सख्ती बरते जाने पर चर्चा के लिये ।

75. सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

76. भीलवाड़ा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

77. सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने एवं नये परिवेश में परिवर्तन कर सहकार आन्दोलन को लोकोपयोगी बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन):

78. सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री उमराव सिंह (महुवा),

श्री रंगजी (सपोटरा) :

79. भूमि विकास बैंक हिण्डौन द्वारा किसानों को ऋण देने में अनियमितताएं बरती जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

80. देसूरी क्षेत्र में सहकारी समिति

(श्री अचला राम)

में हो रही गड़बड़ी सुलझाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

81. सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने तथा बकाया ऋण की तत्परता से वसूली करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरि सिंह यादव (बानसूर) :

82. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन को अवरुद्ध करने वाली परिस्थितियों एवं सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतहपुर),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

83. राज्य में सहकारी आन्दोलन को तीव्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर) :

84. सहकारी संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता एवं आत्म-निर्भरता प्रदान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

85. सहकारिता में सरकारीकरण के कुप्रयासों एवं कुप्रयत्नों पर चर्चा के लिये ।

86. सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार, धांधली, अनियमितताएं एवं मनमानी पर चर्चा के लिये ।

87. सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाने की समुचित परिकल्पना एवं योजना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण वासवी (फलोदी) :

88. फलोदी तहसील में कार्यरत सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कोई व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

89. सहकारिता के ऋण की वसूली हेतु विभाग द्वारा किसानों से कुर्की कर उन्हें परेशान करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

90. सहकारिता तब ही सफल हो सकती है जब उसमें काम करने वाले सब व्यक्ति शराब मुक्त हों, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

91. सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने एवं कार्य प्रणाली में सुधार हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

92. सहकारिता के प्रसार में नौकरशाही के कारण आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनारायण (धानागाजी) :

93. सहकारी विभाग द्वारा ऋण वसूली में शिथिलता बरती जाने एवं गबन के मामलों पर पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

94. राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव तुरन्त कराने के बारे में चर्चा के लिये।

95. सहकारी आन्दोलन को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयत्नों पर चर्चा के लिये।

96. दौसा क्रय-विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड में गबन घोटालों की विभाग द्वारा जांच नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

97. दौसा क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, दौसा का ऑडिट सन् 1951 के बाद आज तक न होने पर चर्चा के लिये।

98. दौसा क्रय-विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड के प्रति सहकारी विभाग के अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैये व घोटालों पर से पर्दा न उठाने की साजिश पर चर्चा के लिये।

99. दौसा क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड की सदस्य समितियों के सदस्यगण के साथ घोर अन्याय व मनमानी पर विभाग की चुप्पी पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

100. राजस्थान की सहकारी समितियों में घोटाले होने से सभी समितियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर चर्चा के लिये।

101. राजस्थान की सहकारी समितियों के वर्षो से चुनाव न होने एवं एक से ज्यादा सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

102 सहकारी समितियों के सचिवों को समय पर वेतन भुगतान न करने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये

103. भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण देने में धांधली करने एवं गैर कानूनी रूप से भूमियों के विक्रय करने पर विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

104. सहकारिता विभाग के अन्दर फैले भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

105. सवाई माधोपुर जिले की हिण्डौन तहसील की कोआपरेटिव सोसायटियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

106. सहकारी बैंकों से ग्रामीणों को दिये जाने वाले ऋण पर अनुसांगिक व्यय के नाम से काटे जाने वाली राशि के संबंध में चर्चा के लिय।

श्री नूरा (मसूदा) :

107. सहकारी समितियों में सुधार लाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (मिनाय),

श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़),

श्री हरिकृष्ण (नदबई),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

108. ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के नाम पर हो रही खुली लूट में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर),

Page No 83

(83)

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),

श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली),

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर),

श्री जगदीशचन्द शर्मा (रतनगढ़) व,

श्री हरिकृष्ण (नदबई) :

109. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन को सफल बनाये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) :

110. जैसलमेर में केन्द्रीय सहकारिता बैंक शाखा स्थापित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

111. सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु संस्थाओं में चर्चा के लिये ।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय):

112. सहकारिता विभाग में सुधार के लिए सुझावों पर चर्चा के लिये ।

113. सहकारिता विभाग में जांच प्रतिवेदनों का समय पर कड़ाई से पालन न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

114. उदयपुर जिले में सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :

115. सहकारी संस्थाओं का पुनर्गठन किये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) :

116. गृह निर्माण सहकारी समिति, खातोली को मकान बनाने के लिए ऋण दिये जाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

117. मेड़ता चिलिंग प्लाट के अन्तर्गत दूध देने वाली सहकारी समितियां गलत तरीके से बनाने के संबंध में, जिससे पास के इलाके के किसान दूध देने में असमर्थ हैं, की चर्चा के लिये ।

श्री सुख लाल सैंणचा (रायपुर) :

118. सहकारी आन्दोलन में पूंजीपति व गांव के व्यापारी आन्दोलन में घुसकर पिछड़े वर्ग व किसानों पर हावी होने पर चर्चा के लिये ।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डौली):

119. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मनी राम (तारानगर) :

120. सहकारी समितियां में गबन के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

121. बाड़मेर जिले में टेका सहकारी समितियों के विरुद्ध ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर कई आरोप राशि के दुरुपयोग के होने के उपरान्त भी उनके विरुद्ध सहकारी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

122. केन्द्रीय सहाकारी बैंक, झुन्झुनूं के ड्राफ्ट को एफ. सी. आई मान्यता दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री शंकर लाल (जैतारण):

123. सहकारिता शिक्षा के माध्यम से सहकारिता को जन आन्दोलन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

124. सहकारी बैंकों में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

125. गत साल ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलिनीकरण गलत ढंग से व पक्षपातपूर्ण ढंग से करने से व छोटे ग्राम की व छोटी सहकारी समितियों में ग्रामों की बड़ी सहकारी समितियों को मिलाने से जनता में व्याप्त विरोध से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

126. ग्राम सेवा सहकारी समिति पंचायत क्षेत्र के आधार पर होनी चाहिए, इस पर चर्चा के लिये ।

127. ग्राम सहकारी समितियों में फैल रहे भ्रष्टाचार एवं गबन पर चर्चा के लिये ।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (कठूमर) :

128. गंगापुर सिटी पंचायत समिति में श्योरोली ग्राम सहकारी समिति में 30 हजार रुपये के गबन को दबाने पर चर्चा के लिये

129. गंगापुर सिटी क्षेत्र में सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा) :

130. सहकारी भूमि विकास बैंक; हिण्डौन में हुए कतिपय घोटालों तथा अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

131. सहकारी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) :

132. सहकारी समितियों के पुनर्गठन से व्याप्त अव्यवस्था व निष्क्रियता तथा सदस्य संख्या में विस्तार में गतिरोध पैदा होने पर चर्चा के लिये ।

श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

133. राजस्थान में सहकारी समितियों के पुनर्गठन और लेम्पस व पैक्स को जड़ मूल से समाप्त कर पुनः प्रत्येक ग्रामों में सहकारी समितियों का निर्माण तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चर्चा के लिये ।

134. सागवाड़ा, डूंगरपुर आदिवासी ईंटों भट्टा सहकारी समिति लि० की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

135. गृह निर्माण सहकारी समिति कुच्यासनी को बकाया किश्त न देने की चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) :

136. औद्योगिक सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिये।

137. राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव तुरन्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

138. ताल छापर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति की भूमि को गलत तरीके से हथियाने पर चर्चा के लिये।

139. लाडनूं नमक उत्पादक सहकारी समिति द्वारा किये गये गलत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

140. गृह निर्माण सहकारी समितियों; को ऋण देने में की गई मनमानी पर चर्चा के लिये।

141. सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

142. ग्राम सेवा सहकारी समिति, जसवन्तगढ़, तहसील लाडनूं, जिला नागौर द्वारा सूखे मेवे का आयात न कर उसका गबन कर लेने पर चर्चा के लिये।

143. सहकारी बैंक, नागौर द्वारा कुछ कर्मचारियों को सरप्लस कर देने व दूसरे नये व्यक्तियों को नियुक्त कर देने पर चर्चा के लिये।

144. जिला जालौर व भरतपुर में सहकारी समितियों द्वारा सूखे मेवे का आयात करने में घोटाला करने पर चर्चा के लिये।

145. नागौर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नाम से सूखे मेवे का आयात करके कुछ लोगों द्वारा गबन कर लिये जाने पर चर्चा के लिये।

146. नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति की भूमि को गलत तरीके से फर्जी पदाधिकारी बन कर हड़प लेने पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

147. राजस्थान केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर की आडिट रिपोर्ट में फेर-बदल कर भ्रष्टाचार करने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत):

148. सहकारी समितियों तथा बैंकों में जल्दी चुनाव नहीं होने से जनता में फैल रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये।

149. सहकारी समितियां जो किसी व्यक्ति विशेष की कर्जदार हैं उनका कर्जा समय पर अदायगी न करने के कारण चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

150. भीमडियास सहकारी समिति का कहीं रिकार्ड तक नहीं है, इस बावत चर्चा के लिये।

151. मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की बागोर पंचायत में फार्मिंग सर्विसेज सोसायटी का निर्माण कराने बावत चर्चा के लिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

152. मांडल बहु धंधी उद्देशीय सहकारी समिति, मांडल, जिला भीलवाड़ा में हुए भारी घोटालों बाबत चर्चा के लिये ।

श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा):

153. ग्रामीण क्षेत्र में भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने अनियमितता से लेम्पस व पेक्स समितियों को तत्काल रद्द कर भ्रष्टाचार की जांच हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं):

154. सहकारी समितियों के लम्बे समय से चुनाव न कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

155. सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण नीति का सही रूप से पालन न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

156. टाई ग्राम, जिला झुन्झुनूं में ऊंट गाड़ी के ऋण प्रदान करने में सहकारी विभाग में हुए घोटाले पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

157. क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा के भवन में बने कांग्रेस कार्यालय खोले जाने बाबत चर्चा के लिये ।

158. सरदारगढ सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, उदयपुर में क्रय के मुआवजे चुकाने में रुपये 30,000 का जो गबन हुआ, इस पर चर्चा के लिये।

159. क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा में हुए गबन बाबत चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला):

160. ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र बढ़ा देने से इस आन्दोलन में निष्क्रियता आ जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

161. सहकारिता में प्रजातान्त्रिक स्वरूप को समाप्त कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

162. संयुक्त कृषि सहकारी समिति, कुचेरा का अवसायन कर अवसायक द्वारा फर्जी व गलत तरीकों से भूमि की नीलामी तथा समिति की भूमि को नीलाम न कर किसी अन्य व्यक्ति की भूमि नीलाम करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

163. चर्म उद्योग व लघु उद्योग सहकारिता समितियों को वांछित सहयोग न देने पर चर्चा के लिये ।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां):

164. सहकारी समितियों के लम्बे समय से चुनाव नहीं कराने से सहकारी समितियों में शिथिलता आने से कृषकों को समय पर ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

165. सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लम्बे समय से स्थानान्तरण नहीं किये जाने से सहकारी विभाग में व्याप्त शिथिलता के संबंध में चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 33 व 36 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपकी उपस्थिति में मेरे को विचार व्यक्त करने का मौका मिला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे जवाब देवें तब पिछले 8 महीने में जो प्रगति हुई उसको निष्पक्ष रूप से बतायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों में. . . .

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । हर रोज़ यह होता है हमारी असेम्बली की कार्यवाही रात को बारह और डेढ़ डेढ़ बजे तक चलती है । इसलिए हम चाहते हैं कि हर सदस्य का टाइम तय कर दिया जाय । उस समय में वह अपना भाषण समाप्त कर दे । वरना होता यह है कि कुछ सदस्य, जो पहले बोलते हैं, को अधिक टाइम मिलता है और लास्ट में जो रह जाते हैं उनको पूरा टाइम नहीं मिलता । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर सदस्य के लिए टाइम तय कर दिया जाय और वह उसी टाइम पर खतम कर दें तब तो कार्यवाही टाइम पर खतम हो सकती है वरना हम रात को ढाई बजे तक यहां ठहरते हैं और सुबह 6 बजे लोग उठा लेते हैं, यह चल नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रत्येक दल का टाइम निश्चित होता था, लेकिन आज कल हर रोज 12 और 1 बज जाते हैं । विभागीय अधिकारी और सभी लोग परेशान हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक दल का टाइम निश्चित होना चाहिए और यह तय होना चाहिए कि अमुक दल में से अमुक-अमुक व्यक्ति बोलेंगे । पहले भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी । अब भी वही व्यवस्था होनी चाहिए । एक दो दिन की बात तो ठीक है लेकिन पूरे टाइम यह व्यवस्था नहीं चल सकती । 11 से 5 तक के टाइम में बहस समाप्त हो जानी चाहिए ।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में माननीय खेतसिंह जी, माननीय राम नारायण जी और हम सबने निवेदन किया था कि इस व्यवस्था से किसी को ज्यादा टाइम और किसी को कम टाइम मिलता है, इसलिए प्रत्येक को पांच मिनट का समय दे दिया जाय । सभी संक्षेप में बोलेंगे तो कार्यवाही समय पर समाप्त की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि जहां तक आसन का प्रश्न है, मैं पांच मिनट के पश्चात घंटी दबाऊंगा, आसन का संकेत होगा कि कृपया भाषण समाप्त कर दें आधे मिनट में । लेकिन कटौती प्रस्ताव सदन में दो सौ, तीन सौ आते हैं । अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस सम्बन्ध में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुला ली जाय और वह निर्णय कर ले । विपक्ष की तरफ से भी यह सुझाव आया है कि पहले की परम्परा के अनुसार दल के आधार पर समय निश्चित किया जाय । उस नियत समय के अन्दर ही माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें । अगर इस तरह चाहें तो भी व्यवस्था की जा सकती है अन्यथा मैं निवेदन करूंगा कि घंटी बजने के पश्चात माननीय सदस्य आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं लें और अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा सुझाव है कि यह निर्णय हो जाए कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सदन चले तो ठीक होगा। अब तीन बजे चर्चा शुरू हो रही है। यह सब विपक्ष के माननीय सदस्यों के कारण हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने सचेतक महोदय से निवेदन करें। वह विपक्ष से मिलकर जो सुझाव देंगे, वह मुझे मान्य है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये रिपोर्टर्स बंधु रात को 12 बजे तक कार्यवाही लिखते रहते हैं। इनके हाथ सूज रहे हैं, इनकी हालत खराब हो रही है। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक रखें। बीच में जो इन सदस्यों ने मुझे डिस्टर्ब किया वह समय मेरे समय में न जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण प्रारम्भ करें। मैं कार्य सलाहकार समिति को पुनः बुलाकर इस पर और विचार करूंगा। अभी, माननीय सदस्या, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना भाषण शुरू करूं ?

मैं निवेदन कर रही थी कि पिछले आठ महीने की प्रगति समाज कल्याण विभाग द्वारा जो की गई, मंत्रीजी उत्तर देते समय वह स्पष्ट बतायें। पिछले 30 वर्षों में समाज कल्याण विभाग ने कई कल्याणकारी योजनायें बनाईं। बहुत सी राशि खर्च हुई और कुछ लोगों को लाभ मिला। मेरा सीधा आरोप है कि कुछ बड़े लोगों व इन योजनाओं के संचालकों के अलावा किसी को लाभ नहीं मिला। धनराशि का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। मैं मांग करती हूं कि इस विभाग की गतिविधियों की देख-रेख व उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिये रिव्यू कमेटी का गठन किया जाए जिससे स्पष्ट हो कि पिछले दिनों में किस किस तरह के कारनामे हुए। उस कमेटी में समाज शास्त्री, सार्वजनिक कार्यकर्ता, वित्त विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधि हों।

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : क्या आपका कट मोशन इस विषय पर है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाज कल्याण विभाग में अनियमिततायें हुईं उसके लिये मेरा कटौती प्रस्ताव है, मैं उसी पर बोल रही हूं।

72 प्रतिशत या 85 प्रतिशत ग्रांट मिलती है जिसमें 95 प्रतिशत तो खा जाते हैं। ऐसी योजना से क्या लाभ ? हम लोग नियम बनाते हैं उन नियमों में ढील रह जाती है। नियम इसलिये बनाते हैं कि व्यवस्था सुधारी जाये। समाज पर उन नियमों का क्या इम्पेक्ट पड़ता है, यह जाहिर होना चाहिए।

एडवाइजरी बोर्ड भी डिफंक्ट पड़ा हुआ है। उसका चेयरमैन नहीं। मेरा निवेदन है चेयरमैन की शीघ्र नियुक्ति हो। आज सैक्रेटरी ही सब कुछ है। प्रोजैक्ट्स के लिये पैसा कौन लावे ? अनेकों मामले पैंडिंग हैं। जब तक चेयरमैन नहीं होगा कार्य नहीं चलेगा। सैक्रेटरी ही बहुत दिनों से कार्य की देखभाल कर रहे हैं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विभाग व बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिए। बाल कल्याण अधिनियम बना, वह कुछ बड़े शहरों में लागू हुआ। जो जिले छोड़ दिए गए, वहां पर भी लागू होना चाहिए। जहां-जहां लागू किया है वहां प्रगति नहीं। रात को 12-12 बजे तक छोटे-छोटे बच्चे होटलों में काम करते देखे जाते हैं। इसके लिए जो नियम है उसका सुचारु रूप से पालन कराया जाए।

एक अधिनियम और आने वाला है। भिक्षावृत्ति निवारण का। मेरा निवेदन है वह अधिनियम जल्दी आना चाहिए। केवल अधिनियम बनाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस सरकार की तरह से उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने से भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। सबसे गरीब तबका है, गरीब ही हैं जो भिक्षा मांगते हैं। उनको योजनाबद्ध तरीके से बसायें, उनकी कॉलोनीज़ में पानी व बिजली की व्यवस्था करें, किसी रोज़गार में लगायें और अन्त्योदय योजना में लेकर उनको लाभ पहुंचायें।

छात्रावासों की हालत खराब है, छात्रावास केवल लड़कों के लिए हैं। लड़कियों के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था हो।

महिलाओं के कल्याण की बात कही जाती है किन्तु उसके लिए कोई योजना नहीं है। उनके लिए भी योजना बननी चाहिए।

सबसे अभागे लोग हैं कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग। उनको घर वाले भी पास नहीं आने देते। कोई कुष्ठ केन्द्र नहीं है और जो केन्द्र प्राइवेट तौर से चल रहा है, उसको सहायता दी जा रही है, उसमें घपले हैं। उसकी जांच होनी चाहिए।

असहाय विधवायें हैं उनके लिए पेन्शन व रोजगार की व्यवस्था शीघ्र करें। असहाय विधवा कोष के लिए 201) रुपये की राशि मुख्य मंत्री को आज से दो महीन पहले मैं दे चुकी हूं। इस कोष की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आज तक नहीं सोचा गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा हो गया। पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट दें। अपने आदेशों का इनसे पालन करवायें।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : समझ में नहीं आता, क्या परम्परा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन को भी सुरक्षा देनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या लिखित भाषण दे दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये लोग मुझे रोज डिस्टर्ब करते हैं। महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहती हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य बहुत अनुभवी हैं। वे सदन की कार्य विधि को ज्यादा समझते हैं। जब कोई माननीय सदस्या महिलाओं के बारे में बोल रही हैं, तो उसमें बार-बार

(सुश्री पुष्पा जैन)
व्यवधान उत्पन्न करना अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में व्यवस्था दी जाए कि माननीय सदस्यों को किस प्रकार का सलूक करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वे सलूक करना सीखें और जब माननीय सदस्या बोल रही हैं तो बीच-बीच में डिस्टर्ब न करें। नहीं तो जो बात माननीय सदस्या कहना चाहती हैं वह नहीं कह सकतीं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के लिये छात्रावास नहीं हैं और आज जो भी छात्रावास हैं उनकी हालत बहुत खराब है।

विकलांगों के लिये कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाय।

अनाथालयों की हालत आज बहुत खराब है। उनकी व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा उन बूढ़ों को पैन्शन दी जाय जिनका कोई सहारा नहीं है।

(व्यवधान)

इसके अलावा बेरोजगारों को पैन्शन दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

आप स्थान ग्रहण करें, श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी समाप्त कर रही हूं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि निराश्रित बहनों को पैन्शन दी जाय। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगी कि असहाय महिलाओं के बारे में आपने क्या योजना बनायी है? उनके लिये आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो क्यों?

इसी के साथ-साथ मैं गूंगे-बहरों के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगी। उनको भी पैसा मिलना चाहिये। उनके लिये कोई रोजगार की व्यवस्था करने के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाय ताकि वह लोग अपनी आजीविका पूरी तरह कमा सकें।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के सहकारिता मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि सहकारी विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है। जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनमें बुरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सहकारी समितियों के अन्दर भयंकर रूप से घोटाले और गड़बड़ियां हैं। यह सभी, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज्य में अपने लोगों को पालने के लिये खोली गयी थीं। मैं आपको उदाहरण के रूप में पेश करना चाहूंगी। गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसमें करोड़ों रुपयों के आस-पास के घोटाले हैं। उसके खिलाफ में शिकायतें भी की गयीं पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। इसी तरह एक सहकारी समिति है भानपुर कलां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व वासना जैसी समितियां हैं जिसमें लाखों रुपयों की गड़बड़ की गयी है। इसकी काफी बड़ी रिपोर्ट भी है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि इन भ्रष्ट सहकारी समितियों को बन्द किया जाय और इनके खिलाफ में एक्शन लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, ...

(3.01 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति की और भानपुरा कलां व वासना की अलग अलग जांच की जाय। इनमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ घोटाले हैं उनकी जांच करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता में आज जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी में भ्रष्टाचार नहीं है। कानून के अन्तर्गत जो सहकारी समितियां बनाई गयीं उनमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। मैं यह पूछना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब किस वजह से हुआ ? सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सहकारी समितियां बनायी गई थीं और अपने चमचों को पालने के लिये उन सोसाइटीज को ऋण दिया जाता था और वह वापस वसूल नहीं किया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सहकारिता का आन्दोलन भ्रष्टाचार फैलाने वाला है उसमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं। हमारी सरकार यह जानती है कि यह एक अच्छा कार्यक्रम नहीं है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पनपा है। तो ऐसे भ्रष्ट कार्यक्रम को हमें हमेशा के लिये समाप्त कर देना चाहिये। अगर इस सहकारी आन्दोलन को समाप्त नहीं किया गया तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण भ्रष्ट कोआपरेटिव सोसाइटी के कारनामों के निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, फतेह नगर (उदयपुर) में एक संजीवनी सहकारी समिति है। उसको कांग्रेस सरकार के जमाने में सन् 1972 में 32 लाख 80 हजार रुपये का लोन दिया गया, पर वह लोन आज तक वसूल नहीं हो पाया। उस सहकारी समिति के अध्यक्ष, श्री प्रकाशमल आतुर है जो कि कोआपरेटिव अपैक्स बैंक के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने अपनी सहकारी समिति को 32 लाख 80 हजार का लोन दे दिया। आज तक उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व कांग्रेस सरकार अपने चमचों को प्रोटेक्शन देने के लिये और अपने चमचों को पालने के लिये सोसाइटी खोलती थी। सोसाइटीज खोल कर उनके माध्यम से उन्हें पाला करती थी।

(श्री गुल मोहम्मद)

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर सहकारी श्रमिक ठेका समिति बनाई गयी। उसको भी दिनांक 3-8-62 को तीन लाख रुपये का लोन दिया गया था। उससे एक पैसा वसूल नहीं किया गया। मिल बांट कर कांग्रेस के चमचों ने उस पैसे को हजम कर लिया, एक पैसा भी वापस नहीं किया। आखिर में कांग्रेस सरकार ने अपने चमचों के सभी पैसे माफ कर दिये। अपैक्स बैंक द्वारा राज्य सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, इस 3 लाख के कर्ज को, 3 लाख 17 हजार ब्याज को राइट आफ कर दिया। मेरा निवेदन है कि यह हमारे प्रान्त के गरीब किसानों की महनत की पूंजी है, इसे राइट आफ करने का उनको कोई अधिकार नहीं था।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में एक कोआपरेटिव सोसाइटी और थी जिसमें 90 हजार रुपये का लोन दिखाया गया लेकिन किसी को भी लोन नहीं दिया गया और भरतपुर में फर्जी आदमियों के दस्तखत करके उस पैसे को उठा लिया। वह पैसा आज तक वसूल नहीं हो सका है। मेरा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो भी भ्रष्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे और उन से पैसा वसूल किया जाये। जिन लोगों ने फर्जी कार्यवाही की है उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावे।

इसी तरह से एक सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक (अपैक्स बैंक) में बोन्ड छपवाने के लिए नोमीनेटेड मेम्बर्स की कमेटी बनाई थी, वह कमेटी बोन्ड छपवाने के लिए दिल्ली गई और दिल्ली की एक प्रेस को 50 हजार रुपये एडवांस स्वरूप दिये लेकिन न तो आज तक बोन्ड छप कर ही आये और न ही 50 हजार रुपये वसूल किए। इन लोगों ने दिल्ली जाने का टी.ए., डी.ए. भी बैंक से उठा लिया। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो फर्जी कार्यवाहियां कांग्रेस राज्य में होती थीं, लोग सिर्फ सहकारिता के नाम पर राज्य सरकार से पैसे ऐंठते थे और उसी के लिये वह लोग कार्यक्रम बनाते थे उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसी प्रकार मनोहरपुर, शाहपुरा में एक किसान सहकारी समिति बनायी गयी जिसमें 500 बीघा जमीन राज्य सरकार से ली गई थी जो कि मेम्बर्स ने आपस में मिल कर बांट ली। उसमें एक सदस्य जो कमला बेनीवाल भी हैं जो उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री थीं। इनको उस जमीन को आपस में बांटने का कोई हक नहीं था। इन सभी ने मिलकर बहुत गड़बड़ी की। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इन लोगों ने पक्के मकान बना लिए व और भी कई एशोआराम की व्यवस्था की। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने निवेदन किया कि इन सहकारी समितियों की जांच करें और जो भी दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावे।

इसी तरह मावटा ग्राम सहकारी मण्डल को दो लाख रुपये लोन दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोन दिया गया था वह सदस्यों में नहीं बांटा गया और सारा पैसा हजम कर लिया जो अनुचित था।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : कोई लोन नहीं बांटा गया मेम्बर्स में क्योंकि उनको कोई पूछने वाला

(श्री गुल मोहम्मद)
नहीं था । सभी घोटालों की जांच होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें । आपको पांच मिनट से ज्यादा हो गये हैं ।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के काण्डों की जांच होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ग्रोम प्रकाश शर्मा ।

श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज सहकारी समितियों में राजस्थान में करोड़ों रुपये का घोटाला हुग्रा है ।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, इन सहकारी समितियों में खूब भ्रष्टाचार हुग्रा है ग्रौर गड़बड़ियां हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने, माननीय सदस्य, दूसरे माननीय सदस्य का नाम ले लिया है । ग्रब ग्रौर बोलते रहेंगे तो ग्रापका भाषण ग्रंकित नहीं होने के ग्रादेश मुझे देने पड़ेंगे ।

श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा ।

श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में एक कैशोरायपाटन शुगर मिल है जहां पर भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है । इतना ही नहीं उस शुगर मिल ने काश्तकारों का हजारों बीघा में पैदा किया हुग्रा गन्ना ग्रभी तक नहीं खरीदा है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां वर्तमान में 50 हजार एकड़ गन्ना पड़ा हुग्रा है । काश्तकारों को सरकार ने ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया फिर भी काश्तकारों का गन्ना नहीं उठाया गया है । इससे किसानों में भयंकर रूप से ग्रसन्तोष है । उस शुगर मिल के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री पगोरिया हैं । उन्होंने ग्रभी तक काश्तकारों को गन्ने के पैसे दो माह से नहीं दिये हैं । ग्रतः मैं ग्रापसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि शुगर मिल के मैनेजिंग डाईरेक्टर साहब को इस बात के लिये कहें कि वह उन काश्तकारों का पेमेन्ट कर दें ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक मार्केटिंग सोसाइटी बूंदी में है जिसका नोमीनेटेड बोर्ड नहीं है । ग्रतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसका नोमीनेटेड बोर्ड होना चाहिये ।

इसके ग्रलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी में जो शुगर मिल है उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री पगोरिया हैं उन्होंने जब से वहां का कार्य भार सम्भाला है तब से वह शुगर मिल लगातार घाटे में जा रही है । वह काश्तकारों को पैसा भी नहीं दे रहे हैं । उन्होंने शुगर मिल को दिवालिया बना दिया है । मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि उस शुगर मिल को दिवालिया होने से बचाया जाय ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कैशोरायपाटन शुगर मिल के मैनेजिंग डाइरेक्टर साहब ने एक ग्रलग कोग्रापरेटिव शुगर मिल बना ली है जो कि देवली से 24 मील दूर है ग्रौर-ग्राज भी मौजूद है । उसमें पगोरिया के परिवार के कई सदस्य हैं जिनमें एक लक्ष्मी पगोरिया है । श्री पगोरिया की पत्नी है ग्रौर ग्रशोक पगोरिया उनका पुत्र है । इसके ग्रलावा एक कैलाशपुरी है जो कि बूंदी (केशोरायपाटन

(९५)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

शुगर मिल) में नौकरी करते हैं। इसके अलावा कुछ उनके ही आदमी हैं जो कि उस शुगर मिल में मेम्बर हैं। इसके अन्दर और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने शेयर ले रखे हैं। वह भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं या उनके ही आदमी हैं। उसमें किस प्रकार करप्शन हुआ यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। मोलेसेज 1975 में बनाया गया था। ठेकेदार था उससे 9 हजार रुपया रिश्वत ली थी। पुष्पाजी, जो कि जयपुर में प्रधानाध्यापिका हैं, विधवा हैं, को मकान बनाकर दे रखा है। सुन्दर नाम के व्यक्ति के नाम से फोन लगा हुआ है। व्यक्तिगत टेण्डर लिये जाते हैं। टेण्डर खुलने पर नीचे भाव वाले को नहीं दिया जाता है ऊंचे भाव वाले को दे दिया जाता है। राधाकिशनजी आइल मिल के नाम से चार टैण्डर खुले थे लेकिन एक मंजूर हुआ। इस वर्ष भी गोभाराम के चार टैण्डर थे उनमें से एक मंजूर हुआ।

इसके साथ ही बूंदी में एक शुगर मिल और एक सीमेन्ट फैक्ट्री लगायी जानी चाहिये।

बूंदी में आदिवासी छात्रावास है। इन्चार्ज श्री रामदयाल हैं। वे विद्यार्थियों को एडमिशन देते हैं तो एक विद्यार्थी से दो सौ रुपया लेकर एडमिशन देते हैं। माननीय श्री केदारजी मंत्री महोदय बूंदी पधारे थे तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में कई घोटालों की दरख्वास्त दी थी लेकिन अब तक जांच ही नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केन्द्रीय मंडल के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं को लाखों रुपये का अनुदान दिया जाता है। उनकी जांच होनी चाहिये। इन संस्थाओं में चुनाव अब तक कराये जाने थे लेकिन अब तक नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जिन अधिकारियों ने कृपा की उनको अनुदान दे दिया जबकि भ्रष्टाचार के उन पर आरोप थे। सचिव महोदय ने लाखों रुपये की राशि प्राप्त की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली तहसील में करीब 25-26 साल पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से एक छात्रावास खोला गया था। शुरू में जो हालत थी वह आज नहीं है। कोई संस्था तरक्की करती है लेकिन कोटपूतली के छात्रावास में बेढंगा तरीका है। 50 की स्ट्रेंथ है लड़कों की लेकिन केवल एक कमरा लड़कों के लिये है। दूसरा कमरा 20 गज की दूरी पर है दफ्तर के लिये। वार्डन है वह करीब आधा मील की दूरी पर रहता है। यह हालत है। खाने पीने का क्या इन्तजाम है वह देख लें तो मालूम होगा कि पशु भी वह खाना नहीं खा सकते। वार्डन साहब का वहां रहना तो असंभव बात है। माननीय मंत्रीजी उस पर ध्यान दें।

आज समाज कल्याण के जितने छात्रावास हैं वहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के व्यक्ति को लगायें ताकि वह स्वयं निरीक्षण करें और छात्रावास की व्यवस्था में सुधार हो। या तो आपकी साजिश है उनके साथ या आपकी उन लोगों के प्रति घृणा है। उन्हें घृणित दृष्टि से देखते हैं। उनका, माननीय

(श्री रामकरणसिंह)
मंत्रीजी, सुधार करना है तो थोथी बातों से काम नहीं चलेगा। आप यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के व्यक्ति को लगायें। यह मेरा सुझाव है।

आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी है या नहीं ? जो अधिकारी कहते हैं वह आप मान लेते हैं। गरीबों का फण्ड है, अपाहिज और गूंगे हैं उनका यह फण्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कीजिये, लेकिन बेढंग से नहीं। जिन लड़कों को रखते हैं उनको किताबें देने की, उनके रहन-सहन की व्यवस्था नहीं है। उनको वहां पर भेड़-बकरी की तरह से रखते हैं। उनका वार्डन वहां नहीं रहता। वे बच्चे चाहें आवारा बनें, सिनेमा देखें, आपस में लड़ें या मरें उनको कोई देखने वाला नहीं। जनता के पैसे को गरीबों के नाम पर उछालते हैं। आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं तो आपको सख्त कदम उठाने होंगे। जो कमियां हैं उनको आप देखिये। कोई जाता है तो वार्डन के यहां चला जाता है। वह आवभगत कर देता है और खुश होकर लौट आते हैं। इसी मुद्दे को ले लें। बहुत पैसा खर्च करने जा रहे हैं, बड़ा काम करने जा रहे हैं। मकानों के लिये पैसा देते हैं वह बराबर उनको खर्च करना पड़ता है। आपका नीचे का अधिकारी जो बता देता है, उसकी हां में हां आपको मिलानी पड़ती है। ईमानदारी से कहता हूं कि आपके कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद आप भी असलियत को छिपाते हो।

सोसाइटीज़ के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि संस्थायें जो चलाते हैं उनकी मोनोपोली है। वे गलत फार्म भरते हैं। असलियत में जिनके पास पैसा जाना चाहिये उनके पास पैसा नहीं जाता है। वसूली के समय क्या होता है कि नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद अधिकारी और कर्मचारी उस आदमी से जाकर मिलते हैं। देखो, क्या कहते हो, सौदा कर लो। गलत बोन्ड्स के नाम से बकाया निकाल दूंगा, कुर्की ले जाऊंगा। इस तरह की परम्परा बनी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब तक अभियान चलाते रहे हैं, कभी सोसाइटी का अभियान चलाते हैं, कभी नसबन्दी का अभियान चलाते हैं। आप कितने ही अभियान चला दीजिये। असलियत में काम नहीं होता है।

इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। दो ही मुद्दों पर मैंने निवेदन किया है। यदि सही दृष्टिकोण से सोच कर सही दिल और दिमाग से काम किया, तो परिणाम अच्छा निकल सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्षा नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रामकरणसिंह : मैं खुद ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : भूमिका की आवश्यकता ही नहीं रहती है।

श्री रामकरणसिंह : चेयर से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई गजब नहीं हो रहा है। बैठते-बैठते आपने घंटी बजा दी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में समाज कल्याण के मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, विशेषकर निम्न स्तर के लोगों के लिये। विभाग द्वारा संस्थायें चलती हैं, पोषाहार केन्द्र चलते हैं उनमें बहुत गड़बड़ियां होती हैं। स्थान-स्थान पर जो पैसा दिया जाता है पोषाहार के लिये, गरीब लोगों के उस पैसे में से गबन होता है। लोगों को जो मिलना चाहिए मिल नहीं पाता है ......

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कटमोशन हो उसी पर माननीय सदस्य बोलें तो समय की भी पाबंदी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं 5 मिनट से ज्यादा किसी को भी नहीं दूंगा।

श्री विरदमल सिंघवी : इसलिए पोषाहार केन्द्र की देख-रेख के लिए मैं माननीय मंत्री-जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करायें। जांच कराकर पोषाहार केन्द्र के द्वारा जो वितरण किया जाता है उसकी व्यवस्था में सुधार करायें और जो पैसा राज्य सरकार से गरीबों के लिए खर्च होता है उसका दुरुपयोग होता है उसकी देख-रेख करें।

श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि अनाथाश्रम की जो स्थिति है वह बड़ी विचित्र है। जो राशि पहले स्वीकार की गयी थी जिस समय इतनी महंगाई का जमाना नहीं था उसी राशि में आज उनको काम चलाना पड़ता है। इस कारण अनाथ आश्रमों की भी बड़ी दुर्दशा हो रही है। जो अनाथाश्रम के बच्चे हैं उनको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिलती। जब वह भिक्षा के लिए निकलते हैं तो उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसलिये अनाथाश्रमों की दशा सुधारने के लिए वहां योग्य प्रबन्धक रखे जायें, यह मैं निवेदन करूंगा।

श्रीमान्, समाज कल्याण में जो छात्रावास हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए उन छात्रावासों की अवस्था देखी जाये तो छात्रावासों से ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं रहती है। यह बात ठीक है कि अनुशासन में लोग वहां रहते हैं। वहां सफाई की व्यवस्था भी प्रापर होनी चाहिए। छात्रावासों में बहुत छोटे स्थान हैं और छोटे-छोटे छात्रावासों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए मेरा निवेदन है उनकी बिल्डिंग प्रापर हो और उसकी देख-रेख की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कालरशिप मिलती थी और केन्द्रीय सरकार भी स्कालरशिप देती है। अब केन्द्रीय सरकार की स्कालरशिप मिलने वाले विद्यार्थी को राज्य सरकार ने स्कालरशिप देना बन्द कर दिया है। इसके कारण लोगों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। अभी इसी सत्र में भी दो बार यहां पर प्रदर्शन करने जोधपुर नगर से विद्यार्थी आये थे। इसके कारण उनमें बड़ा असन्तोष

(श्री बिरदमल सिंघवी)

फैल रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार से भी केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके, उनको वापस स्कालरशिप राशि दिलाने का प्रयत्न करें जिससे छात्रों की पढ़ाई आदि का प्रबन्ध ठीक तरह से हो सके । स्कालरशिप समाप्त करने से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करते हुए कृपया बिराजिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नागरिक सुरक्षा, कल्याण और सहकारिता की मांगों पर मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव रखे हैं । सामाजिक सुरक्षा के विषय पर विचार सदन के समक्ष रखने के पहले मैं अन्त्योदय योजना के ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूं । अन्त्योदय योजना को राज्य सरकार बहुत ही महत्व दे रही है । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन परिवारों का आप चयन करके वास्तव में मदद करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था की जाये कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ मिलते हैं वे सभी लाभ उनको भी मिलें । इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । उस सम्बन्ध में एग्जामिन कर लें कि किस प्रकार का लेजिस्लेशन बने । लेजिस्लेशन में परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन करें । उससे यह स्थिति पैदा होगी कि आरक्षण के सारे लाभ उन्हें प्राप्त हो जायेंगे-छात्रावास का लाभ प्राप्त हो जायेगा, सर्विसेज के लाभ हो जायेंगे, प्रमोशन के भी लाभ हो जायेंगे । अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले लाभ उन्हें प्राप्त होंगे तो वास्तव में जिन परिवारों को गरीबी की रेखा से आप निकालना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे ।

दूसरी समस्या मेरे सामने यह आई, मेरे ख्याल से राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी यह समस्या होगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों के लिए मकान नगरों में लोग किराये पर नहीं देते । बाड़मेर शहर का मुझे अनुभव है । दूसरे जिलों में भी यह समस्या होगी । वह क्यों नहीं देते ? वह इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनके दिमागों में अभी तक भी छुआछूत की भावना है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जिन मकानों की छात्रावासों के लिए आवश्यकता है उनको रिक्वीज़ीशन करके किराये पर लिया जाना चाहिए, तभी आप भवनों की छात्रावासों के लिए व्यवस्था कर सकेंगे । आप एक फेज प्रोग्राम बनायें कि जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास हैं उनके भवन राज्य की ओर से बनाये जायें । साथ में जब किराये के मकान की आवश्यकता हो तो रिक्वीज़ीशन की व्यवस्था करके उनको मकान दिलायें । आपने छात्रावासों की संख्या बढ़ा दी, यह तो अच्छा कदम उठाया है । बाड़मेर में और दूसरे स्थानों पर भी अच्छा कदम उठाया है, लेकिन छात्रावासों की मकान की समस्या है । इसलिये रिक्वीज़ीशन करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं ।

तीसरी बात जो मेरिट-कम-नीड छात्रवृत्ति दी जाती है उसके बारे में है । 1975 में यह हमारी राज्य सरकार की ओर से दी जाती थी और केन्द्रीय सरकार की ओर से भी दी जाती थी । महाविद्यालय के विद्यार्थियों को दो छात्रवृत्तियों का लाभ हो जाता था, केन्द्र की छात्रवृत्ति का लाभ हो जाता था और राज्य

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सरकार की छात्रवृत्ति का भी लाभ हो जाता था। अब केवल केन्द्रीय सरकार से ही छात्र-वृत्ति मिलती है। केन्द्र और राज्य दो कीनो मिलाकर जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उससे अब जो केन्द्र से मिल रही है वह कम पड़ती है। मेरा निवेदन है कि स्कालरशिप बढ़ानी चाहिए। स्कालरशिप सिर्फ केन्द्र से मिलती है वह कम मिलती है, इसलिए उसमें असन्तोष है। केन्द्र से तो आप इसकी राशि बढ़वा नहीं सकते, क्योंकि केन्द्र का प्राविजन सारे हिन्दुस्तान के लिये समान है। इसलिये आप पहले जैसे मेरिट-कम-नीड स्कालरशिप देते थे, मान लें कि आप 45 रुपये पर मन्थ देते थे, उसे चाहे आप 30 रुपया ही कर दें, लेकिन यह स्थिति तो आप पैदा कर दें कि जो पहले मिलती थी उससे अधिक मिले। यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

हरिजनों के सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहिए। इस प्रथा के बन्द करने के लिए नगरपालिकाओं का आपको चयन करना पड़ेगा। उनको साधन देने पड़ेंगे, और मदद भी देनी पड़ेगी तब जाकर यह व्यवस्था समाप्त हो सकती है। बहुत से साधन नगरपालिकाओं के पास हैं। यह भी स्थिति है कि साधन उनको उपलब्ध करायें तो भी वह उनका उपयोग नहीं करते। इस प्रथा को बन्द करने की कोशिश करनी चाहिए।

सहकारिता के बारे में दो ही सुझाव देना चाहूंगा। जो श्रमिक ठेका सहकारी समितियां बनी हुई हैं, बाड़मेर का मुझे अनुभव है, अगर आप श्रमिक ठेका सहकारी समितियों की जांच करायें तो मैं कहता हूं कि 80 पर्सेन्ट बोगस संस्थायें आपको मिलेंगी। बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने श्रमिक ठेका सहकारी समितियां बना दी हैं। जो मजदूर नहीं हैं उन्होंने भी श्रमिक ठेका सहकारी समितियां बना दी हैं और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ इन्डिविजुअल पर्सन्स की वह श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं। जब पंचायतों के बारे में आपने इतना ठोस कदम उठा लिया तो मैं करप्ट तबके को सपोर्ट नहीं करता, इसलिये मैं चाहता हूं कि जो इस प्रकार की श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं, उनको भी सख्त कदम उठाकर समाप्त करें।

दूसरी चीज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं, उनका विकास करने में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेन्ट ने असफलता प्राप्त की क्योंकि इण्डस्ट्री और डिपार्टमेन्ट में कोआर्डि-नेशन नहीं है। मैंने इस संबंध में प्रश्न भी पूछा था। 15 हजार लघु उद्योग स्थापित किये गये थे। नागौर के अन्दर वह असफल रहे। 80 प्रतिशत असफल रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गृह उद्योग को आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो उन उद्योगों का विकास करने के लिये आवश्यक है कि उसमें जो सहकारिता का दृष्टिकोण नहीं है, उसमें उद्योग विभाग का कोआर्डि-नेशन नहीं है, वह हो ताकि डेमोक्रेटिक वे में सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग पनप सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा । मेरा नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा। अब आपका नाम है। आपका नाम दसवें नम्बर पर है।

एक माननीय सदस्य : संयोग की बात है।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय ,

चाट रहे हैं झूठे पत्तल कहीं पर खड़े हुए।
झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए ॥

यह बहुत बड़ी बात है, बड़ा कलंक है आपके ऊपर। इस विभाग की प्रगति रिपोर्ट नहीं। कौन रिपोर्ट पेश करे ? मैंने कहा था, बन्द कर दो इस महकमे को। अन्त्योदय योजना, केवल भैरोंसिंह शेखावत की अन्त्योदय योजना आ गई। अन्त्योदय योजना में जो लोग आयेंगे उनको आप मदद देंगे या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मदद आप देंगे ? इसको एग्जामिन करिये। आपकी जो अन्त्योदय योजना है समाज के अन्तिम व्यक्ति को उसमें लेंगे। राजस्थान में 1.75 लाख भिखारी हैं उनका उत्थान कर दीजिये। इनको क्यों धक्के देते हैं। अन्त्योदय योजना में जिन लोगों को लेंगे उनमें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में किस प्रकार से तालमेल बैठायेंगे ? अलाटमेन्ट आफ लैण्ड जमीन का बंटवारा, यह सारी बातें आप सोच कर करें। अन्त्योदय योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं तो समाज कल्याण विभाग बन्द कर दीजिये। अन्त्योदय योजना विभाग इसका नाम रख दीजिये। भैरोंसिंह शेखावत का नया नाम चलेगा। समाज कल्याण विभाग का कोई लाभ नहीं है। यह कौन सी पालिसी है सरकार की ? 19 मार्च के दिन, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, राजस्थान में विकलांग दिवस नहीं मनाया गया। सारे वर्ल्ड में मनाया गया। आपने कितने विकलांगों को नौकरी दी है ? समाज कल्याण मंत्री बता दें। जो आदमी रेल से कट जाता है, उसे रुपया नहीं मिलता है, हवाई जहाज दुर्घटना से मरता है तो लाखों रुपया मिलता है। अभी मधुदण्डवते ने दिलवाया है। राजस्थान का मुख्य मंत्री बार-बार कहता है, भूखा नंगा राजस्थान मिला है। कितने विकलांगों को आपने नौकरी पर लगाया ? कितने गरीब आदमियों को आपने राहत पहुंचाई ? छात्रावासों में सात पैसे प्रति छात्र सब्जी के लिये देते हैं। इसको बढ़ाने की क्या हिम्मत की ? मैं चाहता हूं, इस तरह की बात न करें। आज समाज कल्याण के द्वारा लोगों के कल्याण की बात ही नहीं है। अब तो चरणसिंह . . .

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : क्षमा चाहूंगी, इन्टरवेन्शन के लिये। प्रश्न जो माननीय सदस्य रेफर कर रहे हैं, वह मैंने बताया था कि 10 पैसे था। पिछली सरकार का बनाया हुआ नियम है। यह सरकार के अन्डर रिवीजन है जो दो महीने में हो जाने की सम्भावना है।

श्री **मूलचन्द** डागा : 8 महीने में 10 पैसे कर दिया, तो 10 पैसे में पेट भरेगा ? यह समाज कल्याण विभाग लोगों के कल्याण का विभाग नहीं रहा। चरणसिंह का स्टेटमेन्ट है। वे साफ कहते हैं Mr. Charan Singh said that it is demoralising. हरिजनों की सुरक्षा की जाये। हाई कोर्ट के जजमैन्ट आने लग गये हैं। Carry forward of a post without limitation invalid. यह आपका रोस्टर सिस्टम खतम। यह राज कांग्रेस का नहीं है। यह सामंतवाद का राज आया है जिसने कोर्टों का दिमाग बदल दिया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

प्रधान मंत्री ने दिमाग बदल दिया है। इसके अन्दर कुछ होने का नहीं है। हरिजनों

(श्री मूलचन्द डागा)

की महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। रोज अखबारों में देखता हूं, सरपंचों द्वारा बलात्कार। 19 मार्च को गंगानगर में हरिजन महिला के साथ बलात्कार। गरीबों के साथ ही क्यों बलात्कार ? इससे क्रांति आयेगी। वे अपने अधिकार छीनेंगे। यह अन्त्योदय योजना एक ढकोसला है। समाज कल्याण विभाग चल रहा था इसके नियम थे। अन्त्योदय योजना के नियम नहीं, कानून नहीं। अब आप यह बतायें जब कभी जमीन अलाट करेंगे, अन्त्योदय वालों को देंगे या अनुसूचित जाति वालों को देंगे ? आप प्लाट किसे अलाट करेंगे ? नौकरी के अधिकार किसको देंगे ? अन्त्योदय योजना में सब भिखारियों को ले लो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम नारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की मांग के ऊपर मैंने कटमोशन्स दिये हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कटमोशन्स को पढ़ लीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : यही मैंने सोचा है।

बहुत दिनों से संजो कर इतने अखबार रखे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के ऊपर हमारा रोष है, आक्रोश है और वह इसकी कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है। मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से, समाज कल्याण में कितना खर्चा व्यवस्था पर होता है और कितना खर्चा गरीब पर होता है ? मैं तो यह कहता हूं कि समाज कल्याण विभाग को बन्द कर देना चाहिये। समाज कल्याण विभाग का कोई औचित्य नहीं है। हमारे ऊपर जो अफसर बैठे रहते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। यह समाज कल्याण विभाग नहीं है। यह विभाग किस समाज का कल्याण करता है ? अपने आपका कल्याण करता है। कौन माई का लाल समाज कल्याण कर रहा है। समाज कल्याण को धोखा देते हैं। हमारे नाम पर पैसा खाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर हाकिम बैठे हुए हैं। एक ठाकुर साहब के पास एक घोड़ी थी, आधा किलो दाना मुश्किल से उसे देते थे। घोड़ी दुबली हो गई तो ठाकुर साहब ने कहा, एक किलो और दे दो। अब दोनों मिलकर एक किलो खाने लगे। फिर घोड़ी दुबली हो गई तो एक किलो और बढ़ा दिया। कब तक बढ़ाते जाओगे ? कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकते जावोगे। समाज कल्याण विभाग कोई काम नहीं करता है। मैं चाहता हूं, इसको बन्द कर देना चाहिये। इसके आफिसर न जाने अपने आपको क्या समझते हैं। मैं उनके लिये निवेदन करना चाहता हूं, इस समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर के बारे में मेरे पास सब मसाला है लेकिन मैं क्या कहूं, कैसे कहूं और क्या करूं। एक साल में पांच मिनट में क्या कहूं, आप अन्दाज लगाइये। समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर के खिलाफ अखबारों में आता है। क्या गवर्नमेन्ट ने उनकी कभी तलाश की ? गवर्नमेन्ट ने क्या कार्यवाही की उस आफिसर के खिलाफ, जो इस विभाग पर कुण्डली मारे सांप की तरह बैठा हुआ है। जो डाइरेक्टर करप्ट है, वह समाज का क्या भला करेगा और क्या काम करेगा ? वह तो हमारी छाती पर मूंग दल रहा है . . .

एक माननीय सदस्य : मंत्री लोगों का प्रोटेक्शन है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है । आपने पढ़ा होगा अखबार में, अभी महिला सदन में क्या हुआ । वहां हमारी 100 बहिन बेटियां रहती हैं । समाज कल्याण विभाग का जो इंचार्ज है उसने उसे करप्शन का अड्डा बना रखा है । हम 56 आदमी बैठे हैं, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । हमारी बहिन-बेटियों की तरफ जो बुरी नजर से देखेंगे हम उनकी आंखें निकाल लेंगे–पिट्टी न पिट्टी का सौरवा । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं यह अखबार है जिसमें लिखा है "समाज कल्याण विभाग के उप-निदेशक, विश्वेन्द्र नाथ गुप्ता व जिलाधीश आंगन वाडी में गोपियों के कृष्ण कन्हैया । कई उच्च अधिकारी रंगरेलियों में लीन ।" क्यों है यह रंगरेलियों का साधन ? क्या इन्हें इसीलिये रखा है कि हमारे जीवन की रक्षा न करें ? कौन है यह बदमाश ? इसको मैं देखना चाहता हूं और मैं उसकी आंखें निकालना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, "14 महिलाओं के भागने पर महिला सदन की अधीक्षिका निलम्बित", यह अखबार में आया हैं । "नगर विकास न्यास से लेकर समाज कल्याण तक भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार काण्डों की जांच हो" । यह उद्धरण है अखबार का । "के. एम. सहाय व मोहन छंगाणी की आधुनिक तिलश्मी अप्सरा ऐलिश बनाम क्रिस्टन किलर को लाखों का अनुदान" यह भी उद्धरण है अखबार का । "भ्रष्ट अधिकारी सहाय और पगोरिया पर शेखावत का धमाका" यह धमाका कब होगा ? यह भी अखबार का उद्धरण है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट । तो उद्धरण पढ़ दूं ।

एक माननीय सदस्य : ये अच्छा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये । आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उन्हें मैं सुन रहा हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "समाज कल्याण विभाग काण्ड", सहायक निदेशक (प्रचार) सरप्लस" ? "20 सूत्री कार्यक्रम की डाक्यूमेन्ट्री फिल्म 25-3-77 के बाद भी क्यों खरीदी गई ?" जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद भी 20 सूत्री कार्यक्रम की फिल्म खरीदते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "इस हाथ दे तो उस हाथ ले – कलंकित विभाग का कलंकित चेहरा–के. एम. सहाय" ।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छी बात कह रहे है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर पेश कर रहा हूं – "समाज कल्याण निदेशक के. एम. सहाय कलंकित विभाग का कलंकित चेहरा"–यह दूसरा उद्धरण है ।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री जी बैठे हैं, इनको सम्भालते जाओ . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जयनारायण सालोदिया : दो-तीन अखबार और रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सस्दय, इन अखबारों की सूची बनाकर मंत्री महोदय को दे दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शरीर में भी आग है, हम भी इन्सान हैं । हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत लूटने वालों को हम किसी भी हालत में बर्दास्त नहीं करेंगे । हमारे तीन मंत्री हैं और हम 56 सदस्य हैं । हम सब गवर्नमेन्ट बनाने वाले हैं । अगर हमारे साथ जिस तरह का जुल्म, अत्याचार पिछली सरकार ने किया, उसी तरह इस सरकार ने किया तो हम कत्तई बर्दाश्त नहीं करेंगे । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारी सुरक्षा करें, रक्षा करें, और हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत की रक्षा करें । हमने समाज कल्याण का महकमा इसलिये बनाया है । लेकिन ये मुस्टन्डे बजाय हमारी रक्षा करने, सुरक्षा करने के हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते है, उनके साथ रंगरेलिया करते हैं ।.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसी के साथ एक मिनट के लिये और निवेदन करना चाहता हूं । आपकी महरबानी से सहकारी विभाग के लिये भी निवेदन करूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत कह चुके हैं ।

श्री जय नारायण सालोदिया : एक मिनट दे दें, आपकी बड़ी कृपा होगी ।

सहकारिता विभाग के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह समाज कल्याण विभाग का छोटा भाई है । सहकारिता विभाग में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलवाला है । ऐसे अधिकारियों को जो महकमा दिया जाता है, मैं समझता हूं ये उस पर सांप की तरह कुण्डली लगा कर बैठ जाते हैं । मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता विभाग में जितने ए. आर. के प्रमोशन हुये हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक आदमी को भी प्रमोशन नहीं मिला है । फिर भाई-भतीजावाद चल रहा है । 74 से आज तक एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति को इस डिपार्टमेन्ट ने नहीं लिया है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आकांक्षा रखता हूं कि आप इस डिपार्टमेन्ट का ठीक तरह से आर्गेनाइजेशन करेंगे । यदि आप लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं तो हमारा भी आपके साथ कोई सहयोग नहीं होगा । यदि न्याय करते है, हमारी मांगों का उचित आदर करते हैं तो हम आपके साथ हैं और हम आपके हर एक्शन के साथ हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

(अनुपस्थित)

श्री समरथ लाल ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार ने सभी विभागों के अन्दर कर रखी है, किन्तु खास तौर से समाज कल्याण विभाग, जो केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सुरक्षा करता है, के अन्दर आरक्षण नहीं दिया गया है ।

(श्री समरथलाल)

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा राज्य सरकार में जितने सरकारी विभाग हैं और गैर सरकारी विभाग हैं, उन विभागों के अन्दर सरकारी नौकरी देने के अन्दर और भर्ती करने के अन्दर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह मांग करूंगा कि राजस्थान सरकार के जिन विभागों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है उनके लिये एक आयोग बैठाया जाय और विभागाध्यक्षों के खिलाफ इस बात की कार्यवाही की जाय कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण का कोटा, जो 28 पर्सेन्ट निश्चित किया गया है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? राज्य सरकार ने, मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, 10-2-75 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिये, पदोन्नति और नियुक्तियों के अन्दर आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसके किये जो कुछ भी नियम बनाये हैं वह नियम सचिवालय के नियमों के अनुसार और उनके आधार पर ही बना दिये गये हैं। वह नियम ऐसे बनाये गये जिनके आधार पर इन लोगों को 1 पर्सेन्ट भी फायदा अभी तक नहीं हो पाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार के जो नियम हैं उनके अन्दर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। बिना पाबन्दी के जो व्यक्ति आरक्षण के अन्दर आते हैं वह नियुक्त किये जाते हैं और जो व्यक्ति आरक्षण के अन्दर आते हैं उनकी पदोन्नति की जाती है, लेकिन हमारी राज्य सरकार के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के आधार पर इन लोगों को कोई फायदा नहीं होता है और यह आरक्षण एक प्रकार से ढकोसला-सा रह गया है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जन-जाति की घनी आबादी के जो क्षेत्र हैं उनको एक कमीशन के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये और उनकी व्यवस्था भी उसके अन्तर्गत की जानी चाहिये।

दूसरा, मैं कोआपरेटिव विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने जो कट मोशन्स दिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वही कट मोशन्स मैंने पिछले सत्र के अन्दर भी दिये थे। यह कट मोशन्स दुबारा इसी सत्र के अन्दर इसलिये देने पड़े कि उनका निराकरण राज्य सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि राजगढ़ तहसील में जितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके अन्दर मेरे हिसाब के अनुसार एक करोड़ का घोटाला है। ग्राम पाटन की जो सहकारी समिति है उसमें 80 हजार का घोटाला है, ओड़पुर की जो सहकारी समिति है उसमें एक लाख का घोटाला है, गढ़ी सवाईराम बहड़कों की जो समिति है उसके अन्दर 84 हजार का घोटाला है, परवेणी समिति के अन्दर 60 हजार का घोटाला है, और इसी प्रकार रेणी के अन्दर करीब 40 हजार का घोटाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि इस सदन के माननीय सदस्यों की प्राक्कलन समिति गई थी उसने राजगढ़ के अन्दर साढ़े सात लाख के घोटाले निकाले थे। उसके 21 माननीय सदस्य गये थे। उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह समाज कल्याण विभाग घोटालों का विभाग है और यह जो सहकारी समितियों का विभाग है यह भी घोटालों का विभाग है। यह दोनों भाई और बहन हैं। तो मेरा यह निवेदन है

(श्री समरथलाल)
आपकी मार्फत राज्य सरकार को कि इस प्रकार के जो घोटाले हैं इनको दूर किया जाना चाहिये । और अलवर जिले ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट मैं, उपाध्यक्ष महोदय, और लेना चाहूंगा ।

सहकारी समितियों के अन्तर्गत अलवर जिले में करीब 11 करोड़ रुपये का घोटाला है और भरतपुर जिले में करीब 9 करोड़ के घोटाले हैं । यह रकम ऐसी रकम है 20 करोड़ रुपये की जिसका कि पता नहीं कि किस व्यक्ति के पास है, किस संस्था के पास है। इसकी आज तक विभाग कोई जानकारी नहीं कर रहा है। इस विभाग के जो अधिकारी हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वे उसकी जानकारी नहीं कर पाये हैं। मुझे यह विश्वास इसलिए होता है कि पिछले वर्ष भी मैंने यह कट मोशन्स दिये थे और फिर इस सत्र में बाध्य होकर यही कट मोशन्स देने पड़े । मैं आशा करूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवल राय बच्चाणी ।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (गांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिये मैं कुछ सुझाव देता हूं ।

जीवन में सब बढ़ें और सबको अवसर प्रदान किया जाय । इन्सान के जीवन में बढ़ने के, विकसित होने के अनेक अवसर आते हैं लेकिन साधनों के अभाव में वे यों ही रह जाते हैं । गरीब का लड़का गरीब बने, अमीर का लड़का अमीर बने, पैसे वाले का लड़का पैसे वाला बने और अधिकारी का लड़का अधिकारी बने-यह जरूरी नहीं है । गरीब चाहता है कि वह भी पैसे वाला बने, लेकिन जैसे पैसे वाले का लड़का पैसे वाला बनता है और अधिकारी का लड़का अधिकारी बनता है, उस तरह से वह नहीं बन सकता है। क्योंकि उसके पास वह साधन उपलब्ध नहीं है जो कि दूसरों के पास हैं। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे निर्धन छात्र हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा साधन जुटाये जायं ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि राजस्थान सरकार ने देश में बेकारी और भूखमरी मिटाने की बात स्वीकार की है । हमारी सरकार इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहती है और बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना चाहती है तो सहकारी क्षेत्र के अन्दर कार्य हो ।

समाज में असमानता संघर्ष का आधार है। विगत सदियों से समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था के कारण पैसे वाला अधिक पैसे वाला बना और गरीब अधिक गरीब बनता गया । एक तरफ तो पैसे वाला अपने साधनों से दुनिया भर के महल खड़ा करता गया और दूसरी तरफ गरीब आदमी को अपना खून-पसीना एक करने के बाद भी रोटी तक उपलब्ध नहीं, शिक्षा और चिकित्सा की उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ तो पूंजीवादी व्यवस्था है और दूसरी तरफ असन्तोष है । तो उस असन्तोष को दूर करने के लिए सहकारी क्षेत्रों की यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

भूमिका लाई गई है। देश की आजादी से पहले भी सहकारी क्षेत्र में काम हुआ था लेकिन देश की आजादी के बाद सहकारी क्षेत्र ज्यादा पनपा है। उसको एक मूवमेंट की तरह चलाया गया। उसमें यह बात कही गई थी कि इससे हमारे देश का उद्धार होगा, मगर आपने देखा कि वह योजना कैसी थी। यह बात निश्चित है कि चरित्रवान, ईमानदार और निष्ठावान लोगों के अभाव में यह योजना फेल हो गई।

अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को। सरदारगढ़ सहकारी समिति में 30,000 रुपये का गबन हुआ है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट है लेकिन अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें कार्यवाही करें।

इसके साथ ही उदयपुर जिले की प्रसाद ग्राम सहकारी समिति है उसमें 50 हजार का घोटाला हुआ। इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट की, लेकिन वहां पर जो ए. आर. हैं, मैं आपके माध्यम से आरोप लगाता हूं कि वह ठीक व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

इसके साथ ही मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, आमेठ क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने शक्कर का घोटाला किया। शक्कर की उदयपुर से रसीद कटी है जो कि मेरे पास है लेकिन उसका क्रेडिट सहकारी समिति के खातों में नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उसके बारे में कार्यवाही की जाय।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति है उसके अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। 24 आदमी पकड़े गये थे मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की गई।

मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा की बिल्डिंग के अन्दर कांग्रेस का कार्यालय है। उस कार्यालय की बिल्डिंग कोआपरेटिव सैक्टर में बनी है। उसके अन्दर किस प्रकार से आफिस खोला गया है और किस प्रकार से वह बिल्डिंग भेंट की गई है इस सारी कार्यवाही की जांच हो, और यह भी जांच की जाय कि उस बिल्डिंग का पैसा आया कि नहीं। तो इन सारे मामलों की जांच हो। विगत सरकार ने यह सारी कार्यवाही नहीं की है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सारे मामलों में कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इस कार्यालय के बारे में जांच हो।

इसके अलावा मेरा सरकार को सुझाव है कि सहकारी क्षेत्र में देश की आजादी के पश्चात् जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की जाय जिसमें जिला जज के समकक्ष पांच सदस्य सम्मिलित किये जायं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

(श्री रामप्रसाद लडढा)

जिसके द्वारा यह जांच हो। अगर आयोग नियुक्त न करें तो जांच की व्यवस्था डिपार्टमेंट के थ्रु होती है तो ठीक जांच कुछ नहीं होती है। ठीक जांच इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उच्च अधिकारी से लेकर नीचे तक के अधिकारी और कांग्रेस के नेता लोग आपस में मिले हुए रहते हैं। यह विभागीय जांच तुरन्त खतम की जाय, और उसकी जगह आयोग बैठाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही हो, ताकि इस मूवमेंट का लाभ देश को मिले।

यही बात कह कर मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश शर्मा।

श्री हरिश शर्मा (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति के गबन व घोटाले को सहकारी समिति कहें तो उचित ही होगा। इस कानून से गबन करने वाले का कुछ नहीं होता और जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं, वे भी इसमें संलग्न है। उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसी ही दर्दनाक घटना मैं आपके जरिए इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि आपातकाल के दौरान हुई। ऐसी दर्दनाक घटना और कहीं नहीं हुई। ग्राम भावपुरा तहसील रामगंज मंडी में नन्दा चमार है उसने न्याय के लिए इन्तजार करते-करते अपना दम तोड़ दिया। हुआ यह, श्रीमान्, उसने ऋण लिया भूमि विकास बैंक से तीन हजार रुपये का 12 बीघा जमीन पर कुआ खोदने के लिए। एक हजार रुपये की किश्त उसने जमा करायी। धीरे-धीरे वह दो-दो सौ रुपये जमा कराता था। लेकिन भूमि विकास बैंक वालों ने आपातकाल के दौरान एक मुश्त रकम जमा कराने के लिए उसको नोटिस दे दिया। श्रीमन्, आपातकाल के दौरान जहां एक ओर भूमिहीनों और अनुसूचित जन-जाति और जाति के लोगों को जमीन दी जा रही थी, वहां दूसरी ओर उस हरिजन की जमीन बेच दी गई। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 43 के अन्तर्गत कोई भी, श्रीमान्, शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की जमीन को नहीं बेच सकता है। परन्तु कानून की अवहेलना कर के उसकी जमीन को नीलाम कर दिया गया। उसकी जमीन की नीलामी के आदेश निकाल दिये गये। अध्यक्ष महोदय, उस भूमि विकास बैंक द्वारा उसकी जमीन की नीलामी के जो आदेश निकाले गये वे कानून के अनुसार एक माह पूर्व भावपुरा, पंचायत मुख्यालय एवं तहसील में लगने चाहिये थे। परन्तु ऐसे कोई पोस्टर या सूचना उन स्थानों पर नहीं लगाई गई और चुपचाप उस जमीन की नीलामी 21-4-76 को विक्रय अधिकारी ने कर दी। इस सूचना पर गांव वालों के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, नीलामी लगाने वाले के नाम लिखे जाने चाहिए थे परन्तु ऐसी कोई सूचना जमीन की नीलामी की नहीं निकाली गई। जो नीलामी की बोली लगाने वाले होते हैं, उनके हस्ताक्षर भी कराये जाते हैं परन्तु किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। उस जमीन को पांच हजार रुपये मात्र में नीलाम कर दिया गया जब कि वह 21 हजार रुपये की जमीन थी। उस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं था परन्तु विक्रय अधिकारी ने मिलीभगत कर के नंदा चमार की उस जमीन का विक्रय कर दिया। श्रीमन्, नन्दा चमार ने उसकी शिकायत रक्षा मंत्री जगजीवन राम, तत्कालीन सहकारी मंत्री हीरालाल देवपुरा को की। उन्होंने

(श्री हरिश शर्मा)

आदेश भी कर दिया। वह जिलाधीश से भी मिला। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने यह लिख कर दिया कि इस जमीन को नहीं बेचा जाए और एक हजार रुपये जमा करके वापस जमीन लौटा दी जाए। लेकिन उस विक्रय अधिकारी गौतम शर्मा ने इस आदेश को नहीं माना। इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। कारण उसने रिश्वत ले ली थी। उसकी बंदरबाट हो चुकी थी। इस प्रकार तत्कालीन सचिव भूमि विकास बैंक श्री गौतम शर्मा ने इस आदेश को रद्दी की टोकरी में फैंक कर उसी गांव के रहने वाले श्री गुलाब खां को वह जमीन बेच दी। यह 12 बीघा जमीन थी। नंदा चमार तड़पता रह गया। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे कर के उसको दिए ताकि उसकी जमीन किसी प्रकार से उसको वापस मिल जाए। अनुसूचित जाति का उद्धार करने वाले, जयप्रकाशजी को भला बुरा कहने वाले इमर्जेन्सी के दौरान हुई यह ज्यादती को देखें कि किस प्रकार इन अधिकारियों ने एक गरीब नन्दा चमार की भूमि नाम मात्र की बकाया राशि पर बेच दी। यह जमीन इन अधिकारियों ने मिलीभगत करके बेची और पैसे को आपस में बांट लिया। वह नन्दा चमार दम तोड़ कर मर गया। उसकी आत्मा इन लोगों को कोस रही है। उस गरीब की जमीन वापस उसके बच्चों को लौटा दी जाए। उसके बच्चे तड़फ रहे हैं। उसकी विधवा घर पर रो रही है। मैं आपके जरिए सहकारिता मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस की जांच कर उस गरीब की जमीन उसके बच्चों को दिला कर उनके साथ न्याय किया जाए ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया इन्तजार कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। आपको भी अवसर दिया जाएगा।

श्री हरिश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था इस सारे कांड की जांच की जाए। इसकी पहले भी जांच की गई थी और यह सही पाया गया था। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। इसकी जांच की गई थी। यह आदेश दिया गया था कि भूमि विकास बैंक पैसा जमा कर ले और जमीन वापस कर दे। परन्तु वह जमीन नन्दा चमार को वापस नहीं की गई। वह मर गया। यह साजिश थी विक्रय अधिकारी एवं सचिव गौतम की। ये दोनों अधिकारी शराब पीकर मस्ती मारते रहे। वह गरीब रोता हुआ वापस चला गया और मर गया। उसकी जमीन बेच दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन गरीबों के प्रति कल्याण की भावना है, समाज का कल्याण करना है, अनुसूचित जाति का उत्थान करना है तो उस नंदा चमार की जमीन उसके बच्चों को वापस दी जाए। यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रामगंजमंडी में समाज कल्याण विभाग का एक छात्रावास है। उसमें 30 लड़के रहते हैं। उसमें 15 लड़कों के रहने की व्यवस्था है, 15 ही बेड वहां पर हैं लेकिन

(श्री हरिश शर्मा)
तीस लड़के रहते हैं। एक-एक बेड पर दो-दो लड़के सोते हैं। उनकी अलग से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार मंडाना और चेचट दो कस्बे हैं जो जंगल में है। यहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी स्कूल वहां पर है। समाज कल्याण विभाग का छात्रावास वहां पर होना अत्यन्त आवश्यक है। यह वहां के लोगों की मांग है। इसकी व्यवस्था की जाए।

एक माननीय सदस्य : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कट मोशन दिए थे। मेरा नाम नहीं आया है। सहकारिता पर मैंने कट मोशन दिए थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कट मोशन हैं, वे क्रम से आ रहे हैं। आपका नाम भी सूची में है। समय पर आ जाएगा, इन्तजार कीजिए। मैं नियमों की जानकारी आपको यहां पर नहीं दे सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल!

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में केशोरायपाटन में एक शुगर मिल है। इस शुगर मिल में आपके भूतपूर्व दुग्ध वितरण योजना के प्रबन्धक एस. सी. पगोरिया मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। उनके संदर्भ में यहां, सदन में निवेदन करना चाहूंगा। किन्तु उससे पूर्व यह कहना चाहूंगा कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और हमारे नेता श्री भैरोंसिंहजी चुने गये थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि राजस्थान से भ्रष्टाचार को निकाल कर कब्र में दफना दिया जाएगा। हमें उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार को कब्र में दफना दिया जाएगा लेकिन यह भ्रष्टाचार कब्र से ऊपर लाया गया है। भ्रष्टाचार की कब्र से ईंटें उछलने लगीं हैं और उसकी एक ईंट उछल कर मेरे हाथ में लगी है। आज मैं इसी भ्रष्टाचार के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केशोरायपाटन शुगर मिल के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री एस. सी. पगोरिया हैं, वे वहां पर विराजमान हैं। जब 76-77 में यह गन्ना मिल शुरू हुई उस दौरान बूंदी जिले में एक आलोद ग्राम, जो केशोरायपाटन से 56 किलोमीटर दूर है, में एक केन्द्र आलोद 'ए' के नाम गन्ना खरीदने हेतु स्थापित किया गया। इस केन्द्र पर पाटन से पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया और उस रास्ते पर 9000 रुपये खर्च किए गए। उस केन्द्र पर गन्ना खरीदना प्रारम्भ किया गया। उनके एक अधिकारी कैलाश पुरी में हैं। उनसे रिपोर्ट करवाई गई। जो वहां गन्ना विकास अधिकारी हैं, उनसे 9000 रुपया खर्च कर के रास्ता पक्का करवाये जाने के बाद यह रिपोर्ट करवाई गई कि केशोरायपाटन तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें से आलोद से बूंदी तक का रास्ता बहुत खराब है। उन्होंने यह आदेश दिया कि आप गन्ना ट्रक को चतरगंज होकर लावें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केशोरायपाटन से आलोद सैन्टर की दूरी 56 किलोमीटर है। रास्ते पर 9000 रुपया खर्च किया गया क्योंकि वहां पर रास्ता खराब था। मान्यवर, इस तरह से यह 9000 हजार रुपया खर्च किया गया और रास्ता बनाया गया। इसके बारे में मैं आपको, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं, आलोद से धोवडा 5 किलोमीटर दूर और धोवड़ा से चतरगंज 10 किलोमीटर और चतरगंज से बूंदी 17 किलोमीटर

(श्री गोपाल पचेरवाल)

यह कुल मिला कर 32 किलोमीटर की दूरी बढ़ा दी गई जब कि आलोद से सीधा कच्चा रास्ता चतरगंज को आता है, उसको भी छोड़ दिया गया और उसको चक्कर काट कर चतरगंज लाया गया। जब कि आलोद से शुगर मिल की वास्तविक दूरी 56 कि.मी. है, लेकिन वह दूरी 32 कि.मी. बढ़ा कर 88. कि.मी. कर दी गई जब कि गन्ना उसी 56 कि.मी. वाले रास्ते से लाया गया जिस पर 12,000 रु. खर्च किये गये थे। जिसके प्रमाण गन्ना खरीद केन्द्र आलोद 'ए' के इन्चार्ज, श्री कन्हैयालाल ने सहायक जिलाधीश, बूंदी के समक्ष कलमबद्ध बयान दे कर सावित किए हैं। जिसकी फोटो-स्टेट कापी मैं सदन में पेश करता हूं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 32 कि.मी. की दूरी का भुगतान अवैध है। ये सभी अलग-अलग क्षेत्र हैं। वहां पर गन्ने की ढुलाई होती है। केशोरायपाटन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, वहां से गन्ने की ढुलाई की दर 2 रु. 70 पैसे थी। उसको 3 रु. 30 पैसे कर दिया गया। 60 पैसे बढ़ा दिये गये। इसके अलावा ट्रक वाले को 16,217.01 ढुलाई के अलग से दिये गये। जब उसकी रिपोर्ट की गई तो वहां के विकास अधिकारी ने भ्रष्टाचार का मामला पेश किया। वहां के जो बहुत ईमानदार कुबेरचन्द गन्ना अधिकारी हैं, उनके सामने बिल पेश होने को आया तो उन्होंने कहा कि यह गलत है, गन्ना निर्धारित रास्ते से आया है। पगोरिया साहब ने जो अवैध बिल पेश करवाया है, जिस पर कुबेर के दस्तखत होना आवश्यक है लेकिन गलत बिल पर कुबेरचन्द द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर स्वयं पगोरिया ने बिल पास कर भुगतान कर दिया जो गलत है। सरकार भ्रष्ट पगोरिया को कलेक्टर बनाने जा रही है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करूंगा कि मुझे समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : ऐसे घोटालों के मामलों में मैं निवेदन करूंगा, भ्रष्टाचार के मामले पेश नहीं कर सकते तो फिर हम यहां क्या करने आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें। ज्यादा समय नहीं लें। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : जनता पार्टी के घोटाले सदन के सामने नहीं आवें, ऐसा आदेश दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा ही नहीं।

मैं भ्रष्टाचार प्रमाण के कागज पेश करता हूं। इतने बड़े घोटाले हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा, आप इन सारे मामलों की जांच करायें। आप इसकी अविलम्ब जांच करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हजारों घोटाले हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मंत्री महोदय कार्यवाही करें। एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या बंथली में पगोरिया के लड़के के नाम शुगर मिल है ?

(व्यवधान)

तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं है। जब कि बंथली में पगोरिया के लड़के के नाम शुगर मिल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार इसकी जांच कराये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं ये कागज सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को दे दीजिए। सदन की मेज पर नहीं रखने दूंगा।

श्री बहादुर सिंह (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग और छात्रावासों के बारे में रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज की रक्षा के लिए समाज कल्याण विभाग रखा है, लेकिन हकीकत में इसमें समाज की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता है और न इसके द्वारा समाज का कल्याण होता है। समाज की तीन समस्याएं हैं, बेकारी, बीमारी और शिक्षा। लेकिन यह विभाग इन समस्याओं को दूर करने के लिये कुछ नहीं करता है। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है किन्तु इस महकमे की गांव में छाया भी नहीं पड़ी है। कोई गांव का रहने वाला जानता भी नहीं है कि यह विभाग कहां है। जिनको इसमें सर्विस मिली हुई है, उन्हीं व्यक्तियों की सुरक्षा होती है और उन्हीं का कल्याण होता है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि छात्रावासों से यह विभाग संबंध रखता है। वहां पर जो सुपरिण्टेण्डेन्ट रहते हैं, उनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। इसलिये छात्रावासों में रहकर, बच्चे विकास नहीं कर पाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि छात्रावासों को शिक्षा विभाग को सौंप दें। छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग की ओर से दी जाये। छात्रावासों में जो छात्र रहते हैं, उनको इस विभाग के लोग जाति विशेष के नाम से कहते हैं। उनमें भावात्मक एकता की भावना पैदा करने में योगदान न देकर उनको जाति विशेष के रूप में रखना चाहते हैं ताकि समाज में एकता की भावना न फैले।

दूसरी बात जो नारी उत्थान का काम है, वह बहुत महत्व का काम है। नारी निकेतन चलाये जाते हैं उनके बारे में रोज अखबारों में खबरें छपती हैं कि इतनी लड़कियां भाग गई। मैं कहना चाहता हूं कि ये निकेतन बुराइयों के स्थान हकीकत में बन रहे हैं। मेरा सुझाव है, इसका समाज कल्याण विभाग से नाम बदलकर शिक्षा विभाग रख दिया जाये।

रोगी, अपाहिज और पंगु लोगों के लिए रोटी और रोजी का सवाल है। हमें उसकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आती है। चमचमाती कारें, गाड़ियां और दफ्तर दिखाई देते हैं। समाज का कल्याण क्या करते हैं, इसका पता नहीं है।

(श्री बहादुर सिंह)

सहकारिता के बारे में मैं निवेदन करूंगा, सहकारिता से कर्जे की प्रथा बन्द की जाये। यह कर्जा गरीबी को बढ़ाता है। जिसको रुपया नहीं मिलता है, उसको रुपया देकर यह गरीबी को बढ़ाता है। सरकारी कर्जे में घोटाला होता है। इस प्रकार के कर्जे से गरीब गरीब होता जाता है। सहकारी समिति के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं को सही और निश्चित दामों पर कस्टमर्स को मुहैया कराया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काश्तकारों की फसल को उचित दामों पर खरीदा जाये। आवश्यकता पड़ने पर वापस बेचा जाये तब तो सहकारिता विभाग की उपयोगिता रहेगी और गड़बड़ घोटाले भी इस विभाग में नहीं रहेंगे। इस लिए सरकारी कर्जे की प्रथा को बन्द किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री नरपतराम बरवड़।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम आर्य।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष जी, समाज कल्याण के बारे में अभी माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये कि अब तक यह विभाग एक भाई के पास था और अब एक बहन के पास में है। भाई साहब ने सात होस्टल्स बढ़ाये और उनके अन्दर लड़कों की संख्या बढ़ाई। अब ढाई हजार सीटें और बढ़ाने का प्रावधान है। अब समाज कल्याण की नयी मंत्रीजी आई हैं। वे इसमें आगे क्या करेंगी, यह देखने की बात है। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि होस्टल की संख्या आपने बढ़ाई और लड़कों की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन होस्टल्स की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप होस्टल में जायं तो देखेंगे कि वहां पर खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, पहनने और ओढ़ने के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारी कमेटी दो-तीन होस्टल्स में गई थी। सर्दियों में बच्चों के पास फटे हुए कम्बल थे और रात में सोने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि दो-तीन कम्बल मिलाकर दो-तीन लड़के एक साथ सोते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। समाज कल्याण विभाग के पास छात्र और छात्रावासों की कमी है। मेहरबानी करके आप दो, तीन, चार होस्टल की व्यवस्था को देखिये। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक यह व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकती। माननीय उपाध्यक्षजी, भयंकर बीमारियां बच्चों में फैल रही हैं, उनको खुजली और कई अन्य बीमारियां हो रही हैं। उनकी उचित देखभाल बहुत ही जरूरी है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारा चूरू जिला आठ लाख की पापुलेशन का जिला है लेकिन वहां पर कोई समाज कल्याण अधिकारी नहीं है। इससे जो भी

(श्री रावतराम आर्य)
नई प्रवृत्ति समाज कल्याण की होती है, जो नये प्रोग्राम होते हैं उनके लिए बीकानेर जाना पड़ता है। हर काम के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ता है इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि एक समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट का चूरू जिले में होना बहुत जरूरी है।

सुजानगढ़ में आपने होस्टल के अन्दर छात्रों की संख्या 25 से 50 तो कर दी है लेकिन उनके लिए मकान की व्यवस्था नहीं है, तो रहेंगे कहां। एक ही कमरे में 25 लड़के किस प्रकार से रहेंगे ? इसलिए उनके लिए मकान की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा चूरू जिला आठ लाख की पापुलेशन का है। वहां पर एक आध होस्टल और खोला जाना चाहिए। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक मांग और करना चाहूंगा कि वहां पर एक लड़कियों का होस्टल भी होना चाहिए। वहां इस तरह की कई लड़कियां हैं जो बीकानेर नहीं जा सकतीं।

अब मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन काफी संख्या में राजस्थान में हो चुका है उनके बारे में आपकी क्या नीति है, यह आपने आज दिन तक हाउस में नहीं बताया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह बताने की कृपा करें।

पिछली बार जिन सोसाइटियों को कर्जा मिला, उनमें से किसी को एक और किसी को दो किश्तें कर्ज की मिल चुकी हैं। उनके मकान अधूरे पड़े हुए हैं, सारा काम ठप्प हो रहा है। इस तरह की हजारों सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं जिनको लोन नहीं मिला है। अगर आप उनको लोन नहीं दे सकते तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके हिस्सा पूंजी वापस लौटा दीजिये ताकि आपकी इमेज खराब न हो। यदि दे सकते हैं तो एक व्यवस्थित प्रोग्राम बनाकर उनके बारे में सोचना चाहिए...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि हरिजनों के साथ में अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आये दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। गंगानगर जिले में अभी पिछले माह ही हरिजन औरतों के साथ दिन में ही बलात्कार का समाचार पढ़ने को मिला। इस तरह की हालत है कि कोई देखने वाला नहीं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या के निदान के बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करे।

बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पुरुषों के मुकाबले में नारी अधिक संवेदनशील होती है। राजस्थान में पहली बार समाज कल्याण विभाग एक महिला को स्वतंत्र रूप से सौंपा गया है। मैं समझती हूं कि इस विभाग में जो कुछ गड़बड़ घोटाले और अव्यवस्था है, चाहे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्वयंसेवी छात्रावास हो, चाहे राजकीय छात्रावास हो, उन छात्रावासों में रहने वालों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उस पर सभी माननीय सदस्यों ने और खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है। कटौती प्रस्ताव के रूप में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, चाहे राजकीय छात्रावास हो अथवा स्वयंसेवी छात्रावास हो, दोनों में ही उचित व्यवस्था नहीं है। मैं समझती हूं कि मंत्री महोदया इस बारे में गम्भीरता से विचार कर अव्यवस्था दूर करेंगी। इससे अधिक मैं समाज कल्याण के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं समझती हूं। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि वे इस बारे में गम्भीरता से विचार करें और वास्तव में समाज कल्याण विभाग से जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हालत सुधारने के लिये अलग विभाग बना है तो उनकी हालत सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, समय बहुत कम है इसलिये बहुत ही शोर्ट में कहना पड़ेगा। सहकारिता को समाजवाद की स्थापना का आधार माना गया है तथा सहकारिता के अपने कुछ सिद्धान्त हैं जिनके बिना सहकारी आन्दोलन चल नहीं सकता। यदि आप इसे जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं तो उन सिद्धान्तों का भी आपको पालन करना पड़ेगा। मोटे तौर पर सहकारिता के अपने सिद्धान्त हैं, उनमें पहला तो है खुली सदस्यता ओपन मेम्बरशिप, दूसरा सिद्धान्त है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जनतान्त्रिक प्रशासन सहकारिता के अन्दर होना चाहिए। चाहे वह सहकारी समिति हो, चाहे सहकारी बैंक हो, चाहे और कोई सहकारी संस्था हो, उनमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए। एक सबके लिए और सब एक के लिए, समान लाभ का वितरण हो, इस सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। इन सिद्धान्तों को लेकर हमारा यह सहकारी आन्दोलन टिका हुआ है। मैं, माननीय मंत्री महोदया, आपसे यह पूछना चाहती हूं कि सहकारी समितियों की आज क्या व्यवस्था बन गई है। उसमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब जनता के चुने हुए लोग जो हैं सहकारी संस्थाओं में, की प्रशासन में क्या स्थिति है? क्या जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद किसी भी सहकारी संस्था में जनतांत्रिक प्रशासन छोड़ा है? सब बैंकों के अन्दर आपने डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट भंग करके जिलाधीश को प्रशासक बना दिया है। सारी क्रय-विक्रय समितियां जो हैं उन सब में गवर्नमेंट के नामीनेटेड व्यक्ति हैं। जितनी भी अपैक्स सोसाइटीज हैं उनमें राजस्थान सरकार के डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी बैठे हुए हैं। सहकारिता आन्दोलन की जो मूल भावना है क्या आपकी सरकार उसके विपरीत आचरण नहीं कर रही है? मैं इसलिए निवेदन कर देना चाहती हूं कि जब से आपने इन संस्थाओं को डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से विमुख किया है, इनका लोकतान्त्रिक प्रशासन छीना है, तब से इनकी हालत क्या है? कर्जे की रिकवरी की पोजीशन 1975 में 78 पर्सेन्ट थी जो अब 58 पर्सेन्ट रह गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहती हूं कि बैंकों की जो कर्ज देने की व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है। समितियों को जो कर्जा दिया जाता है वह दो प्रकार का होता है। एक काइंड में, दूसरा कैश कम्पोनेन्ट है। काइंड में काश्तकारों को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

खाद, बीज व कीटनाशक दवाई देते हैं । रबी फसल की बुवाई का समय होता है, अक्टूबर, नवम्बर, लास्ट वीक ग्राफ नवम्बर तक, लेकिन कर्जा दिया जाता है फरवरी व मार्च में । मैं आपके दिए हुए आंकड़ों से यह सिद्ध कर सकती हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह तो मैं अपने सुझाव नहीं दे पाऊंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट के लिए तय हुआ था ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे बात पूरी तो करने दी जाए। यदि इस आंदोलन को ठीक करना है तो कुछ सुझाव तो हम दें ।

रबी की बुवाई का काइंड कम्पोनेन्ट आप मार्च व अप्रेल में देंगे तो क्या मतलब निकलेगा ? काश्तकार बुवाई कर देते हैं उसके बाद यदि आप खाद, बीज व कीट-नाशक दवाइयां देंगे तो उन्हें वह बाजार में बेच देते हैं । यदि बाजार में नहीं बेचें तो अगले साल बीज खराब हो सकता है । नहीं तो बरसात में तो कम से कम फर्क पड़ना स्वाभाविक है । यदि आप इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, यदि सहकारिता के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो इन सब शार्टकमिंग्स को दूर करना पड़ेगा और नीति को बदलना पड़ेगा । इसलिए काइंड कम्पोनेन्ट में किसान को जो कर्जा दिया जाता है वह रबी फसल की बुवाई से पहले दिया जा सके इसकी, व्यवस्था होना बड़ा आवश्यक है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बार बार क्यों घंटी बजाते हैं ? मैं अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करती हुई अपना स्थान ग्रहण करूंगी ।

मैं आपका ध्यान मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक की ओर दिलाना चाहती हूं । यदि लोगों की सहकारिता आंदोलन में आस्था खतम हो गई, यदि लोगों का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास खतम हो जाएगा तो फिर आपका समाजवाद का सपना अधूरा रह जाएगा । जिस समय मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक को लिक्वीडेट किया गया था उस समय उसकी लेनदारी थी 42 लाख और देनदारी 30 लाख लेकिन महज इसलिए कि डाइरेक्टरों ने मिल कर गबन और घोटाले व गड़बड़ियां कीं, उसको लिक्वीडेट करना पड़ा । इस बैंक में आखिर डिपोजिटर्स कौन हैं ? विधवायें, छोटे कर्मचारी, सेवा निवृत्त कर्मचारी आदि ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे आखिरी बात कहने दी जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप चाहती हैं कि आपके साथ पक्षपात करें ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं अंतिम बात कह दूं ।

मैं जनता सरकार पर आरोप लगाती हूं कि कांग्रेस के प्रशासन में जो डिपोजिटर्स को 50 प्रतिशत पैसा वापस मिल गया था और जो 60 हजार रुपए महीने के महीने किश्त के रूप में आ रहे थे . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपनी बात पूरी करें ।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : यह व्यवस्था दोनों पक्षों ने स्वीकार की है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आरोप लगा रही हूं, जब से जनता पार्टी सरकार को संभाला, तब से इस बैंक में घोटाले व गबन करने वाले लोगों को यह सरकार संरक्षण दे रही है और महीने के महीने जो किश्त बांधी गई थी, वह नहीं आ रही है। गबनकर्त्ताओं एवं घोटाले करने वालों को जनता पार्टी का संरक्षण है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किस तरह उस बैंक के डिपाजिटर्स को आगे की 50 प्रतिशत रकम दिला सकेंगे इसके लिए आपने क्या किया है ? जिन लोगों के खिलाफ पुलिस में केसेज रजिस्टर हैं उनसे वसूली की कार्यवाही सख्ती से करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या से मैं एक निवेदन और कर दूं । आपने स्वयं सुझाव दिया था कि 5 मिनट से अधिक कोई न बोले । आप जैसी अनुभवी व वरिष्ठ सदस्या जब कोई सुझाव देती हैं फिर उसका आप पालन न करें यह खेदजनक स्थिति है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा स्पष्ट आरोप था ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्षजी, मैंने कटौती प्रस्तावों के जरिए मंत्री महोदय का ध्यान समाज कल्याण विभाग द्वारा चलने वाले छात्रावासों की ओर दिलाया है । कालेजों के छात्रावासों में 95) व 100) रु. प्रति माह प्रति छात्र दिया जाता है जो फिर भी पर्याप्त है लेकिन सैकण्डरी के नीचे वालों को जो आप देते हैं वह अपर्याप्त है । आपने छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रखी है लेकिन जितने हरिजन छात्र हैं सैकण्डरी के नीचे उन सबको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती, जिसके कारण से वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि विशेषकर छोटे वर्ग के जो भंगी, नाई इत्यादि हैं, छोटे वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको छात्रावासों की सुविधा नहीं मिलती । कुछ विद्यार्थी शहरों में रहते हैं उनको छात्रावासों की सुविधा मिलती है ।

एक माननीय सदस्य : बोलने की तमीज होनी चाहिए, यह कहना छोटे वर्ग के भंगी, नाई . . . .

श्री नवरंग सिंह : माननीय सदस्य को यदि ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं ।

छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जो हरिजन छात्र स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ।

बेरोजगारी भत्ता 150 व 250 रुपये स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को मिलता है। यह तो खुशी की बात है कि देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां यह भत्ता मिलता है. लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सैकण्डरी तक के विद्यार्थी, जो बेकार हैं, को भी यह भत्ता दिया जाना चाहिए ।

इसी तरह से यह प्रशासनिक केन्द्र जयपुर में खोला जाए । इसमें 80 रुपये प्रति छात्र का जो काटा जाता है वह नहीं काटा जाए । विभाग को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए ।

हरिजन मोहल्लों में पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है । विशेषकर

(श्री नवरंग सिंह)

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी वाटर वर्क्स की व्यवस्था है या बिजली की व्यवस्था है, हरिजन मोहल्लों के लिए, ग्राम पंचायत लिख देती है वे सक्षम नहीं हैं। इसलिए उनको उपेक्षित रखा जाता है, और बिजली व पानी नहीं पहुंच पाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सहकारिता के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सहकारिता मंत्री महोदय से यह बात कहना चाहूंगा कि आज जो सहकारी समितियों के माध्यम से बीज व खाद वगैरह दी जाती है, वह भी समय पर नहीं दी जाती है । समय निकल जाने के बाद में, अगर आपकी सहकारी समितियां किसान को बीज या खाद देती हैं, तो फायदा क्या ? जब हमारे उधर फसलें बो दी गयी थीं, तब सहकारी समितियों द्वारा बीज व खाद वितरित की गई थी। इसी तरह मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गेहूं और चने की फसल भी हमारे यहां जब बो दी गयी थी, तब उनको बीज व खाद दी गयी थी । इसलिये मेरा सहकारिता मंत्री महोदय से यह विशेष रूप से आग्रह है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह यह सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का केन्द्र बना रहा उसका राजनैतिक कारण भी है। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । अगर सहकारिता से राजनीति को हटा दिया जाय, तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सहकारिता के माध्यम से हम गरीब लोगों का अपने देश में भला कर सकते हैं। अगर राजनैतिक गतिविधियों को आप इस सहकारिता में से समाप्त कर दें तो मेरी यह निश्चित रूप से मान्यता है कि आप अपने देश में समाजवाद ला सकते हैं।

इसी तरह से मैं सहकारिता मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत समय हो गया है पर सहकारी संस्थाओं में चुनाव नहीं हुए हैं । राज्य सरकार ने उनमें प्रशासक बैठा रखे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि सहकारी संस्थाओं में, जो बड़ी बड़ी संस्थायें हैं उनमें इन्हीं प्रशासकों ने गड़बड़ घोटाले किये हैं। इतने दिन का हमारा अनुभव है कि प्रशासक लोग प्रजातान्त्रिक पद्धति वाली संस्थाओं में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जैसा कि अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, बूंदी में जितनी गड़बड़ियां हैं वह सभी, वहां जो प्रशासक हैं उन्होंने करायी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा कर, उनका प्रजातान्त्रिक तरीके से काम करायें ताकि जनता का भला हो।

एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा । आज कोआपरेटिव सोसाइटीज की वसूलियां गांवों में की जा रही हैं । हालत काश्तकार की बहुत ज्यादा खराब हो गयी है। फसल खराब होने के कारण आज आम काश्तकार दुखी हैं । एक तरफ तो फसल खराब हो गयी और दूसरी तरफ सहकारिता की वसूलियां हो रही हैं । यह वसूलियां भी ज्यादातर गरीब हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों से की जा रही हैं क्योंकि पैसे वही लोग उधार लेते हैं जो कि गरीब होते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्रीजी से

(श्री नवरंगसिंह)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन वसूलियों को स्थगित किया जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें ।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज कई केसेज रजिस्टर होते हैं उनकी ओर मंत्री महोदय ध्यान दें ।

इसके अलावा आपने विवरण पुस्तिका में दिया है कि हमने पुलिस के दस्ते और पुलिस के आफिसर्स नियुक्त किये हैं । यह सब बेकार है क्योंकि उनकी हालत हमें रोजाना देखने को मिलती है । कहने का मतलब यह है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर पूंजीवाद के पोषक लोग गरीबी को खतम कर दें या हरिजनों के साथ अत्याचार समाप्त कर दें तो वह पूंजीवाद का सुसाइड होगा । चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपकी जनता पार्टी की सरकार हो, इन सभी की नीतियां पूंजीवादी हैं । यह दोनों ही पार्टियां, उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीवादी चरित्र की हैं । अलग नहीं हैं । वह एक ही हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे जनता पार्टी की सरकार है, इन दोनों पार्टियों ने हरिजनों और भीलों को ऊपर उठाने को और उनका भला करने का बहुत ढिंढोरा पीटा, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों ने हरिजनों का भला बहुत कम किया । यह ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं पर इन लोगों को राहत कम देते हैं । राहत देने का काम कम करते हैं । यह लोग चाहते हैं कि हरिजनों की समस्या हमेशा ही बनी रहे । आज उसका सबसे बड़ा यह सबूत है कि जब वाराणसी में श्री जगजीवन राम बाबू ने एक मूर्ति का अनावरण उद्घाटन किया तो बाद में उस मूर्ति को, समाज कल्याण की बात करने वाले, वहां के पण्डितों ने गंगा के पानी से धोया । कहने का मतलब यह है कि हम हरिजनों को ऊंचा उठाने की और छुआछूत मिटाने की बात ज्यादा करते हैं, पर हकीकत में करते कुछ भी नहीं है । हरिजनों के नाम से ढिंढोरा पीटने वाली श्रीमती इन्दिरा गांधी हरिजनों की मसीहा बनी हुई है लेकिन सचमुच जितना जुल्म हरिजनों के साथ इमर्जेन्सी में हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियां अपना आधार बनाये हुए हैं, हरिजनों से छुआछूत को खतम करने का सिर्फ नारा देकर । आज भी क्या छुआछूत समाप्त हो गयी ? बिलकुल नहीं है ? हमारे यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उनमें से कोई भी हरिजन के घर पर जाकर नहीं ठहरते हैं । कहने का मतलब यह है कि यह सारा का सारा दिखावा है । सभी ऊपरी बात करते हैं । दिखावे के रूप में हो सकता है कि मैं आज हरिजन के यहां पर रोटी खा लूं, लेकिन वास्तव में मैं उसके साथ बैठकर रहना नहीं चाहूंगा । इस प्रकार के आज जितने आफिसर हैं, आई. ए. एस. अधिकारी और जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे सेठ

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
हों, एम.एल.ए. हों, मिनिस्टर हों, कौन ऐसा है जो हरिजनों के साथ छुआछूत नहीं करते हैं ? गरीब हरिजन, जिसके कपड़े फटे हैं, जिसके कपड़े में बदबू आती है, जिसकी आर्थिक हालत बिलकुल खराब है, को कोई भी आगे आने का मौका नहीं देंगे । इस तरह से लोग हरिजनों का एक्सप्लोइटेशन करते हैं। यही पूंजीवाद की निशानी है। अभी बिहार में क्या हुआ ? वहां पर पिछड़ी जाति के लोगों के लिये 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया है। वहां पर क्या हालत हुई ? कहने का मतलब यह है कि यह तो दोनों पार्टियां पूंजीवाद की पोषक हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो...

श्री उगमराज मेहता : चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : गरीबी जिस दिन खतम हो जायेगी उस दिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह पूंजीवाद मर जायेगा, खतम हो जायेगा। आज आप देखो, चीन में क्या हुआ ? किस तरह से वह उन्नति कर रहा है ? कारण है उसकी स्पष्ट नीति। लेकिन यहां की सरकार वैसा नहीं कर सकती। कारण है, वैसा करने से यह सरकार जिसकी पूंजीवादी जड़ें हैं, खतम हो जायेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि ढिंढ़ोरा मत पीटो। हम हरिजनों के लिये यह कर रहे हैं। आज आपने कितने थानेदार शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये ? कितने हरिजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाये ? कितने आई. ए.एस. बनाये ? जो बनाये, वह नहीं के बराबर हैं। यही नहीं, मेडिकल कालेज में 30 प्रतिशत नम्बरों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को भर्ती कर दिया जाता था। उन्हें अब भर्ती नहीं किया जाता। कारण यह है, प्रधान मंत्रीजी ने तथा हमारे राजनारायण ने कह दिया कि कम प्रतिशत वालों को नहीं लेंगे, हमें तो स्टेण्डर्ड के विद्यार्थी चाहियें। स्टेण्डर्ड सेण्ट जेवियर स्कूल में पढ़े हुए लड़के का गरीब के बच्चे के बराबर कैसे होगा ? वह तो निश्चित रूप से उससे होशियार होगा। यही नहीं, आज भी विधान सभा भवन के बाहर कुछ छात्र बैठे हैं। आप पूछें, क्यों बैठे हैं बाहर ? आप उनसे बात कीजिये। उनकी शिकायतों को दूर कीजिये।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अभी नारी निकेतन से लड़कियां भागी हैं। मंत्री महोदया, आप बैठी हैं आप बताइये, उनमें कितनी सवर्ण जाति की है, कितनी हरिजन हैं ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह लड़कियां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की हैं। भीलों की लड़कियां हैं। तो यह क्या है ? यह एक्सप्लोइटेशन है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि होस्टल का जो वार्डन है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप जाओ और देखो बंगाल में क्या हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो हनुमानगढ़ में देखना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर, किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां अछूतों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है।

(व्यवधान)

आज सिर्फ घोषणायें कर देने से ही हम हरिजनों का उत्थान नहीं कर सकेंगे। उनको ऊपर उठाने के लिये व्यावहारिक तौर से काम करने की जरूरत है। इसलिये मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला तो यह है कि आज जो भी आई.ए.-एस. अधिकारी हैं उनके बच्चे ऊपर उठे हुए हैं, उनके लिये रिजर्वेशन होता है उसको हमें समाप्त करना होगा। उनके बदले में हरिजनों के बच्चों को लेना होगा।

आज पब्लिक स्कूलों में पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं लिया जाता है। मेरा निवेदन हैं कि हमें इन लोगों के कल्याण के लिये पब्लिक स्कूलों को खतम करना होगा। अगर आप इनको समाप्त नहीं करेंगे तो हमारे गरीब हरिजनों के पिछड़े बालक कभी भी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. जैसी पोस्ट पर नहीं आ सकेंगे। वह बेचारे झोंपड़ी में ही बैठे रहेंगे। उस झोपड़ी में बैठे रहने वाले व्यक्ति के बालक को यह लोग कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे और आगे आने नहीं देंगे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बड़ी बड़ी नहरें और सड़कें बन जायं, इससे देश की प्रगति का खाका नहीं खींचा जा सकता है। जब तक दरिद्रनारायण, गरीब की सेवा नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसी दृष्टि से समग्र रूप से बजट पर विचार होना चाहिये।

कमिश्नर, अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करें।

हरिजनों के द्वारा मेला ढोने की प्रथा समाप्त होनी चाहिये। इसके लिये अनुदान दे देंगे तो समाधान भी हो जावेगा।

हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उन पर अत्याचार होने की बात कही जाती है उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री-जी ने कलेक्टरों को हिदायत दे दी है और इसका अलग से प्रकोष्ठ भी बना रखा है, लेकिन यहां पुस्तकें पढ़ने की फुर्सत किसको है........

श्री मूलचन्द डागा : पुस्तक में भेड़ बकरी का है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनकी परेशानी को दूर किया जाना चाहिये।

विधवाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधवायें आश्रम में नहीं आती हैं, पथ भ्रष्ट न हों, उनको भी पैन्शन देनी चाहिये। विधवाओं को भी सहायता देनी चाहिये। इसमें सरलीकरण होना चाहिये।

समाज कल्याण विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है लेकिन यह कोई समाज पर प्रभाव नहीं डाल पाया है। बेगर्स को आप पकड़ कर बेगर्स होम में ले जावेंगे, लेकिन उनकी आर्थिक हालत कैसे ठीक होगी, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्वेच्छा चारिता बनी हुई है, मैं चाहूंगा कि पिछले तीस वर्षों में समाज कल्याण के नाम पर जो हुआ, उसका मूल्यांकन किया जाय और उसकी इस सदन के अन्दर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तीसरी मेरी मांग है कि राजस्थान अनुसूचित जाति और जन-जाति में जो व्यापक सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो उनमें पिछड़ापन है उसका एक व्यापक अध्ययन किया जाय । इसके लिये कमेटी बनायी जाय, वह सुझाव दे और राज्य सरकार उन पर विचार करे ।

चौथी मांग यह है, जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा है कि जिन जातियों का जो परम्परागत पेशा है, उन जातियों को उन पेशों के लिये आर्थिक सहायता दी जाय, ताकि उनके धन्धों को पनपाया जा सके और उनकी आर्थिक हालत अच्छी हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिये सहायता दिलवायी जाय । अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : यही अन्तिम बात होगी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा का पालन करूंगा

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सहकारी समितियों में 7।। करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी जांच का आधार क्या किया है ? आगे घोटाले न हों, इसकी समुचित व्यवस्था की जाय । जयपुर में सहकारी बाजार है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब, कृपया समाप्त करिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यही कह कर बैठ जाऊंगा । उपहार केन्द्र आज भी चलता है, वहां पर वस्तुएं नहीं मिलती हैं । उसमें गबन और घोटाले हैं । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी उसका अध्ययन करने गयी थी । उसमें गबन घोटालों को रोका जाय, यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विधाराधीन मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय विचाराधीन मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय विचाराधीन मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ाया गया ।

श्री हीरालाल आर्य ।

मांग संख्या 33 व 36 पर विचार

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के लोग अनुसूचित जाति और जन-जाति का उपयोग अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिये करते रहे और पिछड़ी जातियों के रहनुमा होने का ढोंग करते रहे । हमेशा उनके विकास के लिये उनके नेता भाषण देते, उनके फोटो

(श्री हीरालाल आर्य)

अखबारों में छप जाते, उनके भाषण अखबारों में छप जाते। यदि इसकी सही रूप से जांच करायी जाय तो घोटाले हुए हैं वह प्रकाश में आ सकते हैं। आज भी अनुसूचित जाति और जन-जाति के व्यक्ति गरीब, अशिक्षित, पिछड़े हुए, बेरोजगार हैं और उनका पिछले दिनों में कोई उत्थान नहीं हुआ है। जनता पार्टी की सरकार बनने से यह आशा बंधी है कि उनका विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों को शिक्षा के लिये छात्रावास चलाते हैं, लेकिन वहां पर भोजन, कपड़े, आवास आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि इन छात्रावासों में समुचित व्यवस्था की जाय और अधिक छात्रावास खोले जायं। मैं मेरे क्षेत्र मांगरोल एवं इन्द्रगढ़ में छात्रावास खोलने की मांग करूंगा। इटावा में जहां पर समाज कल्याण विभाग का छात्रावास है वहां बिल्डिंग नहीं हैं, किराये की हैं, खस्ता हालत में हैं। इसलिये बिल्डिंग बनायी जायं।

पोषाहार केन्द्र चलाते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। मैं चाहूंगा कि इनकी समुचित व्यवस्था की जाय।

छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है लेकिन समय पर नहीं मिलती है जिससे न समय पर पुस्तकें खरीद सकते हैं और न ही अन्य चीजें, जिससे पढ़ने में उनको विलम्ब हो जाता है। कालेज छात्रों को अधिक अनुदान स्कालरशिप मिलती थी, बाद में कम कर दी जिससे दिक्कत आती है। इसलिये छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानी चाहिये।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जन-जाति के कर्मचारियों को रखते हैं लेकिन उनके आरक्षण का जो कोटा है वह पूरा नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण के कोटे को पूरा करना चाहिये। इसका ध्यान रखा जाय कि जब तक उनका कोटा पूरा नहीं हो, दूसरों को नौकरी न दी जायं। पदोन्नतियों में भी उनके हितों का पालन किया जाना चाहिये।

महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि पुस्तकों और अखबारों में तो छुआछूत दूर हो जाती है लेकिन आज भी गांवों के बाहर हमारे पिछड़े भाई अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोग रहते हैं उनको कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में व्यवस्था करे ताकि अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग समानता के आधार पर आगे आ सकें। उनके साथ भेदभाव न बरता जा सके। अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उन्हें अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। यदि यह उपेक्षित समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाय, तो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समय देना संभव नहीं है। कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं उनमें से एक दो ही ठीक हैं बाकी सब में घोटाले हैं। मंत्री महोदय से निवेदन किया तो समुचित आश्वासन मिला, किन्तु सरकारी कर्मचारी जांच को दबवाना चाहते हैं।

(श्री हीरालाल आर्य)

अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के व्यक्तियों के लिए गृह निर्माण समितियां बनी थीं । मेरे खातोली में भी इस प्रकार की समिति बनी है, लेकिन पांच-सात साल बीत जाने के बाद भी आज तक लोन नहीं मिला है । मैं चाहूंगा कि उनको जल्दी लोन मिले ।

धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम ।

श्री **नाथूराम** (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में आज हाउस में चर्चा हो रही है । इस पर मेरे भी कुछ कटौती प्रस्ताव हैं । मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के तीस साल बाद इस विभाग का न तो सुधार हुआ और न भविष्य में सुधार होगा । कारण यह है कि 28 पर्सेन्ट का जो आरक्षण है उसका समाज कल्याण विभाग में सबसे पहले पूरा पालन नहीं हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी और हरिजन पढ़े हुए लोगों के होते हुए भी समाज कल्याण विभाग में भी उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है । इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । रोस्टर प्रणाली की भी पालना नहीं हो रही है, उसकी भी पालना करानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र हैं बल्कि मैं निवेदन करूंगा, उदयपुर डिविजन में लाखों की तादाद में आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर समाज कल्याण विभाग के कुछ छात्रावास भी चल रहे हैं । वहां 'ए' श्रेणी के छात्रावासों की बिल्डिंग भी पूरी नहीं कर सके, इसलिए आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान लागू हुआ है उससे फण्ड लेकर 'ए' और 'बी' श्रेणी के छात्रावासों को पूरा करना चाहिए । खाद्य सामग्री मार्च के अन्तिम समय में खरीदने के लिए टेन्डर्स मंगाये जाते हैं । बांसवाड़ा-डूंगरपुर से व्यापारियों को बुलाया जाता है । रिश्वत ली जाती है, टेन्डर्स में पक्षपात किया जाता है और भावों में भी पक्षपात किया जाता है । जो कमीशन देता है उसका टेन्डर पास होता है । इसी माह में टेन्डर कॉल किये जाते हैं इसलिए आपके द्वारा मैं मंत्री महोदया से चाहूंगा कि आपको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए । खाद्य सामग्री में बहुत घोटाले हैं, समय पर लोगों को भोजन और पुस्तकें नहीं मिलतीं, और कपड़ा वगैरह और दूसरा सामान भी पूरा नहीं मिलता है, इसलिए आपके द्वारा मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि जहां पर छात्रावास चल रहे हैं वहां पर टेन्डर्स मंगा कर खाद्य सामग्री आदि की पहले से व्यवस्था करनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए ताकि खराब सामग्री न पहुंचे । कमीशन को सख्ती से मिटाना चाहिए और जांच करके पनिशमेन्ट देना चाहिए । जो जो अधिकारी गलती करते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए । जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया पोषाहार कार्यक्रम जो समाज कल्याण के विभाग द्वारा चलाया जाता है, उसमें गरीब महिलाओं और बच्चों तक सामग्री नहीं पहुंचती है और दूसरे जो भ्रष्ट

(श्री नाथूराम)

लोग हैं वह फायदा उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के तीस साल बाद भी आज समाज कल्याण विभाग में छुआछूत का रोग है। इस सम्बन्ध में पिछले समय में हाउस में मैंने प्रश्न रखा था। अभी भी छुआछूत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार बताये कि कितने केसेस छुआछूत के सरकार के पास आये और उसमें से कितनों को सजा दी। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस रोग को मिटाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी लड़के बी.ए. और एम.ए. पढ़े हुए हैं, किन्तु उनको सर्विस में नहीं लिया जाता है। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि आज साल भर निकल गया है, जनता पार्टी की सरकार को बैठे 7-8 महीने हो गए, महिलाओं के उत्थान के लिए महिला बोर्ड का निर्माण हुआ या नहीं ? इसका उत्तर माननीय मंत्री महोदया सदन में दें। मैं निवेदन करूंगा सुझाव के तौर पर कि हर जिले से उसके प्रतिनिधि लेने चाहिए ताकि हर जिले में काम हो सके। ऐसा नहीं हो कि जयपुर में से ही आप महिलाओं को ले लें और यहां उनका अड्डा बना दें।

इसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट कभी हाउस में पेश नहीं होती है। कम से कम दो–तीन रोज उस पर बहस होनी चाहिए। मेरे इस सुझाव की पालना होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री नाथूराम : मैं सहकारी विभाग के कार्य के बारे में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव नहीं होगा।

श्री नाथूराम : एक ही मिनट में समाप्त करता हूं।

सहकारी विभाग का ऋण है उसकी वसूली के अन्दर हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। जहां पर दुष्काल है वहां भी हरिजनों की कुर्की हो रही है, उनके साथ सख्ती हो रही है। जो उनको पुराना कर्ज मिला वह राशि ब्याज मिला कर मूलधन से दुगुनी और तिगुनी हो गई है। मेरा निवेदन है कि ब्याज माफ करना चाहिए, और जो सख्ती हो रही है, जो घोटाले हैं उनकी जांच करानी चाहिए। जो दोषी पाये जायें उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि हरिजनों के साथ ज्यादती नहीं हो, और जहां पर भुखमरी है वहां लोगों को राहत मिले.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं संक्षेप में ही कह देता हूं। एक ही मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री नाथूराम : महिला सदन से जो औरतें भाग गयी हैं, उनके लिये दोषी कौन हैं।

(१२५)

श्री **उपाध्यक्ष** : आप मंत्री महोदया को अलग से सूचना दे दें । माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री **नाथूराम** : उपाध्यक्ष महोदय, रुपा गोरवानी को वापस रख लिया है । भगाने वाली सरासर वही है । इसकी जांच होनी चाहिए । लड़कियां भागी नहीं हैं, बल्कि भगाई गई हैं....।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री **नाथूराम** : उपाध्यक्ष महोदय, संबंधित कागजात मैं मंत्री महोदया को पेश करता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री कल्याणसिंह सांखला !

श्री **कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग समाज के उस पिछड़े तबके के उत्थान के लिए बनाया गया है, जो कि वर्षों से और अनेक सदियों से पीड़ित रहा है । उपाध्यक्षजी, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी । आज तक समाज कल्याण बोर्ड में कौन कौन लोग सदस्य रहे हैं और अनुसूचित जाति और जन-जाति से उन सदस्यों का क्या रिश्ता रहा है यह देखने की बात है । जिन लोगों को अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों की समस्याओं की जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, वह लोग उनकी समस्याओं का हल खोजने के लिए बैठे है, यह बात समझ में नहीं आती । यह सिर्फ धन का अपव्यय है । मेहरवानी करके इस तरह के ढकोसलों को बन्द करिये । सही मन और सही नीयत से पिछड़े तबके और समाज के कल्याण की बात करनी चाहिए ।

मैं आपका ध्यान महिला सदन की ओर दिलाना चाहूंगा, महिला सदन की चर्चायें यहां उठी । पिछली सरकार के समय से ही यह व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं, जनता सरकार के आने के बाद भी उनकी व्यवस्था में कोई तब्दीली नहीं की गयी, इसका उदाहरण यह है कि पिछली बार 14 औरतें वहां से भागीं । यह बहुत ही शर्म की बात है । मैं सरकार से और मंत्री महोदया से मांग करूंगा कि इस संबंध में कारगर कदम उठाकर उचित व्यवस्था करनी चाहिए ।

समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देता है । जिन छात्रों को आवश्यकता है उनको छात्रवृत्ति नाममात्र की दी जाती है, हायर सैकण्डरी और उसके नीचे के छात्रों में $\frac{3}{4}$ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है । जिनके सामने पढ़ने की समस्या है और जिन्हें छात्रवृत्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी से नीचे पढ़ने वाले ऐसे हर छात्र को 100 पर्सेंट छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये ।

इस विभाग का काम है कि दूसरे विभागों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का कोटा पूरा होता है या नहीं, इस बात की निगरानी रखे । अगर किसी भी विभाग में इस संबंध में भेदभाव बरता गया है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये । जो अधिकारी इस विभाग में बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी समझ कर इस कार्य को करें ।

आपने राज्य के चार या पांच शहरों के अन्दर भिक्षावृत्ति मिटाने की बात कही है । सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसके लिये कारगर योजना नहीं बनेगी, तब त

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

यह भिक्षावृत्ति कैसे मिटेगी। दक्षिण के अन्दर जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसी तरह धार्मिक ट्रस्टों से सलाह करके, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, तो यह ज्यादा कारगर कदम होगा।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि 30 साल बाद यह समाज कल्याण विभाग मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं कर सका, यह शर्म की बात है। कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान देने का कष्ट करें।

विद्यार्थियों के संबंध में निवेदन करूं कि छात्रवृत्ति दी जाती है लेकिन अधिकारियों का हठधर्मी का रवैया छात्रों के साथ रहता है। इस कारण छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की दयनीय स्थिति में रहना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज के छात्रों ने एक पत्र लिखा था, उसी के जवाब में आपके विभाग से एक पत्र डाइरेक्टर को, वहां के प्रिन्सीपल को गया। जो लड़के एक सैमेस्टर में फेल हो जाते हैं, दूसरे सैमेस्टर में पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये, किन्तु वह नहीं दी जाती। स्टडी टूर में जाने के लिये 100 रुपये प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है, परन्तु वहां के लड़कों को नहीं दी जाती। प्रिन्सीपल के रवैये से सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनके नम्बर उनके पास रहते हैं इसलिये उनकी आवाज दबा दी जाती है . . .

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वे बोल नहीं सकते। उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार का रवैया उनके साथ होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस प्रकार का जो रवैया अपनाये सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जिम्मेदारी के साथ आज मैं राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री गुलाब सिंह शक्तावत, प्रबन्ध संचालक, श्री भीमनाथवाला पर कुछ आरोप लगा रहा हूं। समय के अभाव के कारण, डिटेल्स में मैं नहीं जाता, उसकी कापी सदन की मेज पर रखता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सारे आरोपों की वे जांच करें।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध संचालक, श्री भीमनाथवाला, चीफ आडिटर, कोआपरेटिव सोसाइटीज, श्री नन्द लाल कानूनगो, इन दोनों अधिकारियों ने मिल कर बैंक की 75–76 की रिपोर्ट को बदला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च को भीमनाथबाला का डेपूटेशन खतम हो रहा है। आगे उनको नहीं लिया जायेगा। इसकी भी जांच करें, मंत्री महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 17-11-76 के पत्र की ओर।

"Rajasthan State Cooperative Bank Ltd., Jaipur; dt. 17-11-76.

Shri N. L. Kanungo,

Chief Auditor,

Cooperative Societies, Rajasthan, Jaipur.

Subject--Audit of the Apex Bank for the year 1975-76.

(श्री कौशल किशोरन जैन)

Respected Sir,

I am enclosing herewith some statements desired by your honour at the time of discussing the Audit Report of the Bank on 14th Nov., 76. Further it is requested to kindly visit the Bank for discussions of the Audit Report on any date and time convenient to you, which may please be intimated so that the Bank Officers may be informed."

यह पत्र है ओम प्रकाश शर्मा, आडिट इन्स्पेक्टर का. दूसरा पत्र 4-2-77 का है–

"दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर।

विषय:—शीर्ष बैंक की आडिट रिपोर्ट, वर्ष 1975-76 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शीर्ष बैंक की आडिट रिपोर्ट वर्ष, 1975-76 की 10 प्रतियां आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं ।

ओम प्रकाश शर्मा ।"

दस प्रतियां रखने के बाद, यह तीसरा पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं ।

सहकारी विभाग, राजस्थान ।

26-2-77 ।

महालेखाकार, राजस्थान ।

उप-शासन सचिव (वित्त लेखा विनियोजन) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषय:–राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की आडिट रिपोर्ट, वर्ष 1975-76।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 24-3-77 के क्रम में निवेदन है कि पत्रवाहक के द्वारा राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की आडिट रिपोर्ट, वर्ष 1975-76 की प्रति लौटाने का कष्ट करें ।"

यह पत्र लिखा है नन्दलाल कानूनगो ने ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं । यह पत्र है—

चीफ आडिटर, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।

दिनांक 17-3-77 ।

विषय:—शीर्ष बैंक की आडिट रिपोर्ट, वर्ष 1975-76 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शीर्ष बैंक की आडिट रिपोर्ट, वर्ष 1975-76 की आपसे एवं प्रबन्ध संचालक, शीर्ष बैंक से विचार-विमर्श करने के बाद आवश्यक संशोधन सहित 10 प्रतियां पुनः टाइप करवा कर आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं ।

ओम प्रकाश शर्मा ।"

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह चारों पत्र सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि यह संबंधित पत्र है, आप मंत्री महोदय को स्वयं दे दें ।

श्री **कौशल किशोर जैन**: मैंने निवेदन किया है जो रिपोर्ट बदली गई । मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है। कौन से पृष्ठ

(श्री कौशल किशोर जैन)
बदले गये, यह उस वक्त निवेदन करूंगा। यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मूल रिपोर्ट के अन्दर पृष्ठ 26 से 33, पृष्ठ 8, 9, पृष्ठ 13 व 14, पृष्ठ 40 बदल दिये गये। मनोरन्जन खर्च के संबंध में, शीर्ष वैंक के संबंध में बदले गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप अगर समय दें, तो वह पृष्ठ पढ़कर सुनाऊं जो बदले गये हैं ताकि मालूम हो कि उन पृष्ठों के अन्दर क्या है। आप आज्ञा नहीं देंगे, इस लिये मैं सुनाना नहीं चाहता, केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जो प्रति है, जिसकी केवल 10 कापियां की गई हैं, यह पूरी मेरे पास है। ध्यान आकर्षित प्रस्ताव जब प्रस्तुत करूंगा उस समय इसकी रिपोर्ट, जो बदली हुई रिपोर्ट है, प्रस्तुत करूंगा। यह सारी अनियमिततायें 1975-76 के अन्दर की गई।

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं घोटाला कितने का है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब आयेगा, उस समय यह निवेदन करूंगा। अभी एक बात मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार ठीक प्रकार चलना चाहती है? हकूमत को चलाना चाहती है तो इन अधिकारियों को बदलना होगा। लेकिन —

न खंजर चलेगा, न तलवार इनसे।
ये बाजू मेरे अजमाये हुए हैं॥

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण का जितना नाम सुन्दर है, उसके पीछे उद्देश्य भी इतना ही पवित्र रहा होगा। वास्तव में समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिये नेक एवं ईमानदारी की मंशा कांग्रेस सरकार ने भी अपने मन में रखी होगी। लेकिन जो नैतिक पतन हुआ और राजनीतिज्ञों ने जो भ्रष्टाचार इसमें किया है, मैं कहना चाहता हूं उसी का परिणाम यह हुआ कि यह समाज कल्याण का केन्द्र नहीं है, बल्कि एक राजनैतिक अखाड़ा है। जिन लोगों को इसमें बुलाया गया था, वे राजनीति के पिछलग्गू हो गये। इस कारण यह हालत इस समाज कल्याण विभाग की हो गई।

श्रीमन्, समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों की स्थिति को देखा जाय। हर विद्यार्थी को 250 ग्राम आटा मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता है, हर विद्यार्थी को 250 ग्राम आटा देने के बाद भी उसे गिनती की चार रोटी क्यों मिलती हैं? इससे अधिक शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। उनके आटे में कटौती, उनकी साग-सब्जी में कटौती, उनके साबुन में कटौती, उनको मिलने वाली हर चीज में कटौती होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चलिये मेरे साथ और अधिकारियों के घरों में जाकर देखिये, उनके यहां कितने कम्बल और छात्रावासों से चुराई गई कितनी चीजें मिलती हैं। जिनको 300 रुपया वेतन मिलता है उनके चेहरे देख कर यह नहीं लगता है कि उनको इतना वेतन मिलता है। उनके दो-दो बंगले बन जाते हैं। उनको केवल 150 रुपया प्रारम्भ में मिलता है। 150 से 300 की ग्रेड है, फिर भी अधिकारी के दो-दो बंगले बन रहे हैं उदयपुर में।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जितनी स्वयं सेवी संस्थायें चलती हैं उदयपुर में, वे भी बहुत बड़े घोटालों की जगह हैं। लाखों रुपया देश का बरबाद किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है जो स्वयं सेवी संस्थाएं कहलाती हैं, वे गरीबों का पेट काट कर इस देश का किस प्रकार का निर्माण करती हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटना होगा। लेकिन देख रहे हैं किसके साथ किस प्रकार निपटा जा रहा है। जो व्यक्ति घोटाले निकाल कर लाते हैं, उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है, उनको सजा देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जहां इस प्रकार की बात हो, उसके लिये कौन क्या कह सकता है। होना तो यह चाहिये कि उनकी पदोन्नति होनी चाहिये, पुरस्कार मिलना चाहिये, तब वास्तव में पता लगेगा कि भ्रष्टाचार क्या है।

जिनकी बड़ी-बड़ी शिकायतें हैं उनको समाज कल्याण विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों ने शरण दे रखी है। श्रीमती रोकड़िया बाल विकास योजना, गड़ी के विरुद्ध शिकायतों का एक बहुत बड़ा पुलिन्दा आपके पास है। इसी प्रकार श्री वी.एन. गुप्ता है, उदयपुर के हैं, उनके विरुद्ध बहुत शिकायतें आपके पास पहुंची हैं। उन्होंने जघन्य अपराध किये हैं, उसके बावजूद उन्हें पुरस्कार मिला। उनसे कहा गया, जयपुर पधारें। यहां आप और हम दोनों मिल कर उसको रफा-दफा करेंगे। जहां सर्वोच्च अधिकारियों की नीयत इस प्रकार की हो, वहां क्या कहा जा सकता है। अधिकारी ऐसे मामलों को रफा-दफा करने के प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमन्, इतना ही नहीं, यह जो सहकारिता विभाग है, पता नहीं यह ऐसा है या हमारे देखने की दृष्टि ही ऐसी है कि जहां हम देखते हैं वहीं खराबी निकलती है और जहां हाथ डालते हैं वहीं बदबू आती है। श्रीमन्, श्री कृष्ण शर्मा, सहायक अधिशासी अधिकारी, पंचायत समिति, बड़गांव के खिलाफ शिकायत है। श्रीमन्, उन्होंने बिना रसीदें काटे हजारों रुपये प्राप्त कर लिये ......

मेजर श्री फतहसिंह : तभी तो, कटारिया जी, मुल्ला ने कहा था–

It is every fish in the pond that stinks.

यही हालत समाज कल्याण विभाग की मालूम पड़ती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सहकारी समिति, थूर के बिना रसीद काटे 2100) रु. प्राप्त कर लिये, कैलाशपुरी से 936) रु. प्राप्त कर लिये बिना रसीद काटे, इसी प्रकार 500) रु. बडगांव से प्राप्त कर लिये, और रसीद नहीं काटी, पैट्रोल के 112) रु. बिना रसीद दिये प्राप्त कर लिये, समेल के 92) रु. बिना रसीद दिये ले लिये, लोसिंग के 261) रु. बिना रसीद से प्राप्त कर लिये, और बैंक के खाते में ये रुपये जमा नहीं हुये हैं। इस प्रकार के अनेकों काण्ड हैं। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में हम कहते हैं, उससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी और आपकी मंशा एक ही है और वह है कि किस तरह देश में खुशहाली आये, किस प्रकार हमारा देश उन्नति करे। यदि, आप यह कहें कि गलत इन्फार्मेशन देते हैं तो आप हमें सजा दें। यदि हम सही इन्फार्मेशन देते हैं तो उनके प्रति आप कड़ा रुख अपनायें। मेरा आपको यह सुझाव है कि जहां गलती है उसको ठीक करिये।

छात्रावासों में बालकों को प्रतिदिन जो सामान मिलता है उसके लिये बालकों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हस्ताक्षर करवाते हैं लेकिन तोलने में जो गड़बड़ी करते हैं, उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। खाना अगर स्वादिष्ट नहीं बनता है और बच्चे शिकायत करते हैं तो किसका दोष है ?

कन्या छात्रावासों में पुरुष अधीक्षक होने के कारण वे व्यभिचार के केन्द्र बन गये हैं। मेरा निवेदन है कि कन्या छात्रावासों में कम से कम पुरुष अधीक्षक नहीं नियुक्त करने चाहियें। वे कन्याओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और व्यभिचार के अड्डे बना लेते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं पुरुष अधीक्षक की जगह महिला अधीक्षक को लगाया जाय। उनके निरीक्षण प्रतिवेदन आने चाहियें। क्या निरीक्षण किया और क्या क्या कमियां रहीं, उस ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति--सूचक घंटी)

श्रीमन्, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

प्रत्येक ऐसे संस्थान में ऐसी समिति बन जाय जिसमें राजनीतिज्ञ सदस्य हो, जिनके बारे में वास्तव में लगता हो कि सेवा करने की मनोवृत्ति रखता है, जिनके बारे में पता हो सेवा भावी व्यक्ति है, उन्हें उसमें रखा जायं। उसकी देख रेख में ही होस्टल्स को रखा जाय। जितनी स्वयं सेवी संस्थायें हैं, मैं समझता हूं उन्हें सरकार ले ले। सारा पैसा आप देते हैं और मजे वे लूटते हैं। जो इस प्रकार के लोग हैं उनके हाथ से उनका यह धन्धा तत्काल छीन लीजिये।

उपाध्यक्ष : श्री शीश राम।

(अनुपस्थित)

श्री उमराव सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रणजीत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरि सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री आलम अली।

(अनुपस्थित)

श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** (बनी पार्क, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह संयोग और सौभाग्य की बात है कि समाज कल्याण और सहकारिता की डिमाण्ड एक ही दिन रखी है। माननीय सदस्यों ने जिस तरह के घोटाले, घपले और भ्रष्टाचार बताये, उनसे ऐसा लगता है कि एक दिन ही इसमें खराब हुआ, दो दिन खराब नहीं हुये। इन दोनों डिमाण्ड को हम एक दिन में निपटा देंगे। घोटाले और घपलों के बारे में आप सुन रहे हैं– बाकी सदस्य भी चर्चा करेंगे। मैं कुछ मुद्दे सम्बन्धित मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अभी श्योपत सिंहजी ने यह कहा था कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक सहकारिता नहीं चल सकती है। वे बोल गये और बोलकर चले गये। जहां तक मैं जानता हूं हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो। 1844 और 1847 में दो आन्दोलन हुए। 1844 में सहकारी आन्दोलन हुआ और 1847 में कार्ल मार्क्स के समय में जब वैस्ट यूरोप का इन्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो गरीब गरीब हुआ और अमीर और अमीर हो गया उस स्थिति से नजात पाने के लिय उस खाई को

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

पाटने के लिये राक्टर पायलाट ने एक कोआपरेटिव सोसायटी बनाई। उसी प्रकार की कोआपरेटिव हों ताकि प्रदेश समृद्धि की तरफ जा सके और अमीर -गरीब के बीच की खाई पट सके। दूसरा रास्ता, ध्योपत सिंहजी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के माध्यम से साम्यवाद बताया। आज मोटे तौर पर कहा जाय तो विश्व में दो विचार-धारायें हैं, साम्यवादी और सहकारिता। हम कोअर्सिव मैथड़ और पार्टी डिक्टेटरशिप के आधार पर देश का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। इसलिये कोआपरेटिव बहुत बड़े विचार की बात है। यह बहुत जरूरी है, सहकारिता सही आधार पर बढ़े और पनपे। हमारे नये सहकारिता मंत्री बहुत उत्साही व्यक्ति हैं। उन्होंने पंचायत राज के चुनाव, जो 13 साल से नहीं हुए थे, करवा कर कलंक धोया है। मैं समझता हूं कि वे सहकारिता को सही रूप देने की भरपूर चेष्टा करेंगे। सहकारिता एक वालन्टरी संस्था होती है। इसके स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं। आज स्थिति यह है कि जितनी बड़ी सहकारी समिति हैं उनमें सदस्यों द्वारा निर्वाचित मण्डल नहीं हैं। आज सब जगह यह स्थिति बनी हुई है। जो कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, सडांध है उसे सही रास्ते पर चल कर मिटाया जा सकता है। अगर हम लोकतन्त्र को कबूल करते हैं तो आफ दी हार्ट नहीं होना चाहिये।

जिस प्रकार से सरकार का इन्तजाम करने वाले मंत्रीजी चुनाव के माध्यम से हिल जाते हैं उसी तरह से सहकारी संस्थाओं का इन्तजाम करना चाहिय। चुनाव के माध्यम से सही लोग नहीं आयेंगे और गड़-बड़ होती है यह मैं नहीं मानता हूं। अगर इस प्रकार की विचारधारा किसी के मन में रहती है तो निश्चित तौर से उसका लोकतन्त्र में और लोकतन्त्र के माध्यम से लोगों में विश्वास नहीं है। विश्वास के कारण ही चुनाव के माध्यम से ही लोग ऊपर आ सकते हैं। यह बात भी बड़ी खतरनाक है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं चुनाव के माध्यम से आये हैं वह कहें कि चुनाव के माध्यम से कोआप-रेटिव सोसाइटीज में ठीक आदमी नहीं आते हैं। इसलिये मुझे निवेदन करना है कि जितनी जल्दी हो सके कोआपरेटिव सोसाइटी को वालन्टरी आर्गेनाइजशन डेमोक्रेटिक इन्सटी-ट्यूशन बनाने के लिये डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज के हाथों में काम देना चाहिये। आज स्थिति यह है कि 26 जिलों में 26 कलेक्टर्स ही सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। बी. डी. ओज. लैण्ड डवलपमेन्ट बैंक के चेयरमैन हैं। परन्तु दुखदायी स्थिति यह है कि विधान सभा के सारे सत्रों में यह आरोप लगे हैं कि नौकर-शाही सहकारिता पर हावी है। नौकरशाही क्या कर सकती है वह भी उन्होंने बताया। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी कोआपरेटिव सोसाइटीज का वालन्टरी डेमोक्रेटिक स्वरूप लाया जा सके उतना ही स्वयं आपके विभाग, सहकारिता आन्दोलन के हित में होगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि और सब जगह तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मैम्बर्स को हटा दिया, इमर्जेन्सी के दौरान हटाया। कुछ रहे सहे थे उनको बाद में हटा दिया। मगर कुछ सोसाइटीज ऐसी

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

हैं जिनके संबंध में वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता है किन्तु नहीं किया जा सका है। जयपुर शहर में 150 कोआपरेटिव, हाउसिंग सोसाइटीज हैं। उनमें बड़े-बड़े घोटाले हैं। उन सोसाइटीज के कारण जयपुर का विकास रुका हुआ है। मैंने न केवल सहकारी अधिकारियों बल्कि सहकारी मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था कि सब सोसाइटीज को पूर्ण कर दे तो जिन-जिन लोगों ने रुपया खाया है उनसे वसूल हो जायगा। वसूली हर सोसाइटी में 4-4, 5-5 लाख की होगी। उससे जयपुर शहर के विकास के लिये प्रचुर मात्रा में धन मिल जायगा। उनको पूर्ण कर दें तो हजारों लोग जो उनके मेम्बर हैं उन सब को अपने प्लाटों पर मकान बनाने का मौका मिल जायगा। इससे जयपुर शहर में आवास की समस्या और कच्ची बस्तियों की जो समस्या है वह हल हो सकती है। मगर उस पत्र का उत्तर आया है कि विचार कर रहे हैं। कितने दिन तक विचार करेंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि इस पत्र पर विभाग के मंत्री महोदय और अधिक ध्यान दें ताकि जयपुर शहर की तरक्की हो सके। इसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सदस्यों की भूमि पर दूसरों का कब्जा हो रहा है, उनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वह दूर हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग के संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग में जिस जिस घोटाले की बात कही गई है और महिला सदनों का जिक्र किया गया है मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। उनके पीछे एक बात थी। इस विभाग के अध्यक्ष और मंत्री कुंआरे व्यक्ति थे। आज दिन इस विभाग की मंत्री महिला है। महिलाओं के अन्तर्गत यह विभाग चल रहा है वह चाहे अध्यक्ष हो या अध्यक्षा, इसलिये पहले से खतरा अब कम हो गया है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग की क्या जरूरत है? इसके बिना काम नहीं चल सकता है? 30 वर्षों से समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है। 30 वर्ष के बाद भी समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, समाज का जो दलित वर्ग है, वह वर्ग बदल सकेगा या नहीं? यह समाज अपने आप खड़ा हो सकता है तो फिर ऐसे विभाग की क्या आवश्यकता है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को तोड़ दें और आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं या आई. जी. पी. हैं वह इनमें से बना दें या उच्च पदाधिकारी इनमें से बनायें तो अपने आप यह अपनी पूर्ति कर सकेंगे क्योंकि समान संस्कार के लोग ही एक दूसरे का भला कर सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है समाज कल्याण के बारे में विशेष विचार होना चाहिए कि इस विभाग को कायम रखा जाय या नहीं रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप मुझे कुछ समय और दे दें ताकि मैं अपने सुझाव जो देना चाहता हूं वह दे सकूं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बालकृष्ण थानवी।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)
श्रीमती श्यामा कुमारी ।

(अनुपस्थित)

श्री बजरंगलाल शर्मा : श्री थानवी अपना समय मुझे देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये ।

श्रीमती श्यामा कुमारी ।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो "स" एक साथ आये हैं, समाज कल्याण और सहकारिता । इन दोनों "स" के साथ शराब का "श" और जुड़ा हुआ है इससे सारी गड़बड़ हो गई । शराब के उपयोग के बाद जो स्थिति होनी चाहिए वही स्थिति इन दोनों विभागों की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 30 वर्ष से समाज कल्याण का काम चल रहा है । होस्टल इनके अलग अलग चलायें जा रहे हैं । सचमुच अगर आप यह चाहते हैं कि यह हमारे बराबर आयें तो आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिम्मत करें और सब अलग अलग होस्टलों को तोड़ें । सब होस्टलों में सब जाति के लोगों को लें । इनको जो कुछ आपको देना हो दीजिये, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करें कि मेहतर, मेहता, माली, मीणा, माहेश्वरी, मेघवाल, मेड़तवाल सब उस एक होस्टल में रहें । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहला काम आप यह करें कि होस्टल सबके लिए एक बनायें । अगर आप एक होस्टल बनायेंगे तो सचमुच इनका कल्याण हो सकेगा ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में क्या पी० सी० सरकार जैसे जादूगर लगे हुए हैं ? स्टेनलैस स्टील के बर्तन होस्टल के लिए खरीदे जाते हैं वे एल्यूमिनियम के बन जाते हैं और दूसरा जो सामान है वह उड़कर घरों में चला जाता है । तो आप देखें कि ऐसे पी०सी० रकार कौन हैं ?

तीसरी बात मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । 1944 में सहकारी समिति मैंने बीगोद में शुरू की थी जब कि मेवाड़ में एक भी सहकारी समिति नहीं थी । हमने लोगों से कर्जा लिया और डिपोजिट मांगे । उससे कई लोगों की गिरवी रखी हुई जमीन छुड़वाई, कई लोगों के खेत और कुओं को गिरवी से छुड़वाया । कई लोगों को पढ़ा लिखा कर होशियार किया जो आज भी कोआपरेटिव में इन्सपैक्टर हैं । अपने राज्य में सहकारी समितियां शुरू होते ही तीन रोग से ग्रसित हो गई हैं । कोआपरेटिव में पार्टीबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थ और जातिवाद है । इस त्रिदोष से इसको मुक्ति दिलानी है । अब तो नारा ही बदल गया है । पहले नारा था "एक सब के लिए और सब एक के लिए" और अब नारा है "मैं मेरे लिए और सब मेरे लिए" ।

इतना खर्चा सहकारी समितियों और समाज कल्याण के मार्फत किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि काम नहीं हो रहा है । अगर आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो तो निश्चित रूप से मीरा की तरह बावला

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

होकर काम करना पड़ेगा। हनुमान राम की सेवा में जिस तरह से बावले हुए थे उस तरह से बावला होकर काम करना पड़ेगा। तभी सारा पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार दूर होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं—

सेवा और सहकारिता
दोनों मंत्र महान।
किन्तु चले क्यों कर बता बिना त्याग बलिदान।

यह बात कह कर मैं बैठूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चला गया था। मुझे समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री अमृतलाल परमार।

(अनुपस्थित)

श्री ताराचंद।

श्री ताराचन्द (रूपवास) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने अपने विचार रखूंगा। समाज कल्याण विभाग का जो दफ्तर है उसके विषय में मुझसे पहले बोलने वाले जो माननीय सदस्य हैं, मान्यवर महोदय, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कहूंगा। छात्रवृत्तियों के बारे में किसी ने नहीं कहा है इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। छात्रवृत्ति जो स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए दी जाती है वह तो करीब-करीब मिलती है और दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। उसका कारण यह है कि परीक्षाएं देर से होती हैं तो परीक्षा-फल देर से आते हैं इसलिये छात्रवृत्ति के फार्म्स देरी से भरे जाते हैं। फिर लाएतलाली के कारण समय पर भेज नहीं पाते हैं। इस तरह से सारे फार्म्स वहीं रखे रह जाते हैं और वह समय पर नहीं पहुंचते हैं। छात्र इस कारण से छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं और उनको छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं। यह बहुत बड़े दुःख की बात है। ऐसा होता क्यों आया है ?

छात्रावासों में जो सुपरिन्टेन्डेन्ट रहते हैं उनको देखा जाए तो वे छात्रावास में समय पर नहीं रहते हैं। उनको 24 घंटे छात्रावास में रहना चाहिए और छात्रों की व्यवस्था को देखना चाहिए लेकिन वे मौजूद नहीं रहते हैं। वे चले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है ? छात्रों के खाने-पीने की सारी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती है। उनको अच्छा खाने को नहीं मिलता है, न कपड़े मिलते हैं। खाने की व्यवस्था खराब है। साग-सब्जी खराब है। जो उनका रजिस्टर होता है उसमें उनके दस्तखत करा लिए जाते हैं। अग्रिम दस्तखत करा लिए जाते हैं। वे मौजूद हों या न हों पूर्ण रूप से रजिस्टर में उपस्थित दिखते हैं। जब कि वे छुट्टी पर नहीं रहते हैं, गैर-हाजिर रहते हैं फिर भी उनको पूरा खर्चा दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन मोहल्लों में बिजली-पानी की समस्या है। शहरों में सरकार की ओर से हरिजन मोहल्लों में बिजली-पानी की व्यवस्था की गई है तो हरिजन मोहल्लों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से अलग से पैसा क्यों दिया जाता है, साथ-साथ ही पूर्ति क्यों नहीं की जाती है ? उनको यह कह कर अधर में लटका दिया जाता है कि पैसा समाज कल्याण विभाग देगा तब बिजली-पानी

(श्री ताराचन्द)

की व्यवस्था करेंगे । यह विडम्बना है । मेरा निवेदन है कि शहर और गांवों में साथ साथ बिजली-पानी की व्यवस्था करनी चाहिये और यह कार्य समाज कल्याण विभाग के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिये ।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि यह जो पोषाहार केन्द्र आप चला रहे हैं, यह जो आपके पोषाहार के स्थान हैं, उनमें क्या होता है, यह मैं आपको बताऊंगा । गांवों में, शहरों में जहां पर मोहल्लों में पोषाहार दिया जाता है उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि दलिया जो दिया जाता है उसमें घी नहीं होता । ठेकेदार और इन्सपैक्टर आते रहते हैं । समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर से मैं मिला था । उन्होंने यह बताया है कि 60 लाख रुपये का असली घी बम्बई से आ रहा है । यह सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । क्या दलिया में घी दिया जाता है ? कभी नहीं दिया गया । तब वह घी कहां जाता है ? इसलिए इसकी देख-रेख कीजिय । आप घी मत दीजिए और यह 60 लाख रुपया कहीं अच्छी जगह पर लगा दीजिए । पोषाहार का मामला लीजिए । जो दलिया दिया जाता है, वह कैसा बनता है ? घी कौन ले जाते हैं । शहरों में ये केन्द्र हैं । भरतपुर में 56 पोषाहार केन्द्र हैं । उनमें गरीब दलिया नहीं खा सकते हैं । कौन खाते हैं, यह भी पता नहीं है । जो भी इसको ले जाते हैं वह अपनी बकरी, गाय, भैंस, कुत्ते को डाल देते हैं । यह क्या तमाशा है ? मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बदले दूसरे मद में इस पैसे को आप लगावें नहीं तो इसको बन्द करें । ऐसे पोषाहार केन्द्र की आवश्यकता नहीं है ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज संगठन और सहकारी संस्थाओं में आज भी जाति सम्बन्धी भावना है । उच्च वर्ण के लोग, समाज का नेतृत्व करने वाले जातीयता की भावना रखते हैं । साम्प्रदायिक भावना रखते हैं । सरपंच के चुनाव के बाद जो सरपंच हो रहे हैं वे लोग अनुसूचित जनजाति के लोगों से बदला ले रहे हैं । उनके साथ मारपीट कर रहे हैं । उनके खेत उजाड़ रहे हैं । जो पहले होता था, वह आज हो रहा है । समाज का ढांचा वह का वही है । कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । दांताराम नाम का जाटव बसेड़ी पंचायत समिति के सरपंच के लिए खड़ा हुआ. उसके विरोध में एक हरिजन खड़ा हुआ । इस दांताराम के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले उसको एक पार्टी की ओर से एम. एल. ए. का टिकट दिया जा रहा था, वह उसके काबिल पाया गया था परन्तु वह एम एल. ए. नहीं बन पाया और वह सरपंच भी नहीं बन सका । चाहे जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या अन्य किसी पार्टी का—सब लोग यह कहते हैं, हरिजनों के प्रति सहानुभूति में कोई किसी से कम नहीं है । मैं यह एक पर्चा सदन को पढ़ कर सुनाता हूं जिससे आपको यह सन्देह मिट जाएगा कि हरिजनों के साथ क्या हो रहा है, जिसके लिए सारी पार्टियां अपना-अपना दावा करती हैं । किसी पार्टी से हमें कोई उम्मीद नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसका सारांश, आशय पढ़ दीजिये ।

श्री ताराचन्द : मुझे कहने का समय दिया जाए.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, आपका इस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ताराचन्द : यह समाज की व्यवस्था का प्रश्न है। समाज कल्याण के अन्तर्गत ही आपको यह निवेदन कर रहा हूं। समाज कल्याण विभाग में ही यह आता है। यह पर्चा जो जारी किया गया है चुनाव के लिए, उसमें जो है वह पढ़ कर सुनाता हूं :

"बसेड़ी पंचायत के सवर्ण मतदाताओं से अपील,

प्रिय महानुभावों, बड़े दुःख की बात है कि ठाकुर और बनिया उम्मीदवार भारी संख्या में खड़े हो गये हैं जब कि जाटवों में एक ही उम्मीदवार खड़ा है। वैसे हमने एक और चमार तैयार कर लिया है लेकिन चमारों पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वोट एक ही जगह गिरेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वे हमारे खड़े किये हुए चमार उम्मीदवार को वोट नहीं दें या वह उम्मीदवार भी दांताराम का भीतर ही भीतर प्रचार करने लग जाए या बैठ जाए। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में यह सीट चमारों के हाथ में नहीं चली जाए। नहीं तो हमारे तुम्हारे लिए यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। काछियों से हमें कोई खतरा नहीं है लेकिन अन्य नीच जातियों के वोट भी जाटवों को ही मिलने से हमें चमारों से ही खतरा है। अभी तो बेटी बाप की है। अब भी सोच लीजिए। हमने ब्राह्मणों, बनियों, ठाकुरों के तीन-तीन आदमी बुला कर एक गुप्त मीटिंग की है क्योंकि खुली पंचायत में वे लोग अपने स्वार्थ के कारण पंचायत को बिगाड़ देते हैं। इसलिए गुप्त मीटिंग में बसेड़ी की सीट बचाने का फैसला किया है। ब्राह्मण, बनियां, ठाकुरों में से जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं वे तो अपनी हठ के कारण नहीं बैठेंगे। आप उनको खड़ा ही रहने दें लेकिन कमेटी द्वारा बताये हुए एक उम्मीदवार को ही आंखें मूंद कर अपना वोट दे दें तो आपकी यह सीट बड़ी जाति को मिल सकती है। कमेटी में ब्राह्मण, ठाकुर, बनियों के प्रतिष्ठित लोग हैं जो सीट बचाने के चक्कर में हैं। कमेटी इस पर्चे के दूसरे दिन बाद ही एक छोटा सा पर्चा निकाल कर उम्मीदवार का नाम घोषित करेगी। आप अपनी सीट बचाने के लिए उसे ही गुप्त मत देकर सफल बनावें और उम्मीदवारों को सांत्वना देते रहें। बसेड़ी की लाज आपके हाथ में है।

आपके शुभचिन्तक,

बसेड़ी सीट बचाओ कमेटी, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य जाति के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा गुप्त रीति से गठित कमेटी।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्चा सुन्दर प्रेस, आगरा में छपा है।

श्री द्रोपत सिंह मकासर : किसी का नाम नहीं है।

श्री ताराचन्द : नाम तो नहीं है। केवल कमेटी का नाम आया है।

श्री मूलचन्द डागा : कमेटी का क्या नाम है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी कह दें।

श्री ताराचन्द : बसेड़ी सीट बचाओ कमेटी ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य जाति के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा गुप्त रीति से गठित कमेटी।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी की ही कमेटी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री आर. डी. यादव।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

Page No 136

(136)

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा समाज कल्याण एवं सहकारिता की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा । हमारी पिछली सरकार तीस साल से समाज कल्याण पर करोड़ों रुपया खर्च करती चली आ रही है । उस पैसे का सही उपयोग नहीं होने के कारण इस विभाग के अन्दर काफी ढिलाई रही है । मैं आपके द्वारा हमारी मौजूदा सरकार के मंत्रियों से यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग के अन्दर जो पैसा लेप्स होता है, वह लेप्स नहीं होना चाहिए । जो पैसा जिस कार्य के लिए दिया जाता है, वह पैसा उसी कार्य में खर्च होना चाहिए ।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की हालत पिछली सरकार के समय इस प्रकार की रही है, चाहे होस्टल के आधार पर हो, चाहे छात्रवृत्ति के आधार पर हो, क्षेत्रीय भावनाओं को लेकर खर्च किया गया है । आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण के मामले में क्षेत्रीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए । समाज कल्याण के भूतपूर्व मन्त्री उदयपुर अथवा बांसवाड़ा के थे । वे समाज कल्याण के बजट का $\frac{1}{4}$ दूसरी जगह और $\frac{3}{4}$ अपनी तरफ लगाया करते थे । मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण का पैसा सभी जगह समान रूप से बांटना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले होस्टल हैं उनकी हालत दयनीय है । मैंने परसों भी इस ओर ध्यान दिलाया था और आज भी निवेदन कर रहा हूं । होस्टल्स की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह आज नहीं है । होस्टल में एक लड़के के पास एक कम्बल होता है वह तीन-चार साल पुराना कम्बल होता है । कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो एक कम्बल में सर्दी दब नहीं पाती है । तो मेरा निवेदन है कि उनके लिए अलग से कम्बल की व्यवस्था हो । उनको दो कम्बल दिये जाने चाहिए जिससे कि वह सर्दी से बच सकें ।

इसके अलावा एक-एक कमरे के अन्दर 15-15 और 20-20 लड़के रख दिये जाते हैं । अगर एक कमरे में 20 लड़के हों तो वह किस तरह से पढ़ सकते हैं ; इसलिए आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं करें । अगर आपको पैसा लेना है तो लीजिए, हम और पैसे के लिए सहयोग करेंगे । आज उनके कमरों की जो व्यवस्था है, गद्दों की व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जाकर देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे । मैं अचानक जयपुर के होस्टल में पहुंचा । मैंने वहां की व्यवस्था देखी । उस दिन ऐसी व्यवस्था थी जैसे अर्से से ऐसी ही व्यवस्था हो । पुराने कम्बल थे और लकड़ी के पलंग थे । उन पर गद्दे बिछा दिये गये थे । उन पर ब्राण्ड न्यू चद्दरें बिछाई गई थीं । जयपुर के अन्दर होस्टलों में वार्डन रहते हैं । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अन्दर जाकर देखा और बच्चों से पूछा तो पाया कि वहां बच्चों की पहले से ही हाजरियां भरी हुई थीं । जब मैंने कहा, बच्चे नहीं हैं, तो कहा कि चले गये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि वह हाजरी उस दिन तक की थी । मैंने वहां पर निशान लगाये हैं जो आज भी देखे जायें तो मिलेंगे । कुछ बच्चे शनिवार को जाते हैं । तो शनिवार की सुबह हाजरी लगा देते हैं । सुबह के

(श्री श्रवणलाल)
साथ-साथ शाम की भी हाजरी होती है। सोमवार को वह आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, लड़कों को छात्र-वृत्तियां लेट मिलती हैं। इसका कारण यह है कि फार्म समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह फार्म की व्यवस्था पहले होनी चाहिए जिससे कि वह समय के पहले पहुंच जायें।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, महिला सदनों में लड़कियां फरार हो रही हैं। वहां पर भी देखा है। वहां पर क्या बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

वहां पर उनको किसी प्रकार का रोजगार सम्बन्धी, जिसमें कि उनकी रुचि हो, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनके अन्दर ऐसी रोजगार प्रशिक्षण व्यवस्था हो जिसमें कि वहां पर रहने वाली महिलाएं रुचि रखती हों। इसके साथ-साथ जैसी कि व्यवस्था है .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप निर्धारित समय से ज्यादा समय ले रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं कुछ और निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्सान जब दुनियां में आता है तो उसके करम पर यह लिखा हुआ नहीं होता है कि यह फलां जाति का है, हरिजन है, भांभी है या फलां है लेकिन हमारे देश के अन्दर बसने वाले जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने अलग-अलग वर्ग में इन्सानों को बांट दिया है, अलग-अलग जातियों में बांट दिया है। वह जानते हैं कि यह जातियां मिलेंगी नहीं। जैसे एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दिया जाता है वैसे ही अलग-अलग बिरादरी में बांट कर इन्सानों को अलग कर दिया है। इसकी आड़ में चलने वाली सरकार समाज कल्याण के नाम पर विभाग चलाती हैं। अगर गहराई में जाकर देखें तो बच्चों को मिलने वाला वजीफा मार्च के महीने में आता है और इकट्ठा मिलता है। उनके मां-बाप पैसे वालों के पास जाकर उधार लेकर काम चलाते हैं। जो पैसा हर महीने उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है तो वह कैसे आगे बढ़ सकेंगे? चीन और रूस में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसकी जांच होती है कि वह फेल क्यों हुआ? हमारे यहां समाज कल्याण विभाग में जो लड़के पढ़ते हैं, उनके लिये क्या ऐसी व्यवस्था है?

श्री ग्योवर्तसिंह मकासर : यहां पर जो पास हो जाते हैं, उनके लिए यह सोचा जाता है कि पास कैसे हो गये?

श्री नूरा : मेरे सहयोगी सहयोग कर रहे हैं।

यहां पर अगर गरीब पास हो जाता है तो उस को काम नहीं मिलता है।

नारीशाला समाज कल्याण विभाग से जो दुखी बहिनें हैं, वह भाग कर चली गईं। मन्त्री महोदय ने जाकर देखा नहीं होगा, क्यों चली गई हैं। मेरे एक मित्र ने बांसवाड़ा की एक घटना बताई है। वहां पर एक

(श्री नूरा)
आंगनवाड़ी नाम का सैण्टर चलता है। 150 महिलाएं उस सैण्टर में काम करती हैं। वहां पर अधिकारी लोग जाते हैं तो रात को उनको बुलाते हैं। मन्त्री महोदय को शिकायत करने गई तो उनको डांटा गया। वह वहां से चली गई। उस सैण्टर की अधिकारी है जिसका नाम सरला बहिनजी है। उसने देखा कि शिकायत हुई है तो एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनीयर महोदय को मंत्री महोदय के पास भेजा सिफारिश करने के लिये कि मेरे पर आंच नहीं आनी चाहिए। यह एक उदाहरण है। इस तरह के कई मामले हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको गहराई में जाकर देखना चाहिए। कितनी भी ऐसी बहिनें हैं। समाज कल्याण की उनके रखरखाव की व्यवस्था है कि नहीं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है या नहीं, उनके रहने की क्या व्यवस्था है ?

मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में जांच होनी चाहिये कि किस-किस ने समाज कल्याण के नाम पर कितनी सम्पत्ति अर्जित की है ? जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उनके नाम से, जैसा अभी एक विधायक महोदय ने उदाहरण दिया, पैसा लेकर बंगले और कोठियां बनी हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जांच की जाकर ऐसी सम्पत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि अब यह विभाग जिस मंत्री महोदय के पास है वे इसकी जड़ को समझेंगी। बार बार आप अधिकारियों पर भरोसा नहीं करें, महिला अधिकारियों के भरोसे न रहें, नजदीक से जाकर आप उनको देखें। इस समाज कल्याण विभाग को तोड़ कर एक बेसहारा विभाग नाम रखें जिसका कोई सहारा न हो उसको सहारा दें,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस विभाग के नाम पर बड़े लोग बन गये इसलिये इस की व्यवस्था में चेन्ज करें। जो बेसहारा हैं उनको सहारा मिलना चाहिए और उनके नाम से जिनके द्वारा पैसा बिगाड़ा जाता है उनको दण्ड मिलना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा . . .

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री नूरा : कोआपरेटिव विभाग के बारे में निवेदन करूं कि इसमें बहुत चोरियां होती हैं। उनमें प्रशासक बैठे हुए है। पंचायत मंत्री महोदय के पास यह विभाग है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जिस हिम्मत और दिलेरी के साथ आपने पंचायतों के चुनाव कराये, उसी तरह से आप इनमें भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बिठाइये और जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच कराके दोषी व्यक्तियों को सजा दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार से मैं अपने कट मोशन रखता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनवन्त सिंह राणावत।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा।

श्री **रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी-अभी नई आयी हैं, जनता सरकार के सत्ता संभालने के साथ मंत्री बनी हैं। लेकिन तीस साल के इस विभाग के

(श्री रतनलाल वर्मा)

कारनामें हैं वह आपको सुनने पड़ रहे हैं। इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग न रख कर 'स्वयं कल्याण विभाग' रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस विभाग में रहने वाले कर्मचारी, आफिसर और मन्त्रियों ने अपना ही तो कल्याण किया है। गरीब सांसी, कंजर, चमार, भांभी का कुछ भला नहीं किया, उनको रहने के लिये मकान नहीं दिया, रोटी नहीं दी, उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बजट पास करके अपने बंगले बनाये, अपनी कारें बनायीं। आज भी इस जयपुर की सड़कों पर बंगले बना कर रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज भी वे सूट-बूट, टाई में अपटूडेट रहते हैं, लेकिन गरीब के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। इसलिये इस विभाग का नाम बदल कर 'स्वयं कल्याण विभाग' कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जितना पैसा अब तक समाज कल्याण के नाम पर खर्च हुआ है, वह किन-किन जगह पर हुआ है, इसकी हकीकत सामने लाने के लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये, और चूकती की चूकती जांच कराई जानी चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नाक से निकलवा लूंगा,' इस कमेटी में दो-चार कांग्रेसियों को ले लीजिये, श्योपतसिंह जीको ले लीजिये और जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को मिला कर एक कमेटी बनाई जाय, फिर नाक से निकालने की बात हो सकती है। मैं समाज कल्याण मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि यदि आप कलंक के टीके से बचना चाहती हैं तो यह कदम आपको उठाना पड़ेगा। गरीबों के नाम पर आफिसर खुला भ्रष्टाचार करते हैं, अभी माननीय सदस्य आरोप लगा रहे थे कि आफिसर बालिकाओं के साथ व्यभिचार करते हैं, यह शर्म की बात है। शर्म के मारे उनको डूब मरना चाहिये जो जिनका चून खाकर अपना पेट भरते हैं। उन पर निगाह डालें, धोखा करें, धिक्कार है, लानत है, थू-थू करने के माजने हैं ऐसे लोगों के। अगर ऐसे कर्म माननीय मंत्री महोदया आपके समय में भी किये तो उनके तो कलंक का टीका लग गया, लेकिन आपको भी कलंकित होना पड़ेगा। इस सदन के अन्दर कोई वहशने वाला नहीं है।

सहकारिता के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय श्री 1008 श्री यहां विराजमान हैं, यह स्वयं कारिता विभाग है, सहकारिता विभाग नहीं। केवल थोथे नारे हैं सहकारिता के। आज की सहकारी समितियां सिर्फ शक्कर बेचने वाली रह गई हैं, शक्कर के नाम पर चल रहीं हैं। इन सहकारी समितियों में, उपाध्यक्ष, महोदय, इतना धोखा है कि दो-ढ़ाई सौ की तनख्वाह पाने वाला सेक्रेटरी तीन सौ का सूट पहना करता है, सूट पहन कर सड़क पर चलता है, । कहां से आया उसके पास इतना पैसा, किसी ने सोचा ? आज तक विचार नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप खाली सुनें ही नहीं। उन गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है। सहकारी समितियों में आया है तो वह गरीब आया है जिसको पैसा लेना था, बैलों के लिए, खाद और बीज के लिए जिसको पैसे की जरूरत थी और जिसको बाजार में पैसा नहीं मिला। उन गरीबों के नाम से पानड़ियां मन्जूर की जाती हैं, झूठे और फर्जी दस्तखत कराये जाते हैं। मेरा खुला आरोप है, इस तरह गरीबों का दमन

(१५०)

(श्री रतनलाल वर्मा)

हो रहा है। राजस्थान के अन्दर दस करोड़ से कम का घोटाला नहीं हो सकता, यह मेरा आरोप है। खुला सीना ठोक कर कहता हूं, मन्त्री महोदया, इसकी जांच कराई जाय। यह मैं नहीं कहता कि आपने किया। यह आफिसरों ने किया है, और खुले रूप से किया है। सहकारी समितियों की शक्कर व्यक्तिगत आदमियों को दी जाती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो पंचायतों का एक एक हैड क्वार्टर बनाया है। एक सहकारी समिति बना दी, जिसमें 15 गांव हैं। उनकी शक्कर आती है, पता नहीं कहां जाती है? सेक्रेटरी का पता नहीं, राशन कार्ड फर्जी है, रजिस्टर फर्जी भर दिये गये हैं और तमाम शक्कर उन आफिसरों के घरों में पहुंचती है। इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। अगर वे शामिल न हों, तो ये घोटाले क्यों होते हैं? सबसे बड़ा अधिकारी यदि कोई है तो कलेक्टर है, अध्यक्ष या चेयरमैन नहीं, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं। जो घोटाले हो रहे हैं उनके लिए कलेक्टर जिम्मेदार है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि कलेक्टर को मीटिंगों का प्रशासक बना दो। न मालूम कितने काम कलेक्टर के पास लगा रखे हैं? इसलिए अगर आपको सहकारिता को अपनाना है तो आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। उसके बाद जितना पुराना रिकार्ड है उसको सील करवाइए। तमाम सहकारी समितियों का रिकार्ड सील करवाइये। उसके बाद नया रिकार्ड रखें और दिशा दी जाए, ताकि वे काम कम्पलीट करें।

समाज कल्याण विभाग का 11 करोड़ का बजट है, उसमें से 5 करोड़ रुपये पंचायतों के विकास के कामों के लिए दिया जाएगा, ढाई रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से और उस पैसे से गांवों का विकास होगा। तमाम राजस्थान के गांवों में तमाम पंचायत क्षेत्रों के गांवों के गरीबों का गला घोटने वाले ये हत्यारे 11 करोड़ खर्च करेंगे। उसमें से 7 करोड़ रुपये तो तनख्वाहों पर जायगा। थोड़ा सा पैसा रह जाता है, वह झूठे-सच्चे बिल बना कर, टेन्डर निकाल कर, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करके खा जायेंगे। तो 11 करोड़ रुपये आप ग्राम पंचायतों को आवंटित कर दें और सर्वे करा लें कि किन किन जगहों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ज्यादा हैं, कहां कहां गरीब लोग ज्यादा हैं। जाति भेद मत करें, जो कि कांग्रेस वालों ने किया। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, मानव हैं, जो भी गरीब हैं, चाहे महाजन है, ब्राह्मण है, यदि गरीब है, खाने को रोटी नहीं है तो उसका उत्थान करना है। यह बात ग्राम पंचायतों को ज्यादा मालूम है, जिला अधिकारियों को मालूम नहीं है। इसलिए पैसा उनको अलाट करें और विभाग को खतम कर तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्थान नहर में मिट्टी डालने के लिए भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुभाषचन्द्र।

श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 30 साल तक भी हमारी जाति के लोग क्यों पिछड़े रहे, कैसे रहे इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। भूतपूर्व सरकार ने कहा था कि हम हरिजनों को बसाने के लिए जमीन देंगे। उनके प्लाट्स काट दिए गए, लेकिन उनको आज तक जानकारी नहीं कि कहां प्लाट काटा है, किस जगह हमारी जमीन है। पटवारी, ग्राम सेवक सारे के सारे 50-50, 100-100 रुपये ले लेते हैं, प्लाट लेने देने की कोई बात नहीं। काश्त की जमीन को भूतपूर्व सरकार ने अलाट किया था। वह

(श्री सुभाषचन्द्र)

अलाटमेंट सिर्फ हरिजनों को किया था, दूसरे सवर्ण लोगों को नहीं। मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। हमारे यहां एक हैड मास्टर है जो 800) रुपया माहवार लेता है, जगलाल नाम है उसका। उसके पास पहले से जमीन थी और उसके भाई को 200) रु. पेन्शन मिलती है। उनको 35 बीघा जमीन अलाट हुई, हालांकि शामिल परिवार है जब कि दूसरे हरिजनों को, जिनके 8 परिवार थे, ढाई ढाई बीघा जमीन दी। मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करायेंगे, लेकिन अभी तक मालूम नहीं, उन्होंने क्या किया ?

अब मैं छात्रावासों के बारे में निवेदन करूंगा। राजस्थान में जो छात्रावास खुले हुए हैं, ये सारे के सारे छात्रावास घोटाले की जड़ें हैं। उनमें जितने भी व्यवस्थापक हैं, सरकार के 50-60 कर्मचारी हैं, वे पैसा बांटते हैं। हरिजन लड़के के लिए 100) रुपया माहवार मिलता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको 20) रु. भी नहीं देते हैं और सारे का सारा पैसा ऐसे ही चला जाता है।

नौकरियों के बारे में भूतपूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि 33 प्रतिशत नौकरियां हरिजनों को, गरीब लोगों को, और पिछड़े वर्ग को दी जायेंगी; लेकिन 33 प्रतिशत के बजाय, सरकार की तरफ से 10 प्रतिशत भी नौकरियां उनको नहीं मिल पाई हैं। मैं एक गरीब परिवार का सदस्य होने के नाते, सदन को सारी की सारी कहानी बता सकता हूं। चाहे सरकारी छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कांग्रेस का हो या जनता सरकार का हो, सारे के सारे मिल कर इस वर्ग की तरफ ध्यान देंगे और ऊंचा उठायेंगे, तो राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। मेरी पुरजोर शब्दों में अपील है कि इस ओर पूरे का पूरा सदन ध्यान दे। अगर कोई गलत शब्द मैंने कहा हो, तो माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण।

श्री हरिकृष्ण (नदवई) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गरीब वर्ग है, अनुसूचित जाति व जनजाति का, उसके कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग है। किन्तु देखने में आ रहा है कि विभाग की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने कभी गांवों में जाकर नहीं देखा कि इन जातियों के लोगों की दशा क्या है, परेशानियां क्या हैं, हरिजन भाइयों के लिए पानी मिलता है या नहीं, उनके लिए हमें कुए बनवाने चाहिए या नहीं, उनके मोहल्लों में रोशनी का इंतजाम है या नहीं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या कभी भी आपने गांवों में जाकर इस बात के लिए पूछा है ? हरिजनों पर जो कुठाराघात होते हैं, उनकी परेशानियां मिटाने के लिए कभी विभाग ने कदम उठाया है ? यदि मंत्री अपने विभाग से जानकारी करेंगे तो उत्तर ना में मिलेगा। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र नदवई छात्रावास की ओर दिलाता हूं। 150 लड़के अनुसूचित जाति व जनजाति के वहां छात्रावास में रहते हैं। क्या आज तक उस छात्रावास को ऊंचा बढ़ाने का प्रयास कभी विभाग की ओर से हुआ है ? इसके लिए मैंने मंत्री महोदय व विभाग को चिट्ठी लिखी है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इस संबंध में वे जरूर सोचें।

(श्री हरिकृष्ण)

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सहकारिता की तो हमारे यहां पर हालत ही अजीब है। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटीज का परीक्षण हमारे यहां पर सन् 58-59 में शुरू किया था। पहले तो सन् 58-59 में छोटी छोटी सोसाइटी बनाई गयीं। थोड़े समय बाद में भूतपूर्व सरकार ने उन छोटी छोटी सोसाइटीज के बजाय वृहताकार सोसाइटीज बनायीं। वृहताकार सोसाइटी में उन सभी छोटी छोटी सोसाइटीज, जो कि 30-40 गांव में होती थी, का विलीनीकरण कर दिया। यह परीक्षण किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, फिर उसी कांग्रेसी सरकार ने सन् 74-75 में एक दूसरा परीक्षण किया, जो वृहताकार सोसाइटीज बनायी गयी थीं उनको वापस छोटी छोटी सहकारी समितियों में विभक्त कर दिया। इसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार विलीनीकरण का सिलसिला भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के समय में सोसाइटीज का चला। उन छोटी छोटी सोसाइटीज को वापस एक वृहताकार सोसाइटी का रूप दिया गया और उनका विलीनीकरण किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार इन सोसाइटीज के साथ एक खल ही खेलती रही, उनके ऊपर परीक्षण ही करती रही। कभी छोटी छोटी सोसाइटीज बनायीं, कभी वह वृहताकार सोसाइटीज बना दी गयीं। सोसाइटीज में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सोसाइटीज के साथ परीक्षण ही होता रहा। इस प्रकार के परीक्षण से सोसाइटीज की हालत सुधरनी चाहिये थी, वह हालत सुधरती नहीं बल्कि बिगड़ती ही रही। कई छोटी छोटी सोसाइटी तो फेल हो गयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। कोआपरेटिव सोसाइटीज में एक सेक्रेटरी नियुक्त किया हुआ होता है। सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक की नीति निर्धारित की हुई है, उसके अनुसार उसको दो सौ रुपये माहवार मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, है तो वह नियुक्ति सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक की नीतियों की क्रियान्विति के लिये, पर उन सचिवों की तनख्वाह का भार सभी उन सोसाइटीज के द्वारा ही उठाया जाता है। इस प्रकार उन सचिवों का सालाना खर्चा 2,400 रुपये उन सोसाइटीज पर पड़ता है। आज स्थिति यह है, वह एक लाख से ऊपर का लेन-देन भी नहीं करती हैं, पर यह सेक्रेटरी रखे हुए हैं। इनसे सोसाइटीज को हानि ही होती है।

इसी प्रकार समितियों की सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में जमा अमानत, जो समिति के ऋण में परिवर्तित नहीं की जाती है, का ब्याज कम मिलता है। जो रकम यह सोसाइटीज अमानत के तौर पर रखती हैं उस पर उन्हें सिर्फ 6 प्रतिशत ही ब्याज मिलता है, जब कि इन सोसाइटीज को लोन के लिये 13 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इन कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो अमानत सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में जमा है, उसको समिति के ऋण में परिवर्तित करायें, नहीं तो हालत यह हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह छोटी मछलियां समुद्र में बड़ी मछलियों द्वारा निगली जाती हैं, उसी तरह यह कोआपरेटिव बैंक छोटी सोसाइटीज को निगल रहा है।

इसके साथ साथ मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का बोर्ड, अपेक्स बैंक का

(श्री हरिकृष्ण)
बोर्ड खतम कर दिया। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार पनपता है, उन मार्केटिंग सोसाइटीज के अध्यक्ष को कायम रखा है। वहां पर आपने प्रशासक भी नियुक्त नहीं किया है क्योंकि उन मार्केटिंग सोसाइटीज के अध्यक्ष इन्हें गल्ले की बोरियां और घी वगैरह ले जाकर दे देते हैं। इसलिये आज भी वह कायम है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें अब। काफी समय ले लिया है आपने।

श्री हरिकृष्ण : इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमें कोआपरेटिव के बारे में प्रगति विवरण दिया है उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। उसमें लेन-देन का ब्यौरा तो बताया है, लेकिन इस वर्ष में कितने कर्ज की वसूली हुई, यह नहीं बताया। उस प्रगति रिपोर्ट में यह भी दिया है कि कितना लेना बाकी है, लेकिन कितनी वसूली हुई, यह उस रिपोर्ट में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 75-76 में सेक्रेटरीज की हड़ताल हुई थी। उस समय इन समितियों के प्रबन्ध अधिकार छीन लिये, इसलिये वसूलियां न हो सकीं। खासतौर से जो भरतपुर की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, पूरी सोसाइटीज डिफाल्टर्स हो गई। उसका खामियाजा हमारे यहां के गरीब काश्तकारों को उठाना पड़ा, उनसे 17 प्रतिशत का डिफाल्टर ब्याज लिया जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपने काफी समय ले लिया है। अब आप खुशामद मत करिये।

श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सहकारिता की मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सहकारिता का आन्दोलन रूसी संस्थाओं और चीन के कम्यून सिस्टम को कम्बाइन करके स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस सहकारिता आन्दोलन का मूल उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा था। इसके पीछे भावना भी हमारे देश को समाजवाद की ओर ले जाने की ही थी। इसी उद्देश्य को लेकर समाजवादी देशों की तरह हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति के लिये सहकारिता आन्दोलन को ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया। इस उद्देश्य से हमारे यहां पर छोटी छोटी सोसाइटीज कम्यून की तरह बनाई गयीं, जो कि समाजवादी देशों से प्रभावित हुई थीं। उसी प्रकार यहां पर संस्थाओं को स्थापित किया गया जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का जल्दी से जल्दी विकास हो सके। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो भी सकता था, लेकिन हमारे यहां पर जिस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था उस पर वह नहीं चल सका। प्रारंभ में किसी में अगर बुराइयां हो जाती हैं तो वह आगे उन्नति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारे यहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज का उत्थान नहीं हुआ, उसका कारण यह रहा कि हमारे यहां पर जो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं, उनमें राजनैतिक प्रवृत्तियां घुस गयीं, जिनसे ये संस्थायें असफल होना शुरू हो गयीं। हमारे यहां ग्रामीण समाज में राजनीति घुस जाने के कारण वे संस्थायें दूषित हो गयीं। इसी

(श्री किशनसिंह भाटी)

कारण सहकारिता के आन्दोलन के तहत एक उद्देश्य था "एक के लिये सब, और सब के लिये एक"। यह उद्देश्य सफल नहीं हो पाया, और जो लाभ कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब से मैं आया हूं तब से मैं यहां पर आपके माध्यम से यह कहता आ रहा हूं कि राजस्थान में भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने जो क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा किया था, वह आज भी चल रहा है। जिस प्रकार भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने दूसरे क्षेत्रों में क्षेत्रीय असन्तुलन रखा था, उसी प्रकार सहकारिता के अन्दर भी हमारे जैसलमेर, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में क्षेत्रीय असंतुलन रखा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव बिलकुल स्पष्ट है, उसमें लिखा है, जैसलमेर में केन्द्रीय सहकारिता बैंक की शाखा स्थापित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर राजस्थान में सबसे पिछड़ा इलाका है। राज्य में हर क्षेत्र में जैसलमेर पिछड़ा ही रहा है। चाहे खनिज के मामले में लें, चाहे पानी के मामले में लें, चाहे सहकारिता के मामले में लें, जैसलमेर क्षेत्र के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक खोले हुए हैं, केवल जैसलमेर में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना नहीं की गयी। यही कारण है कि सहकारिता के माध्यम से जो भी लाभ जैसलमेर के लोगों को मिल सकते थे वह नहीं मिल पाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर जिला दुनियां का सबसे बड़ा जिला है और राजस्थान में भी भू-भाग की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, वह हमेशा उपेक्षित रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि दूसरे जिलों में जहां काश्तकारों ने सहकारिता के माध्यम से लोन लेकर अपना विकास किया है, वहां जैसलमेर में केन्द्रीय कोआपरेटिव बैंक नहीं होने से उस क्षेत्र के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। यह बात भी सही है, उपाध्यक्ष महोदय, आज कोआपरेटिव सोसाइटीज में भयंकर भ्रष्टाचार और पक्षपात व्याप्त है। इसलिये यह जो अच्छा आन्दोलन था, यह दूषित हो गया। फिर भी इसका लाभ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। जैसलमेर में अगर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक होता, तो जैसलमेर में जो लोग रहते हैं, जिनमें मुख्यतः सांडपालक, भेड़पालक, गायपालक लोग काफी मात्रा में हैं, वह लोग इसका लाभ उठा सकते थे। किन्तु हमारे यहां के केटल ब्रीडर्स को सहकारिता से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिये मेरा सहकारिता मंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यह जो पक्षपात पिछले 30 वर्षों से हो रहा है, इसको समाप्त किया जाय। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पिछले आठ महीने में लगातार हर वक्त सदन में इस मांग को दोहराया है कि जैसलमेर में सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना की जाय, जिससे कि जैसलमेर की कोआपरेटिव सोसाइटीज को इसका लाभ मिल सके, तथा वहां जो भेड़पालक हैं, गाय पालक हैं, सांडपालक हैं और केटल ब्रीडर्स हैं वे इसका फायदा उठा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भूतपूर्व सहकारिता मंत्रीजी को इस बात के लिये कन्विन्स भी कर दिया था। उन्होंने यह बात तय भी कर ली थी, जैसलमेर में सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की

(श्री किशनसिंह भाटी)

स्थापना निश्चित रूप से कर दी जायेगी। पर वह अब इस विभाग के मंत्री नहीं रहे हैं, इसलिये अब जो सहकारिता मंत्री हैं उनसे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जैसलमेर में सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले आठ महीनों से लगातार यह मांग करता रहा हूं और बाकी के चार साल तीन माह तक, जब तक वहां सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक नहीं खोला जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से यह मांग करता ही रहूंगा कि जैसलमेर में सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की शाखा खुलनी चाहिये। जैसलमेर, जो कि दुनियां का सबसे बड़ा जिला है, इस मामले में अपवाद नहीं रहना चाहिये। इसके अलावा वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कि हरिजन बहुत मात्रा में हैं। वहां के किसान अत्यन्त गरीब हैं, पिछड़े हैं सदा से ही उपेक्षित रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर ज्यादातर अल्पसंख्यक भी हैं। आज हमारे यहां किसानों का पेशा खेती के साथ साथ पशु-पालन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके माध्यम से थोड़ा अन्त्योदय योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में जो अन्त्योदय योजना की क्रियान्विति की गयी, उसने न केवल अपने देश में, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी ख्याति पाई है। दुनियां के दूसरे देशों ने अन्त्योदय योजना की तारीफ की है। जापान में भी इसकी तारीफ हुई है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो परिवार मेरे जिले में भी सलेक्ट किये जाने थे उसके लिय मैं खुद लगातार 45 दिन तक अपने यहां के अधिकारियों के साथ करीब 250-300 गांवों में घूमा और हमने अच्छा सलेक्शन किया। हमारे कलेक्टर साहब व एस.डी.-ओ. साहब साथ थे। हमने जो सलेक्शन किया, उसके संबंध में हर गांव में जाकर वहां के लोगों से पूछा कि अगर आपको इसमें कोई संशोधन कराना हो तो आप कह दें। जिन जिन जगह मैं गया था, वहां पर कुछ संशोधन भी करके अत्यन्त ही गरीब को निष्पक्षता से चुना। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना के बारे में जो यहां पर कहा गया कि फेअर सलेक्शन नहीं हुआ, यह कहना गलत है, खास तौर से उन गांवों के लिये जिन जिन में मैं उनके साथ साथ गया। लेकिन अन्त्योदय योजना का जो मेरे जिले के लोगों को फायदा मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला। लोगों को लोन नहीं मिलता, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, बीकानेर-जयपुर आदि की शाखायें नहीं हैं। मेरे जिले में बैंक की शाखायें पर्याप्त नहीं हैं इसलिय मेरा निवेदन है कि मेरे जिले में केन्द्रीय कोआपरेटिव बैंक की शाखा हो ताकि उससे किसान को लोन मिल सके, जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र का किसान है। ऊंट के लिये लोन गाय के लिये लोन उन लोगों को मिल सके, इसलिये मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। यह न्यायोचित सवाल है, न्याय के ऊपर आधारित है। उत्तर के वक्त आप फर्मा दें कि इस जिले में यह खराबी थी, इसलिये बैंक की शाखा नहीं खोली। मैं निवेदन करूंगा कि सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की शाखा वहां पर खोली जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है, हरिजनों के लिये छात्रावास समाज कल्याण विभाग ने खोले। 15 वर्ष पहले खोले। जैसलमेर में हरिजन बहुत कम पढ़ते हैं। इसमें कोई

(श्री किशनसिंह भाटी)

विवादास्पद बात नहीं है, यह निर्विवादास्पद बात है। यह भी निर्विवादित सत्य है कि हमारा जिला बहुत पीछे है, हरिजन तो खास-तौर से पीछे हैं। 15 वर्ष पहले हरिजन जो पढ़ते थे उनसे 50 गुना अब बढ़ गये हैं, किन्तु होस्टल लिमिटेड हैं। इनकी संख्या चार-पांच गुना बढ़ जाय, ताकि मेघवाल, हरिजन जो मेरे जिले के छात्र हैं वे होस्टल का लाभ उठा सकें और हरिजन तबके में शिक्षा का प्रसार हो सके। यदि हमारे जिले के हरिजनों को लाभ देना चाहते हैं तो होस्टल्स की संख्या जैसे दूसरे जिलों में बढ़ायी गयी है, नम्बर ऑफ स्टूडेण्ट्स जिस तरह से दूसरे जिलों में बढ़े हैं, उसी अनुपात से मेरे जिले में भी बढ़े तो जो जातियां हरिजन कहलाती हैं, वह हमारे मुकाबले में आ सकती हैं। हर तरह से यह जिला बैकवर्ड है। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है और फाइनेन्स कमीशन की भी राय है कि जैसलमेर जिला सबसे अधिक बैकवर्ड है, उसको सबसे अधिक विकास के साधन मिलने चाहियें। जैसलमेर के लिए पैसा न तो ड्रिंकिंग वाटर के लिये मिला और न ही बिजली के लिये मिला। मेरा निवेदन है कि जैसलमेर में ज्यादा होस्टल्स खोलें ताकि मेघवाल और भील जाति के लोग पढ़ सकें। यह लाभ निश्चित रूप से उन्हें मिलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जो मैंने मांग की है उसे उत्तर के समय स्वीकार करें।

समय के लिये घंटी नहीं बजायी, उसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री सुखलाल सैणचा।

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के जो छात्रावास चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में छात्रावास में जिस तरह से विद्यार्थियों की देखभाल होनी चाहिये, वह देखभाल नहीं हो रही है। कई जगह पर किराये पर लिए हुए छात्रावास के भवन हैं वे उपयुक्त नहीं हैं। विशेषकर अपने यहां जो छात्रावास हैं, उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार को चाहिये कि छात्रों की संख्या को देखकर उपयुक्त छात्रावास बनायें और उनकी व्यवस्था को ठीक करें।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सामान आदि का जो दुरुपयोग होता है उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि उसकी व्यवस्था में सुधार किया जाय। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि जिस इलाके में अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग बड़ी तादाद में गांवों में रहते हैं, जहां पर पिछड़ी जाति की बस्तियां हैं, वहां पर बिजली नहीं मिली है, पानी नहीं है। वहां पर आप बिजली और पानी की अविलम्ब व्यवस्था करें। एक-दो एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा विशेषकर मकराना के सम्बन्ध में। मकराना बड़ा कस्बा है, नगरपालिका है, पूर्णरूप से वहां बिजली पानी की व्यवस्था है। पास ही में एक गांव या वार्ड कहते हैं, उसका नाम है बिदायाद है। वहां 90 पर्सेन्ट लोग अनुसूचित जाति के हैं। वहां पर अब तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। बहुत दूर जाकर उनको पानी लाना होता है। नगरपालिका ने और जगह पानी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
की सुविधा दे रखी है, लेकिन यह रिजर्व वार्ड होते हुए भी अनुसूचित जाति के लिये वह सुविधा नहीं है। हाल यह है कि पानी होते हुए भी पानी नहीं मिल रहा है। इसलिये इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार से जानना चाहूंगा कि उनको पानी क्यों नहीं मिलता है, जब कि नगरपालिका में और सब जगह तो पानी की व्यवस्था है? इसी प्रकार से डेगाना स्टेशन के पास ही गोरेरी करना में अनुसूचित जाति के लोगों को पानी और बिजली नहीं मिली, जब कि आलरेडी इलेक्ट्रिफाइड है और पास में पानी है। मैंने ये आपको दो एग्जाम्पल्स दी हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं। अन्य भागों में भी हो सकते हैं, इसलिये आप तुरन्त ही व्यवस्था करें।

इसके साथ ही आपकी यह प्रगति विवरण पुस्तिका देखी। इसमें 1300 अनुदानित छात्रावास हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। इस व्यवस्था को आप सुधारिये या सरकार द्वारा उनको पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया जाय, और उनके संचालन की सुचारु व्यवस्था की जाय।

माननीय सहकारिता मंत्रीजी यहां नहीं हैं। मैं विशेष तौर से जो बातें निवेदन करूंगा अन्य मंत्रीजी उनको नोट कर लेंगे। बैंकों के चुनाव हो नहीं सके हैं। साल भर से इन्तजार किया जा रहा था कि करायेंगे, लेकिन हुए नहीं। जहां बैंक की हालत का प्रश्न है उसकी आर्थिक हालत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। मैं मेरे क्षेत्र के नागौर जिले के भूमि विकास बैंक के बारे में निवेदन करूं, जहां पूर्व में प्रशासक लगा था। उसकी हालत ऐसी थी कि न तो ऋण मिला था और न ही उसमें ऋण देने की क्षमता थी, फिर चुनाव हुए। उसमें सुधार हुआ दो-तीन साल में, और फिर इस साल, जब से प्रशासक लगा है, तब से ऋण की वसूली हो नहीं रही है। अभी 40 परसेन्ट की रिकवरी हुई है। 75 परसेन्ट नहीं होगी तो ऋण मिलेगा नहीं, और यह बैंक डिफाल्टर हो जायेगा, पैंदे बैठ जायेगा। साल भर की जगह पांच साल लगा दीजिये, लेकिन व्यवस्था करें। प्रशासक के रहते हुए, बैंक की हालत बिगड़ती है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को कायम किया जाना चाहिये ताकि दोषी में दोष निकाला जा सके, व गलती करने वाले को जिम्मेदार ठहराया जा सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी समितियां हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। सहकारी समिति के लोन चुकाने के बाद भी फिर लोन नहीं मिल पाता है। लोन में किस प्रकार धांधलीबाजी की जाती है, एक उदाहरण आपको पेश करता हूं। मेरे यहां की एक सेवा सहकारी समिति ने अपना सारा लोन चुका कर, पुनः लोन मांगा एवं उसकी लोन पत्रावली बना दी गई, पर जो लोन मांगा गया था उसका 10 प्रतिशत भी स्वीकृत नहीं किया गया। फिर पत्रावली लौटाई तो एक लाख कर दिया, जब कि उस सहकारी समिति को पांच लाख का लोन चाहिये, जिसके लिये पत्रावली तैयार की गई थी। तो एक लाख से कैसे काम चलेगा। किसी सदस्य को लोन दें, और किसी सदस्य को लोन न दें, तो उस लोन का सदस्य करें क्या? पर बैंक वालों को इस सबसे कुछ मतलब नहीं। कमीशन दो तो लोन अधिक स्वीकृत कर देंगे। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिनमें एक ही पत्रावली पर कई बार लोन थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर मन्जूर किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

एक मिनट और लूंगा ।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, सामूहिक कृषि सहकारी समिति, कुचेरा के संबध में। उस सहकारी समिति का वर्षो पहले अवसायन कर दिया था । उस समिति के लिये श्री भंवर सिंह, सहकारी इंसपैक्टर को अवसायक लगाया गया था । श्री भंवर सिंह ने उस जमीन पर विभाग का कब्जा कर लिया, पर वो भूमि उस सहकारी समिति कुचेरा के नाम से न होकर श्री बगसिया खाती, निवासी खुड़खुड़ा के नाम से थी, और खुड़खुड़ा ग्राम में ही थी। श्री बगसिया खाती व अध्यक्ष श्री रूपकिशोर चिल्लाते रहे, पर किसी ने नहीं सुनी और पूरे विभाग ने कानों में तेल डाल लिया । वह जमीन जो सहकारी समिति के नाम से न होकर दूसरे व्यक्ति के नाम से थी, को बिना किसी पूर्व विभागीय सूचना व स्वीकृति के अवसायक श्री भंवर सिंह ने नीलाम कर दी । जिसको विभाग खुद जानता है । उस सहकारी समिति पर तीस हजार का लोन था, जिसमें जमीन, कुआ, कुए पर मकान मय एंजिन के, इन सबको अवसायक ने अपने निजी आदमी को लाभ उठाने हेतु, घर में बैठ कर कार्यवाही कर, सिर्फ तीन हजार मात्र में नीलाम कर दिया । अवसायक ने घर पर पांच अपने आदमियों को बुलाया । एक फर्जी नीलामी की फर्द बनाई गई एवं अपने ही एक आदमी श्री हीरालाल भटड़, निवासी नोखामण्डी के नाम कर दी । इसके लिये राज्य सरकार तब के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, नागौर की कई शिकायतें की गई, पर कुछ नहीं किया गया, मामला ऊपर का ऊपर दबा दिया गया । बेची श्री हीरालाल को, पर उस पर कब्जा श्री भंवर सिंह ने खुद किया । उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भंवर सिंह, अवसायक उस भूमि पर रहते आ रहे हैं, काश्त की, और पुनः अभी जमीन बेच दी । अब बेची 20 हजार में । मेरे पास इसकी एक फोटो कापी है । वह साबित करती है कि भंवर सिंह, अवसायक ने, उस जमीन का किस प्रकार उपयोग किया व किस प्रकार लाभ उठाया ? उसका पूरा लाभ उठा कर अब वह जमीन 20 हजार में बेच दी है । डिपार्टमेंट को बार बार निवेदन करते रहे, शिकायत की गई है लेकिन 1970 का मामला अभी तक पड़ा हुआ है। इसलिये इस संपूर्ण मामले में जितने लोग इन्वाल्व्ड हैं और जिन्होंने जानबूझ-कर जांच नहीं की है, उनको सजा दिलाई जाए। जिन अवसायक ने बिना विभाग की स्वीकृत के जमीन को नीलाम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । यह स्पष्ट एक साबित शुदा भ्रष्टाचार का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें ।

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : आधा मिनट में ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सहकारिता को नये स्वरूप देने के लिये, कुछ एक एफ.एस.एस. बनाई और अब पेक्स बनाने जा रहे हैं । पेक्स के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में कुछ बताया था, पर इन समितियों के बारे में इस प्रगति विवरण की पुस्तिका में कुछ नहीं लिखा है, अगर आप अपने उत्तर में बता सकें तो कृपा होगी । मैं एफ.एस.एस. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपने नमूने के तौर पर राजस्थान में कुछ एफ. एस. एस. बनाई । मेरे जिले में भी दो हैं और

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
वाई चांस दोनों ही मेरे क्षेत्र में हैं एक घावला, एक हरसोर में। दोनों का हाल बुरा है। हरसोर एफ.एस.एस. का एक मनोनीत बोर्ड कार्य-प्रारंभ में बनाया, तब इसमें 6 ग्राम पंचायतें थीं, 6 सहकारी समितियां को लिया था, पर खेद है कि पास की बिखरनियां पंचायत को छोड़ दिया, और 12 मील दूर के गांव बेवड़ा को आपने इसमें जोड़ लिया। तब कार्यवाही की थी, पर किसी ने नहीं सुना। फिर दो वर्ष हो गये। अभी नया बोर्ड बनाना था। उसका मनोनयन आपने किया। श्री राम वल्लभ तापड़िया को अध्यक्ष बनाया गया। सब गांवों को रीप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आप, मंत्री जी, जानते हैं, यह व्यक्ति कितना भ्रष्ट है। इसके लिये मैं आपसे मिला भी था एवं एक प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया था कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जावे तथा इसे अविलम्ब इस पद से हटाया जाय। यह व्यक्ति न तो किसान है और न किसानों से इसका संबंध है। कृषि सहकारी समिति का अध्यक्ष किसानों का खून चूसने वाला है। यह आपकी नीति को चेलेन्ज है। इस व्यक्ति पर हजारों के भ्रष्टाचार व गबन के मामले राज्य सरकार में पहले से चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं चाहूंगा कि जिस आदमी पर हजारों रुपये का गबन का मामला चल रहा है, ऐसे आदमी, जिसके लिये बैंक लिखता है कि यह आदमी हमारे गांव के लोगों के लिये और बैंक के लिये फायदेमन्द नहीं है, को पता नहीं कैसे बना दिया? मैं निवेदन करूंगा कि इसकी आप जांच तो करायें ही, पर पहले अविलम्ब इसको इस पद से हटायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इन्हीं शब्दों के साथ.....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं इजाजत दूंगा। कृपया माननीय सदस्य विराजें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन प्रस्तुत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष तक एक छत्र कांग्रेस का शासन रहा, फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्तियां तो गांवों के बाहर ही हैं। आज भी अछूतों के कुए अलग ही हैं। होटलों के अन्दर कप और प्याले उनके लिये अलग पड़े हुए हैं। आज भी गांव के मंदिरों के अन्दर हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते। इस सबको देखते हुए कभी-कभी तो मकासर से आये हुए माननीय सदस्य की बात बड़ी प्रिय लगती है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास ही उठ जाता है। मैं मानता हूं कि कल्याणकारी भावनायें जितनी भी पैदा होती हैं वह सारी लोकतंत्र में ही होती हैं। मैं मानता हूं कि गरीबी के प्रति सद्भावना पैदा होती है तो लोकतंत्र में ही पैदा होती है, लेकिन जब यह हालत देखते हैं कि 30 वर्ष के अन्दर भी कुछ नहीं हुआ, 30 वर्षों के बाद भी जिन कार्यालयों में, स्कूलों में हरिजन या अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं, उनमें उनके साथ भेदभाव होता है, श्रीमान्, तब ऐसा लगता है कि एक कठोर और शक्तिशाली व्यवस्था आनी चाहिए।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

एक ऐसी व्यवस्था आनी चाहिये जो पूर्णतया शक्ति के उपयोग से इस भेदभाव को समाप्त कर दे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकतंत्र को हम नहीं छोड़ सकते। इसी कारण से हम उस कठोर और शक्तिशाली व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते। बल एवं शक्ति प्रयोग से यदि कोई भी व्यवस्था आती है तो उसे चलाने के लिए भी उसी शक्ति को सतत बनाये रखना आवश्यक होता है। उसका कोई अंत नहीं होता। परिणामस्वरूप लोकतंत्र समाप्त हो जाता है।

श्रीमन्, समाज कल्याण जो एक विभाग से हटकर विचार बन जाना चाहिए था, समाज का एक दर्शन बन जाना चाहिए था, वह नहीं बन सका। यह लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन समाज कल्याण विभाग लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जुड़ सका। श्रीमन्, इसलिए भय है, यह डर लग रहा है कि उस दिन क्या होगा जब इस सरकार का सम्बल और सहयोग हट जायेगा? 30 साल दलितों हेतु सारे रिजर्वेशन लाये गये। मान लें कि आगे 30 साल और भी चला लेंगे लेकिन यदि यही व्यवस्था समाज की रही, समाज कल्याण विभाग एक विचार नहीं बन पाया, तो जिस दिन सरकार की ओर से दिया जाने वाला सहयोग, सम्बल और आरक्षण पद्धति हट जायेगी उस दिन क्या हालत होगी इन दलितों की? क्या उस दिन अनुसूचित जाति व जन-जाति के इतने एम.एल.ए. विधान सभा में जीत कर आ सकेंगे? आई.ए.एस. और आर.ए.एस. आफिसर्स आ सकेंगे? उस समय क्या होगा? श्रीमान्, इसलिए मेरा एक कथन है कि 30 वर्ष भले ही चले गए हों लेकिन अब जनता पार्टी सोचे कि समाज कल्याण मात्र विभाग बन कर नहीं रहे, समाज कल्याण मात्र प्रशासन का एक अंग बन कर नहीं रहे, बल्कि समाज कल्याण एक विचार बन जाये, एक दर्शन बन जाये और लोगों के अन्दर भावना पैदा हो जाये कि इस देश को, इस राष्ट्र को और इस समाज को शक्तिशाली हम बनायें। समाज का कोई भी अंग, समाज का कोई भी घटक, समाज का कोई भी वर्ग कमजोर नहीं हो, ऐसी भावनाएं बनें।

(6.45 सायं)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति पीठासीन)

मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर समाज रूपी जंजीर की एक कड़ी भी कमजोर रह गई, तो सम्पूर्ण जंजीर किस समय टूट जाये, इसका कोई पता नहीं। अतः यह समाज के हित में है, इस राष्ट्र के हित में है कि यह कमजोर वर्ग, यह शक्तिहीन वर्ग, यह अनुसूचित जाति और जन-जाति शक्तिशाली बने। लेकिन हुआ क्या? उच्च वर्ग और हरिजन वर्ग के बीच में ईर्ष्या और द्वेष भाव पैदा हो गया है। उच्च वर्ग के दिमाग में एक ही बात आ रही कि यह लोग रिजर्वेशन्स के द्वारा, यह लोग कोटे के द्वारा हमारे अधिकारों को हड़प रहे हैं। हरिजन वर्ग के अन्दर भी एक बात पैदा हो रही है कि यह उच्च वर्ग है, यह हमारे अधिकारों के आड़े आ रहा है। श्रीमान्, यदि यही ईर्ष्या की भावना बनी रही, यही द्वेष भाव जिन्दा रहा, तो समाज की एकरूपता, जो हम चाहते हैं, कभी नहीं आ सकेगी।

श्रीमान्, दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि है इस सरकार ने किसी भी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सामाजिक संस्था को इस हेतु सम्बल नहीं दिया, किसी भी संस्था का साथ नहीं दिया ताकि कोई संस्था आगे आकर समाज में मनोभाव पैदा करे। मैं तो ऐसी संस्था के सम्पर्क में आया हूं, पहले मेरे मन में भी एक दूष था, मेरे भी मन में एक ईर्ष्या थी सम्पूर्ण उच्च वर्ग के प्रति। मैं मानता था कि यह वर्ग ही खतम हो जाना चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी संस्था के सम्पर्क में आया जिस संस्था ने मुझे सम्पूर्ण राष्ट्र और कौम से प्रेम करना सिखाया। राष्ट्र और कौम के प्रति जब तक प्रेम पैदा नहीं होगा उच्च वर्ग में भी. जब तक राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तब तक निम्न वर्ग में बैठे हुए आदमी की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ायेगा। उस संस्था में सिखाया जाता है कि अगर अनुसूचित जाति के लोग शक्तिशाली नहीं बनेंगे, तो हम सब कमजोर हो जाएंगे, हमारी जाति और हमारा राष्ट्र कमजोर हो जायेगा और हम मुसीबत में पड़ जायेंगे। उस संस्था में रहने वाले सभी वर्ग लोगों में राष्ट्र अभिमान भरा है और उन लोगों में स्वाभिमान पैदा किया है। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी ऐसी संस्थाओं को खोज जो समाज का एकीकरण करना चाहती हैं जो समाज को शक्तिशाली बनाना चाहती हैं, जो समाज को आगे ले जाना चाहती हैं जनता पार्टी ऐसी संस्थाओं को ढूंढें और उनका साथ दे।

श्रीमान्, सहकारिता के बारे में बहुत कुछ कहा गया.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, कौशल किशोर जी ने जैसा कि सहकारिता मंत्री जी को कहा है....

न खंजर चलेंगे, न चाकू इनसे,

ये बाजू मेरे आजमाये हुए हैं।

ऐसा ही कुछ है। यह सहकारिता मंत्री जी को चुनौती है। इतने-इतने बड़े भ्रष्टाचार आपके सामने लाये गये हैं और सहकारिता विभाग आपको इस उम्मीद से दिया गया है कि इस विभाग में कहीं भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे खतम कीजिये। उनको खींच कर बाहर लाइये और दफना दीजिये।

एक बात और है कि सहकारिता विभाग के अन्दर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके अन्दर भी भावना सहयोग की होनी चाहिये, कोआपरेशन की होनी चाहिये। मात्र प्रशासनिक तरीका ही नहीं होना चाहिये। कहीं भी सत्तांध लोग बैठे हुए हैं तो उनको बदलिये, ऐसे लोगों को लाइये जो सहयोग की भावना वाले लोग हैं। इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले अभी सदन में लाये जा चुके हैं। मैं अभी इनमें बढ़ोतरी नहीं करना चाहता अगली दफा देखेंगे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, इस भारतवर्ष में विशेषकर राजस्थान में, पहले जो राजा-महाराजा और सामंतवादी लोग थे, उन्होंने अलग-अलग समाज का नारा देकर अलग-अलग जातियों में सबको बांट दिया। अलग-अलग शक्ति जब बिखर गई तो शक्तिहीन आदमियों पर एक छत्र राज करते रहे। इस तरह भेदभाव से अलग अलग जातियों में बंट गय। जब मनुष्य जन्म लेता

(श्री रतनाराम चौधरी)

है, जब मनुष्य जन्म पाता है उस समय क्या कोई लोहार, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण होता है ? कुछ नहीं होता । जन्म का और मरने का सब के लिये एक ही रास्ता है । एक ही रास्ते से आते हैं और एक ही रास्ते से जाते हैं । परन्तु मनुष्य अलग-अलग समाज और अलग-अलग शक्ति में बिखरा हुआ है। यह तो बड़ी विडम्बना है, यह कब समाप्त होगी, यह तो मालिक ही जाने ।

जालौर जिले के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं । बड़े दुःख का विषय है कि रानीवाड़ा क्षेत्र में एक भी समाज कल्याण छात्रावास आज तक नहीं खोला गया । मैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रानीवाड़ा में जो पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है, 5-7 हजार की आबादी वाला शहर बसा है वहां मिडिल स्कूल है । इस वर्ष सरकार ने रानीवाड़ा के मिडिल स्कूल को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखा है । इसके साथ ही रानीवाड़ा में एक समाज कल्याण छात्रावास खोलने की कृपा करें । इसके लिये मैंने मंत्री जी को एक व्यक्तिगत रिपोर्ट भी पेश की है । जसवंतपुरा शहर में, पंचायत समिति में करीब 30-35 पंचायतें होते हुए भी, हैड-क्वार्टर होते हुए भी और बावजूद इसके कि 500-700 बच्चे भी पढ़ते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, समाज कल्याण छात्रावास नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जसवंतपुरा और रानीवाड़ा में दो छात्रावास खोलने की कृपा करें ।

मालवा में छात्रावास चल रहा है । वह प्राइवेट छात्रावास है । प्राइवेट छात्रावास में 300 बच्चों को रखा जाता है । वह जैन छात्रावास है । फिर भी दूसरी जाति के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि 50 पर्सेन्ट उसमें अन्य जातियों के लोगों को रखने के लिये बाध्य करें । हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और बिल्कुल गरीबी की स्थिति में हैं । वे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिये न तो भेज सकते हैं, न फीस दे सकते हैं और न खाने के लिये रोटी का इन्तजाम कर सकते हैं । वहां, मान्यवर, अवश्य ही छात्रावास खोलने की कृपा करें ।

श्री **सभापति** : माननीय श्री शंकर लाल ।

श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : सभापति जी, होना तो यह चाहिये कि समाज कल्याण विभाग समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों, चाहे वे किसी भी जाति के हों, का उत्थान करने में लगे । अगर किसी, विशेष जाति का है तो आरक्षण मिलता रहता है, लेकिन यदि किसी जाति विशेष का नहीं है, चाहे मेरीटोरियस भी हो, तो आरक्षण नहीं मिलता है । मेरा निवेदन है कि आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिये समाज कल्याण विभाग काम करे । आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की हमारे समाज कल्याण विभाग ने एक सूची प्रकाशित की है जाति के नाम से कि अनुसूचित जाति कौनसी है, अनुसूचित जन-जाति कौनसी है और पिछड़ी हुई जाति कौनसी है । सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जन-जाति को आरक्षण और उनको सुविधायें यह मान कर दी जाती हैं कि समाज का पिछड़ा वर्ग है । 57 अन्य पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनकी सूची प्रकाशित की गई है किन्तु उन्हें आपके

(श्री शंकरलाल)

विभाग द्वारा कोई कभी सुविधा नहीं दी जा रही हैं। पिछली सरकार ने बहुत सालों के बाद कुछ स्थानों पर प्रवेश देने, उनकी फीस माफी के लिये कुछ आज्ञायें निकाली थीं। आज अन्य पिछड़ी हुई जाति के विद्यार्थी फीस की माफी, या उसके अन्दर रियायत चाहें तो वह भी उनको नहीं मिलती है। आपको मालूम है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, कुछ लोग उसके पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया है। आज राजस्थान में 57 पिछड़ी हुई जातियां हैं, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, चाहे कोई हो, 57 जातियों की सूची आपके डिपार्टमेंट ने प्रकाशित की है किन्तु उनको कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप दूसरे राज्यों, जहां आपकी पार्टी के राज्य हैं, का अनुसरण करके उनको भी राज्य सेवा में आरक्षण दें और उन लोगों को सुविधा देने का प्रबन्ध करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, पाली जिले के अन्दर अनुसूचित जाति के छात्रावास चल रहे हैं। मैं सरकार को, चाहे वह विपक्ष की सरकार हो, धन्यवाद दूंगा कि वहां छात्रों की संख्या बढ़ाई। लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ाने के बाद उनके रहने का और भवन का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। सभापति महोदय, आज वहां पर अनुसूचित जाति के छात्रों को मकान किराये पर देने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि एक मकान हमने दिया, उसका किराया अभी तक नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि अभी पी. डब्ल्यू. डी. से असेस होगा। जब भी मैं जाता हूं, कहते हैं मकान खाली कराओ। जहां भी आपने छात्रावास की संख्या बढ़ाई है, वहां छात्रावासों के लिये मकान की व्यवस्था करें, कोई छात्र कहीं रहे, कोई कहीं रहे, तो उन पर कन्ट्रोल नहीं हो पाता। इसलिये आपने छात्रों की जहां संख्या बढ़ाई है, जहां मकानों का अभाव है, बजट में प्रावधान करके, छात्रावासों का निर्माण करें ताकि छात्र उसमें रह सकें।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी स्कीम अच्छी है। अनुसूचित जाति के लोगों को आप 4 प्रतिशत पर बैंक से ऋण दिलाते हैं, लेकिन मैंने मालूम किया है पाली जिले में ऐसे दस आदमियों को भी ऋण नहीं मिल पाया है। इसका कारण है उनको मदद करने के लिये कोई नहीं है। उनकी कोई नौकरी नहीं है। मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे एक समाज कल्याण अधिकारी ने बताया था। आप एम. एल. एज. को जानकारी नहीं भेजते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका प्रचार और प्रसार किया जाये। सभापति महोदय, संक्षेप में निवेदन करूंगा कि प्रचार करना मदद दिलाने के लिये जरूरी है। चौथा मैं यह निवेदन कर रहा था, हर तरफ से इस प्रकार की आवाज उठ रही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जो जमीनें अलॉट हुई थीं, जनता पार्टी का राज्य आने के बाद उनको बेदखल किया जा रहा है। वास्तव में अगर किया जा रहा है तो मैं डिटेल में नहीं जाकर यह निवेदन करूंगा कि आपने उनके लिये कानूनी सहायता का कोई प्रावधान नहीं किया है। पहले की सरकार ने नाम मात्र का प्रावधान रखा था। इस बारे में मैंने उनकी भी आलोचना की थी, क्योंकि प्रावधान नहीं होने के कारण गरीब कोर्ट में किसी के खिलाफ लड़ नहीं सकता है।

(154)

(श्री शंकरलाल)

मेरा निवेदन है आप इस मद में पैसे बढ़ाइये और यह तय करिये कि किसी भी जिले में यदि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ जुल्म होगा और अगर वह गरीब आदमी है तो सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। आपका वह दरवाजा खटखटायें और आप कहें यह तो अदालत का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते तो यह उचित नहीं है। इसलिये इस मद में आपको पैसे बढ़ाने होंगे।

मैं सहकारिता के संबंध में दो शब्द और निवेदन कर दूं। राजस्थान में जितनी सहकारी समितियां हैं वे जन आन्दोलन नहीं बन सकीं। इसलिये आपको पिछड़े वर्ग को संगठित करके उसे सहकारिता के माध्यम से लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से सहकारी विभाग का पुनर्गठन का कार्य करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन मंत्री जी के हाथ में यह काम आया है, मैंने उन्हें यह दलील दी थी तो मालूम पड़ा कि उनके दिमाग में जरूर इस सहकारिता के आन्दोलन को बढ़ाने की लालसा है। हम उनसे उम्मीद तो करते हैं लेकिन इसको क्रियान्वित करने में कहां तक काबिल होंगे, यह ईश्वर जाने। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जन आन्दोलन को बढ़ाने के लिये सहकारी शिक्षा को अपनाइये। यह सहकारी विभाग जनता का विभाग बने। यह नहीं कि डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, इन्सपैक्टर, असिस्टेन्ट इन्सपैक्टर में ही उलझ जायं। आज जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव करवाये उसी प्रकार इस विभाग का पुनर्गठन करके इस को भी सक्षम बनायें।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली में भूमि विकास बैंक या अन्य और कोई इस प्रकार की संस्थायें हैं जो लोन वगैरह का काम करती हैं और जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हैं, आप उनको पाबन्द कर दीजिये कि सहकारी शिक्षा का प्रसार करें ताकि यह आन्दोलन बढ़ सके। मैं एक निवेदन और करूं, जिन देशों में यह आन्दोलन सफल हुआ है वहां सरकारी आदमी सहकारी समिति के नीचे काम करते हैं। आप हिन्दुस्तान के उन राज्यों की नहीं बल्कि उन देशों की स्टडी करें जहां कोआपरेटिव मूवमेंट पिछड़े हुये लोगों का उत्थान करने में सफल हुआ है।

मुझे एक यह भी निवेदन करना है कि अभी कोआपरेटिव विभाग में स्थान रिक्त पड़े हुये हैं। हजारों एप्लीकेशन्स उनके लिये आईं लेकिन कोई पता नहीं कि उनको इस विभाग में लेना है या नहीं लेना है, कोई इत्तला नहीं है। मेरा निवेदन है आप इस विभाग को एक्टीवाइज कीजिये और जो ध्येय है, उसे प्राप्त करिये।

मैं भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मिल कर आपका उस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री **सभापति** : श्री दुला राम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद जहूर।

(अनुपस्थित)

श्री लाल चन्द।

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह।

श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत) : सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग

(श्री माधवसिंह)
के बारे में ज्यादातर विधायकों का जो विचार है वह मंत्री महोदया सुन ही रही हैं। उसके अचीवमेंट तथा वर्किंग के बाबत शायद ही किसी विधायक ने यह कहा हो कि हम संतुष्ट हैं और आपका विभाग सही काम कर रहा है। आज इस डिपार्टमेंट को चलते हुए 30 साल हो गये। हरिजनों के उत्थान में तथा उनको आगे बढ़ाने में क्या कुछ किया है, यह आपसे छिपा नहीं है। जो भी रिजर्वेशन किया गया उसमें शायद पांच प्रतिशत को जरूर फायदा मिला है परन्तु जो बहुमत वर्ग हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिला। पांच प्रतिशत ने भी अपना एक बिलकुल अलग वर्ग बना लिया है और हर तरह से अलग हो गये हैं। अगर उनका कोई रिश्तेदार, भाई-बन्धु, जिन की आर्थिक हालत कमजोर है, आये तो उन्हें यह कहते हुए भी शर्म आती है कि यह मेरा भाई है या भतीजा है। उनसे अगर उनका पड़ौसी या दोस्त पूछे कि यह कौन आया है तो कहेंगे, यह मेरे गांव का नौकर है या काम करने वाला है। इस तरह के एक प्रिविलेज्ड वर्ग को हमारी पिछली सरकार ने जरूर तैयार किया है। जो अनुसूचित जाति के आज आई.ए.एस. हैं या मंत्री, क्या वे अपनी लड़कियों और लड़कों की शादी पिछड़े वर्ग के गरीब आदमी में करना पसन्द करेंगे? नहीं करेंगे, किसी बराबर वालों को ही देंगे। कहीं कोई रजिस्ट्रार लगा हुआ होगा या अन्य कोई ऊंचे पद पर होगा उसको देना पसन्द करेंगे। मतलब यह है कि इस अनुसूचित वर्ग में से कुछ प्रतिशत निकाल कर जरूर अलग कर दिया गया है। क्या इस विभाग ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि आम हरिजनों की हालत क्या है? जो उनकी रूढ़िवादी सामाजिक प्रथायें हैं, न उन पर कोई विचार किया गया, न दबाव डाला गया। खास कर शादियों और मौसरों में वे खर्च करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन्दा है तब तक इंसान की कीमत नहीं और मरने के बाद उसके परिवार वाले पर समाज द्वारा दबाव डाला जाता है कि इधर-उधर से कहीं से भी कर्जा लेकर 50 हजार रुपया उसके मौसर में लगाओ। कहावत है कि जीवतो राखरो मरीयाओ लाखरो। उस कर्ज को बच्चा अपनी दो-तीन पीढ़ी तक नहीं उतार सकेगा और सारी जिन्दगी भर उसको ब्याज ही ब्याज देना पड़ेगा। आज इस बात से किसी समाज कल्याण अधिकारी को लेना-देना नहीं है। कहीं मौसर में, कहीं शादियों में 500-500 आदमियों का खाना बन रहा है और पैसे की बरबादी की जा रही है।

उनमें सेविंग की आदत डालने बाबत समाज कल्याण के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग भी सहयोग दे सकते हैं—गांव-गांव में जाकर जहां कहीं खर्चा हो रहा हो हम उसको रजामन्दी से समझा सकते हैं और न मानने पर कानूनी कार्यवाही के लिये भी कह सकते हैं। मेरा निवेदन है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, यह वर्ग ऊंचा आने वाला नहीं है। आज भी यह वर्ग सवर्ण जाति पर निर्भर है। अगर गांव वाले उससे नाराज हो जायं तो उसके जूते नहीं खरीदेंगे। इस वर्ग की हालत नहीं है कि वह अन्य समाज को नाराज कर सके। इसलिये जब तक आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं करायेंगे तब तक यह समाज ऊंचा नहीं हो सकेगा। लोन की सुविधाओं का जहां तक सवाल है, जो कोआपरेटिव बैंक हैं वे काश्तकारों को तरह-तरह का लोन देते हैं मगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं देते हैं। उनको किसी भी प्रकार का लोन सैंक्शन नहीं हो पाता है। चाहे कोई चमार हो या अन्य किसी जाति का हो उनको चमड़ा

(श्री माधवसिंह)
खरीदने के लिये लोन दीजिये और जो आपका हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड है वह डाइरेक्ट जाकर उनसे सामान खरीदे तभी इस वर्ग का कुछ भला हो सकता है।

दूसरे विकलांगों के बारे में रिजर्वेशन नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बीमारी या एक्सीडेंट के कारण विकलांग हो गये हैं या किसी अन्य कारणों से विकलांग हो जाते हैं उनके लिये कहीं न कहीं समाज कल्याण रिजर्वेशन रखें तो उससे ज्यादा फायदा होगा।

सहकारिता विभाग के बारे में यह विचार करना जरूरी है कि इस विभाग को 20 साल हो गए लेकिन जैसा पहले सदस्यों ने कहा, यह जन-आंदोलन नहीं बन पाया। विभाग सोचता है कि काश्तकार हमारे पास आफिस में आएं। हमारे गांव वालों की आदत है कि सरकारी आफिस में लोग जाने से हिचकिचाते हैं। जब तक आपका विभाग लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक विभाग को सफलता नही मिल पाएगी। पिछली सरकार ने इस विभाग को राजनैतिक अड्डा बना दिया था। मुझे आशा है आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि कोई भ्रष्ट है चाहे किसी पार्टी का हो तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल।

श्री **मांगीलाल** (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे गांव जायल में गांधी छात्रावास है। उस छात्रावास में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है क्योंकि समाज कल्याण विभाग उसकी देख-रेख नहीं करता है और विभाग के कर्मचारी व व्यवस्थापक मिले हुए हैं। कई छात्रावासों में लड़के भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, पढ़ाई का तो नाम ही नहीं। मकान की व्यवस्था भी नहीं है। एक मकान किराए पर ले रखा है, वह बहुत पुराना है इस कारण बरसात में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरा निवेदन है एक छोटा-मोटा भवन बनाया जाए जिसमें बच्चे विश्राम कर सकें। इस बारे में जल्दी से जल्दी विभाग निर्णय ले कि भ्रष्टाचार कहां है और बच्चों को सुविधा क्यों नहीं मिलती है। भवन बनाने की अगर राज्य सरकार सहूलियत दे तो बच्चे सुख पायेंगे।

सारे सदन के माननीय सदस्य हरिजन-हरिजन की रट लगाते हैं लेकिन उनकी भावना में हरिजनों के लिये दर्द नहीं। आपातकाल में हरिजनों के साथ क्या किया ? बातें तो गरीब हरिजनों के लिए करते हैं, लेकिन हरिजनों के साथ नहीं बैठते हैं, उनसे दूर जाकर बैठते हैं। सरकार ने अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया लेकिन आज कुत्ते-बिल्ली से भी इतनी घृणा नहीं की जाती जितनी हरिजनों से की जाती है। कहने को तो ठीक है कि हरिजनों के लिए यह किया वह किया। गांव वालों के साथ जो वायदा करते हैं वह पूरा नहीं करते हैं। मैं हरिजन के घर में पैदा हुआ हूं इसलिए ऐसी बातें सुन कर दुःख होता है। बातें बहुत होती हैं—हरिजनों का उद्धार करो, हरिजनों का उद्धार करो। वोट लेने के लिए घर-घर गए, कहने लगे तू हमारा बाप, तू हमारी मां है, तू काका है लेकिन वोट के बाद सब बातें धरी रह गई। हरिजनों के लिए दिल में दर्द नहीं। भैरोंसिंह जी ने वायदा किया था कि मैं हरिजनों का उद्धार करूंगा,

(श्री मांगीलाल)
लेकिन कोई फायदा उनका नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनंदन व्यास।

श्री रघुनंदन व्यास (सिरोही) : मैं आपके सामने सहकारिता की दो चार बातें कहूंगा। जिला सहकारी बैंक है, अपेक्स बैंक हैं उनके भ्रष्टाचार की बात कही गई। मैं एक व्यावहारिक बात कहूं कि गांव का बनिया एक रुपया प्रतिशत ब्याज लेता है और सहकारी समितियां 13 से 15 प्रतिशत ब्याज लेती हैं। कोई नया सदस्य बनाया जाए तो 100) रुपये का कर्जा लेने वाले को 75) रुपये मिलते हैं। 60) रुपये उसके हाथ आते हैं। इसकी जड़ अपेक्स बैंक है। उसको 7 प्रतिशत ब्याज पर रकम मिलती है, सोसाइटी में जाते जाते ब्याज की दर 13 प्रतिशत हो जाती है। फिर इन्सपैक्टरों की दलाली और खर्चा, आने जाने का व्यय अलग है। इस हिसाब से जब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों को ऋण मिलता है तो 20) रुपये 100) रुपये पर काटते हैं, इस पर विचार करना चाहिए और नीति निर्धारित करनी चाहिए। रिजर्व बैंक का ब्याज कम हो, मार्जिन कम हो ताकि 9 प्रतिशत पर सारे सदस्यों को ऋण मिले। किसी को 100) रुपये देते हैं, किसी को 200) रुपये देते हैं। जितनी उसकी आवश्यकता हो उतना पैसा मिलना चाहिए और वह पैसा समय पर मिलना चाहिए। बाद में मिलता है तो वह इधर-उधर खर्चा होता है फिर वे डिफाल्टर्स बनते हैं। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज बन गई लेकिन कर्जा नहीं मिलता है। मार्केटिंग सोसाइटीज के नामीनेटेड मेम्बर्स हैं। सहकारिता मंत्री की उनके साथ सांठ-गांठ होगी इसलिए उनको भंग नहीं किया। उनके नए चुनाव कराने चाहिए। पहले मार्केटिंग सोसाइटीज के बोर्डों को भंग करें। उसके बाद उनका चुनाव करायें।

मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय भी कहा था कि सहकारी समितियों के अधिकारियों से चुनाव नहीं करायें, निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से करायें। उनके वोटर्स की लिस्ट बने, डिफाल्टर्स के नामों की एक महीने पहले लिस्ट आउट हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यवस्था बदलने वाली नहीं है।

इसके अलावा यहां जो प्रांतीय कार्यालय हैं उनमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। It is a mess याने गंदगी की जड़ है। पत्र का जवाब नहीं मिलेगा, अधिकारी नहीं मिलेंगे। जब निरंजन सिंह थे तब से लेकर यह स्थिति है। अगर सरकार बदली है तो प्रान्तीय कार्यालयों को भी ठीक करें ताकि जो करोड़ों लोग हैं उनका कल्याण हो। इस आफिस की स्थिति बदतर है। इसके साथ-साथ आडिट विभाग की भी यही स्थिति है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑडिट इन्सपैक्टरों को डिक्टेशन देता है। सैकड़ों फर्जी मुकदमे बने हैं, फर्जी ऑडिट रिपोर्ट बनी हैं। इसलिए इस ऑडिट विभाग को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के महकमे से अलग किया जाए, लोकल फण्ड आडिट से जोड़ा जाए ताकि जो आडिट करने वाले अधिकारी हैं, इन्सपैक्टर्स हैं, वे ईमानदारी से बिना डर के ऑडिट कर सकें और सही रिपोर्ट हमारे सामने आए। ऑडिट रिपोर्ट का पालन समय पर हो। बहुत से पदों का

(श्री रघुनंदन व्यास)
सृजन किया गया है–ग्राम सेवक, इन्सपैक्टर आदि पदों का लेकिन ग्रमीर लोगों से रिकवरी नहीं होती है । वसूली उनसे होती है जो गरीब हैं । जिनमें हजारों की बकाया है उनसे वसूली नहीं होती । जिनमें ज्यादा बाकी है उनसे पहले वसूली की जाए । छूट के लिए अगर कठिनाई है तो एम० टी० में कन्वर्शन किया जाए और गरीब लोगों की रक्षा की जाए ।

माननीय विद्या पाठक का नाम अभी तक मैंने नहीं लिया । अगर एक बार भी नहीं लूंगा तो वह नाराज होंगी ।

श्री **सभापति** : ये नाराज नहीं होंगी।

श्री **रघुनन्दन व्यास** : बाड़ी के सरला व **विश्वनाथ** गुप्ता के बारे में जो अखबारी **चर्चा** हुई है उसकी जांच होनी चाहिये । उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिये । सहकारी विभाग, समाज कल्याण विभाग, इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल के नीचे देकर जिला और केन्द्र में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको इमर्जेन्सी कानून के तहत घर भेज दें,आमूल-चूल परिवर्तन कर दें वरना इस 11 करोड़ रुपयों में से एक करोड़ रुपया भी वाजिब ढंग से खर्च नहीं होगा ।

सिरोही में महिला छात्रावास की आवश्यकता है ।आबू रोड में भी इसकी आवश्यकता है । जसवन्तपुरा में भी एक केन्द्र की आवश्यकता है । जालोर जिले में भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये एक छात्रावास की स्थापना होनी चाहिये ।

इतना ही कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री **सभापति** : श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद गांवों के अन्दर किसानों को ऋण देने का माध्यम सहकारिता से शुरू हुआ । सहकारी आन्दोलन शुरू होने के बाद गांव के आम लोगों को कितना ऋण मिला या उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए कितना कुछ सहकारी आन्दोलन ने किया, इस बात की समीक्षा करने के लिये माध्यम हैं हम लोग, हम हमारी बात, जनता की भावनाओं को उजागर करते हैं ।

सभापतिजी, बहुत वर्षों पहले गांव के अन्दर एक आम गरीब आदमी को ऋण देने का माध्यम गांव का साहूकार होता था । एक रुपये से लेकर जितने रुपये की आदमी को आवश्यकता होती थी, वह रात्रि को भी और मनचाहे जब उसे ऋण दे देता था । यह बात जरूर है कि एक बार ऋण लेने के बाद कोई व्यक्ति उसके चंगुल से नहीं निकल सकता था । इस कारण से हमारी लोकप्रिय सरकार ने, हमारे नेताओं ने और जो अधिकारी जनता की भावनाओं को समझते थे, उन्होंने इस सहकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव हमारे देश में किया । मैं यह कहूंगा कि वास्तव में जो भावना थी, जिस लक्ष्य से इस आन्दोलन को शुरू किया गया था, क्या उस लक्ष्य के अनुसार गरीब आम आदमी का और गांव की जनता का हमने कुछ भला किया ? मेरा जवाब होगा, सभापतिजी, जिस भावना, जिस मकसद से इसका प्रादुर्भाव हुआ था, हम उसको पूरा करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं । इसकी वजह यह है कि आज गांव के आदमी को अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खाद, बीज से लेकर, कुआ खोदने, बिजली लगाने और नाना प्रकार की

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ऋण, लोन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं के पास जाना पड़ता है। इसमें एक गरीब आदमी के दो-तीन दिन लग जाते हैं, रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी लोन प्राप्त करने में वह अगर कामयाब हो जाता है तो वह बहुत अधिक शुक्रगुजार होता है भगवान का और उस संस्था का जो उसको लोन देती है। मैं यह कहूंगा, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से कि जो मंत्री महोदय यहां पर विराजे हुए हैं, इनका अच्छा ज्ञान है और इनको काफी अनुभव है। ये अपने केबिनेट के साथियों की एक मीटिंग करें और रिजर्व बैंक, जो सबसे बड़ी संस्था है हिन्दुस्तान में, के सामने यह बात रखें कि एक गांव के किसान की तमाम आवश्यकता की पूर्ति के लिये तमाम प्रकार के ऋण जयपुर से लेकर गांव तक सहकारी समिति जिला और राज्य स्तर पर एक ही माध्यम से मिले और भूमि विकास बैंक, अपेक्स बैंक, अन्य व्यावसायिक बैंकों के चक्कर उसको न काटने पड़ें। गांव का आदमी ऋण के लिये जाता है तो उसे कई जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि 15-20 जगह उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। सभापतिजी, सहकारी समिति के अनेक पदों पर मैं रहा हूं। उसका मुझे तजुर्बा है। यह एक ही काम कर दे जनता पार्टी गांव के आम आदमी के लिए तो इससे गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों का कल्याण होगा। एक आदमी को पचासों जगह जाना पड़ता है, पचासों सर्टिफिकेट उसको लेने पड़ते हैं और पचासों अधिकारियों के चक्कर उसको लगाने पड़ते हैं। इस सबमें न मालूम कितना रुपया उसका खर्च हो जाता है। एक हजार रुपये के लोन पर 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और 50 हजार रुपये के लोन के लिए 50 अधिकारियों के पास उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। इस तरह उसकी हालत खस्ता हो जाती है। वह वापस ऋण नहीं दे पाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह बनिये से ज्यादा राजकीय संस्थाओं का कर्जदार हो जाता है। ऋण चुकाने के योग्य वह नहीं रह जाता है। अपने परिवार के साथ वह निराश हो जाता है। इसलिए राजस्थान लेवल पर और देश के अन्दर एक ही प्रकार की ऋण की व्यवस्था हो, रिजर्व बैंक उसकी गारन्टी दे, राज्य सरकार उसकी गारण्टी दे, यह व्यवस्था हो जिससे सहकारी आन्दोलन प्रगति कर सके और गांव के आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। दो-दो, तीन-तीन जगह इसकी व्यवस्था न हो।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वन पंचायत वन सहकारी समिति की स्थापना की जाए। जो आपने सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया है, दो-तीन पंचायतों को मिला कर एक सहकारी समिति का पुनर्गठन किया है, उससे अन्याय जनता के साथ हुआ है। जो सोसायटी चलती नहीं थी, खराब थी उसको आपने दूसरी अच्छी सहकारी समिति के साथ जोड़ दिया। इससे इन पर बुरा असर पड़ा है। दूसरा, एक आदमी को 4-5 कोस दूर जाना पड़ता है। उसे तकलीफ होती है। इसलिये एक पंचायत में एक सोसायटी हो।

आखिर में मैं, सभापति महोदय, एक बात गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। सभापतिजी, आपने और हमने गृह निर्माण सहकारी समिति बना दी हैं, परन्तु इनके पास कर्जा, ऋण की सुविधा नहीं है। अपने से गलती हो गई है। इन्होंने मकान जैसे तैसे बनाये, प्रथम व द्वितीय किश्त मिल गई है, लेकिन इनको लास्ट किश्त और

(160)

(श्री **रामसिंह विश्नोई**)
दे देने से इनका कल्याण होगा जैसे डेगाना में कृत्यासनी, लूनी में जालामंड , बिलाड़ा में भावी । इन समितियों में तीसरी किश्त नहीं मिली जिसे दिलाने की व्यवस्था करें। वे आपको हमेशा याद करेंगे । इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आशा करता हूं जो सहकारिता मंत्रीजी यहां पर विराजे हुए हैं वे अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपनी अक्ल से इन लोगों के हित में, लोकहित में इस सहकारी आन्दोलन को अपने देश में, प्रदेश में कामयाब करेंगे ।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह ।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : सभापति महोदय, सहकारिता के संबंध में मैं कुछ निवेदन करूं उससे पहले इतनी अवश्य प्रार्थना करता हूं कि मैं मंत्री महोदय के पीछे बैठा हूं, मेरी आवाज अवश्य ही उनके पीछे बैठे होने से उनके पास पहुंचेगी और कुछ न कुछ वे अवश्य अपने जवाब के अन्दर आशा दिलाने की कृपा करेंगे ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उनके अन्दर गहराई में जाए तो आप पाएंगे कि वह सोसायटी जिस उद्देश्य से बनाई गई, वह उद्देश्य पूरा नहीं करती है । आज से कुछ चन्द वर्षों पहले कांग्रेस ने जब सहकारिता का आन्दोलन प्रारम्भ किया था तो उसके पीछे उसका एक खास उद्देश्य था । कहने को तो वह उद्देश्य बहुत अच्छा था कि हम गरीबों के अन्दर पैसा बांट कर उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं परन्तु वास्तव में उनका चुनाव के अड्डे बनाने का उद्देश्य था । इसी को मद्दे नजर रखते हुए ये सोसाइटियां बनीं, इनका काम हुआ और जो इनके वर्कर्स थे, चाहे वे अमीर हों, चाहे गरीब हों उनका इन सोसाइटियों में समावेश किया । इस प्रकार की सोसाइटी बनाकर उन्होंने अपने चुनाव का एक प्रकार का स्थान खोल दिया ।

सरकार ने करोड़ों रुपया सोसायटी में लगाया । जब उगाई का समय आता है तो ए. आर. साहब और साहब का दौरा होता है । फर्स्ट क्लास कार में बैठकर दौरा करते हैं । उस दौरे का पहले ही लोगों को मालूम होता है । उनको शानदार पार्टी दी जाती है । दौरा करते हैं तो सोसायटी का हजारों रुपया इकट्ठा होता है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ई. ओ. या ए. ओ. को दे दिया जाता है । सोसायटी में इस दिन जो सरकारी पैसा निकलता है वह रुपया कुछ समय के लिये सेठ-साहूकारों से लाकर किताबों की खाना पूर्ति कर दी जाती है । इसके बाद वह फिर उन्हीं को दे दिया जाता है। इस प्रकार तो सरकार का खजाना खतम हो जाएगा । आपको करोड़ों रुपया राइट ऑफ करना पड़ेगा । हमारे जिले के अन्दर एक ई. ओ. साहब थे। उनका पैसा बंधा हुआ था। उनकी वजह से अमुक-अमुक सोसाइटीज को पैसा नहीं दिया जाता था । यह मैंने फोटोस्टेट कॉपीज के द्वारा सहकारिता के जो हमारे अधिकारी हैं, उनका ध्यान आकर्षित किया है। जांच जरूर हुई है, लेकिन क्या अन्जाम निकला है इसका पता नहीं है । वह ई. ओ. से ए. आर. बना दिये गये हैं । उनको और ऊंचे पद पर बैठा दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं जो जांच चल रही थी,

(श्री नारायणसिंह)
वह पूरी करवायें। मैंने उनको फोटोस्टेट कापी दी है। उन्होंने वास्तव में बिना पैसा दिये ही गरीबों से सिगनेचर करवा लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री नारायणसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जांच करवायें और कानून के अनुसार सजा दिलायें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय ने जो नया मन्त्री पद ग्रहण किया है, उसका दायित्व पूरा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा एक ही नहीं, लेकिन कितने ही और भी उदाहरण हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि कितनी सोसाइटीज आपने हमारे इलाके में बढ़ाई? एक ओर आप सहकारी आन्दोलन चलाना चाहते हैं और दूसरी ओर खतम करना चाहते हैं। रिजर्व बैंक का आदेश आ गया है कि दो-दो, तीन-तीन सोसाइटीज को इकट्ठा करके आप एक बना रहे हैं। एक सोसाइटी पैसा पूरा कर देती है। दूसरी सोसाइटी, जहां सोसाइटी का हैडक्वार्टर है, कर्जे से घिरी हुई है। दूसरे को भुगतना पड़ता है। एक को बढ़ाना चाहते हैं, एक को समाप्त करना चाहते हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा, एक की जगह तीन कीजिए, तीन की जगह चार कीजिए ताकि गरीबों का फायदा हो और उनकी मदद की जाय।

एक और निवेदन करूंगा कि उपभोक्ता भंडार के किस प्रकार से चुनाव हुए हैं, किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको रोकने की कार्यवाही करें और जांच करायें। अभी पंचायत चुनाव के प्रचार में हजारों का खर्च हुआ है। अभी एक प्रस्ताव पास किया है। 60 हजार की जीप खरीदी जाने वाली है। तो मंत्री महोदय इधर ध्यान दें। ऐसे प्रस्ताव पास होकर आते हैं तो उनकी वास्तव मे उपयोगिता क्या है? उपयोगिता है या नहीं इसकी जांच करायें। जांच करायें बिना ही जीप की इजाजत न दी जावे। मेरा निवेदन है कि आप इन सब बातों को देखें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो बातें कही हैं, सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री फतहसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्द सिंह!

श्री **हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, एक हाथ की मुट्ठी बन्द है। दूसरा हाथ खुला हुआ है, इसका मतलब है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक विभाग सब के लिए और सारे विभाग एक विभाग के लिए। माननीय मंत्री महोदय, यह सारा विभाग सोसाइटियों के लिए है, लेकिन बीच में जो कुछ गड़बड़ घोटाला है, वह ये जानें और इनका राम जाने। श्रीमन्, इस सहकारिता विभाग को भ्रष्टाचार का सहयोगी विभाग घोषित किया जाता तो अच्छा होता। जितने भी शैतान आदमी हैं, समाज के जितने चालाक आदमी हैं, उन्होंने इसमें घुसपैठ कर ली है। ऐसी-ऐसी फर्जी सोसाइटियां हैं जो विभाग के संरक्षण में कमा रही हैं, और राजस्थान

(162)

(श्री हरचन्द सिंह)

सरकार का पैसा खा रही हैं। एक-एक आदमी ने दस-दस सोसाइटी बनाई हैं। सवाल पूछो तो लम्बी-लम्बी चिट्ठी आती है। सवाल पूछो तो लोगों से पूछकर उत्तर लिख कर दे देते हैं। फलां-फलां आदमी किस तरह से सरकार का पैसा लूट रहे हैं, यह पूछो तो आपके विभाग के आदमी रात को इन्हीं आदमियों से पूछकर रिपोर्ट लिख देते हैं। आपने सुना होगा, जमीन बिक जाती है, और भी चीज बिक जाती है लेकिन राजस्थान के सहकारी विभाग में सहकारी समिति भी बिक जाती है। हमारे पास इसकी फोटोस्टेट कॉपी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक आदमी को सोसाइटी बेची गई और उसने आगे 12 हजार रुपये में बेची है। एक बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है उसने 5 सोसाइटी कायम कर रखी हैं। पौने दो लाख रुपये का लोन लेकर 50 हजार खादी ग्रामोद्योग का लोन अपनी सोसाइटीज में लिखा है। श्रमिक ठेका सहकारी समिति पीलीबंगा है। वहां जाकर देखो तो सारा मामला पता चल जायेगा। ये जो दो हाथ मिले हुए हैं, वहां काम आते हैं। ये भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं। इसी प्रकार से फर्जी सोसाइटी है, जो लखपति आदमी है, करोड़पति आदमी है वह श्रमिकों के नाम फर्जी रजिस्ट्रेशन कराके राजस्थान सरकार का पैसा लूट रहा है, फिर भी मंत्री महोदय मांग पेश कर रहे हैं। इस विभाग को पैसा चाहिये। अगर गरीबों के लिए पैसा चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर करोड़पति और पूंजीपति लोगों को गड़बड़-घोटाले करने के लिये चाहिये तो, श्रीमन्, हमारी आत्मा दुःख पायेगी। हम मजबूर हैं। जिन लोगों ने आपको और हमको चुनकर भेजा है वह हमारे से सवाल करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्; अभी भरतपुर का नाम नहीं आया।

श्री **सुरेशचन्द** : मेरा समय इनको दे दीजिये।

श्री **हरचन्दसिंह** : अगर इस तरह से भ्रष्टाचार पनपता रहा तो आपकी घोषणाएं थोथी साबित हो जायेंगी। इसलिए आप गड़बड़ करने वालों को कानून के शिकंजे में जकड़िये।

सहकारिता का प्रबन्ध मण्डल जो है उसका तबादला करने के लिए कहा जाता है। यह भी कहा गया कि आदमी पहले काम कर रहे थे वे ही अब भी काम कर रहे हैं। ऐसे आदमियों को निकाल देना चाहिए जो गड़बड़ करते हैं।

उपभोक्ता भण्डारों का तो क्या कहना है। वह भोग ही भोग करते हैं। वह भोग लगाते हैं भण्डार क्या चलाते हैं। प्रबन्ध मण्डल भंग कर दिया लेकिन फिर भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए उनके चुनाव करा कर नया बोर्ड कायम किया जाय। श्रीमन्, इसमें भरतपुर का भण्डार भी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **सभापति** : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवचरणसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री खेतसिंहजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सूरजपालसिंह।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह सहकारी समितियों के चुनाव करवायें। इसके लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाय जिससे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और वीकर सैक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। आप नियमों में संशोधन करा कर चुनाव शीघ्र करायें। वरना जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं उनकी वजह से सोसाइटियां अपना काम चलाने के अन्दर परेशानी महसूस करती हैं। अभी जो चुनाव का सिस्टम है उसके कारण अधिकतर पूंजीपति इसमें आ जाते हैं और वीकर सैक्शन के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को परेशान करते हैं। नियमों में संशोधन करने की मांग के साथ मैं निवेदन करूंगा कि अगर दो-चार आदमियों की रिकवरी बाकी रह जाती है तो दूसरों का लोन भी रोक दिया जाता है। उससे पिछड़े वर्ग के उन लोगों को, जो समय पर कर्ज अदा कर देते हैं, ज्यादा नुकसान होता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सोसाइटियों का लोन वर्षा आरम्भ होने से पहले मिल जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोन देरी से मिलता है तो उन लोगों को अपनी बुआई करने के लिए किसी न किसी पूंजीपति का सहारा लेना पड़ता है। जब सोसाइटी का लोन मिलता है तब वे बाहर खड़े रहते हैं और जैसे ही लोन वितरण होता है वे सवायें ब्याज से वसूली करते हैं। इस तरह से वह लोन गरीब आदमी, जिसको जरूरत है, को नहीं मिलकर साहूकार के पास चला जाता है।

सहकारिता मन्त्रीजी बातें कर रहे हैं। मैं वीकर सैक्शन की बात कह रहा हूं। वे भी अनुसूचित जाति के हैं। अभी माननीय मांगीलाल जी कह रहे थे कि वोट लेकर आ जाते हैं और बाद में गरीब लोगों को भूल जाते हैं।

मैं यह कह रहा था कि लोन वितरण करने में देरी होती है, उसकी वजह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को परेशानी होती है। उनको बुआई के समय पर लोन मिलना चाहिए किन्तु बुवाई के समय लोन नहीं मिलता है और वे पूंजीपति के चक्कर में आ जाते हैं। वह उनसे मनमाना ब्याज वसूल करता है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग में जो सरकारी कर्मचारी हैं वे किस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को परेशान करते हैं। मैं मेरे क्षेत्र का एक किस्सा आपके सामने रखता हूं। पांचा पुत्र गेना, जाति भील, तहसील भीनमाल से वसूली करने के लिए गए। बरसात का मौसम था और बुआई का समय था किन्तु उसकी चार हजार रुपये की जोड़ी रिकवरी में ले ली जब कि राज्य सरकार के आदेश इससे विपरीत हैं और भालनी पंचायत के सरपंच को एक हजार में बेच दी। अगर रिकवरी के पेटे जोड़ी ले लेते तो कोई बात नहीं थी लेकिन उसको रसीद भी नहीं दी। उसके खाते में रकम जमा नहीं की। निरीक्षक, नारायणसिंह ने 200/- रु. की मांग की। अगर 200/- रु. देते हो तो जोड़ी मिल सकती है। रुपये न देने पर कई दिन बाद जोड़ी-नीलाम करने की कार्यवाही रिकार्ड में पूर्ण कर दी गई। माननीय मन्त्री महोदय, जनता सरकार ने बड़े-बड़े नारे दिये हैं, अल्प-

(श्री सूरजपाल सिंह)
संख्यक और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों की बड़ी हिमायती बनती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिए मुख्य मन्त्रीजी को भी पत्र लिखा था लेकिन मेरे खयाल से उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया, विजिलेन्स कमेटी के अन्दर भी इसको रखा गया जहां से जवाब मिला कि आपकी रिपोर्ट निराधार है। यह हालत है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किस प्रकार का न्याय मिलता है, इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें। खाली नारे नहीं लगाने चाहिए, आपके इन्सपैक्टर वगैरह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को परेशान करते हैं, उनके साथ ज्यादतियां करते हैं, इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री उगमराज जी मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके विभाग के ऊपर बहुत चार्ज लगे हैं हालांकि ये चार्ज पिछले हैं। मैं भी दो-तीन चार्ज लगाना चाहता हूं, ये पहले के भ्रष्टाचार के मामले हैं। गांवों में सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण दिया गया उसमें बहुत से किसानों को ऋण ही नहीं दिया गया और उनके फर्जी अंगूठे लगाकर ऋण वसूली के आदेश कर दिये गये। मैंने इसकी शिकायत भी की लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सूरजपुरा, बडकोचरा, लोटियाणा आदि, गांवों के अन्दर ऐसा हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसानों से ऋण वसूल कर लिया गया। उनको जो रसीदें दीं वह फर्जी रसीदें दीं और उसकी वसूली के आदेश कर दिये। मैंने शिकायत की, परन्तु कुछ नहीं हुआ। 1100 रुपये की रसीद है किन्तु पैसे जमा नहीं हुए। इसी प्रकार सभापति महोदय, 7400 रुपये दिये गये थे जिसमें दस आदमियों के नाम से पैसा लेकर रसीदें फर्जी दी गईं।

समय चूंकि कम है सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना रुपया कब दिया गया वह सब हिसाब मैं, सभापति महोदय, आपके सामने पेश कर दूंगा। आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसकी जांच करावें और दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करें।

इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे ब्यावर में सहकारी उपभोक्ता भण्डार है उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। उसके सम्बन्ध में मैंने कई बार इस विधान सभा में निवेदन किया और मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया। यहां से माननीय सहकारिता मन्त्रीजी ने अधिकारी भी भेजा। वह वहां पर भ्रष्टाचार की जांच करने गया। लेकिन, सभापति महोदय, वह अधिकारी वहां जाकर सिर्फ लीपापोती करके ही आ गया। वहां पर जो अधिकारी है उसके खिलाफ में बहुत ही भ्रष्टाचार के मामले हैं। क्या नाम है उस प्रशासक का? खैर! मैं आपको बता दूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो भ्रष्टाचार है उसकी

(श्री उगमराज मेहता)
तुरन्त जांच की जाय और दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाय ।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं ऋण वसूलियों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, अभी हमारे उधर अकाल पड़ा हुआ है फिर भी सहकारिता विभाग द्वारा लोगों से जबरदस्ती वसूलियां की जा रही हैं । लोग वहां पर जीपों में बैठ-बैठ कर जाते हैं और सख्ती से ऋण की वसूलियां कर रहे हैं । मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जबरन वसूलियों को फिलहाल स्थगित करें ।

अब थोड़ा मैं जयपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार की ओर भी मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा भन्डार है । इसमें लाखों रुपये के घोटाले हुए हैं । हालांकि अभी तो वह लिक्विडेशन में है, सभापति महोदय, करीब 14 लाख 80 हजार और कुछ रुपये का मामला है । आडिट रिपोर्ट है उसमें पूरे गबन घोटाले दिये हुए हैं । मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्रीजी को पूरी रिपोर्ट पेश कर दूंगा जिससे कि वह सारे भ्रष्टाचार की जांच करा कर जो दोषी अधिकारी लोग हैं उन्हें दण्डित करें । सभापति महोदय, दस-दस महीने हो गये आडिट रिपोर्ट पेश हुए पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

इसी तरह, सभापति महोदय, एक और ग्रामीण सहकारी समिति है जिसमें सहकारी समितियों के लोगों के द्वारा ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है । एक व्यक्ति से मूलधन से दूगने से ज्यादा पैसा वसूल तो हो चुका है फिर भी 1275 रुपये का मूलधन यों का यों ही बाकी है । वह व्यक्ति, सभापति महोदय, 3800 रुपये तो भर चुका है उसके बाद आज भी उस पर 2100 रुपये बाकी निकल रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ब्याज मूलधन से दुगुना कोई भी वसूल नहीं कर सकता है दूसरी तरफ आप दुगुना ब्याज वसूल कर रहे हैं । अगर एक साहूकार किसी को सौ रुपये ब्याज पर देता है और दो साल में उससे अधिक ब्याज ले लेता है तो उसके खिलाफ में कार्यवाही कर देते हैं किन्तु इन सहकारी समिति द्वारा सदस्यों से दुगुना-तिगुना ब्याज लिया जा रहा है और मूलधन वही का वही है । मेरा निवेदन है चाहे कोई कानून में रद्दोबदल करें, चाहे कुछ करें इसकी ओर भी आप ध्यान दें ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से तिलोनिया सोशल वेलफेअर सोसाइटी, जिसका कि हैडक्वार्टर जवाजा है, के बारे में निवेदन करूंगा कि कुए बनाने के लिये केन्द्रीय मन्त्री, श्री फर्नांडिस से सहयोग प्राप्त करके दस लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त की है लेकिन उस ऋण के लिये आपके यहां स्वीकृति नहीं मिली है । इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस ऋण की स्वीकृति जल्दी से जल्दी भिजवायें ताकि वहां पर काम चालू हो सके ।

श्री सभापति : श्री करतारसिंह ।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, आज कोआपरेटिव की मांग पर कटौती के प्रस्तावों के द्वारा सदन में काफी

(श्री करतारसिंह)

गरमागरम बहस हुई। उसमें भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा नहीं कह कर कोग्रापरेटिव विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ में एक छोटा ग्राम सहकारी सोसाइटी थी। उसके अध्यक्ष श्री दाऊदयाल जोशी, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब जनता पार्टी में घुस गये हैं, ने उस सहकारी समिति में एक लाख रुपये का घोटाला किया था। सभापति महोदय, ऑडिट रिपोर्ट में भी सारी बात आ गयी थी। उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को बार-बार शिकायत करने पर भी अभी तक कोई वसूली नहीं हो सकी है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि छोटा ग्राम सहकारी सोसाइटी के अन्दर हुए गबन घोटालों की जांच की जाये और दाऊदयाल जोशी, जो कि इसमें दोषी हैं, के खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

अब मैं, सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा नहीं कह कर सहकारिता में क्या-क्या सुधार हम ला सकते हैं, वह निवेदन करना चाहूंगा ताकि भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके।

सबसे पहले तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता से राजनीति को दूर रखा जाय तो भ्रष्टाचार में बहुत कुछ कमी आ जायेगी। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि सहकारिता जन सेवा का एक कार्यक्रम है, जन-आन्दोलन है इसलिये आप सहकारिता विभाग को समाप्त करके एक बोर्ड की स्थापना कर दें। राज्यपाल महोदय द्वारा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स नामीनेट किया जाय। अगर ऐसा किया जाय तो ज्यादा उचित रहेगा। इस बोर्ड में राज्य सरकार का इन्टरफियरेंस बिलकुल नहीं होना चाहिये। ऐसा होने से इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। इस बोर्ड के नीचे ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां आ जायें, कोआपरेटिव बैंक्स आ जायें ताकि लोगों को राहत मिले और इसका लाभ भी लोगों को मिले।

दूसरी बात जो मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा वह यह है कि जिन ग्रामीण सहकारी समितियों में सदस्यों ने भ्रष्टाचार किया है उन ग्रामीण सहकारी समितियों को भंग करके उनका पुनर्गठन किया जाय। इससे जो खराब और भ्रष्ट एलीमेन्ट है वह निकल जायेगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है ऋण के बारे में। सभापति महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी कि लोगों के फर्जी दस्तखत करके लोन उठा लिया। जिन लोगों के नाम पर ऋण वसूलियां की जा रही हैं उन्होंने ऋण लिया ही नहीं। इसके लिये मैं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो बैंक का लोन फार्म डिस्ट्रिब्यूट किया जावे उस पर ऋण लेने वाले व्यक्ति की फोटो लगी हुई होनी चाहिये और जब वह बैंक में ऋण की राशि लेने जावे तब फोटो को देख कर ऋण दिया जाना चाहिये। इसके अलावा ऋण चैक सिस्टम से दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही वसूली के लिये भी मेरा निवेदन है कि आज जो वसूलियां की जा रही हैं उनमें बहुत

(श्री करतारसिंह)

अन्याय हो रहा है। लोगों से जबरन वसूलियां की जा रही हैं। सभापति महोदय, आज हालत यह है कि काश्तकारों की फसल खराब हो जाने के कारण वह किश्तें जमा कराने में असमर्थ है लेकिन सहकारी विभाग द्वारा वसूलियां की जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि अभी इन वसूलियों को स्थगित किया जाय। साथ ही भविष्य के लिये मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि लोन्स की जो वसूली हो वह पहली फसल पर ही नहीं होकर दो फसलों के बाद होनी चाहिये जिससे काश्तकार पर ज्यादा बोझ नही पड़े। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी लोन देते हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये लोन वसूली की। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन कोआपरेटिव बैंक में और कोआपरेटिव सोसाइटीज और सहकारिता भण्डारों में जो कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार व इन्सपैक्टर्स वगैरह डेपूटेशन पर लगे हुए हैं उनके ऊपर बैंक का कन्ट्रोल नहीं, डिपार्टमेन्ट का कन्ट्रोल होना चाहिये ताकि वह वहां कोई गड़बड़ नहीं करें। इसके अलावा इन बैंक और सोसाइटीज में जो आये दिन भ्रष्टाचार होता है उसके लिये सहकारिता कानून में संशोधन किया जाना चाहिये। एक समिति बना दी जानी चाहिये जो कि इनकी शिकायतों की जांच करे। आॅडिट रिपोर्ट में जो पुराने गबन घोटाले आये हुए हैं उनकी जांच के लिये जिला स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिये जो कि इनकी जांच करे।

अब थोड़ा सोशल वेलफेअर विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज आप सोशल वेलफेअर डिपार्टमेन्ट से हरिजनों को लोन देते हैं। जो किसान हरिजन हैं उन को पांच हजार रुपये देते हैं कुआं बनाने के लिये लेकिन, सभापति महोदय, कुआं पांच हजार रुपये में बनता ही नहीं। हरिजन किसान लोभ में आकर इस आशा से लोन ले लेता है कि बाकी पैसा इधर-उधर से लेकर कुआं बना लूंगा। लेकिन होता यह है कि पांच हजार रुपये में अधूरा ही कुआं बनता है न तो कुए से सिंचाई हो सकती है, न उसको कोई लाभ होता है और ब्याज उसी दिन से उस पांच हजार रुपये पर लगने लग जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप उसे पांच हजार ही नहीं दें, अगर सात हजार में कुआं बनता है तो सात हजार। आठ हजार लगता है तो आठ हजार रुपये दें। आप तो उसको पूरा सात-आठ हजार रुपया दे दो ताकि उसका कुआं पूरा बन जावे नहीं तो पांच हजार में कुआं बनता नहीं है और उस पर ब्याज चढ़ना शुरू हो जाता है। वह फिर पैसे नहीं दे सकने से डिफाल्टर होता है। इसके अलावा जैसा कि जवाजा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तिलोनिया सोशल वेलफेअर सोसाइटी को दस लाख रुपया केन्द्रीय मंत्रीजी द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसकी स्वीकृति आप जल्दी से जल्दी भेजें ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। मैं खुद उस डिपार्टमेंट को लिख चुका हूं।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सहकारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार है उन सहकारी सोसाइटीज को समाप्त किया जावे। ऐसी संस्थाओं को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिये।

(श्री करतारसिंह)

बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणक लाल ठाकोर।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि सहकारी संस्थाओं में आम तौर से भ्रष्टाचार था और आज भी है। इसलिये इतना ज्यादा पैसा व समय नष्ट किया गया है यह गलत सी बात थी। सभापति महोदय, यहां पर कई संस्थाओं के संबंध में भ्रष्टाचार के आंकड़े दिये गये हैं। सहकारी मंत्रीजी को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के संबंध में जो भी शिकायतें आपके पास आई हैं उनमें से जिनकी अभी तक जांच नहीं हो पायी है उनके संबंध में मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन सभी भ्रष्टाचार की शिकायतों की न केवल जांच हो, अनिवार्य रूप से पैसे की वसूली हो बल्कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही की जानी चाहिये। सभापति महोदय, इसमें अपने को इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी होगी जिस प्रकार से गेहूं में से कंकर निकालते हैं, बल्कि कंकर में से गेहूं निकालने की कार्यवाही करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचारी संस्थाओं में से हमें ऐसी संस्थायें देखनी हैं जो कि आदर्शवादी संस्थायें हैं, जो ईमानदार सोसाइटीज हैं। हमें कम समय में ही पता लग सकता है कि कौनसी सोसाइटी आदर्श सोसाइटी है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि निराशा के वातावरण में आज भी ऐसी सोसाइटियां राजस्थान में मौजूद हैं जिन पर हम गौरव कर सकते हैं।

बूंदी में एक आजाद बीड़ी सहकारी कोओपरेटिव सोसाइटी है। वह लगभग 1 हजार मजदूरों को मजदूरी देती है। उसके अन्दर दूसरी अन्य बड़ी मजदूर समितियों से ज्यादा मजदूर हैं। सबसे अधिक लाभांश वह देती है। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का एक नये पैसे का भी कोई गबन साबित कर दे तो आप जो कहें सो मैं करने के लिये तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां भ्रष्टाचार है वहां से आपको भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। आपको ऐसी ईमानदार सहकारी समितियों को तेंदू पत्तों का ठेका देना चाहिये। नाजायज टैक्स है। उनको कम किया जाय और सहकारी समितियों को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, बूंदी जिले में केशोरायपाटन शुगर मिल है। जान बूझकर लगाया गया था। पाटन में केशोराय सहकारी समिति है। माननीय सभापति महोदय, यह शुगर मिल पूरे जिले की है। बूंदी जिले में गन्ना अधिक उपजाओ आन्दोलन चलाकर काश्तकारों को स्थान-स्थान पर अधिक ऋण देकर हजारों एकड़ में गन्ना बुआया गया था। आज उनकी स्थिति यह है कि 30 पर्सेन्ट गन्ना भी सहकारी शुगर मिल नहीं उठा पा रही है जब कि यह योजना की थी, यह वायदा किया गया था कि गन्ना उनका उठाया जायगा। आग्रह करके पत्र भेजे और कहा कि सहकारी शुगर मिल पूरे बूंदी जिले के काश्तकारों के गन्ने को उठायेगी और तब तक शुगर मिल बन्द नहीं होगी जब तक कि पूरा गन्ना काश्तकारों का उठा नहीं लिया जावेगा। मुझे, सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है कि पूरा गन्ना तो उठाना दूर रहा, 50 पर्सेन्ट भी गन्ना उठाने के

(श्री माणक लाल ठाकोर)
लिये तैयार नहीं हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और काश्तकारों को कुए में धकेल कर कोआपरेटिव शुगर मिल ने असमर्थता प्रकट कर दी है कि हम गन्ना नहीं उठा सकेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप काश्तकारों के प्रश्न को हाथ में ल। यदि यह मामला नहीं सिमटा और आन्दोलन चला तो उस समय आप यह न सोचें कि लाठी-चार्ज हो, अश्रुगैस चले। किसान के जीवन-मरण का प्रश्न बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि एक सहकारी शुगर मिल और खोलने की योजना प्रारम्भ कर दें। इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर गन्ना उठवाने के लिये आप पूरा प्रयास करें।

वहां के विधायक महोदय ने जो भ्रष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि जब आंकड़े उनके सामने आवें तो सबसे पहले उन्हीं मैनेजिंग डाइरेक्टर पर हमला किया जावेगा तो वाजिब होगा। इन्सपैक्टर वगैरह हैं उनको पकड़ो, उनको नौकरी से बरबाद करो और जेल के सींखचों में बन्द करो। यदि यह चार्ज गलत है तो जो भी आप कहें हम उसके लिये तैयार हैं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाह।

(अनुपस्थित)

श्री बत्तीलाल।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : आदरणीय सभापति महोदय, जहां तक सहकारी आन्दोलन का सवाल है, सहकारी आन्दोलन दूसरे देशों में खूब फैला है, लेकिन हमारे देश में आकर, हमारे लिये उल्टा हो गया है, और किसान के लिये मुश्किल हो गयी है। किसान का इससे उत्थान होना तो दूर रहा, उनके लिये बड़ी भारी मुसीबत हो गयी है।

आपका यह कोआपरेटिव आन्दोलन जब गांवों में पहुंचा तो अजीब रूप लेकर प्रकट हुआ। आपका कोआपरेटिव का ढांचा इस प्रकार का है कि एक आदमी बैठ कर कोआपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर दे और उस आदमी के पास सब तरह का ऋण पहुंच जाय। आपके सहकारी आन्दोलन ने बोहरा प्रथा, जो पहले ही चली आ रही थी, को और मजबूत कर दिया है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के हालात मैं प्रस्तुत करता हूं। अमीर लोग सहकारी बैंकों से लेकर अधिक ब्याज पर ऋण दे देते हैं। वे सोसाइटी से ऋण लेते रहते हैं और गरीबों को चूसते रहते हैं। मेरे जिले के ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जो आपको अचम्भित करेंगे। भूतपूर्व चेयरमैन महोदय ने कोआपरेटिव बैंक का हजारों रुपया वसूल किया और नकली रसीदें दे दीं। आज तक उस केस के बारे में कुछ भी कार्यवाही सरकार ने नहीं की। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की नेग्लीजेन्स हमारे सहकारी आन्दोलन को उत्साहपूर्वक चलाने में बाधक बनी रहती है। समय पर लोन का न मिलना सबसे बड़ी कमी है। किसान को समय पर लोन नहीं मिलता है तो वह प्रोडक्टिव कामों में खर्च न होकर, अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च हो जाता है। शादी-विवाह में वे लोग उसको खर्च कर देते हैं। इसके अलावा वास्तव में जरूरतमंद व्यक्तियों को ही ऋण दिया जाना चाहिये। जिन लोगों ने आडम्बर किया है, गरीबों के नाम से कोआपरेटिव सोसाइटीज

(श्री बत्तीलाल मीणा)

वना ली हैं, पंच बन बैठे हैं उनमें, उनको ऋण नहीं दिया जाना चाहिये।

समाज कल्याण विभाग के लिये निवेदन करना चाहूंगा। समाज कल्याण विभाग की जमीन पर अमीर लोगों ने मकान बना लिये हैं फिर भी आपके विभाग ने आपको सूचना नहीं दी। जो गरीबों के नाम की जमीन है। वह गरीबों को दिलायी जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 56 पर्सेन्ट लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं, वह और अधिक गरीब हो रहे हैं। गरीबों की तरक्की किसी प्रकार से हुई नहीं। दूसरी तरफ आप छात्रवृत्ति भी बन्द करने जा रहे हैं। आप गरीबों की छात्रवृत्ति बन्द न करें और उनको छात्रवृत्ति दें। उन तक लाभ पहुंचाने की कृपा करें, यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : माननीय सभापति जी, चारों ओर सहकारी समितियों में गबन के मामले बड़े जोरों से उठाये जा रहे हैं। पता नहीं, कैसे यह गबन हुए और क्या उन पर कार्यवाही हुई, परन्तु इसके दो-तीन मुख्य कारण हैं, जिनके ऊपर विचार करना होगा। आज इन समितियों के सेक्रेटरीज को 200 रुपया माहवार वेतन दिया जा रहा है जो कि गुजारे के लिए काफी नहीं है, इसलिए वह इधर-उधर मिल कर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सरकार की ओर से जो आडिटर्स जाते हैं और समितियों के हिसाब का आडिट करते हैं, वे कभी भी समितियों में गबन की रिपोर्ट नहीं देते हैं। एक आध रिपोर्ट दे दी जाती है, लेकिन अक्सर गबन की रिपोर्ट नहीं दी जाती है। विभाग क्यों नहीं उसके ऊपर कार्यवाही करता है? मेरी जानकारी में आया है कि भरतपुर जिले में अलीपुर गांव में एक आडिटर के भाई हैं जिनके ऊपर 12 हजार रुपये का गबन का मामला है। आज तक उस केस को दबाया जा रहा है और कोई जांच नहीं की जा रही है। वह आडिटर उस मामले को दबाने के लिए छोटे-मोटे और दूसरों के ऊपर मामले दर्ज कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले पेथना गांव की समिति पर उन्होंने गबन का मामला दर्ज कराया। मुझे मालूम हुआ कि जो रिपोर्ट की गई है वह गलत है। जिन व्यक्तियों के ऊपर गबन के मामले बताये हैं उन्होंने जमीन गिरवी रखी है, मोटर खरीदी है। जहां सही मायने में गबन होते हैं वहां गबन के मामलों को जान-बूझकर दबा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां कहीं भी गलत मामले हैं उनमें सख्ती से कार्यवाही की जाय, और वास्तविकता देखी जाय कि उनमें क्या हो रहा है।

आज हम देखते हैं कि जयपुर में ही होलसेल उपभोक्ता भण्डार है, उसमें कई वर्षों से गबन के केसेज चल रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इतना ही नहीं हमने देखा है, सुना है, और अखबारों में भी निकला है कि यहां के डिप्टी-रजिस्ट्रार सलेक्शन करने के लिए कुछ दिन पूर्व सवाई माधोपुर और भरतपुर गये थे। अखबारों में खबर निकली है कि उन्होंने चार-चार हजार रुपये लेकर लोगों का सलेक्शन किया है। अखबारों में यह खबर निकली, फिर भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार मालूम हुआ कि उनके खिलाफ सवाई माधोपुर के जिलाधीश ने भी रिपोर्ट की, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं, जब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायगी, तब तक इन संस्थाओं में गबन

(श्री काशीनाथ गुप्त)

की शिकायतें दूर नहीं हो सकेंगी। मैं चाहता हूं भरतपुर में भी आज जो गबन के नाम पर हो-हल्ला किया जा रहा है, उस सबकी जांच कराई जाय। सोसाइटी में किस-किस के माध्यम से गबन हो रहा है और गबन करने में कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं और दोषी कौन हैं, और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वह सख्ती के साथ भरतपुर के मामले में स्वयं कार्यवाही करें। जो-जो आदमी दोषी हैं, जो इस मूवमेन्ट को बदनाम कर रहे हैं उनकी वास्तविकता की जांच करायें। रिकवरीज के अन्दर किन-किन के घोटाले हैं, उनकी भी जांच करायें। मैं चाहता हूं कि सरकार शीघ्र कार्यवाही करे।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, तारीख 7 फरवरी को मेघवाल साहब को बहुत आराम प्रतीत हुआ, जब उन्हें यह मालूम हुआ कि समाज कल्याण विभाग उनके पास से हटा लिया गया है। बहुत हद तक उनकी दिक्कत मिट गयी है। उन्होंने दुःख की घाटी तो पार कर ली, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि खड्डे से आगे कुआं है। जो सहकारी विभाग उनको मिला है, इस विभाग में तो बहुत दिक्कतें हैं। एक तरफ कहा गया है कि अधिकारियों ने इस विभाग के बल पर रंगरेलियां मनाई हैं और होली खेली है विभाग के साथ में दूसरी तरफ अपवाद स्वरूप जन-प्रतिनिधि भी बचे नहीं रहे। उन्होंने भी बहुत गड़बड़ी की है इस सहकारी विभाग में। मेघवाल साहब के सामने बहुत बड़ी समस्यायें हैं। समस्यायें इस कारण हैं कि इससे बहुत बड़े-बड़े आदमी संबंधित हैं, जनता के प्रतिनिधि जो बदनाम हैं, हमारी विधान सभा के सदस्य हैं और कुछ इनसे भी ज्यादा ऊंचे लोग हैं, जिनके लिए इनको बहुत कुछ करना है। बहुत बड़े-बड़े आफिसर्स की सिफारिश इनके सामने आ सकती है। मगर सदस्यों की और जनता की बहुत बड़ी पुकार है कि इस चुनौती को वे सहर्ष स्वीकार करें और बड़ी मुस्तैदी से और बड़े धैर्य के साथ जो भयंकर कालिमा है, जो धूमिल तस्वीर है, इस विभाग की, उसको मिटाने की कोशिश करें। जनता का और इस सदन का जो भी सहयोग, साथ और मदद सरकार को आवश्यक हो, वह सभी देने के लिए सहर्ष तैयार हों, ताकि आन्दोलन वास्तव में एक आन्दोलन के रूप में रह सके और आज जो धूमिल तस्वीर है इस विभाग की, वह ठीक हो सके।

इतनी बड़ी संख्या है मुकदमों की, आरोपों की और शिकायतों की इतनी बड़ी संख्या है, फिर भी किसी अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं दी है। ऐसी स्थिति में डी. आई. जी. इस विभाग के लिए अलग होना चाहिए, इसकी सिफारिश की, पर ऐसा तो व्यवहारिक नहीं होगा, किन्तु माकूल व्यवस्था हो ताकि मुकदमे और शिकायतें बहुत समय तक पड़ी नहीं रहें। मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक सैल कायम होना चाहिए। मैं यह आशा करता हूं और कम से कम सभी लोगों की यह राय है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसमें या पुलिस का जो अन्वेषण और इन्वेस्टीगेशन

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

का विभाग है उसमें विशेषतया जो भी आर्थिक मुकदमे और काम्पलीकेटेड मुकदमे जायं, उनके ऊपर इस विभाग के एक दो ईमानदार आफिसर, जो इस बात को जानते हों, के सहयोग से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मुस्तैदी से कार्य करे। उसमें इसके लिए अलग सैल कायम होना चाहिए, और युद्धस्तर पर इसका काम किया जाना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद से अमृत होता है और जहर भी उसी नक्षत्र की बूंद से पैदा होता है। भिन्न-भिन्न स्थान पर बूंद पड़ने से भिन्न-भिन्न असर होता है। इसी प्रकार सहकारिता का आन्दोलन तो बहुत अच्छा था, इसकी बहुत अच्छी भावना थी, मगर आज यह विकृत और दूषित हालत में है क्योंकि गलत हाथों में यह मूवमेंट चला गया। जिस तरह से जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, कम से कम कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट तैयार नहीं होते कि उनके साथ में सहयोग करें, उनके साथ में पार्टनरशिप या जोइन्ट में काम करें, उसी तरह से कोई इज्जतदार आदमी। कोई सामान्य काश्तकार नहीं चाहता है कि सहकारी विभाग से ऋण लेने की कोशिश करे क्योंकि वह जानता है कि दुगना, तिगुना और चौगुना ऋण चुकाना पड़ेगा और साथ ही साथ तबालत भी हो सकती है। यह जितने बैंक हैं उनके संबंध में कुछ लोगों की यह राय आई कि सहकारिता में भिन्न-भिन्न तरीके के बैंक हैं, इनका एक ही स्वरूप हो जाये इनका अलग-अलग स्वरूप न रहे। अर्बन कोआपरेटिव बैंक, मर्केन्टाइल बैंक आदि हैं। इनका पिछला इतिहास यह निकल रहा है कि उन्हीं लोगों के हाथ में रहे जिनकी सत्ता रही है। इसी तरह भूमि बंधक बैंक है उनके द्वारा किन-किन व्यक्तियों को ऋण दिया गया? केवल उन व्यक्तियों को जिनके पास सत्ता और ताकत थी। गरीब आदमी देखते रह गये और आगे भी देखते रहेंगे। एक अर्बन कोआपरेटिव बैंक जयपुर का है उसकी दशा मैं आपको बताऊं। उसकी जितनी कैपिटल पूंजी है उसका 70 पर्सेन्ट ऋण उस एक व्यक्ति को दिया हुआ है जो उसका डाइरेक्टर है, चेयरमैन है जब कि रिजर्व बैंक का यह नियम है कि 5 पर्सेन्ट से अधिक किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दिया जा सकता। रिजर्व बैंक में जब यह बात की गई तो एक मुश्त रकम वसूल करने का हुक्म हुआ। किन्तु बहुत बड़े अधिकारियों से मिलकर किश्तों में वसूली कर दी। ऐसे आदमियों के साथ अधिकारी मिल गये यह एक ही जगह की शिकायत नहीं है। ऐसा ही हाल भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, नागौर सब जगह है सबकी दयनीय स्थिति है। इसको मिटाया जाये। सहकारिता का अच्छा मूवमेंट है, इसे नये सिरे से नया रूप दिया जाये ताकि जनता को लाभ मिल सके।

श्री सभापति : माननीय अचला राम।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चुन्नीलाल जेलिया।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हजारी मल सारण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बालचंद आर्य।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिव नारायण।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उसमें सदन के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने गहरी चिन्ता ही व्यक्त नहीं की है वल्कि सहकारिता आन्दोलन की तीव्र आलोचना भी की है। यह सहकारिता आन्दोलन भारतवर्ष में जिस भावना से शुरू किया गया था उस भावना के प्रतिकूल इसकी क्रियान्विति हुई है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हर विभाग में जिस भ्रष्टाचार की यहां चर्चा करते हैं, मेरी मान्यता है कि सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहां भ्रष्टाचार, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं में है। जो डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट वे में पालिटिक्स में शामिल है उन लोगों में भ्रष्टाचार अधिक है। वे लोग जो निहित स्वार्थ वाले हैं, पदाधिकारी बन गये हैं। पिछले तीस वर्षों में किसी ने अध्यक्ष वनकर और किसी ने मंत्री वनकर इस पर आधिपत्य जमा लिया है। इस कारण जो आम आदमी को लाभ होने वाला होता है वह नहीं होता है।

सारे राजस्थान की अभी वात सुनी। मैं मेरे थानागाजी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। एक आदमी ने करीब 1।। लाख रुपये का गबन कर लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता का उसमें हाथ था। उसके बारे में कलेक्टर साहव से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, जिन्होंने इसकी जांच करवाई। सवसे पहले स्पेशल ऑडिटर ने उसकी जांच की तो 1 लाख 12 हजार का गवन सावित पाया गया। इसके वाद उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कार्यवाही करने का आर्डर दिया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कार्यवाही शुरू की। उसके वाद में ऐसा जरूर कहते हैं कि जिनको ऋण नहीं दिया गया था, खास तौर से उन हरिजन भाईयों को जीप में बैठाकर ले गये। रिकवरी इन्सपैक्टर्स पहुंच गये। उनको कहा पैसा आप लोगों ने लिया है। वे चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे पैसा हम लोगों ने नहीं लिया है, परन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसने गबन किया उसने रजिस्ट्रार के यहां अपील कर दी। सन् 75 से सन् 78 हो गया तीन वर्ष तक कोई निर्णय नहीं हुआ। उन-हरिजनों के खिलाफ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दावा किया। जो ओरिजनल वाण्ड रखने चाहिये थे। बाकायदा रिक्वीजीशन लाये लेकिन उसके वाद भी बाण्ड दिये जाते हैं कोर्ट में। वे मुकदमे भी इस अवस्था में हैं कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कहता है कि कोर्ट अपने आप वाण्ड नहीं लायेगी। मुकदमे में ख [illegible] लगता है और इस प्रकार की प्रक्रिया है तो इस तरह से न्याय कैसे दिलाया जायेगा? माननीय प्रभारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसा एक उदाहरण नहीं 8-10 उदाहरण हैं जिन पर कहूं तो समय वहुत लगेगा किन्तु समय वहुत अल्प है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चुनाव के लिये जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि चुनाव संस्थाओं में शीघ्र कराये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रक्रिया से निर्वाचन विभाग चुनाव कराता है उस प्रक्रिया का अनुसरण करके उस आधार पर चुनाव कराये जायें।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रामगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान के सहकारिता आंदोलन में गत वर्षों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन करने वाली संस्थायें करप्ट हो चुकी हैं उसके कारण राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन करप्शन का दूसरा नाम हो गया है। एक प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या रहा ? तो, श्रीमान्, स्पष्ट नजर यह आता है कि स्वार्थी तत्वों ने सहकारी समितियों पर अपना अधिकार जमा रखा है। जो स्वार्थी तत्व थे वे सहकारिता आन्दोलन को असफल करना चाहते थे। उन्होंने सहकारी समितियों पर कब्जा किया और सहकारी संस्थाओं को बदनाम किया। इस तरह से सहकारी संस्थाओं का उन्होंने संचालन किया जिससे सहकारी संस्थाओं के अन्दर सामान्य जन और अच्छे लोगों की रुचि समाप्त हो जाय। इस काम में वे सफल भी हुए। दूसरे ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर सहकारी संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप आज सहकारी संस्थायें मृत प्राय पड़ी हैं। माननीय मंत्रीजी के सम्मुख बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि कैसे सहकारी संस्थाओं में इम्प्रूवमेंट किया जाय। कैसे इसको नये सिरे से प्रारंभ किया जाय। मेरा निवेदन है कि नये तरह के प्रयत्न करके, प्रयास करके सहकारी संस्थाओं को प्रारम्भ किया जाये। सहकारी समिति के भी पदाधिकारी बने बैठ रहे, जिनके पास सत्ता रही। जो सहकारी आन्दोलन में भावनात्मक पक्ष रखते हैं, उनको हमेशा पृथक रखा गया है। मैंने दो बार प्रयास किया जिस क्षेत्र से मैं संबंधित हूं वहां की सहकारी समिति का मैं सदस्य बन जाऊं लेकिन मैं विफल रहा। यह बात नहीं मुझे दुःख है कि मैं सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन पाया। मेरा निवेदन है कि जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो इसकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सहकारी समिति नये सिरे से प्रारंभ की जाय। जिस तरह से पंचायतों के चुनाव करवाये हैं और जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन के बाद उच्च स्तर पर करप्शन रोका है, मंत्रिमंडल के स्तर पर करप्शन रुका है उसी तरह मैं आशा करता हूं सहकारी समिति में करप्शन रुकेगा।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं ब्यूरोक्रेसी सेट-अप पर हमारी आस्था बढ़ती जा रही है उसे त्यागने का विचार कीजिये। जो सामान्य जन हैं उनको सहकारिता के साथ मिला कर चलना चाहिये।

एक निवेदन और सुझाव के रूप में करना चाहूंगा। इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो इन्सपैक्टर्स की पलटन है, फौज है इसके माध्यम से जो बेरोजगार हैं उनकी सहकारी समिति बनाकर सहकारी आन्दोलन में उनको लगाइये। इससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। एक काम और करिये, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको मिटाने के लिये उत्पादन सहकारी समितियों का भी उपयोग कीजिये तो जो श्रम का महत्व घटता जा रहा है वह दुबारा स्थापित होगा। रजिस्ट्रार के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करके इस तरह के कार्यक्रम चलाने का सरकार प्रयास करती है तो मैं समझता हूं एक महत्वपूर्ण काम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो ऋण दात्री समिति बनती जा रही हैं उनका उत्पादन की ओर ध्यान नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसमें नये आदमियों को

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)
एन्टर करवाइये जो इस विचारधारा के हों।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री परस राम मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिये बहुत धन्यवाद। दोनों विभागों के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है...

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री परसराम मोरदिया : संक्षेप में ही बोलूंगा।

समाज कल्याण विभाग में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है, यह मंत्री महोदय को माननीय सदस्य निवेदन कर चुके हैं और वे सारी बातों से वाकिफ हो चुकी हैं। हरिजन बच्चों के साथ जो होता है मैं समझता हूं आप में भावना हो तो आप सुधार कीजिये। जब तक समाज कल्याण के आफिसर्स को जिलाधीश महोदय के कण्ट्रोल में नहीं किया जायगा, तब तक उनकी रक्षा नहीं हो सकती है। दूसरे हरिजनों को कानूनी सहायता नहीं मिलती है, उनको कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जितनी सुविधायें दी जा रही हैं, उनसे बच्चे वंचित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां 40–40, 50–50 लड़के एक–एक कमरे में रहते हैं जहां लाइट का इन्तजाम नहीं, सोने का ठीक से कोई इन्तजाम नहीं, पढ़ने का इन्तजाम नहीं। आप जांच करवा लीजिये क्या हालत है? होस्टल की आधी जमीन अलाट करा कर लोगों ने मकान बना लिये। सीकर होस्टल की जांच करवाइयेगा आपको पता लग जायगा।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा समाज कल्याण के पास कोई पावर्स नहीं होने से अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं। वे अत्याचारों को देख सकते हैं मगर उनमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिये जब तक स्ट्रांग पावर्स नहीं दी जायगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वे पुलिस को कैसे कहें कि समाज में घोटाले हैं। सूरजगढ़ में हरिजनों के मोहल्ले में 800 मीटर पाइप लाइन की समाज कल्याण विभाग ने स्वीकृति दी थी। उसके बाद इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ कि वही पाइप लाइन वहां के अधिशासी अभियन्ता ने अपने रिश्तेदार को इश्यू नोट संख्या 791-792 द्वारा बुक की और यह पाइप लाइन सूरजगढ़ में न डालकर पिलानी में श्री लक्ष्मण सिंह को बेच दी, जब कि पिलानी का कोई बजट प्रावधान नहीं था। उसके बदले में स्कूटर संख्या 2652 लिया जो आज तक काम में ले रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन्होंने पैसे लिये। हरिजन बेचारे इन्तजार कर रहे हैं लेकिन आज तक वह पाइप लाइन नहीं डाली गई। वहां से पाइप लाइन दूर खेत में ले जाई गई। हरिजन इन्तजार कर रहे हैं कि कब पाइप लाइन आयेगी। वह प्यासे हरिजन उस पाइप लाइन का इन्तजार कर रहे हैं।

दूसरी पाइप लाइन 6 नम्बर वार्ड में डाली गई थी जो 10 वार्ड में 600 मीटर की थी। उसको भी हरिजनों के घरों में नहीं दिया गया। उसकी जांच के लिये समाज कल्याण के अधिकारियों को कहा लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। जिन्होंने पैसे खाये हैं आप उनके खिलाफ जांच करें। आप उनका

(श्री परसराम मोरदिया)
बजट पास नहीं करें और यदि करें भी तो पहले जांच कर लें। मेरा निवेदन है आप उसकी जांच अवश्य करवायें। पाइप लाइन पिलानी से भेज दी उसका ट्रक का किराया भुगतान किया गया है. और उठाया गया पिलानी से। वह भी पिछले बजट में उठाया गया और पास हुआ अग्रिम बजट से। इससे अधिक फर्जी क्या कार्यवाही हो सकती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापति : एक मिनट दिया जाता है।

श्री परसराम मोरदिया । पाइप लाइन संक्शन हुई बजट में। हरिजन लोग इन्तजार कर रहे हैं लेकिन डाइरेक्ट ले गये पिलानी के नाम और अग्रिम बजट में डालकर भुगतान किया एम. बी. नं. 26/75 भुगतान 631 रुपये का। इससे ज्यादा अन्याय और क्या होगा।

अब, सभापति महोदय, एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है, जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है। बहुत बड़ा मसला है उन हरिजनों का..

श्री सभापति : इस पर चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया : बहुत कम चर्चा हुई है। सभापति महोदय।

गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के लिये मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा। सहकारिता मंत्री जी काम करना चाहते हैं काम करेंगे लेकिन यह बड़ा काम है। आज तक हरिजनों के साथ ऐसा काम किसी ने नहीं किया है ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री परसराम मोरदिया : सहकारी समिति से उनके नाम से पैसा उठा लिया गया लेकिन आज तक उनको नहीं दिया गया। एक-एक हजार उनके नाम पर दिये गये, उसको आज 4-5 साल हो गये। वे गरीब हरिजन मारे गये। उनको पैसा नहीं दिया गया और जो उनकी झोपड़ियां थीं वे भी हटा दी गई, मकान बनाने के लिये। अब गर्मी में, बरसात में, एक मकान नहीं है। एक-एक को पेश कर सकता हूं, लेकिन आप कोई तो कार्यवाही करें।

गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी में इतने बड़े-बड़े घोटाले हैं। उन सारी सोसाइटीज की आप जांच करवायें तो आपको काफी घोटाले नजर आयेंगे, उदाहरण के लिये मेरे क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में चुड़िमियां, रिणु, जसरासर व कछवा, इन गृह निर्माण सहकारी समितियों में हरिजनों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इसकी जांच की जावे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : मैं निवेदन करूंगा। इन सारे मुद्दों पर ध्यान देकर और कमेटी बैठा कर जांच करवायेंगे तो बहुत बड़े घोटाले मिलेंगे।

श्री सभापति : श्री गुलाब चन्द शक्तावत।

(अनुपस्थित)

श्री गणेश लाल।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिन्डौली) : सभापति महोदय, मांग संख्या 36 के संबंध में

(श्री गणेशलाल बैरागी)

अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हुये निवेदन करूंगा कि सहकारी समितियों के पक्ष और विपक्ष में मत-मतान्तर माननीय सदस्यों ने रखे। आंख बन्द करके यदि किसी हाथी को देखा जाय तो उसका अनुमान सही नहीं लगाया जा सकता है। कोई कहेगा खम्भा है, कोई रस्सी बतायेगा। लेकिन यदि आंख खोल कर देखा जाय तो सम्पूर्ण रूप से हाथी ही नजर आयेगा। यही स्थिति भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन की है। भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, दुरुपयोग है, लेकिन ईमानदारी से क्या किसी ने सहकारिता आन्दोलन का अध्ययन किया है? मैंने स्वयं ने किया है सहकारिता पत्रिकाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और क्षेत्र में जाकर काम करने के माध्यम से। मैं सहकारिता आन्दोलन को समाजवाद से ऊंची चीज समझता हूं। आज भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। मैं स्वयं भी मानता हूं कि सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन इस बात को देखा जाय कि कौनसा आन्दोलन ऐसा है जिसके माध्यम से छोटे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है? यदि ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्त्ता हों, चाहे वह राजनेता हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्त्ता हों या अधिकारी हों, या फिर छोटे कर्मचारी हों, तो इसके अलावा गरीब लोगों को राहत देने वाला दूसरा रास्ता नहीं है। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इससे कौम नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से आप किसी को सदस्य बनाते हैं तो उसको शिक्षित किया जाय, सहकारिता की शिक्षा के माध्यम से। घर-घर जाकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सारे के सारे दुर्गुण समाप्त होंगे।

एक बात और निवेदन करूंगा, अभी लोगों ने यह आरोप लगाया कि राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में केवल मात्र भ्रष्टाचार है। जन-प्रतितिधि भी इससे अछूते नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं केवल मात्र एक उदाहरण देकर कि मेरे जिले में सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर 3 वर्ष से सहकारिता अधिनियम की धारा 74 में 25 हजार का केस चल रहा है। यह केस साबित हुआ लेकिन दो वर्षों से कागजों का पता नहीं मिलता है। माननीय सहकारिता मंत्रीजी कृपया पता लगायें। केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष के खिलाफ 60 हजार के घोटाले की कार्यवाही की गई। पेंडिंग मामला है। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने आदेश दिये हैं कि कार्यवाही करायें, रिकार्ड को जब्त करने के आदेश करें, अन्यथा रिकार्ड खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। मान्यवर, यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं क्षमा करें।

अब मैं अन्तरात्मा की आवाज जो बूंदी जिले की है आपके सामने रखना चाहता हूं..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री गणेशलाल बैरागी : केवल दो मिनट।

बूंदी जिले में केशोराय पाटन में सहकारी शुगर मिल 1973 में बना था, लेकिन आज तक पिछले 5 वर्षों में उसकी आम सभा नहीं हुई। अगर कोई कानूनी कार्यवाही करनी है तो आप करें। अब 40 हजार के करीब का गन्ना बूंदी जिले के काश्तकारों का लगा हुआ है। सहकारिता मन्त्री महोदय, वहां के संचालक महोदय ने एक सूचना जारी की है। उस सूचना के क्रमांक (3) पर यह लिखा है "पिछले वर्ष बूंदी जिले में जितने

(श्री गणेशीलाल बैरागी)
गन्ना केन्द्र थे वह सारे के सारे चालू रहेंगे । मान्यवर, 84 केन्द्र पिछले साल थे और आज 40 केन्द्र भी नहीं चल रहे है। दूसरी बात इसी सूचना में क्रमांक '13' में लिखा है-"बूंदी जिले के काश्तकारों का सारा गन्ना उठाया जायगा" ; इस प्रकार की गारन्टी इस मिल ने दी है लेकिन कामयाब नहीं हुई है। संचालक महोदय ने कुछ नहीं किया । चार महीनों के लिए सरकार ने उनको विदेश भेज दिया। सरकार आदेश करने वाली है मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । आज बूंदी जिले में काश्तकारों का मनों गन्ना खड़ा है और यह संचालक महोदय कट्टे खरीदने के लिये कलकत्ता जा रहा है कह कर यहां अपने घर जयपुर और अजमेर में सो रहे हैं। इनको पता नहीं है कि काश्तकारों की क्या स्थिति हो रही है। पिछली बार मीटिंग में जो प्रस्ताव दिया था उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

इसके साथ साथ ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया बैठिये ।

श्री गणेशलाल बैरागी : मैं निवेदन करूंगा कि इस सत्र में आज ही केवल बोलने का मौका मिला है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं मेरे क्षेत्र, बूंदी जिले की अन्तरात्मा की आवाज सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। 40,000 लोगों की मौत और जिन्दगी का सवाल है। मैं अपनी बात को निश्चित रूप से निवेदन करूगा ।

श्री सभापति : I am very sorry, I won't give you any time. माननीय सदस्य, कृपा कर बैठिये ।

श्री गणेशलाल बैरागी : सभापति महोदय, सारा गन्ना बोने वाले काश्तकारों में चर्चा हो रही है । मुझे मौका दें, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं मेरे जिले के बारे में ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, I am very sorry.

श्री गणेशलाल बैरागी : हड़ताल लेकर..

श्री सभापति : Not to be recorded. कृपया आप बैठिये ।

श्री गणेशलाल बैरागी : × ××

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से विनम्रता से निवेदन करूंगा कि इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है । इससे एक प्रकार से भेदभाव का आरोप लगता है आसन के ऊपर। हर व्यक्ति को टाइम का पता होता है । यदि किसी माननीय सदस्य को अधिक समय देते हैं तो दिक्कत पैदा होती है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे संयम और समय में रहने की कोशिश करें।

श्री गणेशलाल बैरागी : x ××

श्री सभापति : I won't allow you at all. Please resume your seat. I won't allow this, kindly behave properly.

माननीय श्री मनीरामजी ।

×××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री सभापति)

चेयर की यह मन्शा कभी नहीं होती है कि किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया जाय परन्तु चेयर के सामने भी प्राब्लम है।

श्री गणेशलाल बैरागी : ×××

श्री सभापति : कृपया बैठिये। माननीय श्री मनीराम।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : जो माननीय सदस्य कभी भी विधान सभा में व्यवधान पैदा नहीं करते हैं और कोई खास बात उनको कहनी हो तो 2-3 मिनट उनको मिलने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को 9 मिनट दे दिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : सभापति महोदय, मैं आपको कह दूं कि मैंने कभी बीच में बोलने की कोशिश नहीं की। 3 बार मुझे अवसर मिला लेकिन बोलने नहीं दिया। मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हूं।

श्री सभापति : In this way it is very difficult to maintain the order. Not to be recorded.

श्री गणेशलाल बैरागी : ×××

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : ×××

श्री सभापति : माननीय श्री मनीरामजी।

श्री मनीराम (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे क्षेत्र की कोआपरेटिव सोसाइटी के विषय में कुछ बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है यह एक लीला है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा था कि हम भ्रष्टाचार को खतम कर देंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि यह भ्रष्टाचार कैसे खतम होगा ? यह बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसमें एक कारण और है और वह यह है कि हमारे समाज ने पैसे को मान्यता दी है। इस वजह से इन्सान जो कुछ कर रहा है वह पैसे के लिए कर रहा है। चाहे हमारा कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई अफसर हो, और चाहे कोई व्यापारी हो, समाज ने पैसे को मान्यता दी है, समाज ने काम को या ईमानदारी को या त्याग को मान्यता नहीं दी है। इस वजह से यह भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता यह और बढ़ेगा। बहुत दुःख होता है हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणा की किन्तु उनकी घोषणा घोषणा ही रह जाएगी। यह भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं– दर्रे-दर्रे तक यह फैला हुआ है। इसका मिटना मुश्किल है।

तारानगर तहसील में अनंतसिंहपुरा नाम की एक कोआँपरेटिव सोसाइटी है। उसके अन्दर हजारों रुपयों का घोटाला है। इस घोटाले के लिए बहुत सी अर्जियां लगी, दरख्वास्तें लगीं, जिले तक गई और शायद यहां तक भी पहुंची, लेकिन आज तक उन पर कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सरदारशहर में भारी गड़बड़ है। वहां भी अनाप-शनाप घोटाला है। ये घोटाले आज तक इसलिए दबे रहे क्योंकि हमारे चन्दनमलजी वहां के मंत्री थे। मंत्री होने के नाते और प्रधानजी का गांव था, उनके हाथ में कोआँपरेटिव सोसाइटी थी इस वजह से उसका आँडिट नहीं हो सका। हजारों रुपयों का

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मनोराम)

घोटाला है परन्तु किसी अधिकारी की यह हिम्मत नहीं हुई थी कि वह जाकर के ग्राडिट कर ले । इस वजह से यह गड़बड़ी रही है । गड़बड़ियां जो हुई हैं वे नीचे के स्तर से नहीं हुई हैं । उच्च स्तर से हुई हैं । उच्च कोटि से हुई है उच्च कोटि में चाहे हमारे नेता हों, या चाहे मिनिस्टर लोग हों, उनकी वजह से यह घोटालेबाजी हुई है । इसके अलावा नम्बर दो से हमारा सम्बन्ध मंत्री महोदय से है । सभापति महोदय, मैं ग्रापकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि करीब करीब पंचायत समितियां टूट गई हैं। पंचायत समिति के दुबारा चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन चार लाख रुपया ऋण का चाहे वह बीज का हो, चाहे वह कृषि का हो, अपने-अपने आदमियों को दिया हुआ है और वह वसूल नहीं हो रहा है । उसकी वसूली न होने का कारण ए. ई. ग्रो. है और तहसीलदार है । ये उनके आदमी हैं इस कारण उनसे यह वसूली नहीं हो सकती है । उनका तबादला कोई नहीं कर सकता है । इसलिए यह जो चार लाख रुपये का ऋण गवर्नमेंन्ट का है अभी दबा हुआ है । करीब 10-12 साल से यह वसूल नहीं हो रहा है । किसान तहसील से कोई तकाबी ले 100-200 रुपयों की तो उस गरीब किसान से वसूली की जाती है कुर्की लगा कर की जाती है । लेकिन तीस हजार रुपये एक आदमी में बकाया है उसका प्रमाण मैं देने को तैयार हूं लिस्ट बना कर दे सकता हूं आपमें हिम्मत हो तो वसूल करके दिखाएं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापतिजी, आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : श्री हरलालसिंह खर्रा ।

(अनुपस्थित)

वैद्य श्री गोविन्द सहाय ।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान ग्राम सहकारी समिति साणोली की ओर दिलाना चाहता हूं । कुछ दिन पहले एक इन्सपैक्टर ने वहां की चैकिंग की थी और भ्रष्टाचार पकड़ा था । अभी माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि अधिकारी उतने दोषी नहीं हैं जितने सहकारी समितियों के कर्मचारी । जो मेम्बर्स गड़बड़ियां करते हैं अधिकारी उनका संरक्षण करते हैं । जिलाधीश सवाई माधोपुर को भी लिखा गया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । 30 हजार एक्स्ट्रा दिए हैं । यह इन्सपैक्टर की रिपोर्ट है और कोई जानकारी नहीं है । इससे पहले जो मंत्री महोदय थे उनको निवेदन किया था परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । विभाग को भी निवेदन किया किन्तु विभाग से रिप्लाई नहीं आया । मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कही है, परन्तु सभापति महोदय, इस सहकारी विभाग में इतना भ्रष्टाचार है अगर सहकारी मंत्री महोदय इस विभाग से भ्रष्टाचार को ही समाप्त कर दें तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इस सहकारी विभाग में है । किसानों को ऋण नहीं मिला है, जब कि उनके नाम से पंचायत से ऋण उठा लिया । जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने यह सारी कार्यवाही की है। किसानों को ऋण का एक पैसा नहीं मिला

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। रजिस्ट्रार महोदय बैठ कर क्या करते हैं ? क्यों नहीं होती है कार्यवाही ? मंत्री महोदय इसका जवाब दें। मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, यह पर्याप्त प्रमाण है कि भ्रष्टाचार है। सब मान रहे हैं, मंत्री महोदय मानते हैं, आप मानते हैं। चाहे विभाग मानें या न मानें, जिन्होंने बेईमानी की है, वे मानें या न मानें, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वह मानें या नहीं मानें, आप सवाई माधोपुर जिले की सहकारी समितियों में सुधार लाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए, वरना यहां पर बोलने का कोई परिणाम नहीं होगा। इससे सदन का समय व्यर्थ जाता है। अधिक समय न लेकर मैं यही कहूंगा कि हमारे जिले की सारी सोसाइटियों में गबन है। वहां के मैनेजर ने 15 हजार का घोटाला किया है, किन्तु उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। वह दो साल सस्पेन्ड रहा, फिर दूसरी जगह उसकी नियुक्ति कर दी गई। इसी तरह से एक जगह 30,000 का घोटाला है। बड़ा गांव सेवा सहकारी समिति है। वहां पर किसी को लोन नहीं दिया गया। उसके अध्यक्ष ने ही सारा लोन ले लिया, और झूठे सिगनेचर कर लिये। जब ऋण की वसूली का सवाल आया तो यह बात सामने आई। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी अग्रिम जांच करवाई जाए, तब तो इसका उपयोग होगा वरना यहां पर बोलने का कोई लाभ नहीं होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नत्थी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह यादव ! संक्षेप में ही कहें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैंने स्लिप भेजी थी।

श्री सभापति : आपको मौका दिया जाएगा। आपका नाम पुकारा गया था। उस समय आप हाउस में प्रजेण्ट नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए मैंने कहा है।

श्री सभापति : आप को मौका मिल जाएगा। संक्षेप में कह लीजिएगा।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से निर्धारित मांग पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मेरा निवेदन है उनके बारे में उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय बतायें। इस प्रगति रिपोर्ट में जो इन्होंने लिखा है, वह मैंने पढ़ा है, इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का एक ही माध्यम है, सहकारिता। ऋण वितरण और कैपिटल भी बढ़ाया है। सदस्यों में जो ऋण की बकाया थी, जनता पार्टी सरकार ने उसको घटाया नहीं, कम नहीं किया बढ़ाया ही है। इसके बारे में मेरा निवेदन है, यह जो विभाग है, इसके लिये समय-समय पर सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि इतना रुपया ऋण बांटना है। पैसा खैरात की तरह

(श्री हरिसिंह यादव)
से बांटा गया है इसीलिए वसूल नहीं हो रहा है। आप ऋण बांटें, पर व्यवस्था इस प्रकार की करें कि पूंजी की तरह काम में आये, खैरात की तरह से नहीं बांटे। नहीं तो जो बकाया का हिसाब है, वह आगे बढ़ जाएगा।

एक बात आम तौर से कही गई है, वह मैं दुहराऊंगा नहीं। आपके बैंकों की जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें यह कहा गया है कि जो डिफाल्टर मैम्बर हैं, डिफाल्टर सोसाइटीज हैं, उनके मैम्बर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या राजस्थान में एक भी ऐसी सोसाइटी है, जो डिफाल्टर नहीं है, या जिसके सदस्य डिफाल्टर नहीं हैं? अगर इस कानून के तहत चुनाव करवाने लगोगे तो मैं यह दावे से कह सकता हूं, सभापति महोदय, आपको डायरेक्टर मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिये जब तक कि कानून में संशोधन नहीं हो, तब तक चुनाव नहीं करायें। कांग्रेस की तरह से कानून आप नहीं बनायें। कहीं से सोसाइटी अगर डिफाल्ट को दूर कर देती है तो भी चुनाव के लिये उसके सदस्य हकदार नहीं माने जायेंगे, तो इससे रोष होगा। जो भी सोसाइटी डिफाल्टर है वह अगले साल भी बकाया नहीं चुकायेगी। परिणामस्वरूप आपके वोट बन्द हो जायेंगे। इसलिये इस कानून के तहत आप चुनाव करा कर गलती कर रहे हैं। इसके बाद एक कानून ऐसा बनायें जो राजस्थान के सहकारी आन्दोलन को स्वाभाविक तौर पर आगे ले जा सके। दांते रिपोर्ट के अनुसार एक सोसाइटी डिफाल्टर नहीं है। दूसरी डिफाल्टर है जिसके अन्दर बकाया है, तो क्या मन्त्री महोदय, वसूल कर सकते हैं, या अधिकारी कुछ वसूल कर सकते हैं? आप लाभ कैसे उठा सकेंगे? मन्त्री महोदय, स्पष्ट रूप से कहें कि उसमें अगर कोई डिफाल्टर सोसाइटी शामिल हुई है तो आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं?

माननीय मन्त्री महोदय से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह सहकारी विभाग है। इसके दो विभाग करने होंगे। एक तो आडिट विभाग दूसरा सहकारी विभाग। आडिट विभाग को सहकारी विभाग से अलग रखा जाये क्योंकि उनका इतना सारा तामझाम बेकार है। जैसी कि एल. आई. सी. ने नीति अपनाई है, उसी प्रकार से इसके लोग कहीं भी बदले जा सकते हैं। बैंक एम्प्लाइज को खराब तरीके से भर्ती किया गया है। इसलिए बैंक एम्प्लाइज की सर्विसेज ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। बाकी सहकारिता विभाग अलग कर दें। इस प्रकार से इसके दो विभाग कर दें।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह कछवाह।

मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संक्षेप में ही कहें।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में सहकारिता विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग का सारा आडिट हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ है, और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं रहा है। सहकारी समितियों के सदस्यों और सहकारी विभाग के अधिकारियों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकार की जो प्रत्यक्ष नीति है, उस नीति का न कोई तालमेल रहा है, और न सहकारी विभाग उस नीति के दृष्टिकोण से सहकारी मूवमेण्ट को आगे ले जाने में सफल रहा है। सहकारी विभाग का हमें जो प्रगति विवरण मिला है, वह केवल संख्या पर आधारित है। सहकारी समितियां कितनी सफल

(श्री माधोसिंह कछवाह)
हुई हैं, क्या क्या प्रगति की है, कितना लाभ कमाया है, इन ग्राकड़ों पर ही वह ग्राधारित है।

सभापति महोदय, सहकारी मंत्री को ग्रापके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहूंगा। सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार जयपुर में बैठे हैं। सहकारी विभाग काफी बड़ा विभाग है, इसके रजिस्ट्रार महोदय जयपुर में हैं। राज्य की कोग्रापरेटिव सोसाइटीज को ग्रागे बढ़ाने के लिए, पहले उनकी विफलता पर विचार करना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी विभाग के दो भाग किये जायें। एक भाग पंजीकरण ग्रौर शिक्षण का हो। वह विभाग बिल्कुल ग्रलग हो। उसका रजिस्ट्रार भी ग्रलग होना चाहिए। दूसरा विभाग सहकारी सेवा विभाग ग्रलग से हो, वह कोग्रापरेटिव सोसाइटीज को निश्चित रूप से इण्टेंसिव दे सकता है। जिन सोसाइटीज को ऋण देना चाहें, चाहे उपभोक्ताग्रों की कोग्रापरेटिव हो, चाहे लेबर कोग्रापरेटिव हो, चाहे ग्रन्य प्रकार की सोसाइटीज हों, उन सोसाइटी में काम करने वाले जो भी मेम्बर ग्रौर ग्रधिकारी हैं, उनको गाइड करें ग्रौर उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर, सहकारिता को ग्रागे बढ़ावें। इस प्रकार से यह विभाग काम करे। इस विभाग के ग्रधिकारी हर डिविजन में होने चाहिए।

गबन ग्रौर घोटाले के जो मामले हैं उनको मन्त्रीजी ग्रौर रजिस्ट्रार साल दर साल चलाते रहे, लेकिन उनका कोई ग्रन्त नहीं है। यह मेरा सुझाव है इस पर विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो सहकारी बैंक होते हैं वह एक बहुत ही ग्रावश्यक एजेन्सी है। बैंकों के ग्रन्दर जिस प्रकार के घोटाले होते हैं उनका सारे सहकारी ग्रान्दोलन पर बहुत बड़ा घातक प्रभाव होता है। जोधपुर कोग्रापरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर की कई बार शिकायत की गई है। इन फाईनेन्स एजेन्सीज के ग्रन्दर, कोग्रापरेटिव बैंक में मैनेजिंग डाइरेक्टर का इलेक्शन नहीं होता है। एक तरफ ग्राधे से ग्रधिक मैम्बरों की संख्या ऐसी होती है,.....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स में जो सदस्य चुनकर ग्रावें, उनकी संख्या भी उसी ग्रनुपात में होनी चाहिए।

उपभोक्ता सहकारी समिति का ग्रान्दोलन बहुत बुरी तरह से फेल हुग्रा है। जोधपुर में वार्ड वार्ड में कोग्रापरेटिव सोसाइटीज हैं, लेकिन स्थिति 58-59 से ऊपर नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों के ग्रन्दर उपभोक्ताग्रों के लिए विशेष सामग्री देने की कोई निश्चित नीति नहीं है। उनको भवन ग्रादि के लिये ही राज्य सरकार कुछ सब्सीडी देती है जिससे वह पनप नहीं सकती हैं। पांच छः सौ रुपया तो इनको भवन या ग्राफिस के लिये ही देना पड़ता है।

दूसरी बात इसके ग्रन्दर जो मैनेजर होते हैं वे ट्रेन्ड नहीं होते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री माधोसिंह कछवाह : उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। एक या दो दफा उनको ट्रेनिंग के लिये भेजा गया, वह भी नाम मात्र को। मैं कहना चाहूंगा कि सहकारी उपभोक्ता ग्रान्दोलन को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहियें ग्रौर उपभोक्ता वस्तु

(184)

(श्री माधोसिंह कछवाह)
जो कि ब्लैक में कई बार बेची जाती है, जैसे डालडा, साबुन, टूथपेस्ट की एजेन्सी इनके पास होनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : आपकी थकावट के लिए मैं आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, एक और बात ......

श्री सभापति : मैं समझता हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं आसन का आदर करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं आसन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए जितनी भारी चेष्टा की, मेरे को उससे भी ज्यादा ठेस पहुंची है। आखिर हम कोई सुझाव देना चाहते हैं ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझ गया हूं।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा भाषण तो समाप्त हो गया। लेकिन कोई क्षण ऐसे होते हैं, किस प्रकार से एक सदस्य की भावनाओं को ......

श्री सभापति : काफी लेटीट्यूड दिया जाता है, फिर भी ऐसी भावना है तो मैं मजबूर हूं।

आप बोलना चाहते है ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : हां।

श्री सभापति : पाइन्ट में कह दीजिये।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान बावरी जाति की तरफ दिलाना चाहता हूं जो अजमेर में एक्स-क्रिमिनल ट्राइब में शरीक की गई है। उसका लाभ अजमेर में रहने वालों को मिलता है, मगर राजस्थान में नहीं मिलता। उनको दूसरी जगह नौकरी आदि की सुविधायें नहीं मिलती हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे राजस्थान में इसको एक्स-क्रिमिनल ट्राइब माना जाय।

जहां तक सहकारी आन्दोलन का सवाल है उसकी काफी चर्चा हो चुकी है। इसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। इतना ही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए।

जय हिन्द।

घोषणा

वित्तीय समितियों के लिये नाम निर्देशन

श्री सभापति : मुझे एक घोषणा करनी है।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के लिए निम्नलिखित सदस्यों के नाम जांच के बाद सही पाये गये हैं—

जनलेखा समिति :

(1) श्री ओंकारलाल चौहान
(2) श्री बालकृष्ण थानवी
(3) श्री नरेन्द्रपालसिंह
(4) श्री काशीनाथ गुप्त
(5) श्री कौशलकिशोर जैन
(6) श्री मालाराम
(7) श्री हरचन्दसिंह

(श्री सभापति)

(8) श्री लालशंकर डेंडोर
(9) श्री मूलचन्द सामरिया
(10) श्री मेघराज पंवार
(11) श्री शिवकरण लुहाड़िया
(12) श्री अजीतसिंह
(13) श्री रामकिशोर मीणा
(14) श्री बजरंगलाल शर्मा
(15) श्री रामेश्वर प्रसाद
(16) श्री गंगासहाय
(17) श्री अयूब खां
(18) मेजर श्री फतहसिंह
(19) श्री रंगजी मीणा
(20) श्री अलदाराम
(21) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
(22) श्री जयनारायण सालोदिया
(23) श्री नारायणसिंह
(24) श्री मोहनलाल शर्मा
(25) श्री हरीश शर्मा
(26) श्री गणेशलाल
(27) श्री माणकलाल ठाकोर
(28) श्री उमरावसिंह गूजर
(29) श्री नाथू लाल
(30) श्री कालुभाई मीणा
(31) श्री बत्तीलाल
(32) श्री कुंजीलाल
(33) श्रीमती श्यामाकुमारी
(34) श्रीमती श्यामाकुमारी
(35) श्री हीरालाल आर्य
(36) श्री नाथूलाल
(37) श्री अयूब खां
(38) श्री मोहम्मद जहूर
(39) श्री शंकरलाल
(40) श्री विरदमल सिंघवी
(41) श्री रघुनाथ विश्नोई
(42) श्री बहादुरसिंह
(43) श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
(44) श्री हरिसिंह यादव
(45) श्री विजयसिंह

प्राक्कलन समिति :

(1) श्रीमती श्यामाकुमारी-सगर
(2) श्री बालकृष्ण थानवी
(3) श्री कौशलकिशोर जैन
(4) श्री सैयद मंजूर अली
(5) श्री रामेश्वरदयाल यादव
(6) श्री इन्द्रसिंह शेखावत
(7) श्री मूलचन्द सामरिया
(8) श्री शिवकरण लुहाड़िया
(9) श्री रामकिशोर मीणा
(10) श्री गंगासहाय
(11) श्री कानसिंह
(12) श्री जगदीशसिंह
(13) श्री सुरेश कुमार
(14) श्री रंगजी मीणा
(15) श्री गोविन्द सिंह शक्तावत
(16) श्री जयनारायण सालोदिया
(17) श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
(18) श्री हरीश शर्मा
(19) श्री गणेशलाल वैरागी
(20) श्री माणकलाल ठाकोर
(21) श्री रामप्रसाद लड्ढा
(22) श्री उमरावसिंह गूजर
(23) श्री लालूदास
(24) श्री करतारसिंह
(25) श्री बत्तीलाल
(26) श्री रामकरणसिंह
(27) सुश्री पुष्पा जैन
(28) श्री लालशंकर डेंडोर
(29) श्री गुलाबचन्द कटारिया
(30) श्री हीरालाल आर्य
(31) श्री भूरालाल
(32) श्री नाथूराम
(33) श्री मोहम्मद जहूर

(श्री सभापति)

(34) श्री रामदेव सिंह
(35) श्री बिरदमल सिंघवी
(36) श्री अब्दुल हादी
(37) श्रीमती मदन कौर
(38) श्री मथुरादास माथुर
(39) श्री समरथलाल
(40) श्री हरिसिंह यादव
(41) श्री विजय सिंह
(42) श्री नत्थी सिंह
(43) श्री पदम सिंह राठौड़
(44) श्री विजय सिंह नदेरा

राजकीय उपक्रम समिति :

(1) श्री ईश्वर चन्द्र
(2) श्री कौशल किशोर जैन
(3) श्री एच. एन. शर्मा
(4) श्री बालकृष्ण थानवी
(5) श्री हरजीराम बुरड़क
(6) श्री माला राम
(7) श्री नरेन्द्रपाल सिंह
(8) श्री मनीराम
(9) श्री हजारी मल सारण
(10) श्री मूलचन्द सामरिया
(11) श्री अजीत सिंह
(12) श्री रतनलाल वर्मा
(13) श्री गंगा सहाय
(14) श्री उगमराज मेहता
(15) श्री रंगजी मीणा
(16) श्री अचलाराम
(17) श्री कमलेन्द्र सिंह
(18) श्री जयनारायण सालोदिया
(19) श्री नारायण सिंह
(20) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
(21) श्री नूरा
(22) श्री कारूभाई मीणा
(23) श्री हरीश शर्मा
(24) श्री गणेशलाल बैरागी
(25) श्री उमरावसिंह गूजर
(26) श्री माणक लाल ठाकौर
(27) श्री लालू दास
(28) श्री नाथूलाल
(29) श्री मावजी भाई
(30) श्री बत्ती लाल
(31) श्री गोविन्द सहाय
(32) श्री हंसराम
(33) श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर
(34) श्री हीरालाल आर्य
(35) श्री नाथूराम
(36) श्री अमृतलाल
(37) श्री मोहम्मद जहूर
(38) श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)
(39) श्री मूलचन्द डागा
(40) श्री रामरघुनाथ चौधरी
(41) श्री बिरदमल सिंघवी
(42) श्री अब्दुल हादी
(43) श्री समरथ लाल
(44) श्री हरिसिंह यादव

जो माननीय सदस्य अपने नाम वापस लेना चाहें, वे इस आशय का वक्तव्य सदन में देकर नाम वापस ले सकते हैं, अथवा लिखित में सचिव को सूचना देकर अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 1978 के अपराह्न 3 बजे तक है।

समाज कल्याण मंत्री।

मांग संख्या 33 व 36 पर विचार

श्रीमती विद्या पाठक (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं अपना

(श्रीमती विद्या पाठक)

वक्तव्य एक छोटे से कोटेशन से शुरू करूंगी,

"The greatest good of the greatest number. If the free society cannot help the many who are poor it can never even save the few who are rich."

इसी आधार पर ब्रिटेन व अन्य बहुत-सी जगहों पर समाज कल्याण विभाग की शुरुआत हुई। 1956 में राजस्थान में इस विभाग की शुरुआत हुई और इस विभाग का मुख्य उद्देश्य रहा Economic growth with social justice. यह उद्देश्य अवश्य रहा है कि सबको बराबर मौका दिया जाए, ताकि समाज व राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के योग्य बन सकें, सक्षम बन सकें। इकानामिक ग्रोथ के बाद समाज कल्याण विभाग के बहुत से अचीवमेन्ट्स हुए, इसकी भी काफी चर्चा होती है। परन्तु स्वतः ही प्रश्न आता है कि यह जो ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, किसका हुआ, किसकी कीमत पर हुआ? यदि सामाजिक न्याय हुआ तो किसके साथ हुआ? जब 30 वर्ष के इतिहास को देखते हैं तो इस तरह के बहुत से प्रश्न स्वतः ही आते हैं। जब हम देखते हैं कि पैसा खर्च करने के बाद भी, इतनी मैन पावर लगाने के बाद भी, इतना धन लगाने के बावजूद हमारे भारत वर्ष में 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की सीमा से नीचे रह रहे हैं, तो इस विभाग के कामों का एक बार फिर सिंहावलोकन करना पड़ता है, पीछे मुड़कर के देखना पड़ता है। यह जो शोषित वर्ग निरंतर शोषित होता रहा, इसके बहुत कारण हैं परंतु इसमें संदेह नहीं कि उनका एक्सप्लाइटेशन हुआ है और होता रहा है। पूरे समाज का नुकसान हुआ, क्योंकि वर्ग असमानता रही। समाज डाउन ट्रोडन लोगों की उन्नति के बगैर ऊपर नहीं उठ सकता, ग्रेटेस्ट गुड आफ दी ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, यह महसूस भी होना चाहिए। अब भी कार्यकलापों को देखते हुए लगता है कि प्रापर स्प्रिट में फोलो नहीं किया गया है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की पोलिटिकल व मोरल ड्यूटी है। इस नाते से राजस्थान में भी समाज कल्याण विभाग 1956 से चल रहा है। उसी विभाग की मांग के ऊपर आज हम लोगों ने सारा दिन डिस्कशन किया।

डिस्कशन के दौरान हमारे सामने कुछ समस्यायें आई, मुझे जानकर खुशी हुई कि इस सदन के सभी सदस्य उस डाउन ट्रोडन क्लास के लिए इतना चिंतन दिखाते हैं और उसके हितों के प्रति कीन है। यह स्वयं में बहुत शुभ लक्षण है कि नई दृष्टि से सोचना शुरू किया है, नई परिपाटी कायम करने की इच्छा रखते हैं। सबसे अधिक कटौती प्रस्ताव आए हैं और शायद डिस्कस हुए हैं वे हैं छात्रावासों के बारे में। इस बारे में दो तरह की मांग आई है, एक उनकी सुव्यवस्था के बारे में और दूसरी नए छात्रावास शुरू करने के बारे में, मैं संक्षेप में थोड़ी सी बात छात्रावासों के विषय में कहना चाहूंगी। विभाग की ओर से छात्रावास विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं, छोटे बड़े सब गांवों में चल रहे हैं। देश के पिछड़े वर्ग को संरक्षण देने का मतलब सहूलियत प्रदान करना ही नहीं है। माननीय सदस्यों की जो शंका है और जिस तरह से भावनायें व्यक्त की गई हैं, किसी हद तक मैं भी उनको शेयर करती हूं। जितनी छात्रावासों में सुव्यवस्था होनी चाहिए छात्र वर्ग के लिए, हमारे देश के भावी नागरिकों

(श्रीमती विद्या पाठक)

के लिए, उतनी नहीं हो पाई है। योग्य नागरिक बनाने के लिए स्टेट पैसा भी खर्च करती है परन्तु वास्तव में जितना लाभ उनको मिलना चाहिए उस अनुपात में, उसकी व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो रही है, ऐसा माननीय सदस्यों के बोलने से ज्ञात होता है। जितनी शिकायतें माननीय सदस्यों ने बताई उनको देखते हुए मैं समझती हूं छात्रावासों के इन्सपैक्शन के लिए कोई एक विशेष परिपाटी सोचनी पड़ेगी और उसको प्रापर स्प्रिट में फोलो करने की बात भी है। छोटे-मोटे छात्रावासों के लिए एक कमेटी हो जिसमें विद्यार्थियों का रिप्रेजेन्टेशन हो, सोशल वर्कर्स का रिप्रेजेन्टेशन हो। परंतु किन्हीं कारणों से उनके रीकान्स्टीट्यूशन में ढिलाई हो गई है जिसको जल्दी ही दूर किया जाएगा।

छात्रावासों के बारे में एक बात और है। दो तरह के छात्रावास हैं। एक लड़कों के लिए दूसरे लड़कियों के लिए। छात्रावास तीन प्रकार के हैं- एक स्टेट रन, दूसरे अनुदानित, तीसरे जिनमें सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। यद्यपि लड़कों के छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त हैं उनमें आक्यूपेंसी ठीक है परंतु लड़कियों के छात्रावास जितने मैंने देखे हैं, बनाए हैं उनकी आक्यूपेंसी कई बार 28 प्रतिशत तक ही रहती है।

सभापति महोदय, इतना खर्चा और इतनी व्यवस्था होने के बाद भी हम लोग इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रख कर बहुत कम लोगों को फायदा दे पाते हैं। प्रश्न यह उठता है, सभापति महोदय, आखिर यह ऐसा क्यों होता है? इसका कारण तो पुरानी चली आ रही नीतियां हैं।

इसी तरह, सभापति महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने छात्रावासों के बारे में कहा कि यह छात्रावास ऐसी जगहों पर हैं जो कि दूर दराज हैं या शहर से बहुत दूर हैं। मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि पुरानी कांग्रेस सरकार ने जन प्रतिनिधियों के कहने से जहां उनको सहूलियतें देना चाहते थे वहीं पर रखा था। जहां पर भी रखा गया वहां पर वहां के जनप्रतिनिधियों के कहने से रखा गया था। वहां पर प्रिरिक्वीजिट कई चीजों का अभाव था। जब कभी इनके बारे में किसी भी प्रकार की कम्पलेन्ट किसी ने दी तो तत्कालीन सरकार ने लीपा-पोती करके रख दी।

(व्यवधान)

मैं यहां, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि समाज के इतने दुखी, दलित वर्ग के साथ आज तक जस्टिस नहीं हो पायी है। कारण यह है कि जो भी काम होता था वह पोलिटिकली मोटिवेटेड होता था। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने कुछ छात्रावास उदयपुर में लड़कियों के देखे। उनमें मैंने आक्यूपेन्सी तो कम देखी लेकिन मैंने उनमें गन्दगी पोइन्ट आउट की। वहां की व्यवस्था बिलकुल ठीक नहीं थी। मैंने वहां उन लोगों के कपड़े बहुत ही गन्दे देखे। साथ ही वहां जो भी व्यवस्था और दूसरी थी चादर वगैरह की, वह बहुत ही गन्दी थी। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से धोबी की व्यवस्था नहीं है। मुझे यह सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वहां पर धोबी की व्यवस्था कुछ दिनों से नहीं है। सभापति महोदय, आज हमारे कई बड़े-बड़े राजनेता और आफिसर जो होते है वह भी अपने हाथ से अपने कप

(श्रीमती विद्या पाठक)

धो लेते हैं जब कि उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। उन बच्चियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गयी कि वह कुछ भी काम नहीं करें। ऐसी परिपाटी वहां उन में डाल दी गयी। कहने का मतलब यह है कि उन लोगों के अन्दर अपने कपड़े तक धोने की आदत नहीं डाली गयी। भूतपूर्व नेताओं ने या तो इस दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं समझी या उन लोगों ने यह काम नहीं किया जो कि करना चाहिये था। मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि इन छात्रावासों में रहने वाली बच्चियों को, मेरे ख्याल से, सुयोग्य नागरिक बनने की ट्रेनिंग तो दी नहीं बल्कि एक उनमें ऐसा काम्पलेक्स पैदा कर दिया कि वह समाज की अंग ही नहीं हैं। इस तरह से इसमें कई सुधारों की जरूरत है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, हमको इनके इस तरह के दृष्टिकोण को बदलना होगा। इस आस्पेक्ट में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिये हम संकल्प बद्ध हैं तब ही तो आगे जाकर सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान छात्रावास खोलने के बारे में अपनी मांग रखी। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना कटौती प्रस्ताव इस बारे में दिया।

(9.35 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर छात्रावास खोले जायं। इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि वहां पहले भी एक छात्रावास सन् 69-70 से संचालित हो रहा है।

इसके अलावा पालना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा कि वहां पर भी छात्रावास खोला जाना चाहिये। इसके संबंध में मेरा यही निवेदन है कि राज्य सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव अभी तक वहां से नहीं आया है। जब प्रस्ताव आयेगा तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

इसी तरह मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जालोर जिले में छात्रावास खोलने के बारे में कहा गया जिसमें भीनमाल, सांचौर वगैरह हैं। इसके लिये मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर वहां से प्रस्ताव आयेंगे तो राज्य सरकार उन पर अपनी आर्थिक हालत को देखते हुए विचार करेगी।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, गलियाकोट वगैरह में भी छात्रावास खोलने की बात माननीय सदस्यों ने उठायी। इनके बारे में मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जब वहां से प्रस्ताव आयेंगे तो उन पर राज्य सरकार अपने बजट प्रोविजन्स को देखते हुए अपना निर्णय लेगी।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अस्पृश्यता के बारे में बहुत कुछ चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी इसी धारणा की हूं कि समाज में अस्पृश्यता अमानवीय और अईश्वरीय है और हमारी संस्कृति के विपरीत है। वैसे तो इसके लिये आलरेडी एक कानून है लेकिन मैं इस समय उस पुराने विवाद को दोहराना नहीं चाहती हूं। भूतपूर्व सरकार ने नारे ही दिये या कानून बनाये किन्तु उनकी क्रियान्विति नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती विद्या पाठक)

हरिजनों, पिछड़े वर्ग, शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइबस के लोगों की समस्या को कुछ इस तरह से डील किया गया कि उन लोगों का दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि वह लोग

(व्यवधान)

अपने आपको हीन समझने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो शिडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं पुरानी सरकार ने सिर्फ वोट लेने के लिये उनको कुछ प्रलोभन दिये या उनको यह कहा कि विरोधी दल वाले तुम्हें बरबाद कर देंगे। इस प्रकार वो विरोधी दल के खिलाफ उन्होंने फिजा बनाई। उन्हें ऐसा बना दिया, जैसे वह कोई समाज में हीन लोग हैं या समाज से दूर हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कांग्रेस राज में पिछले तीस सालों तक इसी बात को बढ़ावा देते रहे हैं और उन लोगों के वोट लेकर उनका ही शोषण करते रहे हैं। हमारी सरकार का दृष्टिकोण उन्हें हीन बनाने का नहीं है। हम उनको अपने भाई के समान समझते हैं। हम उनका उत्थान करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि क्योंकि हमारी स्टेट एक वेलफेअर स्टेट है इसलिये इन्हें ऊपर उठाने के लिये राज्य सरकार संकल्पबद्ध है यह उनको हीन नहीं समझती है, और उन्हें ऊपर उठाना अपना पहला कर्त्तव्य समझती है। उनके मन में जो हीन भावना पिछले तीस सालों में कांग्रेस के शासन काल में जम गयी थी उस हीन भावना के विपरीत अब उनके मन में सेल्फ कांफिडेन्स की भावना पैदा की जायेगी ताकि उनका विकास हो सके। हमारा ध्येय कभी भी उनसे पोलिटिकल फायदा उठाने का नहीं है।

इसके साथ-साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने एडीशनल स्कालरशिप देने के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये। यह भी कहा गया कि पहले उनको दो जगह से स्कालरशिप मिलती थी पर अब राज्य सरकार ने स्कालरशिप देना बन्द कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगी, यह निर्णय इमर्जेन्सी में नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था। माननीय सदस्यों ने कहा कि जो एडीशनल स्कालरशिप बन्द कर दी गयी है वह फिर से चालू की जाय। पहले, उपाध्यक्ष महोदय, दो तरह की स्कालरशिप मिलती थी एक तो स्टेट से और दूसरी केन्द्रीय सरकार से उन छात्रों, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के छात्र हैं, को मिलती थी पर बाद में स्टेट स्कालरशिप को बन्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय छात्रवृत्ति मिलती है अब सिर्फ वही मिल रही है लेकिन वह छात्रवृत्ति इतनी है जितनी कि पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी उन दोनों को मिलाकर होती थी। अब जो केन्द्रीय छात्रवृत्ति मिलती है उसमें और पहले मिलने वाली दोनों छात्रवृत्तियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है सिर्फ 10-15 रुपये का ही फर्क है। इसलिये अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने का प्रश्न नहीं उठता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मुझसे कुछ लड़के मिलने आये और उन्होंने एडीशनल स्कालरशिप की बात की। उन्होंने मुझे कहा कि जो स्कालरशिप मिलती है केन्द्र से वह कम पड़ती है इसलिये हमें एडीशनल स्कालरशिप दी जानी चाहिये। मैंने उन्हें समझाया कि अगर हम तुम्हें एडीशनल स्कालरशिप नहीं देंगे तो तुम्हारे जो छोटे भाई हैं उनको यह पैसा बचाकर बेनिफिट देंगे। वह लोग इससे एग्री होकर गये। मैंने उन्हें कहा, तुम तो कोई दूसरा पार्ट-टाइम काम भी कर सकते हो

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर छोटे बच्चे थोड़ा ही कर सकते हैं।

(व्यवधान)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वैसे भी उन लोगों पर आलरेडी काफी खर्च किया जा रहा है। हमने इस खर्च के अलावा 47 लाख रुपये का प्रावधान इस प्लान में किया है। इसके अलावा सरकार उनके बारे में कुछ न कुछ सोच ही रही है। हमारी सरकार पिछड़ी जाति के लोगों के लिये काफी कर रही है। उनके लिये बजट में अच्छा प्रावधान किया हुआ है। पिछले प्लान के अन्दर कुछ न कुछ परिवर्तन ही किया है। पुरानी परिपाटी को चेन्ज किया है क्योंकि पिछली परिपाटी से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को अधिक लाभ नहीं हुआ है। उनको अधिक फायदेमन्द करने के लिये उनमें परिवर्तन किया जायेगा।

वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में भी कहा गया। यह कहा गया कि यह शहरों में दी जाती है और गांवों में नहीं दी जाती है। परन्तु 2 अक्टूबर, 1977 के बाद अन्त्योदय योजना के लागू होने के साथ गांवों में रहने वाले जो वृद्ध लोग हैं, अपाहिज विकलांग लोग हैं, बेसहारा लोग हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अधिक से अधिक उनकी ओर ध्यान दिया जावेगा।

एक जो और बात काफी हुई थी वह थी बाल अपराधों के विषय में। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे अपराधी बच्चों को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग संस्थाओं में रखा जाता है। जब बच्चों के साथ न्याय नहीं होता है, जो उनको प्रोटेक्शन और स्नेह मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है तो वे अपराध वृत्तियों में फंस जाते हैं। यह भी होता है कि उनको अपराधों में फंसा दिया जाता है। यदि यह विभाग उनको प्रोटेक्शन न दे सके उनके लिये समुचित व्यवस्था स्टेट न कर सके या यह विभाग न कर सके तो यह कोई शोभनीय बात नहीं है। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह बताना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने चाहे किसी भी मद में सुधार के नाम पर कुछ भी किया हो जो लक्षण आये उसी का उन्होंने उपचार किया। उसके लिये परमानेन्ट बेसिस पर कोई काम नहीं किया। यह देखने और सोचने का प्रयत्न नहीं किया, इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इस तबके में यह अपराध वृत्ति क्यों पैदा हो रही है? यदि इस ओर देखा जाता तो इन मदों में खर्चा होने वाला है उस में कमी आ जाती और अपराध वृत्ति में भी कमी आ जाती। बालक चाहे अपराधी हो, चाहे किसी भी संस्था में रहने वाला हो, चाहे छात्रावासों में रहने वाला हो, अनाथाश्रमों में रहने वाला हो, चाहे भिखारी का बच्चा हो, जो भीख मांग रहा है, सरकार ने कभी यह सोचा ही नहीं कि उनमें अपराध वृत्ति पैदा होने के कारण क्या हैं और उनके निराकरण के लिये क्या किया जा सकता है? समस्या का तात्कालिक समाधान ही पर्याप्त नहीं है उसकी जड़ तक पहुंच कर उसका उपचार करना आवश्यक है वरना समस्यायें बढ़ती जावेंगी और उन मदों पर खर्च भी बढ़ता जावेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जो बच्चे वहां रहते हैं, उनके लिये एक कन्सलटिंग ब्यूरो की स्थापना का विचार कर रहे हैं। जब एक उम्र आती है बच्चे की तो वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अपने मां-बाप से भी कहना नहीं चाहता है लेकिन अपने साथियों से कह देता है। उन समस्याओं के

(श्रीमती विद्या पाठक)

बारे में सलाह देने के लिये ब्यूरो बना दिये जायं जहां पर बच्चे खुल कर बात कर सकें और कहां व्यवधान आ रहा है उस पर विचार कर सकें तो, मेरी ऐसी मान्यता है कि बाल अपराध में बहुत कमी आ जावेगी। जो बच्चे अनाथालयों में रह रहे हैं या अन्य संस्थाओं में रह रहे हैं उन सबके बारे में भी विभाग जांच कर रहा है। अनाथ बच्चों के बारे में कभी यह नहीं सोचा गया कि मासूम बच्चे की क्या भावना हो सकती है। केवल रोटी देकर उनको जीवित रखते हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व मार दिया जाता है। यदि अपने साथियों के साथ ग्रुप में बच्चा रह रहा है और ग्रुप में कुछ सीख कर परिवार में आवेगा तो वह अपने आपको एडजस्ट कर सकेगा। इस तरह की योजनायें विभाग के विचाराधीन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत माननीय सदस्यों ने कहा महिला होने के नाते आवास गृहों में रहने वाली महिलाओं के सम्बन्ध में मेरी रुचि होनी चाहिये और मुझे विचारशील होना चाहिये। जिस किसी ने जिन्दगी में अपराध न किया हो, ऐसे बहुत कम हैं। हो सकता है कि अपराधी बना दी गयी हों या भुलावे में आकर अपराध कर बैठी हों, छोटी उम्र में बहकावे में आकर कोई अपराध कर बैठी हों। उनके बारे में पिछली सरकार का यह रवैया रहा कि उनको आवास-गृह में ले जाकर बन्द कर दिया। उस महिला सदन को मैं देखने गयी जहां की आवासनियां बाहर चली गई थीं और जिसकी सदन में भी चर्चा हुई थी। जो कुछ मैंने देखा उससे मुझे यह महसूस हुआ कि 15 से 45 वर्ष तक की बच्चियों व औरतों के साथ हम कितना न्याय कर रहे हैं? क्या उनके साथ यह अन्याय नहीं है कि इस उम्र की बच्चियों को समाज से अलग रख रहे हैं या वे समाज से अलग रह रही हैं? उनकी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक आधार पर आंकना पड़ेगा। विभाग यह विचार कर रहा है कि कुछ समय के लिये उन्हें समवयस्क औरतों और बच्चियों के साथ रखा जाय। कभी-कभी वे लड़कियां समूह में बाहर जायें। उनके लिये मनोरंजन के साधन हों, उनके लिये अखबार और प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाय, ऐसी इन्सटीट्यूशन शुरू की जाय जहां वे काम करें और उन्हें पैसा मिले ताकि उनका निजी पैसा हो वह बचा कर एक सिक्योरिटी की भावना वे अपने में पैदा करें। वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाय, प्राइवेट परीक्षायें उनसे दिलवायी जाय। जैसी कि परिपाटी रही है उन्हें कमोडिटी न मान कर जीवित मान कर चलना होगा। इस पक्ष पर भी विचार कर रहे हैं। इन संस्थाओं को लोगों ने अपनी दृष्टि से बनाया है। आवश्यक हुआ तो इनका स्थानान्तरण भी किया जा सकता है।

एन्टी डोवरी का प्रश्न आया। राजस्थान में भी एन्टी डोवरी एक्ट लागू है। संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम में से एक सूत्र एण्टी डोवरी भी था। पिछली सरकार ने इसको काग्नीजेबल आफेन्स मानने के लिये सोचा था। शादी में जाय पुलिस तो जहां इस प्रकार के केसेज हों चाहे और कुछ कर सकें या न कर सकें पर हरेस तो अवश्य कर सकती है। यह आवश्यक है कि दहेज विरोधी एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेन्ट किया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ यह आग्रह करना चाहूंगी कि इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने मात्र से ही क्या दहेज प्रथा समाप्त हो जायगी? मैं समझती हूं कि जब तक समाज में इसके विरुद्ध वातावरण तैयार न किया जाय यह था समाप्त नहीं होगी। समाज के कर्णधारों

(श्रीमती विद्या पाठक)

को भी वातावरण बनाने में सहयोग देना होगा तब ही जाकर इस प्रथा को समाप्त करने में सफलता मिलेगी। केवल एक्ट से नहीं।

जो कटौती प्रस्ताव हैं, उनमें से कुछ संस्थायें खोलने से सम्बन्धित हैं, कुछ होस्टल्स खोलने से सम्बन्धित हैं, कुछ घनी आबादी में इस तरह की इन्सटीट्यूशन्स के सम्बन्ध में हैं, कुछ व्यक्तिगत मामले से सम्बन्धित हैं और कुछ में किसी संस्था की शाखा खोलने की बात है। समय काफी हो रहा है यह अहसास माननीय सदस्यों को हो रहा है।

एक बात और कहना चाहूंगी। अफसरों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उन पर बहुत लांछन लगाये गये हैं। मैं कैसे कह सकती हूं कि कितने सही होंगे। अब तक जितने अफसर विभागों में रखे गये, विभाग की सुटेबिलिटी के लिए आफिसर को नहीं रखा गया है बल्कि ऐसा देखा गया है कि आफिसर के लिए विभाग है। इसी तरह से पिछली सरकार की कोई नीति नहीं रही, कोई क्लियर डाइरेक्टिव्स नहीं रहे। सत्ता जिनकी थी उनकी यह जिम्मेदारी थी। उस समय उनकी अपनी कोई नीति रीति रही होती, उनके कोई डाइरेक्टिव्स रहे होते और उनके वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स नहीं रहे होते तो जो सरकारी अधिकारी नौकरी कर रहे थे वह नयी सरकार के साथ ही अपनी रीति नीति को बदल लेते, परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। इसी का नतीजा है कि आज वह विरोधी पक्ष में बैठे हैं और वह उन आफिसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर देखा जाये तो यह उन्हीं की देन है। मेरी हमेशा से ऐसी मान्यता है कि अगर आफिसर की इच्छा कुछ काम करने की हो और वास्तव में कुछ काम करने की इच्छा रखने के साथ ही यदि कार्यक्रम व सरकार बदलने के साथ अपना दृष्टिकोण बदल सकें तो स्टेट के हित में अच्छा होगा, हमारे हित में अच्छा होगा और स्वयं उनके हित में भी अच्छा होगा। ऐसी मैं अपेक्षा करती हूं। यह समाज के वेलफेयर का सवाल है, यह स्टेट के वेलफेयर का सवाल है। माननीय सदस्यों या जन प्रतिनिधियों के क्रिटिसिज्म करने से नहीं हो सकता। इसके लिए जन प्रतिनिधियों व अफसरशाही के एक्टिव कोआपरेशन की आवश्यकता होती है।

जहां कहीं से इस तरह की शिकायतें आई हैं बहुत से आफिसर्स की शिकायतें बाई नेम भी हुई हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि चाहे वह कोई क्लर्क हो या सबसे बड़ा अधिकारी हो जिसकी भी शिकायत आती है भ्रष्टाचार से संबंधित या अन्य प्रकार के कोई आचरण के संबंध में तो मुझे कतई संकोच नहीं होगा कि मैं उसकी निष्पक्ष जांच कराऊं। उसमें कहीं किसी जगह मेनुपुलेशन का मार्जिन न रहेगा और जांच के बेसिस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इन भावनाओं को लेकर हम चल रहे हैं तो हमारे साथ कार्य करने वाले आफिसर्स उसमें सहयोग देंगे ऐसी मेरी अपेक्षा और आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सचेतक महोदय तालियां बजा रहे हैं और चाहते हैं कि अब मैं बन्द कर दूं, समय भी बहुत हो गया है। मैं कहना तो बहुत चाहती हूं। लेकिन इस नाते .....

श्री कल्याणसिंह सांखला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया एक बात को बिल्कुल नजर अन्दाज कर गयीं। जो हायर

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

सैकन्डरी से नीचे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा है। उनको दो-दो और तीन-तीन साल से स्कालरशिप नहीं मिल रही है, जब कि हायर सैकन्डरी से नीचे पढ़ने वाले बच्चों को स्कालरशिप की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

दूसरे सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा के संबंध में सरकार क्या करने जा रही है, इस संबंध में उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। यह समाज कल्याण विभाग का काम है। भिक्षावृत्ति के संबंध में भी एक शब्द नहीं कहा। कृपया इन पर रोशनी डाल दें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति के संबंध में मैंने कहा है। सम्भवतः माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं हों।

सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा के बारे में भी कटौती प्रस्ताव है। मैं कहना चाहूंगी कि 1973 में सरकार ने पैसा नगरपालिकाओं को दिया था फ्लश लेट्रीन्स के लिए। इस तरह का प्रावधान जिस अवधि के लिए था उसमें उसको भी पिछली सरकार यूटीलाइज़ नहीं कर पाई। अब फाइनेन्स की तरफ से आब्जेक्शन आया हुआ है जो क्लियर होगा तो सम्भवतः इस मद में रुपया लगाया जायेगा। इस समय सरकार के पास इस तरह का कोई बजट प्रावधान नहीं है, जो कि इस मद में लगाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात कही कि कुओं के लिये पांच हजार से ज्यादा दिया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कुए बहुत गहरे हैं और उनमें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। परन्तु सरकार के बजट की भी एक सीमा होती है। इस नाते से माननीय सदस्यों, जिन्होंने इसके सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखे हैं, से निवेदन करूंगी कि इसके बारे में अभी तक नियम पांच हजार तक ही देने का है, परन्तु इसके बारे में मैं मालूम करके अगर हो सका, और बजट प्रावधान कहीं से निकल सका, तो मैं यह प्रयास करूंगी कि कुछ एरिया में, यद्यपि उसको डीमार्केट करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां बहुत गहरा पानी है, ज्यादा प्रेशर दिया जाय। अगर बजट अलाउ करेगा तो उसको देख लेंगे।

मैं यही कहूंगी कि जो बच्चे मन्टली रिटार्डेड हैं, मिसफिट हैं और डेलीक्विन्ट हैं उनको रिलीफ देने के लिए यह विभाग अधिक से अधिक सचेत व संवेदनशील होकर ईमानदारी से कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध है। उसी में माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। इसी के साथ मैं अपने इस विभाग की बजट डिमाण्ड को पारित करने के लिए आग्रह करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : मंत्री महोदय जरा स्कालरशिप के बारे में बता दें कि उनको दी जायेगी या नहीं ?

श्री परसराम मोरदिया : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने गोलमाल भाषा में बातें कही हैं। आपने होस्टलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं कहा।

श्रीमती विद्या पाठक : आपकी और एक माननीय सदस्य की शिकायत भ्रष्टाचार के लिए है इसी प्रकार कुछ अव्यवस्थाओं के बारे में भी शिकायत है। इसके अतिरिक्त जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा है पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए उसके लिए एक

(श्रीमती विद्या पाठक)

निश्चित प्रावधान तो है कि सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन उन्हीं को जो एनरोल करते हैं या जो मांगते हैं।

श्री परसराम मोरदिया : मंत्री महोदय यह घोषणा करें कि उनको छात्रवृत्ति दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदया ने उत्तर दिया है। घोषणा करना आवश्यक नहीं है।

अब माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग उत्तर देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का जो मूड दिख रहा है, उस मूड के हिसाब से सारे दिन भर सहकारिता विभाग के बारे में आलोचना, प्रत्यालोचना और सुझाव जो कुछ भी दिये गये, उन पर जो दिमाग बनाया था कि मैं अपना जवाब दूं, और विस्तार से कुछ बातें निवेदन करूं, वह दिमाग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता का जो मूल मंत्र है समाज निर्माण का, समाज के अर्थतन्त्र को नयी दिशा देने का, उसके अनुसार सहकारिता का भाव और भावना हमारे समाज के निर्माण के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। इस आधार पर सहकारिता का काम राजस्थान में होना चाहिए था। राजस्थान में सहकारिता का आन्दोलन जिस ढंग से चालू हुआ और चालू होते हुए आज जिस स्थिति में आ गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी के बाद जब से विभाग मिला तब से आज तक सदन में जिस प्रकार के भाषण सुनने को मिल रहे हैं और आलोचनायें सुनने को मिल रही हैं, उनसे मुझे कई बार भय लगता है कि सहकारिता आन्दोलन के साथ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का नाम जुड़ गया है उससे यह आन्दोलन अपने आप में बहुत अधिक बदनाम होने की स्थिति में आ गया है। लोगों का विश्वास इस आन्दोलन से उठ गया है। इसके कुछ कारण रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व शासक कांग्रेस दल को इस आन्दोलन को जन-साधारण की और सामान्य जन की सेवा का माध्यम जिस तरह बनाना चाहिये था उस तरह इसे माध्यम न बनाकर राजनैतिक दृष्टि से इस आन्दोलन को दिशा दी। राजनैतिक नेतृत्व बनाये रखने की भूख उठ खड़ी हुई, और उस भूख को पूरा करने के लिये कांग्रेस शासक दल ने इसका दुरुपयोग किया। कटौती प्रस्तावों के द्वारा माननीय सदस्यों द्वारा और सामान्य जन के द्वारा भी एक ही बात कही गई है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार है। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। जितना अधिक सुनने को मिला, उतना ही मैं दृढ़ होता चला जा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि सदन के माननीय नेता और राजस्थान के मुख्य मंत्री, भैरोंसिंह शेखावत ने एक घोषणा की थी कि राजस्थान से भ्रष्टाचार मिट कर

(श्री कैलाश मेघवाल)

रहेगा। कई लोग शंका कर रहे हैं। शंका करने का कोई कारण नहीं है। एक विश्वास की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले राजनैतिक छत्रछाया में भ्रष्टाचार पनपा। जिस तरह भ्रष्टाचार सभी विभागों में फैला वह आज सामने आता है। सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग, कोई विभाग ऐसा नहीं जहां भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत घिसा पिटा दिखाई न दे रहा हो। 30 साल में देश ने भूतपूर्व कांग्रेस दल की छत्रछाया में काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से काम करना आरम्भ किया है माननीय भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में, जिस विश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा उसी विश्वास को हम लेकर चल रहे हैं। जब राजनैतिक भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। इससे निपटने के लिये दो प्रयोग किये हैं। एक है अधिकारी और कर्मचारी स्तर पर। इसके लिये विभाग में एक प्रकोष्ठ कायम कर दिया गया है। मैं स्वीकार करता हूं, सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का सहकारिता विभाग में जो कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें थोड़ा बहुत हाथ रहा है। ऐसी स्थिति में अधिकारी स्तर पर और कर्मचारी स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिये हमने एक प्रकोष्ठ बनाया है। जो अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसे के दुरुपयोग में लिप्त हैं ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से सी.सी.ए. रूल्स के तहत निपट कर अगर कोई दोषी है तो उसके मामले को पुलिस को भी सौंपने में नहीं हिचकिचायेंगे। कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। एक तो यह व्यवस्था है जिसको हमने प्रारंभ किया है। दूसरा जो हमने किया है वह यह है, सहकारी समितियों में जो नान-आफिशियल्स के आधार पर जहां सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार है, जिनकी जांच हुई है, उनमें जिस तरीके के प्रमाण मिल रहे हैं, उस आधार पर सदन को सूचित करना चाहता हूं कि एक माह में 149 मुकदमे पुलिस को दिये जाने के लिये आदेश दे चुका हूं। जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, जांच हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर। जैसा मैंने पिछली बार कहा था जब पंचायतों के खिलाफ संकेत आये तो सारे राजस्थान में जांचों का अम्बार लगा। हमारी मशीनरी पर्याप्त नहीं है। सारे राजस्थान में 17-18 हजार सहकारी समितियां हैं। कहीं भी छोटी-मोटी गड़बड़ है उसकी सब तरह की जांच हो रही है। उनके लिय आदेश हम दे रहे हैं किन्तु सामान्यतः उनमें देरी हो सकती है।

सदन को एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में जांच होने में देरी होने का कारण यह है कि हमने शासन व्यवस्था में रूल आफ लॉ अडाप्ट किया है। सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि तानाशाही व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो डिक्टेटरशिप मालूम होती है। उसमें और आजकल की व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल ऑफ लॉ हम बनाते हैं उसमें कोई चतुराई से बच निकलता है तो लगता है कि भ्रष्टाचार है। जो हमारे जुरिसप्रुडेंस हैं, जो सी.सी.ए. रूल्स हैं, उस तरह के प्रमाण चाहियें। कर्मचारियों को दण्डित करने के लिये, दूसरे आदमियों को दण्डित करने के लिये, उस तरह के प्रमाण हम जुटा नहीं पाते। सहकारिता

(श्री कैलाश मेघवाल)

विभाग के जो नियम बने हुए हैं उनमें ऐसे लूप होल्स हैं कि उत्तरदायित्व नहीं रख सकते। आज लाखों समितियां हैं। एक रिजोल्यूशन के आधार पर उनमें लोन आता है। इस कारण कई बच जाते हैं। कैशियर बच जाता है। लेने वाला बच जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन कर रहा था इस तरह की स्थिति जो सामने आई है उस सारी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। पुर्नविचार कर जो बुनियादी मुद्दे आप लोगों ने उठाये . . .

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बात पूछना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : बीच में नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी चर्चा आज हुई सहकारिता विभाग के बारे में, उस चर्चा के आधार पर जो विचार आये वह विचार बहुत उपयोगी विचार थे। कई नये सुझाव आये। विभाग में जो जिस तरह से चल रहा है उसको जनता सरकार के आने के बाद नई दिशा देना चाहते हैं। जो निहित स्वार्थ उसमें घुसे हुए हैं, उनको हटाना चाहते हैं। उनको अलग रखना चाहते हैं। ग्रामीण विकास के लिये, ग्रामों के आदमियों को सुविधायें देने के लिये, पुर्ननिर्माण करने के लिये 5-6 मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। इस दिशा में हम सोच रहे हैं। आज जो सुझाव आये हैं वह मैंने नोट किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इनका अध्ययन करने के बाद सारे मुद्दों को लूंगा। 5-6 मुद्दे उठाये हैं। एक मुद्दा है, विभिन्न सहकारी संस्थाओं के उप नियमों में अब तक जो एक समानता नहीं है, उसे कम किया जाकर समानता, यूनिफार्मिटी लाई जाय।

दूसरा मुद्दा है, ग्राम स्तर की इकाई को शक्तिशाली बना कर विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व को एक दिशा में मोड़ा जाय जिससे कोई व्यक्ति तीन से अधिक सहकारी संस्थाओं के प्रवन्धक मण्डलों पर नहीं रह सके। शहरी तत्वों द्वारा आन्दोलन में घुस कर सहकारी समितियों के प्रवन्धक मंडलों में घुसपैठ करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाय।

तीसरा, किसी भी प्रकार की सहकारी संस्था में एक निर्धारित अवधि के पश्चात् अध्यक्ष या पदाधिकारी या संचालक मण्डल का सदस्य बने रहने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

चौथा, शीर्ष स्तर की सहकारी संगठनों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, ताकि इसमें निर्वाचित होने वाले अध्यक्षगणों में अधिक से अधिक संबंधित सदस्यों की राय हो। इस प्रकार इन संस्थाओं के अध्यक्षों का एकाधिकार समाप्त किया जाय।

पांचवा, प्रत्येक संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संस्था के दिन प्रति दिन कार्यकलापों के बावत जिम्मेदारियां निश्चित की जायं ताकि संस्था की असफलता पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर जिम्मेदारी ठहराई जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

छटा, आम तौर पर संस्थाओं के निर्वाचन निर्धारित समय पर नहीं करवाये जाकर निहित स्वार्थ के व्यक्ति संस्था पर कब्जा किये बैठे रहते हैं और दोषी पाये जाने पर अथवा ऋणों का चुकारा नहीं करने पर भी प्रवन्धक मण्डलों के सदस्य बने रहते हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रावधान किया जाना आवश्यक समझा जाय ताकि सहकारी समितियों को ऐसे तत्वों से बचाया जा सके।

सातवां, सहकारी अधिनियम में मूल उद्देश्य एक सदस्य एक मत की क्रियान्विति कराये जाने बाबत आवश्यक व्यवस्था की जाय।

आठवां, इस प्रकार पुनर्गठन योजना एवं निर्वाचन घोषणा-पत्रों में दिये गये आश्वासनों के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि इन दिशाओं में कार्य किया जाना आवश्यक है। यद्यपि पुनर्गठन योजना की क्रियान्विति के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही के लिये भूतपूर्व सरकार द्वारा निर्वाचन रोक दिये गये थे और विभिन्न सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मंडलों के स्थान पर मनोनीत प्रबन्धक मंडल नियुक्त कर दिये गये थे, जनता सरकार के द्वारा भी इन मनोनीत प्रबन्धक मंडल अथवा प्रशासकों का अलग रहना आवश्यक समझा गया ताकि निहित स्वार्थों को सहकारी आन्दोलन से हटाया जाकर सहकारी आन्दोलन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, बुराइयां कम की जावें।

सहकारी संस्थाओं के प्रबन्धक मण्डलों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति, लघु सीमान्त कृषकों, महिलाओं आदि को आवश्यक प्रतिनिधित्व दिया जाय।

तो ये मुद्दे मैंने इसलिये रखे हैं कि इस दिशा में हम सोच रहे हैं। इन मुद्दों का संबंध पड़ता है चुनावों से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं बाइ-लाज बनाये जायं और इन मुद्दों के आधार पर अगर सामूहिक रूप से मामले बनते हैं, तो जो एक्ट है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये बाइ-लाज हो जायेंगे तब एक मिनट की भी देरी नहीं करूंगा चुनाव में। चुनावों में अभी विलम्ब है। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, इन संस्थाओं के चुनाव होने चाहियें लेकिन चुनाव की जल्दी आज के कानून के हिसाब से कर लें तो जैसा बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वही भ्रष्ट लोग आ जायेंगे। जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने ऐसे क्लाज रखे हैं। वह व्यक्ति दुबारा वहीं बैठा रहता है तो उसका भ्रष्टाचार सामने नहीं आ सकता है इसलिये समय निर्धारित करना चाहते हैं कि 5-10 साल नहीं रह सके तो उसके घोटाले सामने आ जायं। जो दूसरे कानूनी प्रावधान हैं वे भी सोच रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं जब तैयारी हो जायगी तो चुनाव कराये जायेंगे। हम सहकारी आन्दोलन को नई दिशा देना चाहते हैं। आज सहकारी समितियों का लाभ अनुसूचित जाति को नहीं मिलता, जन जाति को नहीं मिलता, गरीब को नहीं मिलता। जो भ्रष्टाचार हुये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह हुआ है कि जो पैसा बैंक से लाया जाता है वह वितरित नहीं किया जाता है। नकली अंगूठा लगाकर रसीदें बना ली जाती हैं। दूसरा, वसूल हो जाने के बाद उस व्यक्ति का ऋण जमा नहीं होता। रोकड़ में नहीं बताया जाता और उसको हजम कर लिया जाता है।

जो यह भ्रष्टाचार की परम्परा चल रही है इस परम्परा को हम मिटाना चाहते हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो निहित स्वार्थी लोग हैं उनकी वजह से गरीब को, अनुसूचित जाति को, जन जाति को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कल का इतिहासकार मूल्यांकन करेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये और गरीब तबके के लिये जिस तरह की नारेबाजी की गई है और जो आज भी अत्यन्त अन्धेरे में है, मैं जैसा निवेदन कर रहा था कल का इतिहासकार मूल्यांकन करेगा कि इस देश का शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति सरकार से अपना हक नहीं पा सका तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 30 साल की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार उसकी उत्तरदायी होगी और उस इतिहासकार के सामने खड़ी होगी। कांग्रेस ने भुलावे के नारे दिये और उनके नाम से हमेशा वोट लेते रहे, आज यह उसकी स्थिति है। पिछली बार एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि राजस्थान में 1150 थानेदार नियुक्त हुये थे। सब भूतपूर्व सरकार के द्वारा नियुक्त हुये थे। उनमें से तीन थानेदार शायद शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे। जनता पार्टी के आने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स के 13 और शिड्यल्ड ट्राइब्स में 22 थानेदार हैं। यह स्थिति सामने आई है। आप कहते क्या थे और करते क्या थे, इसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के आंकड़े भी मौजूद हैं....

(व्यवधान)

मैं बता रहा था सहकारिता विभाग में ...

(व्यवधान)

ये आपके ही आंकड़े हैं, घबराइये नहीं। आंकड़े उसी गवर्नमेंट के हैं, उपाध्यक्ष महोदय। आंकड़ों में हेर-फेर नहीं हो सकता है लेकिन सुनने की ताकत होनी चाहिये। उस इमर्जेन्सी की काल रात्रि में आप सब इधर बैठे थे। अब आपकी सारी करतूतें सामने आ रही हैं और आनी चाहियें, उपाध्यक्ष महोदय, जनता के सामने आनी चाहियें।

सहकारिता विभाग में आफिसर्स कैडर की सैंक्शन्ड स्ट्रेन्थ 216 है, वर्किंग पोजीशन में 185 लोग काम कर रहे हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स का पर्सेन्टेज 5.4 प्रतिशत है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का 4.85 प्रतिशत है। जब कि यह होना चाहिये था मिनिमम 28 पर्सेन्ट। उसके बाद स्टेट सबोर्डिनेट सर्विसेज में टोटल स्ट्रेन्थ 2296 है और वर्किंग पोजीशन में है 1859। इसमें पर्सेन्टेज शिड्यूल्ड कास्ट्स का 5.5 और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का 1.2 पर्सेन्ट है। यह स्थिति है। यह कहा जा सकता है कि अधिकारी जो लोग हैं उनमें अनुसूचित जाति और जन जाति में सूटेबल कर्मचारी न मिले हों, सूटेबिलिटी नहीं हो लेकिन यह कह कर धोखा देने वाली स्थिति में लाना चाहते हैं। अब महतरों में तो उसकी दरख्वास्त लगती है, क्लास फोर में टोटल स्ट्रेन्थ 227 है और 211 वर्किंग पोजीशन में हैं। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स का 7.1 प्रतिशत और ट्राइब्स का 3.3 प्रतिशत है। इसी तरह मिनिस्ट्रियल स्टाफ में 573 हैं और वर्किंग पोजीशन में 516 हैं। कास्ट्स का 6.97 प्रतिशत है और ट्राइब्स का 2.90 प्रतिशत है।

ये जो आंकड़े हैं, आप स्वयं देख लीजिये कि वास्तव में भला कौन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है। आज यह आंकड़े केवल इसलिये सामने लाया हूं कि यह देशव्यापी प्रश्न है। चाहे वह

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्वर्ण सिंह की कांग्रेस हो या इन्दिरा गांधी की कांग्रेस हो, अपराधी दोनों हैं क्योंकि 30 साल तक वे प्रशासन में रहे हैं। ये उनके समय के आंकड़े हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय मैंने सदन के सामने ये आंकड़े रखे हैं। आज की तारीख में पोस्ट ग्रेजुएट एक हजार है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जिन्हें वजीफा दे रहे हैं युनिवर्सिटी से लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट को नान सूटेबल मानकर नहीं लिया गया। आज ऐसा न कहें कि उनके शुभचिन्तक हैं। यह दुर्भाग्य है कि 30 साल में राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जागृति उनमें नहीं आ पायी है। जिस दिन यह जागृति आ जायगी, उस दिन न वे नारे लगायेंगे और न हम लगायेंगे। वह स्थिति जानबूझकर नहीं आने दी गई। जागृति आई तो वह जंगलों से निकल कर उस काल रात्रि के समान चक्कर लगायेंगे।

माननीय विधायकों ने कहा सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है नसबन्दी में तो वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर हुआ है। शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स खड़ी हो गई तो न केवल दिल्ली में बल्कि सारे देश में कांग्रेस को विरोधी पक्ष में जाकर बैठना पड़ा है। अब विरोधी पक्ष के द्वारा छोटी मोटी घटनाओं को लेकर, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, इतिहास में सबसे गन्दा खेल खेला जा रहा है। आज जिनकी भलाई की बात करते हैं उनका भी नमूना देख लीजिये। जगजीवनरामजी ने सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण किया तो सबसे पहले उस मूर्ति को गंगा जल से पवित्र किया, यह है इनकी भावना। 30 साल में यह उत्थान किया है इन्होंने। छोटी मोटी घटनाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं जब कोई झगड़ा होता है, उपाध्यक्ष महोदय, ब्राह्मण ब्राह्मण का झगड़ा होता है, राजपूत राजपूत में झगड़ा होता है तो इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन कोई एक छोटी सी घटना कहीं देखने को मिल जाती है। राजपूत और मेघवाल का कहीं झगड़ा हो जाता है, तो लोग इस झगड़े को तूल देने लगते हैं। मेघवाल भी कितने हो गये हैं, समझ में नहीं आता। इन छोटी मोटी घटनाओं को लोग इस तरह से उछालते हैं मानों कोई भूकम्प आ गया हो। इस तरह से कांग्रेस इन घटनाओं को उछाल रही है क्योंकि सत्ता उनके हाथ से चली गई है। आज इस समस्या का मानवीय आधार पर अध्ययन कर हल करने की जरूरत है। मैं कांग्रेस के साथियों को निमन्त्रित करना चाहता हूं, यदि वे दिल से यह चाहते हैं कि इन लोगों का उत्थान हो, यह जो दुर्व्यवस्था है वह दूर हो तो रचनात्मक कार्य करें। परन्तु वे समाचार पत्र में नाम छपाने के लिए ही इन समस्याओं को यहां पर उठाते हैं। यदि वास्तव में कांग्रेस हरिजनों की समर्थक है, यदि वह उनकी संरक्षक बनी हुई है, तो सिर्फ सदन में ही समस्याओं को उठाने से उनका हल नहीं होगा। राजस्थान के ही नहीं बल्कि सारे देश के शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जाग उठे हैं। यदि नहीं जागे हैं तो जनता पार्टी उनको जगायेगी। अन्त्योदय योजना इसलिए प्रारम्भ की गई है। मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अन्त्योदय योजना सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहती है। इस दृष्टि से इस पर सोच रहे हैं। इसमें यह संकेत है। गरीबों के बारे में विश्वास के साथ सोच रहे हैं। इस योजना में गरीब से गरीब व्यक्ति को चुना है ताकि गरीब यह महसूस करे कि शासन ने उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिया है । अन्त्योदय योजना के संबंध में रचनात्मक सुझाव देने के बजाए, कोई मौलिक बुनियादी सुझाव देने के बजाए विरोधी पक्ष अन्त्योदय योजना का मखौल उड़ा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गरीबों का मखौल है । मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने अन्त्योदय योजना का कार्यक्रम हाथ में लिया है, तो यह कार्यक्रम सफल होगा और उसके साथ ही साथ सहकारी आन्दोलन भी सफल होगा । ये सारे आन्दोलन चलेंगे तो यह जो हालात हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होंगे और राजस्थान के गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी अपने आप यह महसूस करेंगे कि कौन उनके साथ हैं । इसलिए हमने यह कहा है। कांग्रेस ने कभी यह नहीं कहा है, बुनियादी जो ऋण देने वाली समिति है गांव में, उस बुनियादी ऋण देने वाली समिति में उसके संचालक मंडल में अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति होंगे, छोटे किसानों के प्रतिनिधि होंगे, महिला प्रतिनिधि होंगी । इस दिशा में हम सोच रहे हैं..

श्री राम रघुनाथ चौधरी : यह तो पहले भी था । आप क्या नया कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : पहले नहीं था । इसके लिए हम बाय,-लाज बना रहे हैं । बुनियादी तरीके से, सही ढंग से इनको बना रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन का जो मूड है, वह मैं महसूस कर रहा हूं । 11 करोड़ की मांगों पर समाज कल्याण विभाग की मंत्री महोदया ने 40 मिनट लिए हैं तो 9 करोड़ की मांग पर मैंने 25 मिनट लिए हैं जो उचित हैं । इसी निवेदन के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि यह जो मांग है, इसको मंजूर करें ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपने जवाब में सवालों को साइड ट्रेक कर गये हैं । माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में जो सवाल सदन में उठाये थे; उनका जवाब नहीं दिया है । जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनका जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिये ।

श्री परसराम मोरदिया : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति है ? मैं यह पूछना चाहूंगा सहकारिता विभाग के मंत्री महोदय से, क्या वे यह घोषणा करेंगे कि जो 28 पर्सेन्ट का कोटा अनुसूचित जाति और जन-जातिके लिए है, वह उनके विभाग में पूरा नहीं हुआ है ? क्या इस विभाग में जब तक यह कोटा पूरा नहीं हो जाता है तब तक दूसरे व्यक्तियों को नहीं रखा जाएगा ? आपने यह तो बताया कि पिछली सरकार इस बारे में असफल रही है । आपने आंकड़े बताये हैं । परन्तु आप आगे क्या करने का विचार रखते हैं ? किस प्रकार इस कमी को पूरा करना चाहते हैं ? इसका उल्लेख मंत्री महोदय ने नहीं किया । क्या सहकारी मंत्री इसकी घोषणा करेंगे कि जब तक 28 पर्सेन्ट का कोटा पूरा नहीं हो जाता है, दूसरे व्यक्तियों को नहीं रखा जाएगा ? कृपया इसका उत्तर दें ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही है । आज सरकारी व्यवस्था के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले की डिपार्टमेंटल जांच होती है । इस जांच में सहकारी विभाग के ऊपर से लेकर

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

नीचे तक के आदमी होते हैं इसलिए जब कोई जांच होती है तो एक अधिकारी अपने नीचे के सारे कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। यह निश्चित बात है। इसलिए यह जांच किसी प्रकार से ठीक नहीं होगी। मेरा यह सुझाव है और मांग है कि जांच के लिए आप कोई आयोग बिठावें या जांच समिति नियुक्त करें तब जाकर यह सारा भ्रष्टाचार सामने आएगा।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब भीननाथवाला मामला यहां पर आ गया है और आडिट रिपोर्ट, सारे रिकार्ड से यह साबित हो गया है तो इस भ्रष्टाचारी निकम्मे आदमी की मंत्री महोदय जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है। आप बिराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : इस जांच कमेटी में सदन के कम से कम दो सदस्य हों और बाकी दूसरे अधिकारी हों। यह मामला स्पष्ट है और सब तरह से साबित हो गया है।

श्री गुल मोहम्मद : मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है वे कौन कौन अधिकारी हैं? किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि यह जांच किसी अधिकारी से न करवा कर किसी रिटायर्ड जज से करायी जाए और दो विधायक भी इसमें शामिल हों। यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। आपका सुझाव सुन लिया गया है।

श्री हरिसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। जिन जिन दो-तीन सोसाइटियों की एक सोसाइटी बनायी गयी है उनमें से यदि कोई सोसाइटी खराब है और उस सोसाइटी की वजह से जो ऐसी सोसाइटी उसमें शामिल हुई है, जिस पर कोई बकाया नहीं है उसके लिये ऋण की व्यवस्था करने के बारे में क्या सरकार कोई योजना बना रही है जिससे आने वाले साल में उनको ऋण प्राप्त हो जाए और वे अपना जो उत्पादन है उसके अन्दर सहयोग प्रदान कर सकें? इसके बारे में मंत्री महोदय थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे?

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक डाक्यूमेन्ट सामने रख दिया गया है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि दो विधान सभा के सदस्य, एक एम. पी. और दो अधिकारी, इन पांच व्यक्तियों की एक जांच समिति की घोषणा आज ही मंत्री महोदय द्वारा सदन में की जाए।

श्री परसराम मोरदिया : एक प्रश्न और है........

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बार पूछ चुके हैं?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के कई माननीय सदस्यों की यह भावना है तो मंत्री महोदय को सरकारी अधिकारी के मामले को साइड ट्रेक करने और उन को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्यों की यह भावना है तो इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना कर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। एक कमेटी सदन के सदस्यों की नियुक्त की जाए और ऐसे अधिकारियों को लाइट में लाया जाए।

श्री परसराम मोरदिया : उपाध्यक्ष

(श्री परसराम मोरदिया)

महोदय, मैं सहकारी मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनको पैसा देने का आपने क्या प्रावधान रखा है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्राडिट रिपोर्ट को बदलना एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, इस हेतु आप एक समिति बनाकर वैसा कर लें, जैसे कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, वैसा कर लें। कुछ एम. एल. ए. विधायकों की समिति बनाकर जांच कराने के आदेश करें।

श्री गणेशलाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय मैंने माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगली योजना में, अगले वर्ष में औद्योगिक दृष्टि से कोई नया काम हाथ में लिया गया है ? दूसरी बात यह है कि केशवरायपाटन एक मात्र सहकारी संस्था है उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। उस पर सारे जिले का भविष्य निर्भर है। काश्तकारों के साथ ज्यादती हो रही है। उनको पेमेण्ट नहीं कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हजारीमल सारण : इन संस्थाओं के रखने की क्या उपयोगिता है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय विधायक परसराम जी ने आपत्ति की है, क्या 28% कोटा पूरा होगा ? मैं सबसे पहले सदन को जानकारी देना चाहता हूं, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मन्त्रिमण्डल ने सबसे पहला निर्णय यह लिया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। न केवल कोटा पूरा करें बल्कि पदोन्नतियों में संरक्षण का कोटा पूरा करें, इस बारे में सभी विभागों को आदेश दिये गये हैं। अब जो भर्तियां होंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वह करेगी। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा। संरक्षण का कोटा पूरा किया जाय, इस प्रकार के आदेश दिये जा चुके हैं।

मैं भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक और जयपुर से आने वाले माननीय विधायक और, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस विषय पर जब एक प्रश्न द्वारा आधे घण्टे की चर्चा उठाई गई थी उस समय प्रकाश डाला था। हम जड़ से इस मामले को गम्भीरतापूर्वक देख रहे हैं। जब से वह इस पद पर रहे हैं, श्री गुलाब सिंह शक्तावत जब एम. एल. ए. थे, जब से वह काम करते थे, तब से अब तक की रिपोर्ट हमने मंगवा ली है। पत्र व्यवहार जो किया गया है, वह सब मंगवा लिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और निष्पक्षता से कार्यवाही होगी।

बान्सूर से आने वाले ....

(व्यवधान)

माननीय विधायक ने समस्या उठाई है, दांते कमेटी के बारे में। दांते कमेटी के आधार पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह सोचा गया है, यह एक बुनियादी रूप देने वाला है। कृषि के काम में दो हजार एकड़ कवर करता है या 4 हजार एकड़ कवर करता है या नहीं, दो लाख रुपया होता है या नहीं, इस आधार पर ये वायबल यूनिट्स मानी जाय या नहीं एरिड एण्ड सेमी डेजर्ट जोन में।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है, जांच कमेटी के बारे में तो यह निवेदन करूंगा कि मैंने अभी उस पर गम्भीरता से सोचा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप लगाये गये हैं, उनके बारे में जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है, जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी भ्रष्टाचार की छाया के नीचे, जिस प्रकार अधिकारी काम कर रहे थे, वह भ्रष्टाचारी अधिकारी बचने के नहीं हैं। आज अच्छे अधिकारी भी उपलब्ध हैं। मैं माननीय सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जांच में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और किसी आदमी को सजा देने में राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब मांगें पुट करता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने समुचित उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय विश्वास दिला दें। समिति की घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपने सुझाव दिये हैं। मन्त्री महोदय ने उनका जवाब दे दिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मांग संख्या 33 व 36 का पारण

अब मैं मांगों के सम्बन्ध में सदन की राय जानना चाहूंगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,07,45,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 33 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,49,68,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 36 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च, 1978 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10-40 बजे बुधवार दिनांक 22 मार्च, 1978 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 413 का विवरण)

माही परियोजना पर वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक हुये व्यय का प्रपत्र

(रुपये लाखों में)

नाम मद/उपमद	1974–75	वास्तविक व्यय	
		1975–76	1976–77
1	2	3	4
1. निर्देशन तथा प्रशासन :			
(1) संवेतन ..	38.28	39.52	49.21
(2) यात्रा व्यय ..	3.12	2.54	3.15
(3) चिकित्सा व्यय ..	0.70	0.71	0.85
(4) कार्यालय व्यय ..	3.86	3.69	5.21
(5) छात्रवृत्तियां ..	..	..	..
(6) अन्य व्यय ..	..	..	.21
2. निर्माण कार्य :			
(1) वृहद् ..	203.75	492.51	675.03
(2) लघु ..	57.53	44.04	312.85
3. मशीनरी तथा उपकरण ..	158.57	252.31	(–) 44.51
4. निलम्बन शुद्ध ..	127.76	(–) 169.94	150.69
योग ..	593.57	665.38	1152.69
घटाइये पूंजी लेखे में प्राप्तियां एवं वसूलियां ..	48.04	2.60	2.30
योग इकाई प्रथम ..	545.53	662.78	1150.39

Page No 206

(206)

1	2	3	4
मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय पर व्यय ..	..	1.45	..
निदेशक, पुनर्वास द्वारा व्यय ..	..	16.84	..
शुद्ध योग इकाई प्रथम ..	545.53	681.07	1150.39
इकाई द्वितीय (नहर)			
1. निदेशन तथा प्रशासन	..	3.46	6.20
(1) संवेतन ..	..	0.23	0.43
(2) यात्रा व्यय ..	..	0.08	0.16
(3) चिकित्सा व्यय ..	..	0.25	0.82
(4) कार्यालय व्यय ..	..	..	..
2. निर्माण कार्य ..	6.54	29.67	220.18
3. मशीनरी तथा उपकरण ..	..	15.26	51.96
4. निलम्बन (शुद्ध) ..	..	..	52.78
योग ..	6.54	48.95	332.53
घटाइये—पूंजी लेखे में प्राप्तियां तथा वसूलियां ..	..	..	0.02
योग इकाई द्वितीय ..	6.54	48.95	332.51
योग इकाई प्रथम एवं द्वितीय ..	552.07	730.02	1482.90

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 205 की विज्ञप्ति आदि)

राजस्थान राज-पत्र दिनांक दिसम्बर 24, 1955, भाग 4 (ग) में प्रकाशित हुए

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 24, 1955

संख्या 4241/एफ. 34 (44) रेवेन्यू/53—राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् 1953 (राजस्थान एक्ट नं. 13, सन् 1953) की धारा 32 तथा 76 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार राजस्थान गवर्नमेन्ट की विज्ञप्ति नं. एफ. (428)/फोर.149 ता. 13-1-51 को आंशिक रूप में रद्द करते हुए राजस्थान गवर्नमेन्ट निम्नलिखित फोरेस्ट डिविजन्स के लिये निम्नलिखित नियम जंगल की पैदावार सम्बन्धी रियायतें देने के लिये प्रचलित करती है।

1. कहां लागू होंगे:—यह नियम फोरेस्ट डिविजन उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व टोंक में लागू होंगे जहां कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जंगल की पैदावार सम्बन्धी रियायतों के विशेष नियमों की आवश्यकता है और जहां ये रियायतें अब तक मिलती आ रही हैं।

2. परिभाषायें:—इन नियमों में जब तक कि भाषा में कोई अन्य अर्थ न लिया जावे—

(अ) "आदिवासी" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो निम्नलिखित जातियों में से हो:—

(1) बावरिया
(2) भील
(3) गरसिया
(4) मीणा
(5) सहेरिया
(6) अन्य जाति जो इन नियमों के लिये गवर्नमेन्ट द्वारा आदिवासी घोषित की जावे।

(ब) "बन्द जंगल" से अभिप्राय उस जंगल से हैं जो चराई के लिये बन्द हो। जिसमें कटा हुआ कूप, घास के बीड़, बबूल की बनी शिकारगाह या अन्य कोई भी जंगल सम्मिलित है जिसको वन संबंधी रियायतों के उपयोग के लिये गवर्नमेन्ट द्वारा बन्द कर दिया गया हो।

(क) "पालतू मवेशी" में गाय, बैल, ऊंट, भैंस, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, सूअर, मेढ़ा, मेमना, बकरी का बच्चा सम्मिलित है।

(ख) "कृषक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका मुख्यतया खेती पर निर्भर हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों से अभिप्राय उन क्षेत्रों एवं गांवों से हैं जो कि नीचे लिखे हैं—

(1) जिला उदयपुर :

(अ) तहसील सलूम्बर, सराड़ा, फलासिया, खेरवाड़ा, कोटड़ा, लसाड़िया, सावरा, कुम्भलगढ़, तहसीलों के समस्त गांव ।

(ब) सब-तहसील भिण्डर, कुरावड़, कानोड़ और बारापाल के समस्त गांव ।

(स) तहसील गिरवा के निम्नलिखित गांव:—

(1) नाई
(2) मेजरा
(3) पीपल्टी
(4) थैंकड़िया
(5) ऊंदरी
(6) सालीवास
(7) कोटड़ा
(8) पई
(9) अलसीगढ़
(10) कुवाड़िया खेड़ा
(11) खजूरी
(12) आमन्दरी
(13) काया
(14) खरपीन
(15) कोड़ीयात
(16) नवागुड़ा
(17) रायता
(18) पीपल्या
(19) अल्लाल्या
(20) धार
(21) बंडूगा
(22) मौवानिया
(23) वरड़ा
(24) गोछेरा
(25) वड़ी
(26) नायेवतों का गुड़ा
(27) सिखारमा

(द) उमरड़ा ग्राम समूह के निम्नलिखित ग्राम:—

(1) उमरड़ा
(2) ढड़किया
(3) धरौला
(4) राजावा
(5) आबुंवा
(6) खेड़ा
(7) झामर
(8) गोवर्धनपुरा
(9) घमधड़
(10) मानुपुरा
(11) साऊपुरा
(12) मानदेव
(13) खारदा
(14) चान्दला
(15) जोधपुर
(16) घाट का गुड़ा

(2) जिला चित्तौड़गढ़:—(अ) तहसील बड़ी सादड़ी के पूर्व वानसी जागीर के समस्त ग्राम, तहसील प्रतापगढ़, तहसील अचनेरा, तहसील भैंसरोड़गढ़ (जिसमें कुआखेड़ा भी सम्मिलित है) व तहसील कनेरा ।

(3) जिला डूंगरपुर:— समस्त ग्राम ।

(4) जिला बांसवाड़ा:—जिसमें सब-डिविजन कुशलगढ़ भी सम्मिलित है, के समस्त गांव।

(5) जिला कोटा:—तहसील शाहबाद, तहसील किशन गंज तथा तहसील हायलाड़पुरा, रामगंज मण्डी और कनवास के भी क्षेत्र ।

(6) जिला बूंदी:— तहसील तालेड़ा और तहसील बून्दी व तहसील हिण्डौली का बराड़ इलाका ।

(घ) 'खुला जंगल' से अभिप्राय उस जंगल से है जो बन्द न हो ।

(ङ) 'पेशेवर चराईदार' से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो 10 भैंसे से अधिक रखता हो।

(च) 'प्रोटेक्टेड जंगल' से अभिप्राय उस जंगल से है जो राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, सन् 1953 की धारा के अन्तर्गत प्रोटेक्टेड घोषित किया गया हो।

(छ) 'रक्षित दरख्त' से अभिप्राय निम्नलिखित किसी भी दरख्त से है:—

1. चन्दन	13. मौलश्री	25. कुसम
2. शीशम	14. नीम	26. करंज
3. बीजा	15. महुआ	27. खैर
4. सागवान	16. आम्बीया या काटी	28. अशोक
5. अंजन	17. आम	29. आल
6. तिन्सा	18. तेन्दू	30. आमला
7. सेमल	19. छार	31. खजूर
8. हल्दू	20. खिरनी	32. रेजवा
9. बबूल	21. पलाश	33. रायां
10. सिरस	22. वकायन या कदम	34. बैल
11. जामन	23. धामन	35. रोहन
12. अर्जुन	24. बहेड़ा	

किन्तु कोई भी दरख्त किसी इमारती लकड़ी, किसी किसी स्थान पर विशेष कार्य के लिये काम में लेने की प्रथा है वह उस स्थान के लिये तथा उस कार्य के लिये रक्षित नहीं समझी जायगी।

(ज) 'रिजर्व जंगल' से अभिप्राय उस जंगल की जमीन या पड़त से है जो राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, सन् 1953 के अध्याय 2 के अन्तर्गत रिजर्व करा दिया गया हो।

(झ) 'अरक्षित दरख्त' से अभिप्राय उन दरख्तों से है जो रक्षित न हों।

(ञ) 'गांवाई जंगल' से अभिप्राय उन गांवाई जंगल हैं जिसकी परिभाषा राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, सन् 1953 की धारा 28 की उप-धारा (1) में की गई है।

3. पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषकों को इमारती लकड़ी संबंधी रियायतें:—आम शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषक अरक्षित दरख्त खेती के कार्य के लिये इमारती लकड़ी मुफ्त किसी भी जंगल से जो कि कूप कटा बन्द जंगल न हो, ले सकते हैं। यदि उस स्थान पर अरक्षित दरख्तों की इमारती लकड़ी उपलब्ध न हो तो वे ऐसी लकड़ी रक्षित से ले सकते हैं।

यदि ऐसी इमारती लकड़ी अरक्षित दरख्तों से उपलब्ध न हो तो रक्षित दरख्तों की लकड़ी मुफ्त दी जायेगी। किन्तु कृषक ऐसी इमारती लकड़ी अरक्षित होते हुए भी रक्षित लेना चाहे तो उसे 2/4 महसूल देना होगा।

4. मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी:—मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी सबको आम शर्तों के अनुसार, जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं, दी जावेगी। ऐसी इमारती लकड़ी केवल निजी उपयोग के लिये ही ली जावेगी, न कि बेचने के लिये।

5. चराई:—

(अ) गायें और बैल फीस चराई से मुक्त रहेंगे।

(ब) आदिवासी, जिसमें आदिवासी पेशवार चराईदारा भी शामिल हैं, सिवाय बन्द जंगलों के बाकी तमाम जंगलों में अपनी निजी मवेशी सिवाय ऊंट के मुफ्त चरा सकेंगे। पहाड़ी क्षत्रों के कृषक व आदिवासी जिन जंगलों में मवेशी हमेशा से चराते आ रहे हैं वहां मुफ्त चराते रहेंगे। ऊंटों व भेड़, बकरियों की पूरी फीस (चराई) ली जावेगी, किन्तु जहां यह चराई अब तक नहीं ली जाती हैं, वहां नहीं ली जायेगी।

(स) खुले जंगलों और गांवाई जंगलों में भेड़, बकरी मुफ्त चराई जा सकती हैं।

(द) पेशेवर चराईदार जो आदिवासी न हों, उनसे वन विभाग के जंगलों में चराने के लिये फीस चराई पूरी तरह से तमाम जानवरों के लिये ली जावेगी किन्तु जहां अब तक नहीं ली जाती है, वहां अब भी नहीं ली जावेगी।

6. बाड़ :—

(अ) आदिवासी तथा कृषकों के लिये मकान और खेती की बाड़ के लिये कांटे और तमाम किस्म की झाड़ियां व दरख्त जो बाड़ के काम में आते हैं, मुफ्त दिये जायेंगे।

(ब) धोकड़े की लूम व पत्ते बाड़ के लिये उप-धारा (अ) के अनुसार मुफ्त नहीं दी जावेगी सिवाय उस सूरत में जब कि दूसरी किस्म के कांटे और झाड़ियां उस स्थान में उपलब्ध न हों।

(स) जहां खेतों और मकानों की बाड़ के लिये बांस या अन्य दूसरी लकड़ी ली जाने की प्रथा है वहां बांस व अन्य लकड़ी मुफ्त दी जावेगी।

7. जलाऊ लकड़ी:—मरी, सूखी और गिरी-पड़ी जलाऊ लकड़ी, माथाभार या घीसासान मुफ्त ला सकेंगे। किन्तु किसी व्यक्ति को सम्बन्धित रेन्ज ऑफिसर से परमिट प्राप्त किये बिना खड़े दरख्तों को काटने की इजाजत नहीं होगी।

जहां सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो वहां रेंजर निजी उपयोग के लिये गीली लकड़ी लाने के लिये जंगल बतावेगा जहां से सरभार, सान, घिसा द्वारा लकड़ी ला सकेंगे।

8. घास:—माथाभार द्वारा घास के सर बोझ निजी उपयोग तथा बेचने के लिये सब लोग किसी भी जंगल से, सिवाय घास के बीड़, कटे हुए कूप और अन्य हिस्सा के जिनकी कटाई घास के लिये खास तौर से गवर्नमेन्ट द्वारा बन्द कर दिया गया है जिसमें प्लान्टेशन व घास के रखने के बीड़ भी शामिल हैं मुफ्त ला सकेंगे।

9. जड़ें, पत्ते, पालन इत्यादि:—

(अ) खाने के काम में आने की जड़े और खाखरे की जड़ें या खजूर के फाड़ा मुफ्त ला सकेंगे, किन्तु इसके लिये नाकेदार से फ्री पास प्राप्त करना होगा।

(ब) खजूर, खाखरा और सागवान के पत्ते छप्परबन्दी के काम के लिये ले सकेंगे।

(स) डाण्डों के लिये सागवान के दरख्त की शाख तराशी मना है।

10. ये रियायतें संलग्न शिड्यूल में दर्ज आम नियमों से पाबन्द होंगी:—ऊपर के नियमों में दी गई तमाम रियायतें उन आम शर्तों से पाबन्द हैं जो इन नियमों के साथ संलग्न शिड्यूल में दर्ज हैं उस हद तक कि जहां तक इनमें से कोई भी शर्त किसी खास किस्म की रियायत पर लागू हो।

11. दरख्त व इमारती लकड़ी, कटाई व निकासी तथा पैदावार जंगल की तैयारी व निकासी प्रोटक्टेड जंगलों से मना है सिवाय उन सूरतों के जब कि इन नियमों द्वारा अथवा राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन्, 1953 के अन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा इजाजत दी गई हो।

12. यदि कोई व्यक्ति इन रियायतों का दुरुपयोग करेगा तो उसे इन रियायतों से वंचित किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार का दुरुपयोग सामूहिक रूप से होगा तो उस क्षेत्र अथवा गांव के निवासियों को इन रियायतों से वंचित किया जा सकेगा।

13. इन रियायतों का अमल 15 जून से 31 अक्टूबर तक बन्द रहेगा।

शिड्यूल

रियायत सम्बन्धी आम नियम

1. उन जंगलों की, जहां से वर्ष क्रम में इन रियायतों का उपभोग किया जा सकेगा, सूची नाकेदार के पास मिलेगी।

2. प्रत्येक व्यक्ति को जो इस किसी भी रियायत का उपयोग करना चाहे, जंगलात के नाकेदार से परमिट प्राप्त करना होगा। नाकेदार जंगलात यह परमिट उस सर्टिफिकेट के आधार पर जारी करेगा जो कि प्रार्थी ग्राम पंचायत के सरपच अथवा पटवारी से लावें और जिसमें प्रार्थी का नाम, ग्राम व उसके कब्जे की जमीन दर्ज होगी। यह परमिट मुफ्त जारी किये जावेंगे।

नोट:—खेती के औजारों के लिये व गांवाई जंगलों से इमारती लकड़ी लेने की सूरत में किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

3. हल के लिये इमारती लकड़ी निम्नलिखित नियमों के अनुसार दी जावेगी:—

(अ) 15 बीघा तक की खेती के लिये इमारती लकड़ी एक हल की 15 बीघा से अधिक पर इस अनुपात से दी जावेगी, किन्तु तीन हल से अधिक की नहीं।

(ब) तीन हल से अधिक की इमारती लकड़ी लेने पर साधारण शरह का 1/8 लिया जावेगा।

(स) हल में हाल चौड़ा कुड़ी, दो डांडे, नेजल और खल शामिल हैं।

4. पूरा ढाणा एक (चरस) के लिये इमारती लकड़ी दो साल में एक वार से अधिक नहीं दी जावेगी।

5. पूरे रेहट के लिये इमारती लकड़ी पांच वर्ष में एक बार दी जायेगी किन्तु सागरी आदि रेंहट के लिये टूट फूट की इमारती लकड़ी आवश्यकतानुसार दी जा सकती है।

6. उपरोक्त दर्ज तादाद की इमारती लकड़ी के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र के कृषक एवं आदिवासियों को निम्नलिखित अधिक रक्षित व अरक्षित इमारती लकड़ी मुफ्त मिलेगी:—

(1) हल, हाल, कूली दो प्रति वर्ष
(2) चौड़ा, चउचार प्रति वर्ष
(3) ढाणा (चरस) दो वर्ष में एक बार
(4) समाड़ा पांच वर्ष में एक बार.
(5) डागला (टोपा या डेंगला) तीन वर्ष में एक बार
(6) सांठों के लिये वर्ष में एक बार
(7) जूड़ी या जूड़ा, एक प्रति वर्ष
(8) ढेंकुआ व नाली वर्ष में एक बार
(9) कृषक एवं आदिवासी गुड़ बनाने के लिये झोंक आदि की लकड़ी से फ्री पास प्राप्त करके ला सकेगा।

7. मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी निम्नलिखित परिमाण में दी जावेगी:—

डांड़ा दो सौ नग
मिथाल (जोतड़ा) चार नग
वलेंडी अबल्ली चार नग
थूंन (थांवा) दो नग
नाथ (जोतरड़ी) दो नग
चूलिया (वटका) आठ नग

(अ) आदिवासियों को उपरोक्त दर्ज शुदा लकड़ी तीन वर्ष में मुफ्त में अरक्षित व रक्षित दरख्तों की दी जा सकेगी। उपरोक्त तादाद से अधिक लेने पर आदिवासी को 2/8 महसूल देना होगा।

(ब) कृषकों को उपरोक्त तादाद में दर्ज शुदा लकड़ी अरक्षित दरख्तों की मुफ्त दी जावेगी। उपरोक्त तादाद से अधिक लकड़ी अगर कृषक चाहे तो अरक्षित दरख्तों की, राजस्व पत्र में दर्ज शरह का 1/8 से दी जावेगी।

(स) कृषक यदि उपरोक्त तादाद में दर्ज शुदा लकड़ी रक्षित दरख्तों की लेना चाहे तो राजस्व पत्र में दर्ज शरह से 1/4 से दी जावेगी चाहे व लकड़ी उपरोक्त दर्ज शुदा तादाद से अधिक या उससे कम हो।

(द) मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी संबंधित रियायतों कृषक व आदिवासियों को केवल उसी ग्राम में बनाये जाने वाले मकान के लिये प्राप्त होगी जिसमें वह रहता है अथवा जमीन काश्त करता है।

(य) खेती के औजारों के लिये लाये जाने वाली लकड़ी पर सिवाय उस सूरत के, जो उन नियमों के अन्तर्गत हो, वर्तमान पाबन्दियां बदस्तूर रहेंगी।

पशुपतिनाथ कौल
राजस्व सचिव।

राजस्व (क) विभाग

निमित्त

मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः—मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा सं. 138/68

महोदय,

निर्देशानुसार मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 138/68, दिनांक 28-5-68 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित की जाती है।

कृपया वांछित योजना शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।

भवदीय
ह.
वि. नाथ
सहायक शासन सचिव।

मन्त्रिमण्डल की आज्ञा 138/68

मुख्य मन्त्री की अनुमति से घटते हुये वनों की समस्या पर विचार किया गया तथा तय किया कि कोयले बनाने व बल्लियां काटने के लिये जंगलों का ठेके देने की प्रथा में कुछ आमूल परिवर्तन हो। यह मत व्यक्त किया गया कि निम्नांकित स्थितियों के अलावा किसी और दशा में कोयला आदि बनाने के लिये ठेके न दिये जावें:—

1. बांसों के ठेके।
2. जो क्षेत्र जंगल से निकाल कर कृषि के लिये जा रहे हैं उसके पेड़ों के ठेके, तथा
3. जो क्षेत्र किसी बन्ध आदि के डूब में आ रहे हों उस क्षेत्र के वृक्षों के ठेके।

यह निर्णय लिया गया कि इस विभाग में वन ठेकों से आने वाली आय पर भी विचार करके यह प्रस्ताव वित्त मन्त्री को प्रस्तुत हो, जिसके आधार पर एक योजना इस संबंध में मन्त्रि-परिषद् को प्रस्तुत की जावे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह ठेका देने की रोक पेड़ों को काटने पर ही लगेगी तथा फोरेस्ट प्रोड्यूस/कत्था आदि पर नहीं साथ ही यह रोक सिर पर लकड़ी/हिड लोड्स लाने पर नहीं लगेगी। इसके अलावा जब तक कि मन्त्रि परिषद् का अंतिम निर्णय न हो जावे ठेके देना रोक दिया जावे।

यह भी तय हुआ कि राजाओं व जागीरदारों ने खुद काश्त के नाम पर जंगल लिये हों और उन्हें काट रहे हों तो उसे रोकने के लिये नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो उस पर भी विचार करके मन्त्रि परिषद् के सम्मुख रख दिया जावे। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग अपनी स्थाई गेंग आदि की सहायता से अधिक से अधिक सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य करें।

ह.
(के. पी. यू. मेनन)
मुख्य सचिव, राजस्थान।
दिनांक 28-5-68

सूची संख्या आदिवासियान-जिनको विज्ञप्ति संख्या 4021। एफ 4 (44) रेवेन्यू। 56, दिनांक 24-11-55 के अन्तर्गत वन पैदावार का लाभ दिया गया

वर्ष 68-69 से 77-78 तक.

क. सं.	नाम वन मण्डल	नाम रेन्ज	वन विभाग 68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	उदयपुर	उदयपुर	..	9	14	12	9	6	8	7	1	
2.		सलुम्बर	1702	1504	1230	1434	1734	1830	1127	1442	1389	
3.		कुराड	105	215	192	247	219	150	278	312	198	
4.		परशाद	75	102	135	101	108	135	127	97	156	
5.		झाडोल	500	700	800	386	569	807	664	711	1214	
6.		कोटडा	407	383	358	349	343	331	333	357	205	
7.		पानरवा	330	344	308	280	393	281	281	309	291	
8.		गोगुन्दा	177	205	159	166	190	219	163	126	191	
9.		कुम्भलगढ़	276	261	292	273	330	323	151	235	293	
10.		खैरवाडा	885	405	308	643	388	306	303	164	203	
11.		धरियावद	357	265	368	398	389	371	407	231	657	
12.		बान्सी	210	169	68	174	254	87	114	48	61	
13.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	113	232	224	140	135	207	159	173	167	
14.		देवगढ़	243	121	63	91	78	129	39	27	31	
15.		छोटी सादड़ी	40	87	106	51	68	89	62	..	75	
16.		भैंसरोड़गढ़	156	168	113	92	89	204	184	135	194	
17.		कुम्राखेड़ा	27	49	39	58	68	15	..	..	..	
18.		विजयपुर	28	34	22	15	25	14	..	..	..	
19.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	326	3	5	4	..	..	..	..	..	

20.		घाटोल	35	17	100	115	224	92	..	..	..	
21.		वागीदोरा	80	2	3	..	..	..	..	..	..	
22.		कुशलगढ़	420	153	110	337	52	..	..	..	..	
23.		गढ़ी	..	10	7	11	..	..	..	..	..	
24.		पीपलखूंट (सालमगढ़)	200	20	50	15	..	..	..	..	..	
25.		डूंगरा	45	175	10	63	42	..	..	..	..	
26.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	..	..	8	..	1	1	1	1	..	
27.		सगवाड़ा	45	..	..	..	..	..	..	..	..	
28.		सीमलवाड़ा	51	..	400	552	..	..	..	..	..	
29.		आंतरी	..	..	18	..	..	..	..	..	..	
30.	बारां	किशनगंज नाहरगढ़	8261	5168	5642	5843	3995	3809	3343	2523	2005	
31.		शाहबाद	6131	6026	5463	5916	3802	3900	2423	1411	1803	
32.	कोटा	लाडपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
33.		मोड़क	..	..	..	..	..	..	..	..	..	आदिवासियों द्वारा कोई मांग न प्रस्तुत होने से रियायतों की पूर्ति नहीं की गई। नोट:-(1) विज्ञप्ति क्षेत्र के सिर बोझा द्वारा गिरी पड़ी सूखी लकड़ी निकालने से जिन आदिवासियों को विज्ञप्ति का लाभ पहुंचा है इस पर पृथक से लेखा जोखा नहीं रखा गया है।
34.		कनवास	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
35.	बूंदी	बूंदी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
36.		बाधन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
37.		नैनवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
38.		हिण्डोली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
39.		कापरैन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
									(2) इसी प्रकार घास पत्ते पाला इत्यादि रियायतें, जिनके लिये कोई परमिट जारी नहीं किया जाता है वो उससे लाभांवित आदिवासियों की संख्या इस सूची में नहीं। (3) जिन आदिवासियों को निःशुल्क चराई अथवा रियायती तौर पर चराई की रियायतें हैं उनका लेखा जोखा पृथक से संधारण होता ।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

हरदेसर गांव में खोदा गया नलकूप

412. **श्री हजारीमल सारण** (सरदार शहर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर तहसील के गांव हरदेसर में भू-जल विभाग द्वारा एक नल कूप खोदा गया है और इस नल कूप में पर्याप्त मात्रा में पेय जल पाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नल कूप काफी अर्से से बन्द पड़ा है और इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त नल कूप से खारे पानी वाले पड़ौसी गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किन किन गांवों को और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के ग्राम हरदेसर में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत एक परीक्षणात्मक नल कूप नवम्बर, 1976 में खोदा गया था । इस नल कूप की जल क्षमता कम्प्रेशर से विकास के दौरान लगभग 15750 मीटर प्रति घंटा मानी गई है । उपलब्ध जल का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि नलकूप का जल पीने योग्य नहीं है ।

(2) जी हां । यह नल कूप नवम्बर, 1976 से ही बन्द पड़ा है । तथा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह परीक्षणात्मक नल कूप था तथा इसका उद्देश्य जल उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करना था । चूंकि इस का पानी पीने योग्य नहीं था अतः बाद में इसका उपयोग नहीं किया जा सका ।

(3) इस नल कूप का पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण इसका उपयोग जल प्रदाय योजना हेतु करना उचित नहीं है ।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मकान का किराया

415. **श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को सितम्बर, 1967 तक मकान किराया भत्ता मिलता रहा था ?

(2) क्या यह सही है कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं राजस्थान 1963 के नियम 4 (ब) के अनुसार इन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलना चाहिये ? यदि हां, तो यह किन कारणों से बन्द किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1956

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
में अजमेर का राजस्थान मे विलय हुआ तब राजस्थान सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि अजमेर में कार्य करने वाले किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को जो सुविधा, भत्ता आदि मिलता है उन्हें उनसे वन्चित नहीं रखा जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दिनांक 1-4-67 से गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के उन कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया गया जिन्होंने अजमेर राज्य की वेतन श्रृंखला के स्थान पर राजस्थान की वेतन श्रृंखला स्वीकार कर ली। क्योंकि राजस्थान के अन्य जिलों में भी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिलता।

(3) जी हां। जो कर्मचारी अजमेर राज्य की ही वेतन श्रृंखला में कार्यरत रहे उन्हें मकान किराया भत्ता देने के आदेश हैं किन्तु जिन कर्मचारियों ने राजस्थान की संशोधित वेतन दरें स्वीकृत कर ली उन्हें अजमेर राज्य की वेतन दरों पर देय मकान किराया भत्ता देते रहने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रेम केबल्स फैक्ट्री ग्राम पिपलिया के मालिकों आदि के नाम जारी किये गये लाइसन्स

416. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर)। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम पिपलिया, तहसील रायपुर, जिला पाली में स्थित प्रेम केबल्स फैक्ट्री के मालिकों डाइरेक्टरों व अन्य लोगों को किस किस को बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेन्स दे रखे हैं व प्रत्येक के पास कितनी संख्या में हैं व लाइसेन्स किस किस को जमानत पर दे रखे हैं?

(2) इन लोगों को पिछले 5 वर्षों में कितने कितने कारतूस दिए गए हैं?

(3) बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेन्स किस प्रयोजनार्थ दिए गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि प्रेम केबल्स फैक्ट्री के लोगों को दिए गये बन्दूक व रिवाल्वर का प्रयोग अनुचित ढंग से किया जा रहा है जिससे ग्राम पिपलिया, तहसील रायपुर में शांति भंग होने का खतरा बना रहता है?

उत्तर

(1) ग्राम पिपलिया, तहसील रायपुर, जिला पाली में स्थित प्रेम केबल्स फैक्ट्री मालिक, डाइरेक्टरों व अन्य लोगों को बन्दूक व रिवाल्वर की सूचना संलग्न सूची में है आर्म्स एक्ट व तत्सम्बन्धी नियमों में जमानत पर लाइसेन्स देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) उक्त फैक्ट्री से सम्बन्धित व्यक्तियों को कारतूसों के लाइसेन्स की सूचना खण्ड (1) की संलग्न सूची में सम्मिलित है। चूंकि यह लाइसेन्सधारी सीधे कारतूस अधीकृत शस्त्र विक्रेता से क्रय करते हैं इस सीमा से अधिक कारतूस दिये जाने का प्रश्न नहीं होता।

(3) ये लाइसेन्स आत्मरक्षा व फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए दिये गये हैं।

(4) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 20-2-78 को जो परिवाद

(गृह मंत्री)
प्राप्त हुआ है उसकी जांच करवाई जा रही है।

सूची

नाम व पद	शस्त्र	कारतूस
श्री पारसराज पुत्र गणपतराज, निवासी पिपलिया कला में. डाइरेक्टर	एक पिस्तोल (.635)	25-100
"	एक पिस्टल (.32 बोर)	25-100
श्री गंगासिंह पुत्र भूरसिंह निवासी पिपलिया कला में. प्रेम कृषि फार्म, पिपलिया कला	एक 12 बोर गन (एस.बी.)	50-200
प्रेमराज गणपतराज, निवासी पिपलिया कला	6 एम.एल.गन	

ग्राम कुआथल तथा ग्राम दवेर की नल योजना

418. **मेजर श्री फतहसिंह** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुआथल (तहसील देवगढ़) और ग्राम दवेर (तहसील भीम) की जनता कई वर्षों से लगातार पेय जल उपलब्ध कराने हेतु नल योजना की मांग कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्राम पंचायतों द्वारा जन सहयोग की धन राशि भी कई वर्षों से सरकारी खजाने में जमा कराई जा चुकी है ?

(3) इन नल योजनाओं को प्रशासन कब तक चालू करने का इरादा रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, कुआथल ग्राम ने जनवरी, 1973 में 2500/- एवं दवेर ग्राम ने 9/72 में 2500/- रु. की धन राशि जन सहयोग की जमा कराई है।

(3) ग्राम दवेर के लिये पम्प एवं टैंक योजना वर्ष 77-78 में 2.635 लाख रु. की लागत की स्वीकृत की गई है इस योजना को वर्ष 1978-79 में चालू किये जाने की सम्भावना है। नई ग्रामीण योजना जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर तकनीकी उपयुक्तता, प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जाती है। जिला आयोजना समिति, उदयपुर से अभी तक अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

जोधपुर में काम में लिये जा रहे "लाइम मोर्टर" की जांच

419. श्री **माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि **स्वायत्त** शासन निदेशक, श्री शर्मा फरवरी माह में जोधपुर गये थे और उन्होंने घन्टाघर जोधपुर में "लाइम मोर्टर" (चूना, बजरी, मसाला) का नमूना जांच के लिये संग्रह किया था ? अगर हां, तो कथित मसालों की **जांच** कहां पर हो रही है ? कथित मसाला कौन से काम पर निर्माण के लिये उपयोग किया जा रहा था ?

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(2) क्या उक्त निदेशक को जोधपुर में घटिया चूना मसाले के उपयोग की शिकायत अन्य कामों पर भी होना बतलाया गया ? अगर हां, तो ऐसे कामों की जांच कराई जाने की कोई संभावना है ?

(3) क्या "साइट टेस्टिंग" के लिये राज्य सरकार कोई जांच-दल भेजना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । मसाले का नमूना (For.nsic) जोधपुर विश्वविद्यालय में परीक्षण हेतु भेज दिया गया है ।

कथितः मसाला घन्टाघर बाजार, नमक मन्डी निर्माण पर काम लिया जा रहा था ।

(2) कोई स्पेसिफिक शिकायत आयेगी तो जांच कराई जा सकती है ।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

बांसवाड़ा जिले की डिस्पेन्सरियों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के रिक्त पद

420. **श्री बहादुर सिंह** (नोहर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल कितनी डिस्पेन्सरियां एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने डाक्टरों के रिक्त स्थान हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश डाक्टरों को रिक्त स्थानों पर स्थानान्तरण किया जाने के बाद भी उक्त स्थानों नहीं गये ? यदि हां, तो क्यों और राज्य सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है ? और रिक्त स्थानों पर कब तक पूर्ति की जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ जिले में कार्यरत कुल 14 डिस्पेन्सरियां एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । बांसवाड़ा की डिस्पेन्सरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थानान्तरण / नियुक्त किये गये चिकित्सकों द्वारा आदेशों में संशोधन कराकर अन्यत्र स्थानों पर चले गये । अब रिक्त स्थानों को भरने हेतु सम्भवतः माह अप्रैल, 1978 तक व्यवस्था की जायेगी ।

जिला बांसवाड़ा में कुल डिस्पेन्सरीज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची:—

डिस्पेन्सरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(1) गढ़ी	(1) छींछ
(2) पालोडा	(2) भुखिया
(3) जोलाना	(3) छोटी सरवन
(4) अरथूमियां	(4) छोटा डुंगरा
(5) सज्जनगढ़	(5) मनोडा
(6) मोखमपुरा	(6) कुशलगढ़
(7) दानीडोरा	(7) परतापुर
(8) वोदिया	(8) तलवाड़ा
(9) खांडु	
(10) खेडा खांडु	
(11) सरेडी	
(12) सीटी डिस्पेन्सरी	
(13) पुलिस डिस्पेन्सरी	
(14) जेल डिस्पेन्सरी	

बांसवाड़ा जिले में निम्न स्थानों पर डाक्टरों के पद रिक्त हैं, उनकी सूची

क्र.सं.	नाम संस्था	स्वीकृत पद	रिक्त पद	अवधि
(1)	डिस्पेन्सरी, अरथूना	1	1	30-10-77
(2)	डिस्पेन्सरी, जोलाना	1	1	12-77
(3)	डिस्पेन्सरी, पालोदा	1	1	9-77
(4)	डिस्पेन्सरी, सज्जनगढ़	1	1	4-77
(5)	डिस्पेन्सरी, बड़ी सरेडी	1	1	4-77
(6)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा डूंगला	2	1	करीब एक वर्ष से
(7)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनोड़ा	2	2	14-10-77/10-77
(8)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़	4	1	करीब एक वर्ष से
(9)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भूखिया	2	1	करीब एक वर्ष से
(10)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवन	2	2	एक पद 11-77 से एक पद करीब एक वर्ष से
(11)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर	6	3	12-77 (परतापुर को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत कर राज्य सरकार द्वारा 12-77 से नये पद सृजित किये गये हैं)

सूचना केन्द्र, जयपुर

422. **श्री आलम अली खां** (फतेहपुर): क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूचना केन्द्र, जयपुर के भवन का निर्माण कब हुआ तथा वह भवन कब से सूचना केन्द्र के उपयोग में आने लगा ?

(2) क्या यह सही है कि सूचना केन्द्र कार्यालय को सार्वजनिक पुस्तकालय भवन से जब अपने भवन में शिफ्ट किया तब पुस्तकालय के जिस हिस्से में वह कार्यालय था उसके स्थायी उपकरण (बिजली के तार, स्विच बटन, अब्जोर्विंग फैन्स, सीलिंग फैन्स आदि) भी दीवारों से उखाड़ कर ले गये? यदि हां, तो किसके आदेश से ? कृपया ऐसे आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा ऐसे सामान की सूची भी प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(3) क्या इस प्रकार स्थायी उपकरण को राज्य सरकार पुस्तकालय को लौटाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि सूचना केन्द्र का अपना भवन बनाने तथा केन्द्र का सारा कार्य उसी भवन में वर्षों से होते रहने

(श्री आलम अली खां)

पर भी जन-सम्पर्क निदेशालय ने सूचना केन्द्र के पहले वाले कार्यालय भवन, जो महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय में था, अभी तक पूर्णतया खाली नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा किसके आदेश से किया जा रहा है? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय के हिस्से पर किये गये कब्जों को खाली करवाकर पुस्तकालय को हस्तांतरित करने का क्या राज्य सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूचना केन्द्र, जयपुर के भवन का निर्माण सितम्बर, 1967 में हुआ तथा माह मई, 1968 से भवन का पिछला भाग सूचना केन्द्र के उपयोग में आने लगा।

(2) यह सही है कि सूचना केन्द्र को सार्वजनिक पुस्तकालय भवन से जब अपने भवन में स्थानान्तरित किया गया तब सूचना केन्द्र के मद से क्रय किये गये स्थायी उपकरण वहां से जो हटाये जा सकते थे वह हटा लिये गये थे। जो सामान हटाया गया था उसकी वह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) सूचना केन्द्र के पास महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का जो भाग उपयोग में था वह अब पूर्णतया खाली कर दिया गया है।

(5) महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का उक्त हिस्सा खाली किया जा चुका है।

पुराने सूचना केन्द्र से लाये गये सामान की सूची

1. सीलिंग फैन 7
2. एक्जास्ट फैन 3 बड़े + 1 छोटा
3. सिनेमा स्क्रीन व उसका लकड़ी का फ्रेम 1
4. पैलमेट 5
5. सिनेमा स्क्रीन पर पर्दा लगाने के लिए पाइप 1
6. फोटो पेनल (सिनेमा स्क्रीन पर)
7. आग बुझाने का यंत्र 1
8. लकड़ी की फिटिंग्स :

अ—बरामदे में एवं बालकोनी में

(ये फिटिंग माइक्रोफोन स्टेशन कैबिन के लिए तकनीकी दृष्टि से बाहरी आवाज अंदर न जाने देने के लिए आवरण एवं सुरक्षा का कार्य करती थी)

ब—माइक्रोफोन स्टेशन का साउण्ड प्रूफिंग के लिए दरवाजा 1

स—जाली का दरवाजा, कैबिन के बाहरी आवरण के लिए।

शासन सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी का मामला

423. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977–78 में सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दियां टेण्डर द्वारा खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो किस फर्म से खरीदी गई एवं किस कीमत पर खरीदी गई ?

(श्री गुल मोहम्मद)

(2) क्या वर्दियां जो नमूना टेण्डर कमेटी द्वारा पास किया गया था उस के अनुसार खरीदी गई थीं ?

(3) क्या सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री थापर को घटिया वर्दियां देने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सन् 1976-77 की तुलना में वर्दियां घटिया किस्म की थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

वर्दी का कपड़ा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित दुकान से खादी कमीशन द्वारा निर्धारित दर पर क्रय किया गया था एवं साफे राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर से क्रय किये गये थे ।

(2) केवल साफों का नमूना क्रय समिति द्वारा पास किया गया था, जो साफे क्रय किये गये थे वे नमूने के अनुसार पाये जाने पर ही लिये गये थे ।

(3) जी हां । शिकायत की जांच करवाई गई जो सही नहीं पाई गई ।

(4) जी नहीं ।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में खुलने वाली नयी आयुर्वेद डिस्पेन्सरी

424. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत काली तलाई के ग्रामवासियों ने आयुर्वेद चिकित्सालय ग्राम काली तलाई से झालावाड़ रोड स्थानान्तरित न करने बाबत प्रतिवेदन दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में कोई नई आयुर्वेद डिस्पेन्सरी खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इससे किन-किन ग्रामों को लाभ मिलने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम काली तलाई मे पुनः औषधालय परिवर्तन के आदेश जारी किये जा चुके है ।

(2) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये पेड़

425. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 5 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार राज्य में पेड़ लगाये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त पेड़ लगाने में राज्य सरकार का कितना रुपया पेड़ों की खरीद एवं गड्ढे खुदवाने में खर्च हुआ है ? कृपया सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(श्री श्रवण लाल)

(3) उपरोक्त पेड़ों में से कितने पेड़ इस समय हरे-भरे हैं और कितने पेड़ खतम हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त पेड़ों की देख-रेख करने के लिये राज्य सरकार ने कितना रुपया किस किस मद में खर्च किया ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त पेड़ लगाने पर 1 करोड़ 61.25 लाख रुपये व्यय हुए। सूची संलग्न है।

(3) मूल्यांकन संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार जनवरी, 1977 में 66.7 प्रतिशत पौधे जीवित थे। सूची संलग्न है।

(4) प्रश्न (2) के अनुसार यह व्यय 313 वन (व) आसान योजनाए।

(ii) अन्य वृक्षारोपण योजनाएं मद से किया गया।

सूची

संख्या पौधे जो लगाये गये	व्यय	जीवित पौधे	विशेष विवरण
83.57 लाख	1 करोड़ 61.25 लाख रु.	66.7	मूल्यांकन संस्थान राज्य सरकार के प्रतिवेदन अनुसार जनवरी, 1977 के आधार पर।

ब्यावर में पेय जल की व्यवस्था

426. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर द्वारा ब्यावर की पेय जल की जुलाई, 77 में जांच कराने से पेय जल दूषित पाया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि नगरपालिका के पास काम्पीटेन्ट इन्जीनियर के अभाव के कारण दूषित पानी दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि करीब दो साल पहले राज्य सरकार ने ब्यावर की जल वितरण योजना को जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया था ? अगर हां, तो किस आफिसर की जिम्मेदारी के कारण अभी तक यह निर्णय लागू नहीं हो पाया व दोषी अफसर के खिलाफ क्या कार्यवाही राज्य सरकार करेगी ताकि सरकारी आदेशों को आगे से मजाक नहीं समझा जावे ?

(3) क्या अब वर्तमान सरकार ब्यावर जल वितरण योजना को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को हस्तान्तरित करने के निर्णय पर अटल है ? अगर हां, तो कब तक ?

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) यह सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर में पेय जल की जुलाई, 1977 में जंच की थी। किन्तु उपलब्ध जांच के आधार पर जल दूषित नहीं पाया गया। नगर परिषद्, ब्यावर में पेय जल व्यवस्था हेतु सहायक अभियन्ता (जल) नियोजित है।

(2) जी हां। इसमें किसी अधिकारी के दोषी व्यक्ति होने का प्रश्न नहीं है। जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के पास एतदर्थ फण्ड्स न होने से उक्त विभाग द्वारा योजना का चार्ज नहीं लिया गया था।

(3) मामला पुनः विचार के लिये रखा हुआ है।

निगम की बसों का मोनोग्राम

427. **श्री शाऊदयाल जोशी (दीगोद)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपनी बसों पर जो विजय स्तम्भ संकेत चिन्ह (मोनोग्राम) के रूप में उपयोग किया जाता था वह बदल दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) नये संकेत चिन्ह के बनाने वाले (डिजाइनर) को कितना पारिश्रमिक दिया गया है?

(3) क्या पुराना विजय स्तम्भ राजस्थान का प्रतीक था? नया संकेत चिन्ह किस ध्येय का प्रतीक है?

उत्तर

(1) यह सही है कि निगम द्वारा संकेत चिन्ह (मोनोग्राम) बदल दिया गया है। निगम के पुराने मोनोग्राम में बहुत सी वस्तुओं का चित्रण किया जाता था। उसमें मुख्यतया एक टायर, टायर के बीच में राजस्थान का नक्शा तथा नक्शे के बीच में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तम्भ अंकित किया जाता था। विजय स्तम्भ के नीचे के भाग पर सम्राट अशोक का तीन चेहरों वाले शेर का चित्र होता था। नक्शे तथा टायर के बीच के भाग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिखा जाता था। टायर के नीचे एक पट्टी में "शुभास्ते पन्थान: सन्तु" लिखा जाता था। इस छोटे से प्रतीक में इन सब वस्तुओं का समावेश स्पष्ट नहीं हो पाता था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के मोनोग्राम के लिये कम से कम तीन रंगों में प्रकाशन करवाया जाना आवश्यक था। इन सब कारणों से निगम द्वारा दूसरा मोनोग्राम तैयार करवाया जाना उचित समझा गया तथा इसलिये निगम ने राजस्थान की शिल्प कला को चित्रित करते हुए मोनोग्राम अपना लिया। नवीन मोनोग्राम प्राचीन कला का प्रतीक है। इस प्रतीक में तीर के चिन्ह को लगाया गया है जो कि परिवहन की दिशा बोध कराता है।

(2) इस नये संकेत के लिये पृथक से कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया। परन्तु दिल्ली स्थित सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) के संस्थान हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया से निगम द्वारा संकेत चिन्ह के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करवाया गया

(यातायात मन्त्री)

था जिस का भुगतान अब तक 7,500/- किया जा चुका है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग (1) के अन्तर्गत दे दिया गया है।

खरड़ बांध, जमवारामगढ़ के पास हौद का निर्माण कार्य

428. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवारामगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जमवारामगढ़, जिला जयपुर में खरड़ बान्ध के पास क्या कोई हौद बनाया गया था ?

(2) इस हौद के बनने में राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ ?

(3) जब यह हौद टूटा तो बांध का पानी कितने दिन और किस जगह बह कर गया ?

(4) इस बांध के पानी को रोकने में कितने मजदूर लगाए गए, कितना धन खर्च हुआ ?

(5) इस पानी को रोकने में क्या जनसहयोग भी लिया गया था ? यदि लिया गया, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां, जिस समय खरड़ बांध का निर्माण कराया गया था उसी समय से उस बांध के नीचे हौद (पिकअप वियर) बना हुआ है।

(2) हौद बहुत प्राचीन है। व्यय का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(3) हौद टूटने के कारण बांध का पानी चार दिन तक नाले द्वारा बहा।

(4) इस बांध के पानी को रोकने के लिए पिकअप वियर की मरम्मत हेतु 157 मजदूर लगाये गये जिस पर 2,543/- रुपये खर्चा हुआ।

(5) इस कार्य में किसी प्रकार का जनसहयोग नहीं लिया गया।

भरतपुर नगर की सड़कों की मरम्मत

429. **श्री सुरेश कुमार** (भरतपुर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर नगर परिषद् क्षेत्र के किले के सामने ठंडी सड़क का जो हिस्सा पिछले कई वर्षों से टूटा पड़ा है उसको अभी तक न बनवाये जाने का क्या कारण है ? इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

(2) केथून दरवाजे से जनाना अस्पताल तक की सड़क जो पिछले दस वर्षों से टूटी पड़ी है और जिस पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है उसकी मरम्मत न कराये जाने का क्या कारण है ? इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) यह सड़क केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के क्षेत्राधिकार में है व मरम्मत का दायित्व उक्त विभाग पर है।

(2) यह सड़क भी केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के क्षेत्राधिकार में है एवं मरम्मत का दायित्व भी उक्त विभाग पर है।

एस. डी. ओ., राजगढ़ (अलवर) का मुख्यालय

430. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार एस. डी. ओ., राजगढ़ (अलवर) का मुख्यालय राजगढ़ करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

जी नहीं, एस. डी. ओ., राजगढ़ का मुख्यालय अलवर में ही स्थित है। यह व्यवस्था अलवर राजा के समय से ही चली आ रही है। राज्य सरकार प्रशासनिक कारणों से इसमें परिवर्तन करना उचित एवं आवश्यक नहीं समझती है।

तहसील सपोटरा में बाहर से चरने आनेवाले भेड़ व ऊंट

431. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सपोटरा जिला सवाई माधोपुर में प्रति वर्ष बाहर से भेड़ व ऊंट चरने आते हैं?

(2) क्या यह सही है कि परमिट का प्रति भेड़-बकरी 50 पैसा तथा ऊंट का 4 रु. लिया जाता है? यदि हां, तो जून, 72 से 78 तक प्रति वर्ष कितने परमिट जारी हुए तथा कितनी धनराशि प्रति वर्ष परमिट द्वारा प्राप्त हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) (अ) जी हां।

(ब) सूची संलग्न है।

सूची

वर्ष 1	ऊंट 2	भेड़ व बकरी 3	रकम जो वसूल की गई 4
रेंज सपोटरा :			
1972-73	2402	7627	13,202-40
1973-74	4764	10947	25,396-00
1974-75	4596	5320	20,944-00
1975-76	3638	10422	20,533-50
1976-77	5210	53098	47,314-91
1977-78 (फरवरी, 78 तक)	5709	84060	64,896-00
कुल योग	26,319	1,71,474	रु० 6,62,286-78

1	2	3	4
रेन्ज करौली :			
1972–73	..	..	..
1973–74	671	13912	9640–00
1974–75	1105	11810	10325–00
1975–76	1054	7480	7956–00
1976–77	650	8165	6682–50
1977–78	2183	37526	27475–00
कुल योग ..	5,563	78,893	रु० 62,078–50

घाटोल तहसील के तालाब

432. **श्री नाथूलाल** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) घाटोल तहसील में कितने तालाब हैं ? उनमें से अपूर्ण कितने हैं और पूर्ण कितने हैं ?

(2) जो अपूर्ण हैं उनके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) घाटोल तहसील में सिंचाई विभाग के अधीन 28 तालाब हैं जिनमें से 25 पूर्ण हैं व 3 अपूर्ण हैं। सूची संलग्न है।

(2) 3 अपूर्ण तालाबों का कार्य प्रगति पर है व उनका लगभग दो वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है।

घाटोल तहसील, जिला बांसवाड़ा के कार्यों की सूची

क्र.सं.	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4
1.	मखनपुरा	लाम्बा डायरा	जून, 79
2.	हारो	बोरपी केरींग	जून, 78
3.	भेमखोर	डूंगलावानी	जून, 79
4.	दागिया		
5.	नीचली मोरडी		
6.	सोमपुर		
7.	देवीजी का ओडा		
8.	खारोला		
9.	देलवारा		
10.	पादोली गोरधन		
11.	सिनवासा		
12.	मूंगरा		
13.	बोरड़ा		
14.	श्यामपुरा		
15.	गौरी तिजोरा		
16.	मेली		
17.	काले कंडला		
18.	सेंगोलो पाडा		
19.	पाडला		
20.	महुवाल		
21.	रूनजिया		
22.	खातिया		
23.	फाटा		
24.	जगपुरा		
25.	चेपरोन का नाका		

भिखमंगों को रोजगार देने की योजना

433. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की भिखमंगों को रोजगार दिलाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

(2) भिखमंगों की समस्यायें हल करने के लिये राज्य सरकार ने कब कब, क्या क्या कदम उठाये और भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है ?

(3) राज्य में भिखमंगों की संख्या कितनी है ?

(4) अंधे, गूंगे, बहरे, कोढ़ी, लाचार, आदि भिखमंगों के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार द्वारा जयपुर, अजमेर व उदयपुर में सेवा सदन चलाये जा रहे हैं, जिनमें भिक्षुकों को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा भिक्षुकों को प्रवेश देकर उनका समाज में पुनर्वास करने के उद्देश्य से जयपुर, अजमेर और उदयपुर में तीन सेवा सदन चलाये जा रहे है । भिक्षावृत्ति निवारण हेतु बिल भी सदन में प्रस्तुत करने का निर्णय राज्य सरकार ने ले लिया है ।

(3) सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में भिक्षुकों की संख्या 47,290 है ।

(4) 18 वर्ष या अधिक आयु के अन्धे, गूंगे व बहरे (विकलांग) ऐसे लाचार व्यक्तियों के लिये जो बेसहारा एवं विकलांग होने के कारण कमाने योग्य नहीं हैं, राज्य सरकार द्वारा पेन्शन देने की व्यवस्था है । कोढ़ी व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष 1977-78 में 50 आवासियों हेतु एक कुष्ठ गृह, जयपुर शहर में चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है ।

पाली नगर के मंदिर में हुई चोरी का मामला

434. श्री **शंकरलाल** (जैतारण) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर के श्री हनुमानजी के मन्दिर 'बजरंग बाग' में लगातार दिनांक 26-10-77 और 31-10-77 को चोरी हुई जिसकी इत्तला पुलिस में दर्ज है ?

(2) इन चोरियों में क्या क्या माल चोरी गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) जब दिनांक 26-10-77 की चोरी का मुकदमा पुलिस में दर्ज था और पुलिस तफतीश कर रही थी तो फिर दिनांक 31-10-77 को पुनः चोरी हो जाना क्या पुलिस विभाग की अकर्मण्यता और उदासीनता को प्रकट नहीं करता ?

(4) क्या यह सही है कि इन चोरियों के चोरों अथवा माल का पता अभी तक नहीं लग पाया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस क्या अग्रिम कार्यवाही कर रही है ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

() जी हां ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) 'बजरंग बाग' मन्दिर कस्बा पाली से दो किलोमीटर दूर है व सूनसान स्थान है। रात्रि में कोई पुजारी या चौकीदार नहीं रहता है। उस मन्दिर पर पुलिस तैनात नहीं की गई थी ।

(4) जी हां । पुलिस अन्य मुकदमों के अनुसंधान के दौरान इन चोरियों की बरामदगी के भी प्रयत्न में है ।

चोरी गये माल की सूची

दिनांक 26-10-77 को मुकदमा नम्बर 251 में चोरी गये सामान की सूची निम्न है :—

(1) दीवार घड़ी –1
(2) गैस बत्ती –1 (जिस पर बजरंग बाग खुदा हुआ था)
(3) चांदी का छत्र –1 (वजन करीब 5–6 तोला)
(4) झालर कांसी की –3 (जिस पर बजरंग बाग खुदा हुआ)
(5) छोटा डिब्बा – 1 (जिसमें करीब 4–5 रुपये की रेजगी)
(6) अंगोछे – 4 (तीन सफेद एवं एक लाल)
(7) तस्वीर –1 (मंढी हुई शंकर भगवान की)

उक्त सामान की कीमत करीबन 390/ रुपये है ।

दिनांक 31-10-77 को मुकदमा नं. 256 में चोरी गये सामान की सूची निम्न है :—

(1) पंखा –1
(2) टंकोरा –1
(3) पूजा के बर्तन

उक्त माल की कीमत करीबन 1000/- रुपये है ।

दोनों मुकदमात में चोरी गये सामान की कीमत करीब 1390/- रुपये हैं ।

बाड़मेर नगर के अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा

435. श्री कानसिंह (शिव): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर के शफाखानों में दवाइयों का अभाव रहता है इस कारण कई गरीब मरीजों की मृत्यु हो गई और हो रही है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं, इसके लिये राज्य सरकार भविष्य में क्या व्यवस्था करने जा रही है और अब तक नहीं किया, तो क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 100 पलंग बाड़मेर के लिए अपर्याप्त हैं। यदि हां तो सरकार भविष्य में ऐसी कोई योजना विचाराधीन रखती है जिससे उपरोक्त अभाव की पूर्ति की जावे ? अगर हां, तो वह योजना क्या है, और कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि क्षयरोग के अस्पताल के लिए एक दानदाता ने राज्य

(230)

(श्री कानसिंह)
सरकार को 75,000/- रु. निर्माण के लिए दिये हैं, अगर हां तो राज्य सरकार उपरोक्त निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर दवाखानों में डाक्टरों, लेडी डाक्टरों, कम्पाउंडरों व नर्सों की कई वर्षों से कमी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार कब तक पूर्ति कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) समुचित वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर अस्पताल का विस्तार करना संभव होगा ।

(3) जी हां । भगत धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित एक लाख रुपये का दान राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । प्रस्तावित धनराशि जमा कराने पर निर्माण की अग्रिम कार्यवाही संभव होगी । शेष राशि टी. बी. सील सेल कम्पेन के कोष से दी जायेगी ।

(4) जी हां । प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव के कारण पद रिक्त हैं । रिक्त पद शीघ्र ही भर दिये जायेंगे ।

(233)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 134 का विवरण)

सूची ग्राम देवली, तहसील पिड़ावा के प्रतिक्रमणियों की रेंज पिड़ावा

क्र.सं.	नाम अतिचारी	क्षेत्रफल	वर्ष अतिक्रमण	वनखंड
1	कालू सिंह पुत्र भूरसिंह	143	1976	शेरपुर
2	धन्ना पुत्र गोदड़ भील	2।।) 2 119	1976	"
3	घीसू पुत्र केसा	।।) 2 128	1976	"
4	प्यारा पुत्र लक्ष्मण	4) 4 119	1976	"
5	परबतसिंह पुत्र गंगाराम	3।।।) 1 125–126	1976	"
6	पूरा पुत्र घीसा चमार	12।।) 1 124–125	1976	"
7	बाबूलाल पुत्र नगजी राजपूत	।।) 2 119	1976	"
8	शिवलालपुत्र मोतीसिंह	3।) 44	1976	"
9	भैरूराम पुत्रगोपाल	7।।) 117	1976	"
10	नन्दा पुत्र भुआना चमार	।।।) 117–118	1976	"
		776–777 4) 4		

232

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची)

तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ में समस्याग्रस्त गांवों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	आबादी (1971)
अत्यधिक खारे पानी वाले ग्राम—			
1.	लालगांव	4	567
2.	राजपुरा	41	44
3.	पागडियां	54	363
4.	शीकरी	63	465
5.	मकलांग	74	359
6.	वजीरपुरा	80	229
7.	माडंल मंडी	82	831
8.	आरनियां	84	72
9.	कोटरा जेठमल	88	92
10.	हिम्मतगढ	109	359
11.	सिलोरी	133	326
			3687
नारू रोगग्रस्त ग्राम			
1.	सेमला	92	794
2.	नूरपुरा	93	154
3.	ढावली	94	79
4.	श्यामपुरा	95	110
5.	सैय्यद खेड़ी	96	104
6.	मगोसपुर	97	934
7.	कर्मा खेडी	98	258
8.	बोरा खारी	99	496
9.	केलिया बुजुर्ग	122	1218
10.	गेलाना	125	635
11.	कुम्हारिया मंडी	135	258
12.	सेराना	136	566
13.	लुरिया कलां	160	418
14.	मोहम्मदपुरा	185	38
			6062

ग्राम हिम्मतगढ़ एवं बीलिया बुजुर्ग की हस्तचलित पम्प की योजना स्वीकृत कर दी गई है।

233

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 139 की सूचना)

पब्लिक स्कूलों की सूचना

क्र. सं.	स्कूल का नाम व स्थान	स्कूल किस वर्ष खोला गया	स्कूल किस स्तर का है	स्कूल क्या रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो किस वर्ष रजिस्ट्रेशन किया गया	किस संस्थान द्वारा चलाया जाता है।		अगर अनुदान दिया जाता है तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है
					राज्य सरकार द्वारा	व्यक्तिगत अथवा निजी संस्थान द्वारा (नाम सहित)	
1.	सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	1944	हायर सैकण्डरी	राजस्थान सरकार द्वारा संचालित	राज्य सरकार द्वारा		राज्य सरकार द्वारा संचालित, अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं।
2.	मेयो कालेज, अजमेर	जानकारी नहीं	,,	जानकारी नहीं	राज्य सरकार द्वारा नहीं		,,
3.	एम.जी.डी. बालिका पब्लिक स्कूल, जयपुर	जानकारी नहीं	,,	,,	,,		,,
4.	सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़	7-8-1961	,,	,,	,,		,,
5.	विद्या निकेतन (बिड़ला पब्लिक स्कूल), पिलानी	जानकारी नहीं	,,	,,	,,		,,
6.	मिलट्री स्कूल, धोलपुर	,,	जानकारी नहीं	,,	,,		,,
7.	मिलिट्री स्कूल, अजमेर	,,	,,	,,	,,		,,

नोट:—यह समस्त स्कूल ऑल इण्डिया पब्लिक स्कूल कान्फ्रेन्स के सदस्य हैं।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची)

काश्तकारों की सूची

क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नं. पाली चक नं. 1	भूमि का रकबा	कुल भूमि		भूमि देने की तारीख	आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि।	शेष भुगतान जो किया जाना है
1.	श्री मांगीलाल पुत्र चीमना सरगरा, पाली	952 943।1 950	117।9 बीघा 5। 0।17 विस्वा आबादी	124।3	बीघा	7-5-77	1,10,000-00	2,62,450-00
2.	श्री दुर्गाराम पुत्र नवलाजी एवं चिमनलाल पुत्र प्रताप जी माली, पाली।	951 934 953	0।17 गै.मु. बैरा 44।11 145।14	190।5	बीघा	14-4-77	2,00,000-00	2,75,625-00
3.	श्री लदासिंह पुत्र हुकम सिंह, पाली	948	103।5	103।15	बीघा	11-5-77	1,38,000-00	69,500-00
4.	श्री लाभ सिंह पुत्र हुकम सिंह, पाली	947	0।10 गै.मु.बैरा			13-5-77	70,000-00	33,750-60

235

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 149 की सूची)

बड़े उद्योग

विद्युत दर

प्रथम विकल्प

प्रथम 5,00,000 यूनिट प्रति माह	20 पैसे प्रति यूनिट
तत्पश्चात् 10,00,000 यूनिट प्रति माह	18 पैसे प्रति यूनिट
तत्पश्चात् 15,00,000 यूनिट प्रति माह	16 पैसे प्रति यूनिट
तत्पश्चात् 30,00,000 यूनिट प्रति माह से अधिक पर	14 पैसे प्रति यूनिट

द्वितीय विकल्प

डिमान्ड चार्जेज: 18/-रु. प्रति के.वी.ए. ऑफ बिलिंग डिमाण्ड प्रति माह एनर्जी चार्जेज

प्रथम 3,00,000 यूनिट प्रति माह	16 पैसे प्रति यूनिट
तत्पश्चात् 5,00,000 यूनिट प्रति माह	15 पैसे प्रति यूनिट
तत्पश्चात् 7,00,000 यूनिट प्रति माह	14 पैसे प्रति यूनिट
तत्पश्चात् 10,00,000 यूनिट प्रति माह	12 पैसे प्रति यूनिट
25,00,000 यूनिट प्रति माह के बाद	11 पैसे प्रति यूनिट

(236)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची)

नोहर सिचाई परियोजना

नोहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची

पेरीनियल सिचाई		इनननडेशन
प्रवाह से	लिफ्ट से	
1. रतनपुरा	1. रतनपुरा	1. चक सरदारपुरा
2. लाल की ढाणी	2. मलवानी	2. चारनों की ढाणी
3. देईदास	3. फेफाना	3. चक देईदास
4. घानडेला	4. पिचकारियान	4. प्रहामनवाली
5. मगवान	5. चारनवाली	5. बरारकी
6. टोपरियां	6. जसाना	6. आपुवाला
7. मुकारका	7. मुकारदा	7. रायसिंहपुरा
8. कीकरवाली	8. पानीबरयास	8. दौलत सरपुरा
9. सोनरी	9. सोनरी	9. दौलतपुरा
10. वीरकली	10. कोकरवाली	10. जोरावरपुरा
11. भीरकली	11. टोपरिया	11. नोहर
12. नोहर	12. लालखां	12. लखासर
13 मालिया		13. रूपासर
14. करमसना		14. चैनपुरा
15. मुंडसीरी		15. गोरखना
16. चकनासर		16. मगवानसर
17. बाररानी		17. करमसना
18. मनडेली		18. नानाखों
19. मेघसिहपुरा		19. मालियां
20. नानाओं		
21. गोरखाना		

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची)

सूची 'अ'

क्र.सं.	काश्तकार नाम	गांव	तहसील	दिनांक कनेक्शन
1.	श्री कानसिंह पृथ्वीसिंह	सारगावास सूचक सथानाखुर्द	मेड़ता	24-8-73
2.	श्री शायरसिंह मोतीसिंह	"	"	24-8-73
3.	श्री मोहनसिंह रणजीतसिंह	"	"	25-8-73
4.	श्री हनुमानसिंह मदनसिंह	"	"	24-8-73
5.	श्री पाबूराम जीवनराम	"	"	23-11-73
6.	श्री मदनलाल बंशीलाल	"	"	27-11-73
7.	श्री पुसाराम आशाराम	"	डेगाना	12-12-73
8.	श्री नानूराम खीयाराम	"	"	11-12-73
9.	श्री धन्नाराम बेरवाल	"	"	4-11-74
10.	श्री पृथ्वीसिंह विजयसिंह	"	"	4-11-74
11.	श्री गोविन्द सिंह जसवन्तसिंह	"	"	23-11-74
12.	श्री जोधनाथ गणेशनाथ	"	"	15-12-74
13.	श्री अमराराम मेगवाल	"	"	10-5-75
14.	श्री टोडाराम प्रतापराम	सथानाकलां	"	31-8-73
15.	श्री रामचन्द्रसिंह गोविन्दसिंह	"	"	8-2-75
16.	श्री कर्पसिंह किशोरसिंह	"	"	8-2-75

(238)

सूची 'ब'

क्र.सं. नाम	गांव	हार्स-पावर	खम्बे संख्या	जमा धनराशि अमानती रकम	अनुमानित
1. कानसिंह पृथ्वीसिंह	सारंगवास चक सथानाखुर्द	10	2	495.00	150.00
2. श्री शायरसिंह मोतीसिंह	,,	10	5	495.00	150.00
3. श्री मोहनसिंह रणजीतसिंह		10	—	495.00	150.00
4. श्री हनुमानसिंह मदनसिंह	,,	10	6	495.00	150.00
5. श्री पानूराम जीवनराम	,,	10	3	495.00	150.00
6. श्री मदनलाल बंशीलाल	,,	12.5	4	895.00	187.50
7. श्री पुसाराम आशाराम	,,	10	14	495.00	150.00
8. श्री नानूराम खियाराम	,,	10	23 (22 पोल खेजड़ी)	895.00	300.00
9. श्री धनाराम बेरवाल	,,	12.5	11	1200.00	187.50
10. श्री पृथ्वीसिंह विजयसिंह	,,	10	6	1200	150.00
11. श्री गोविन्दसिंह जसवन्तसिंह	,,	10	7	1190.00	150.00
12. श्री जोधनाथ गणेशनाथ	,,	10	2	1190.00	150.00
13. श्री अमराराम मेघवाल		10	—	1200.00	150.00
14. श्री रोडाराम प्रतापराम	सथानाकलां	12.5	6	895.00	187.50
15. श्री रामचन्द सिंह गोविन्दसिंह	,,	12.5	13	1190.00	187.50
16. श्री रूपसिंह किशोरसिंह	,,	12.5	13	1190.00	187.50

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 154 की सूची)

S. No.	Name of District	Period of campaign	No. of camps held	Total No. of com-plaints received	No. of patients treated: Trea-ted locally (i)	Referred to Distt. Hospt. (ii)	Referred to Medical College/ Hospitals (ii): For treat-ment	For re canali-sation	Ex-gratia assis-tance sanctioned of cases received during the campaign: District level	Amount paid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	3-11-77 to 31-12-77	12	336	50	3	4	18	43	N.A.
2.	Alwar	25-10-77 to 27-12-77	17	743	614	—		10	7	1551.81
3.	Bharatpur	3-11-77 to 30-11-77	19	550	534	5	2	9	1	N.A.
4.	Dholpur	3-11-77 to 28-11-77	4	83	67	14	—	2	—	N.A.
5.	Jaipur	31-10-77 to 30-11-77	24	612	612	—	—	—	—	N.A.
6.	Sikar	1-11-77 to 30-11-77	28	359	323	26	3	7	—	350/-
7.	Jhunjhunu	24-10-77 to 29-11-77	13	7	7	—	—	—	—	200/-
8.	Tonk	4-11-77 to 30-11-77	18	119	110	9	—	—	—	N.A.
9.	S. Madhopur	28-10-77 to 3-12-77	30	384	373	8	1	2	—	N.A.
10.	Ganganagar ..	—	21	484	484	—	—	—	—	N.A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Bikaner ..	.. .. ..	—	33	—	—	—	—	—	3353/-
12.	Churu ..	.. .. ..	7	—	38	—	—	—	—	N.A.
13.	Nagaur ..	1-11-77 to 7-12-77	26	217	209	2	—	6	—	N.A.
14.	Jodhpur ..	17-10-77 to 28-11-77	13	131	97	—	34	2	—	N.A.
15.	Jalore ..	3-11-77 to 30-11-77	7	9	6	1	—	—	1	500/-
16.	Barmer ..	3-11-77 to 27-12-77	11	83	83	—	—	1	—	N.A.
17.	Jaisalmer ..	11/77 to 1-12-77	10	75	70	2	—	1	—	N.A.
18.	Sirohi ..	25-10-77 to 27-11-77	16	174	163	10	—	1	2	400/-
19.	Pali ..	2-11-77 to 30-11-77	15	393	368	5	—	20	—	720/-
20.	Kota ..	16-10-77 to 25-11-77	21	668	646	22	—	3	—	N.A.
21.	Bundi ..	7-11-77 to 30-11-77	4	123	117	4	—	2	1	500/-
22.	Jhalawar ..	15-11-77 to 23-12-77	12	436	409	22	—	5	—	N.A.
23.	Udaipur ..	14-11-77 to 4-12-77	20	401	397	4	—	5	—	N.A.
24.	Chittorgarh ..	6-11-77 to 9-12-77	36	236	189	11	—	22	2	870/-
25.	Bhilwara ..	20-10-77 to 30-10-77	15	421	412	9	—	5	—	N.A.
26.	Dungarpur ..	.. .. ..	—	845	845	—	—	—	—	N.A.
27.	Banswara ..	24-10-77 to 1-12-77	10	447	439	5	—	3	—	N.A.
		TOTAL ..	409	8367	7662	202	44	125	57	8,444.81

२५१

उन मृतक व्यक्तियों के नाम जिनमें एक्सग्रेसिया सहायता प्रदान की गई हैः—

जिला अलवर:

1.	श्रीमती हरप्यारी धर्मपत्नी भैरू लाल, ग्राम कलसारा	5,000.00
2.	श्रीमती अंची धर्मपत्नी बसीर खां, ग्राम गोविन्दगढ़	5,000.00
3.	श्री मूलिया पुत्र मंगल, ग्राम जमालपुरा	5,000.00
4.	श्री रामजी लाल पुत्र खेराती लाल, ग्राम गोविन्दगढ़	5,000.00
5.	श्री फूला राम पुत्र भोरीजी ग्राम सकट	5,000.00
6.	श्रीमती आशा सोनी धर्मपत्नी पी. ए. सोनी, अलवर	5,000.00

जिला अजमेर:

1.	श्रीमती पार्वती धर्मपत्नी मादूमल, अजमेर	5,000.00
2.	श्रीमती मूली धर्मपत्नी मांगी लाल, अजमेर	4,000.00
3.	श्रीमती बृजकंवर धर्मपत्नी मूल सिंह, अजमेर	5,000.00
4.	श्रीमती उगमा पुत्र मेवा, ग्राम नेहरू कलां	5,000.00
5.	श्री मदन सिंह पुत्र परताप सिंह, ग्राम रलावता	500.00
6.	श्री करण सिंह पुत्र रतन सिंह, ग्राम कोटड़ा	500.00

जिला बाड़मेर:

1.	श्रीमती मर्म धर्मपत्नी इन्द्र सिंह, ग्राम धोरीमन्ना	5,000.00

जिला बांसवाड़ा:

1.	श्रीमती जसंवतकौर धर्मपत्नी नटवरसिंह, ग्राम छोटी बावाबास	5,000.00
2.	श्री गौतम पुत्र दतला, ग्राम पचपदरा	5,000.00
3.	श्री हुरमल पुत्र मेघजी, ग्राम खरवाड़ा	5,000.00
4.	श्री सुलतान पुत्र नियाज मोहम्मद, बांसवाड़ा	1,000.00
5.	श्री परतु पुत्र भेरा भील, ग्राम भाटोल	1,000.00
6.	श्री हरजी पुत्र दीपा, ग्राम तमाडावाडा	5,000.00

जिला बूंदी:

1.	श्रीमती गाजी बाई पत्नी किशन गोपाल, बून्दी	5,000.00
2.	श्रीमती शांती बाई पत्नी कालू, बून्दी	5,000.00
3.	श्रीमती मैमून धर्मपत्नी रहिमुल्ला	5,000.00
4.	श्री पांवू पुत्र मीखा भील, ग्राम मनोवर	5,000.00
5.	श्रीमती हमीदन धर्मपत्नी नूर मोहम्मद, लाखेरी	5,000.00

जिला भीलवाड़ा:

1.	श्रीमती रोशनारा, धर्मपत्नी अल्लाउद्दीन, ग्राम भाण्डल	5,000.00

2.	श्री डोमा लाल पुत्र भागीरथ, ग्राम मांडल	5,000.00
3.	श्री हजारी पुत्र देवाजी, डोमा कालेडा	5,000.00
4.	श्री मगनसिंह पुत्र भोला मीणा, खेरवाड़ा	5,000.00
5.	श्री रामपाल पुत्र गोकुलजी, ग्राम भीलवाड़ा	5,000.00
6.	श्रीमती कमला धर्मपत्नी प्रहलाद, ग्राम भीलवाड़ा ..	5,000.00
7.	श्री देवी लाल पुत्र जुवारा मीणा, भीन्डोभाटा .. .	5,000.00

जिला चित्तौड़गढ़:

1.	श्री रत्न राम पुत्र दयाराम भील, गुमानपुरा	5,000.00

जिला चूरू:

1.	श्री इब्राहिम पुत्र मनफूल नीलगर, चूरू	5,000.00
2.	श्रीमती लादूदेवी पत्नी आगूदन चारण, ग्राम देमरधीर ..	5,000.00
3.	श्री आशा राम पुत्र गणेश दास, चूरू	5,000.00

जिला डूंगरपुर:

1.	श्री प्रताप सिंह पुत्र दलपतसिंह, ग्राम राटारिया ..	5,000.00
2.	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी नानू राम, ग्राम चन्दलाई ..	5,000.00
3.	श्री कानजी पुत्र हीराजी, ग्राम ज्ञानपुर	500.00
4.	श्री प्रेमजी पुत्र नाथू भाई, ग्राम डूंगरपुर	500.00

जिला गंगानगर:

1.	श्रीमती बदनि धर्मपत्नी छोटूराम, गंगानगर	5,000.00
2.	श्रीमती गुरुदेव कौर पत्नी मुक्तियार सिंह, सांगरिया ..	5,000.00
3.	श्रीमती विद्या देवी पत्नी गंगाराम, कतियावाला ..	5,000.00
4.	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी नाथू, ग्राम सूरजगढ़	5,000.00
5.	श्रीमती जसवीर कौर पत्नी जगदीश सिंह	5,000.00
6.	श्रीमती शांती देवी पत्नी सूरजाराम, ग्राम पावली दवली ..	5,000.00
7.	श्रीमती राम प्यारी पत्नी खेरा राम, ग्राम जमुवागहर मंडी ..	5,000.00
8.	श्रीमती मनी (श्रीमती कक्कू) पत्नी गंगाराम, लालनवास ..	5,000.00
9.	श्रीमती भीकी पत्नी श्रृंगहारसिंह, ग्राम रार्यासिंहनगर ..	5,000.00
10.	श्रीमती तेजकोर पत्नी बलवीर सिंह, करणपुर	5,000 00
11.	श्रीमती मोहरन पत्नी गणेश राम, ग्राम डाबाला	5,000.00
12.	श्री चन्दन राम पुत्र गोपी राम, हरिपुरा	5,000.00
13.	श्री इनायत बानू पत्नी आजमअली, ग्राम कदसाना ..	500.00
14.	श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी बलदेवसिंह, भेरनगर	5,000.00
15.	श्रीमती रुकबन पत्नी लक्ष्मण, ग्राम पाचरवाली	5,000.00
16.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी मोतीन राम, ग्राम श्रीनगर ..	5,000.00
17.	श्रीमती वर्मा पत्नी श्री कालूसिंह, ग्राम परीजाम मंडिया	500.00
18.	श्री मंगल राम पुत्र रूपराम, ग्राम लागिवाला हैड ..	500.00
19.	श्रीमती विष्ण देवी पत्नी शंकरलाल, ग्राम गंगानगर ..	5,000.00

जिला जयपुर :

1.	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी सोहन लाल, ग्राम खातेपुरा ..	5,000.00
2.	श्रीमती कृष्णा पत्नी सीताराम, जयपुर	5,000.00
3.	श्रीमती रामदुलारी पत्नी हरिशंकर, माण्डारेज	5,000.00
4.	श्रीमती रुकमणी पत्नी शिवसहाय, बस्सी	5,000.00
5.	श्रीमती आशा देवी पत्नी दलीप कुमार, ब्रह्मपुरी	5,000.00
6.	श्रीमती सहदन पत्नी श्री मुनीर, खेजरोली	5,000.00
7.	श्रीमती कान्ता पत्नी द्वारका दास, जयपुर	5,000.00
8.	श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी ओम प्रकाश, जयपुर	5,000.00

जिला जालौर:

1.	श्रीमती आंची पत्नी मालाराम, पामना सांचौर ..	5,000.00
2.	श्रीमती सायरी बाई पत्नी भूराजी, जालौर	5,000.00
3.	श्री बेगाराम पुत्र भूराजी, ग्राम टोडवाली	5,000.00

जिला जैसलमेर:

1.	श्री श्याम लाल पुत्र भीखाराम, मोकटपाड़ा, जैसलमेर ..	5,000.00 (1000.00)

जिला झुन्झुनूं:

1.	श्री मोतीराम, पुत्र हरियान, ग्राम देरासर	5,000.00

जिला कोटा:

1.	श्रीमती जैनून पत्नी पीर मोहम्मद, ग्राम माडौला ..	4,000.00
2.	श्रीमती राजु, धर्मपत्नी जुमन, ग्राम भैंसरोडगढ़	5,000.00
3.	श्री प्रभुलाल, पुत्र भैरुलाल, ग्राम भंवरगढ़	5,000.00

जिला नागौर:

1.	श्रीमती जहावली, पत्नी मुलतान; ग्राम खोड़वा	5,000.00
2.	श्रीमती वसीरन विसमल्ला, पत्नी मोहम्मद रसूल ग्राम ..	5,000.00
3.	श्रीमती मुन्नी पत्नी मोहन ग्राम, देसर	5,000.00
4.	श्री सूरजराम, पुत्र श्री गुजाराम, ग्राम दियार	500.00
5.	श्री भगवतसिंह पुत्र मूल सिंह, ग्राम तापसवाड़ा	500.00

जिला पाली:

1.	श्री भीखा राम पुत्र पीथाराम, ग्राम सिन्दरी	5,000.00
2.	श्री तोलाराम पुत्र संजला, ग्राम कोरटी	5,000.00
3.	श्री पन्ना सिंह पुत्र सुलतानसिंह, ग्राम रसलाई	500.00

जिला सवाई माधोपुर :

1.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी रामचरण, ग्राम गंगापुर ..	5,000.00
2.	श्री बाबू खां पुत्र चिरजी खां, ग्राम सवाई माधोपुर ..	1,000.00

जिला सिरोही :

1.	श्री रामा पुत्र [illegible] ग्राम भारुहाना	1,000.00
2.	श्री नामाराम पुत्र दुलकी	[illegible]

जिला सीकर :

1.	श्री नारायणसिंह पुत्र जोधा अहीर	5,000.00
2.	श्रीमती पतासी पत्नी पेमाराम	5,000.00
3.	श्रीमती प्रबाती पत्नी लल्लूराम, नीमकाथाना	5,000.00
4.	श्री कुन्दन राम मीणा पुत्र बलवन्त राम, ग्राम देवगढ़ ..	5,000.00
5.	श्रीमती सुरती पत्नी नरसिंह, ग्राम सीकर	5,000.00
6.	श्री रामू पुत्र सेडूराम, हरदेव	5,000.00
7.	श्री गोपाल पुत्र मानाराम भाटू श्यामजी	5,000.00
8.	श्री दुर्गा पुत्र भानत्व, मन्हा सुरेरा	500.00

जिला टौंक :

1.	श्रीमती विद्या पत्नी डी. एन. अवस्थी, देवली	5,000.00

जिला उदयपुर :

1.	श्री देवा पुत्र राजा मीणा, ग्राम डगोची	5,000.00
2.	श्री चेना पुत्र मोती, ग्राम डिगोदा	5,000.00

नोट:—उक्त मामलों में एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान वर्ष 1976-77 व 77.78 के दौरान किया गया है ।

STATEMENT SHOWING DISTRICTWISE INFORMATION REGARDING FINANCIAL ASSISTANCE GIVEN UNDER EX-GRATIA RULES TO THE COMPLICATED CASES

District	Persons financial assistances given	Rupees
1. Ajmer	50	2995.00
2. Alwar	18	4248.00
3. Bharatpur	4	282.00
4. Jaipur	1	270.00
5. Sikar	3	1,000.00
6. Jhunjhunu	120	12,200.00
7. Bikaner	32	6,391.00
8. Ganganagar	11	4 150.00
9. Jalore	1	500.00
10. Pali	3	720.00
11. Sirohi	8	2,150.00
12. Kota	3	1,761.00
13. Bundi	3	4,694.00
14. Chittorgarh	85	7,881.00
	342	49,242.00

उन मृतक के नाम जिनके मामले में एक्सग्रेसिया सहायता प्रदान नहीं की गई है :–

जिला अलवर :

(1) श्री ईशाक पुत्र फूलां मेवा, ग्राम गंगावाड़ी खुर्द
(2) श्री सरदारखां पुत्र श्री तजो, ग्राम जामाड़का
(3) श्री पूर्णसिंह पुत्र सोनसिंह ग्राम भिड़गी
(4) श्रीमती शान्ती देवी पत्नी विमलचन्द जैन, अलवर
(5) श्री मोती सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, ग्राम बसई
(6) श्री गगादी पुत्र श्री मोजाराम, ग्राम वीरसवास
(7) श्री मुकन्दराम पुत्र श्री खेराती, ग्राम जितुर

जिला अजमेर :

(8) श्रीमती रुकमणी धर्मपत्नी राधा किशन, अजमेर
(9) श्री उगमा पुत्र श्री चरर रेगर, ग्राम मरेन

जिला बाड़मेर :

(10) श्रीमती कुन्ती धर्मपत्नी श्री प्रभुजी ग्राम खंडाय
(11) श्रीमती हीरा धर्मपत्नी हीरा, ग्राम मानली
(12) श्री कान्ती लाल सेवक पुत्र श्री मिश्री लाल, ग्राममेकलसर
(13) श्री प्रेम पुत्र श्री दलूराम मेघवाल, ग्राम गडरा रोड

जिला बांसवाड़ा :

(14) श्री ताजू पुत्र श्री कचरू, ग्राम परसन्ना
(15) श्री हीरजी पुत्र श्री कसता, ग्राम सरवाड़ा
(16) श्री कालु पुत्र श्री मानजी, ग्राम छोटी सरवण

जिला बीकानेर :

(17) श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, ग्राम बीकानेर

जिला भरतपुर :

(18) श्रीमती कसुमलता धमपत्नी हरीमोहन, भरतपुर
(19) श्रीमती बाची पत्नी श्री कमल सिंह, ग्राम हुसेरा
(20) श्री सामन्ता पुत्र श्री चुनी जाटव, ग्राम तोहेरा
(21) श्री हुक्मी पुत्र श्री घीसा, ग्राम सराड़ा
(22) श्री बदरिया पुत्र श्री प्रभु जादव ग्राम, पपरेला
(23) श्री मांगू जाटव पुत्र श्री प्रभुलाल, ग्राम भरतपुर
(24) श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री प्रभुदयाल, ग्राम सोन

जिला भीलवाड़ा :

(25) श्री रामलाल पुत्र श्री चतुर्भुज, ग्राम गगीया
(26) श्री रामबख्श पुत्र श्री रामरतन धोबी, ग्राम मांडलगढ

(246)

जिला चूरू :

(27) श्री हीरालाल पुत्र श्री मालाराम चूरू
(28) श्री देवी सिंह पुत्र सूरा सिंह, चूरू
(29) श्री जेठाराम कुम्हार, ग्राम राजासर
(30) श्री बस्तीराम स्वामी, ग्राम सुतधनिया

जिला चितौड़गढ़ :

(31) श्री मांगू मीणा, ग्राम खूबपास

जिला डूंगरपुर :

(32) श्री अंकू पत्नी श्री प्रेमचन्द, ग्राम सागवाड़ा
(33) श्रीमती कमला पत्नी जानोकान्तीलाल
(34) श्री जोलीया पुत्र दानिया, ग्राम नेनसवा

जिला गंगानगर :

(35) श्रीमती शरबती धर्मपत्नी ब्रजलाल, ग्राम नीवाली
(36) श्री प्रभुराम पुत्र श्री कानाराम, ग्राम जलवाली

जिला जयपुर :

(37) श्री नवरतन लाल शर्मा, जयपुर
(38) श्री रामनाथ बलाई, जयपुर
(39) श्री जयनारायण बैरवा पुत्र श्री रामदेव, जयपुर

जिला जालौर :

(40) श्रीमती मोहन कंवर पत्नी श्री उदगाराम, जालौर
(41) श्री रूपा पुत्र श्री किशन, ग्राम हरजा
(42) श्रीमती रूपती पत्नी श्री दयाराम मोची, ग्राम गियाड़ा
(43) श्री मूला पुत्र श्री नढ़चा, ग्राम मांडल

जिला जोधपुर :

(44) श्री मोहन गिरी पुत्र श्री गोविन्द, ग्राम वन्दकावास
(45) श्री इमामुद्दीन पुत्र श्री खुदाबक्ष, जोधपुर
(46) श्रीमती राजकुमारी

जिला झुंझुनू :

(47) श्री गणपत राम पुत्र श्री शोभाराम जाट, ग्राम लट
(48) श्री सोनाराम पुत्र श्री शिवराम, ग्राम खेतड़ी

(49) श्री हनुमान राम, ग्राम भाटून्डाकलां
(50) श्री जयसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, ग्राम कसरू
(51) श्री लदमाल सिंह पुत्र श्री गंगासिंह, ग्राम बारां
(52) श्री शिवदास, ग्राम सिन्थाल
(53) श्री जोधाराम पुत्र श्री गिरधारी लाल, ग्राम हिन्डोली

जिला कोटा :

(54) श्री मोहम्मद रफीक, कोटा

जिला नागौर :

(55) श्री बदरीराम पुत्र श्री जेठाराम, ग्राम लिखमसर
(56) श्री किशनाराम पुत्र श्री बालूराम, ग्राम मंडीखुर्द
(57) श्री भंवरलाल पुत्र श्री जीवनराम, ग्राम पंचवन

जिला पाली :

(58) श्री छतरसिंह पुत्र श्री नाथू गूजर, ग्राम भामली
(59) श्री तेजाराम पुत्र श्री नैनुराम, ग्राम बलदो की ढाणी
(60) श्री मोतीराम पुत्र श्री खीयाराम, ग्राम त्रिरटोटियाखुर्द
(61) श्री राम पुत्र श्री नेनू भील, ग्राम गुढागमनसिंह
(62) श्री खेता पुत्र श्री विरदा, ग्राम रूपवास

जिला सवाई माधोपुर :

(63) श्री रामदयाल पुत्र श्री जगनलाल, ग्राम रेवाली

जिला सिरोही :

(64) श्री दलाराम पुत्र प्रेमाजी

जिला सीकर :

(65) श्री रामनाथ पुत्र श्री देवराम, ग्राम गढ़ टकनोट
(66) श्री मामराज, ग्राम कांवट
(67) श्री मुन्शीसिंह पुत्र श्री गोकुलसिंह, ग्राम गीन्डोली
(68) श्री भंवरसिंह पुत्र श्री बदनसिंह, प्रितमपुरी

जिला सीकर :

(69) श्रीमती पतासी पत्नी श्री हीरालाल शर्मा, ग्राम नीमकाथाना
(70) श्रीमती गिरीजा पत्नी श्री शान्ती लाल, सीकर

जिला जयपुर :

(71) श्री दूला पुत्र श्री भैरू भील, ग्राम खमनोर
(72) श्रीमती मनोहरी बाई पत्नी श्री फतेहसिंह

२५८

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची)

दिनांक 1-6-77 से फरवरी, 1978 तक पुलिस थाना, शास्त्रीनगर, जोधपुर में दर्ज चोरी और नकबजनी के मुकद्मे में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूची :—

चोरी :

मु. नं. 28/77, धारा 380	श्री मण्डल दत्त उर्फ राजू पुत्र श्यामलाल
मु. नं. 45/77, धारा 380	श्री सुखदेव पुत्र भंवरा राम
मु. नं. 36/77, धारा 379	श्री भैरा राम पुत्र बलूराम बिश्नोई
मु. नं. 94/77, धारा 380	श्री किशोर सिंह पुत्र देवी सिंह
मु. नं. 20/78, धारा 380	श्री मिट्ठूलाल पुत्र भंवर लाल

नकबजनी :

मु. नं. 8/77, धारा 457/380	श्री वासुदेव पुत्र आत्माराम
मु. नं. 42/77, धारा 457/380	श्री मानसिंह पुत्र रतन सिंह पुरोहित श्री प्रेम सिह पुत्र भंवर सिंह पुरोहित
मु. नं. 53/77, धारा 457/380	श्री रविन्द्र उर्फ आका पुत्र श्री मीठालाल श्री प्रकाश उर्फ पप्पु पुत्र श्री तुलसीराम
मु. नं. 89/77, धारा 457/380	श्री रविन्द्र उर्फ आका पुत्र श्री मीठालाल श्रीमती पूनम कौर पत्नी मीठालाल
मु. नं. 92/77, धारा 457/380	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र किशोर सिंह श्री कुन्दन सिंह पुत्र मोती सिंह
मु. नं 11/78, धारा 457/380	श्री प्रकाश उर्फ पप्पु पुत्र तुलसीराम
मु. नं. 17/78, धारा 457/380	श्री प्रकाश उर्फ पप्पु पुत्र तुलसीराम

———

249

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

नागौर जिले के अन्तर्गत तहसील डेगाना में स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं की सूची:—

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति लागत लाख रु. में	सम्मिलित किए गये ग्रामों के नाम	सन् 1971 की आबादी	जल योजना संधारण में निर्माणाधीन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पाइन्ट चांदारन	1965-66	1.00	1 चांदारन	2715	संधारण	योजना में सुचारु रूप से चलाई जा रही है।
2.	पम्प एवं टैंक बुटाटी	1969-70	..	1 बुटाटी	2211	,,	
3.	पाइन्ट सांजु	1970-71	0.44	1 सालू	2340	,,	
4.	पाइन्ट हरसोर	1971-72	1.61	1 हरसौर	3786	,,	
5.	क्षेत्रीय जल योजना, डेगाना	1969-70	2.95	1 डेगाना	2120	,,	
				2 कोतलसर	1318	,,	
				3 गोरठी करना	553	,,	
				4 गोरठी चाचा	2924	,,	
				5 जगरवास	1950	,,	
				6 संगोट	909	,,	
					9774	,,	
6.	क्षेत्रीय जल योजना, मोगास जस्सलू	1972-73 1975-76	11.40 15.84	1 मोगसा	462	,,	
				2 जिन्दास	439	,,	
				3 मैंगलियावास	207	,,	
				4 सुखवासनी	272	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
				5 आलसूकला	792	संधारण	
				6 जालसूनानक	1167	,,	
				7 जालसूखुर्द	874	,,	
				8 चूड़ियास	328	,,	
				9 अलवास	278	,,	
				10 खाटोलाई	204	,,	
				11 आतरोली कलां	1086	,,	
				12 आतरोली खुर्द	417	,,	
				13 दूदीया की ढाणी	450	,,	
				14 जालसू स्टेशन	500	,,	
				15 पंडवाला	562	,,	
				16 दूदरास	302	,,	
					8340		
7.	क्षेत्रीय जल योजना पूनास	1975–76	8.77	1 पूनास	529	निर्माणाधीन	ग्राम कारसोड़ा जो कि जल स्रोत वाला ग्राम है, संधारण में आ गया है।
				2 धारीया कलां	579	संधारण	
				3 खुरिया खुर्द	112	निर्माणाधीन	
				4 चोलीयास	511		
				5 पूनास विश्नोई	286		
				6 नखतवास	248		
					2265		
8.	क्षेत्रीय जल योजना, नेलोखी भावला (त्वरित कार्यक्रम)	1977–78	11.525	पांचों ग्रामों की योजना में उक्त तहसील का ग्राम डागरा ही सम्मिलित किया गया।	193	निर्माणाधीन	

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची)

जिला चूरू के तहसीलवार ग्रामों की योजनावार सूची, जहां 'अ' तक पीने का पानी सप्लाई किया गया है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	योजना का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
(1) तहसील रतनगढ़ :			
1.	बडिहारा	बडिहारा	
2.	लाछड़सर	लाछड़सर	
3.	ऋषीकुल आश्रम	क्षत्रीय योजना	क्रम संख्या 4, 5, 6 को नियमित पानी देने में असुविधा हो रही है। क्योंकि इस क्षेत्र में दीमक पाइप लाइनों में लगी रबड़ रिंगों को खा जाती है। इसके समाधान हेतु प्रयास जारी हैं।
4.	देरासर	,, ,,	
5.	रघुनाथ पुरा	,, ,,	
6.	गुसांईसर	,, ,,	
7.	जोलेड़ बड़ी	,, ,,	
8.	लोहा	लोहा ,,	
9.	सेला	सेला कुडेरा	

उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त बिरमसर की पहाड़ी पर होने वाली वर्षा के पानी को 14 ढके हुए कुण्डों में इकट्ठा कर आसपास के ग्रामों एवं ढाणीयों को जल उपलब्ध कराया जाता है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	योजना का नाम	विशेष विवरण
(2) तहसील सरदार शहर :			
1.	बिल्लूवास माहीयान	क्षेत्रीय योजना, बिल्लू वोगेरा	क्रमांक 6, 7 व 8 को नियमित जल वितरण स्रोत की कमी के कारण संभव नहीं हो रहा है। अतिरिक्त स्रोत हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2.	बिल्लूरामपुरा		
3.	बोगेरा		
4.	नहरासर उपाध्याव		
5.	लीमरासर		
6.	रातूसर		
7.	शोडवाला		
8.	रायपुरा		
9.	कोगा भरतरी	क्षेत्रीय योजना, कोसा भरतरी	
10.	कोगा हेमरा		
11.	जलयान सरकी		
12.	कोगावास मोगा		
13.	कोगावास आसलवास		
14.	शिमला	शिमला	यह योजना वर्तमान में ग्राम पंचायत के पास है।
15.	गूलासर	गूलासर	
16.	मेहरासर चाचरा	मेहरासर चाचरा	

252

1	2	3	4
17.	जयसिंह सर	क्षत्रीय योजना, जयसिंहनगर	
18.	जेतासर		
19.	नेमासर		
20.	हरीयासर जाटा		
21.	सोमलसर		
22.	आसूंसर		
23.	चाहसर		
24.	छाजूसर		
25.	कांकलासर		
26.	दोलूसर	क्षेत्रीय योजना, सरदारशहर, आसपालासर	
27.	भीमसर		
28.	पुन्लीसर		
29.	बुकनसर छोटा		
30.	ढाणी बांपेरा		
31.	कावड़ वास		
32.	डानमान		
33.	जेतसीलरिया		
34.	थिरीयासर		
35.	खाजूसर		
36.	खेजड़ा धिकनादा		
37.	आपालासर बड़ा		
38.	आपालासर, कुब्तलासर		
39.	दुरखेड़ा, आसयालासर		
40.	आसयालासर, खगरा		
41.	आसयालासर, मिक्सेरा		
42.	आपालासर लालेरा		
43.	आपालासर मुगलेरा		
44.	खेजड़ा उतरावा		
45.	बुकनसर बड़ा		
46.	ढाणी, कानड़वाल		
47.	बरड़ासर	बरड़ासर	
48.	नन्दनउ उतरावा	क्षेत्रीय योजना, नन्दनेउ प्रथम	
49.	नन्दनेउ, दिखनादा		
50.	भोजूसर उपाध्याय		

(3) **तहसील सुजानगढ़ :**

	कानूता	कानूता
	मनरासर	मनरासर
	सालासर	सालासर
	भीवसर	भीवसर
	चाड़वास	चाड़वास

253

1	2	3
गोपालपुरा	गोपालपुरा	
सांडवा	सांडवा	
लालगढ़	लालगढ़	
दडिवा	दडिवा	
जोगलिया	क्षेत्रीय योजना, जोगलिया	जैतासर स्रोत की कमी के कारण क्रम संख्या 12 व 13 को जल वितरण संभव नहीं हो रहा है। भू-जल विभाग को अतिरिक्त स्रोत सुझाने हेतु लिखा गया है। अतिरिक्त स्रोत सुझाने पर कार्यवाही की जायगी।
जेतासर		
हडेउ मोदारा		
हड़ेउ चाड़वास		
(4) देरासर	क्षेत्रीय योजना,	
बग्यू	देरासर ब.यू. प्याय	
प्याय		
डीमारिया		
घंटयाल छोटा		
घंटयाल बड़ा		
20. लुहारा		
21. चरला		
22. सारंगसर		
23. खुलेरिया	क्षेत्रीय जल योजना, लाडनूं	
24. देवली	छापर विस्तार	
25. रामपुरा		
26. सुरवाह		
27. वालेरा		
28. रूपेली		
29. डुंगर		
30. नबोड़ा		
31. बीड़ छावर		
(4) तहसील डूंगरगढ़		
1. मोमासर	मोमासर	
2. बिग्गा	बिग्गा	
3. रामसरा वास बिग्गा	क्षेत्रीय योजना, रामसरा	
4. सातलेरा	बिग्गा विस्तार	
5. लिखमीसर उतराडा	क्षेत्रीय योजना, लिखमीसर	नल कूप लिखमीसर दिखनाधा के पानी में रेत आने के कारण पम्प बार 2 खराब होते हैं अतः क्रम सं. 7 व 8 के ग्रामों को निय-
6. लिखमीसर दिखनादा		
7. राजेडू		
8. बापेउ		
9. उपनी		

(254)

1	2	3	4
10.	कल्याणसर पुराना		नियमित जल वितरण संभव नहीं हो रहा है। नियमित जल वितरण हेतु प्रयास जारी है।
11.	कल्याणसर नया		
12.	सांवतसर	क्षेत्रीय योजना, सावतसर	
13.	कोटासर		
14.	दुशरणा वास	पीपासरीया	
15.	दुसरणा बड़ावास		
16.	दुसरणा वल्डरीणजी		
17.	रिडी	क्षेत्रीय योजना, रिडी धर्मास	
18.	धर्मास		
19.	मिगसरीया		
20.	बोसरिया		
21.	इन्दपालसर बड़ा		
22.	इन्दपालसर सांखला		
23.	इन्दपालसर राईका		
24.	धीरदेसर पुरोहितान	क्षेत्रीय योजना, तोलियासर तोलिया	
25.	ठकरियासर		
26.	दूदरासर		
27.	तोलियासर		
28.	तोलिया		
29.	लादड़ीया		
30.	बिरनसर		
31.	जालबसर		
32.	आहूसर पुरोहितान	क्षेत्रीय योजना, तोलियासर तोलिया	
33.	सुरजानसर		
34.	लाखनसर		
35.	जैलासर	बरजांगसर	
36.	जैसलसर	क्षेत्रीय योजना, बरजांगसर	
37.	बरजांगसर	सोनीयासर	
38.	धनेरू		
	तहसील :—चूरू		
1.	देपालसर	पंप एवं टैन्क जल योजना, देपालसर	
1.	खासोली	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, खासोली-दूदवा खारा।	
2.	डालर		
3.	दूदवा खारा		
4.	लखाऊ		
5.	जासलू		
6.	ढाणी लक्ष्मणसिंह		
7.	सिरसा		
8.	सिरसली		

1	2	3	4
	9. लोहसना बड़ा		
	10. लोहसना छोटा		
	11. लादड़िया		
	12. ढाकों का बास	(जनगणना पुस्तिका में नहीं हैं)	
	1. भाडकी	विस्तृत जलप्रदाय योजना, खासोली प्रथम भाग।	
	2. करनपुरा		
	3. लालासर बेनीरोतान		
	4. लालासर पट्टा राजपुरा		
	5. गिनडी पट्टा राजपुरा		
	1. जसरासर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, जसरासर का कलासर।	
	2. रामपुरावास		
	3. खारिया		
	4. रामदेवरा		
	5. बिनासर		
	6. पीटी		
	7. राजपरिया		
	8. नाकरासर		
	9. जसासर		
	10. पीथीसर		
	11. दूदवा मीठा		
	12. केनसीसर		
	13. बीलरासर		
	14. धीरासर बीकान		
	15. धीरासर चारनान		
	16. धीरासर शेखावतान		
	17. धीरासर बेनीरतान		
	18. ढाढरिया चारनान		
	19. धूधलिया		
	20. सालड़ा		
	तहसील:—राजगढ़		
	1. सानका	पंप एवं टैंक जल योजना, सानका	
	1. चांदगोठी	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, चांदगोठी राजगढ़।	
	2. नीमा		
	3. हमीरवास बड़ा		
	4. हमीरवास छोटा		
	5. हरपाल सावल		
	6. हरपाल खुशाला		

(256)

1	2	3	4
	7. अच्छापुरा		
	8. रंडवा		
	9. बिन्जावास		
	10. सरदारपुरा		
	1. काथरान	विस्तृत क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, दिगोठी, राजगढ़।	
	2. हरपाल पतरान		
	3. हरपाल रामधन		
	4. इन्द्रपुरा		
	5. कालडी		
	6. थिरपाली बड़ी		
	7. थिरपाली छोटी		
	8. गन्डाना		
	9. बास लालसिंह		
	1. सुलखनियां बड़ा	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, चांदगोठी-सुलखनिया।	
	2. सुलखनिया छोटा		
	3. लम्बोर बड़ी		
	4. बेरासर बड़ा		
	5. जसवन्तपुरा		
	6. ढाणी मांजी		
	7. बेरासर छोटा		
	8. जनेऊ मीठा		
	9. जनेऊ खारा		
	10. जैतपुरा		
	11. देवीपुरा		
	12. मीठडी केसरसिंह		
	13. मीठडी बलवन्तसिंह		
	14. जाटों की कलां		
	15. चमारों की कलां		
	16. खेडी लाम्बोर		
	17. खेड़ी बड़ी		
	18. लाम्बोर छिपियों की		
	19. लाम्बोर ठाकरों की		
	20. दन्देऊ रामसिंह		
	1. दन्देऊ मोहनसिंह	विस्तृत क्षेत्रीय जलप्रदाय, योजना, चांदगोठी-सुलखनियां प्रथम भाग।	
	2. दन्देऊ सुल्तानसिंह		
	3. लीलावटी		
	4. थान मथऊ		
	तहसील:—तारानगर		
	1. साहवा	पंप एवं टेंक योजना, बुचावास।	
	2. बुचावास		

ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें स्वीकृत करने के बाबत निम्न आधार विभाग द्वारा अपनाये जा रहे हैं

1. उपलब्ध धनराशि को प्रत्येक जिले में जिले की विषम जल समस्या वाले ग्राम (अत्यधिक खारे जल वाले, बगैर जल श्रोतों वाले, फ्लोराइड ग्रस्त, नारु ग्रस्त अथवा 2000 से अधिक आबादी वाले) की समस्या के समाधान के लिये आवश्यक धनराशि के अनुपात में बांटा जाता है।

2. उपरोक्त धनराशि के अनुसार जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं।

3. उक्त प्रस्तावों की तकनीकी उपयुक्तता देखते हुये धन की उपलब्धि के अनुसार जिला आयोजना समिति के द्वारा की गई प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

4. मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य को यह अधिकार है कि वे विधान सभा सदस्यों के सीधे प्रस्ताव भेजने पर, उस पर भी विचार करें एवं जिला आयोजना समिति द्वारा प्राथमिकता में भी आवश्यकतानुसार रद्दोबदल कर जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर सकते हैं।

---

(258)

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 163 की सूची)

भू-जल विभाग के अधीन राजकीय नलकूपों की जिलेवार सूची

क्रम संख्या	नलकूप का नाम	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत नलकूप का निर्माण किया
1	2	3
जिला जैसलमेर		
(1)	लाठी-6	भारत सरकार के प्रथम परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत
(2)	भागू का गांव	भारत सरकार के प्रथम परीक्षण कार्यक्रम के अन्तगत
(3)	सोडाकार 5	भारत सरकार के प्रथम परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत
(4)	जेठा (ग्रोल्ड)	भारत सरकार के प्रथम परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत
(5)	बड़ोड़ा गांव	भारत सरकार के प्रथम परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत
(6)	सगरा	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत
(7)	चान्दन-द्वितीय	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत
(8)	ग्रजासर	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत
(9)	पाली-प्रथम	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(10)	रनाऊ	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(11)	सम (बिदा)	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(12)	सांगड़	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(13)	जेठा	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
जिला नागौर		
(14)	पूनलांटा	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत
(15)	खजवाना	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(16)	ग्ररवर	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(17)	निम्बीजोधा	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(18)	रुन	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
जिला बीकानेर		
(19)	लालमदेसर	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
जिला जोधपुर		
(20)	रणसी गांव	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत
(21)	खिवसरीया	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत
(22)	चामू	ग्रकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत

1	2	3	4
(23)	चौरड़िया	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(24)	जेठानिया	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(25)	कोलू	मुख्यमन्त्री फण्ड योजना के अन्तर्गत	
(26)	सीहाड़ा	योजना के अन्तर्गत	
जिला जालौर			
(27)	बागोड़ा	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(28)	सुराना	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(29)	गोलियां	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(30)	टिलोड़ा	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(31)	केसवाना	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(32)	एलाना	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(33)	सराऊ	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(34)	डेगाना	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(35)	मीठड़ी	250 नलकूप योजना के अन्तर्गत	
(36)	सरनऊ	घुमक्कड़ पशुपालन योजना के अन्तर्गत	
जिला बाड़मेर			
(37)	धारवी	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(38)	कोटड़ा	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(39)	ढोली	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत	
जिला अलवर			
(40)	सोडावास	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
जिला भरतपुर			
(41)	जगमोहन का पुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(42)	सिलावट	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(43)	बसाई धियाराम	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(44)	अमकापुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(45)	चमारपुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(46)	अमरपुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(47)	डिग्गी	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(48)	देवखेड़ा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(49)	बजाना	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(50)	बाबरपुरा-प्रथम	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(51)	सिंधावली खुर्द-प्रथम	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	
(52)	चिन्तामन की गढ़ी	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत	

1	2	3
(53)	चौधरी का पुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(54)	सिकरोदा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(55)	सिधावली-द्वितीय	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(56)	हरिवल्लभपुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(57)	त्रिविलिगरी	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(58)	नागर	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(59)	बाबरपुरा-द्वितीय	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(60)	बिलेठी	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(61)	गेनड़ी-प्रथम	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(62)	गनेड़ी-द्वितीय	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(63)	चकपुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(64)	भीमपुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(65)	जगमोहन का पुरा—द्वितीय	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(66)	थेर	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(67)	नाडोरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(68)	देवीखेड़ा-प्रथम	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(69)	देवीखेड़ा-द्वितीय	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(70)	देवदास पुरा	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(71)	देढवार	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत
(72)	गढ़ी	योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत